राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या १९

शुक्रवार, दिनांक २१ मार्च, १९६९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-०१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, राजस्व, पशुपालन, पुनर्वास, शिक्षा, नियुक्ति, उद्योग, सहकारिता, आयुर्वेद, जन सम्पर्क, यातायात-विभाग.]

प्रश्न संख्या ४३७

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूल राम ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३८

श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४३९

श्री जयनारायण सालोदिया ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

भारत-पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को आर्थिक सहायता

४४०. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि भारत-पाक युद्ध के बाद में पाकिस्तान से आकर सीमावर्ती क्षेत्र में बसे हुए शरणार्थियों को नकदी सहायता दी गई थी ? यदि हां, तो वह कितने समय तक दी गई ?

(२) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के ग्राम मीठड़ाऊ के १४ परिवार, सोमड़ार के १९ परिवार, गुमाने की तली के १५ परिवार व केलनोर के लोगों को चार माह की नकद सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुई ?

(३) क्या राज्य सरकार इस साल इन्हें इनकी बकाया नकदी सहायता देने की व्यवस्था करेगी ?

राज्य मन्त्री, पुनर्वास (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (१) जी हां । निर्वाह भत्ता दिनांक ३०-९-६६ तक दिया गया।

(२) जी हां । ग्राम गुमाने की तली के १ परिवार व केलनोर के ३४ परिवारों को निर्वाह भत्ते की द्वितीय किश्त का भुगतान करना शेष है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

(३) भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस वर्ष भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री पृथ्वीसिंह।

पाली जिले का पैकेज कार्यक्रम

४४१. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला पाली में पैकेज कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया ?

(२) पैकेज कार्य चालू करने के दिन से आज दिन तक कितनी लागत के कृषि यन्त्र खरीद किये गये अथवा बनवाये गये ?

(३) इन यन्त्रों में से कितनी लागत के यन्त्र काश्तकारों को वितरित कर दिये गये हैं और उसमें से कितनी कीमत वसूल हो गई है ? कितनी लागत के पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम सेवकों, सहकारी समितियों, विभाग के पास एवं कहीं अन्य स्थान पर पड़े हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(४) उक्त यन्त्रों के वितरण नहीं होने का क्या कारण है ?

(५) अब इन यन्त्रों के वितरण की क्या-क्या योजना है ?

उपमन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (१) पैकेज कार्यक्रम जिला पाली में खरीफ १९६१ से चालू किया गया।

(२) पैकेज कार्यक्रम चालू करने के दिन से अक्टूबर १९६८ तक २,१४,३४० रु० की लागत के कृषि यन्त्र राजस्थान कृषि अभियान्त्रिक मण्डल द्वारा पंचायत समितियों को बेचे गये।

(३) इन यन्त्रों में से १,७९,००० रु० की लागत के यन्त्र समितियों द्वारा काश्तकारों को वितरित कर दिये गये हैं। कितनी कीमत वसूल की गयी है, इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। ३५,३४० रु० की लागत के यन्त्र पंचायत समितियों के पास काश्तकारों को वितरित करने हेतु पड़े हैं।

(४) यन्त्र बराबर वितरित हो रहे हैं।

(५) राजस्थान कृषि अभियान्त्रिक मंडल की प्रदर्शन इकाइयों द्वारा इन यन्त्रों का प्रदर्शन कराया जाकर वितरण किया जाता है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, २ नम्बर के बारे में पूछा है कि विभाग द्वारा कितनी लागत के यन्त्र बनवाये गये या खरीदे गये। उसके जवाब में २,१४,३४० रु० के बेचे गये। मैंने तो पूछा था कितने बनवाये गये और कितने खरीदे गये विभाग द्वारा ?

श्री हरिसिंह : झोटवाड़ा एग्रीकल्चर वर्कशाप और पाली मोबाइल यूनिट्स हैं उनके द्वारा वितरण किया जाता है। झोटवाड़ा एग्रीकल्चर वर्कशाप बनाने का काम करता है।

श्री पृथ्वीसिंह : प्राइवेट कम्पनियों से जो यन्त्र खरीदे गये हैं, वह भी बताना चाहिए। प्राइवेट कम्पनियों और प्राइवेट पार्टीज से जो खरीदे गये हैं।

Page No 3

श्री अध्यक्ष : क्या प्राइवेट कम्पनियों से भी खरीदे हैं ?

श्री हरिसिंह : हमारे पास जो सूचना है, झोटवाड़ा और पाली से जो खरीदे गये हैं, उनका उल्लेख है ।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरी सूचना नहीं है । प्राइवेट पार्टीज की जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आपको बतलायेंगे ।

श्री पृथ्वीसिंह : मैंने दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि कितने यन्त्र बेचे गये हैं । डायरेक्टली काश्तकारों को कितने आपने बेचे हैं और कितनी लागत के वितरित किये हैं ? उनकी कीमत वसूल हुई या नहीं ?

श्री हरिसिंह : मैंने यह निवेदन किया १,७६,००० रु० की लागत के यन्त्र पंचायत समितियों के माध्यम से वितरित कर दिये गये । बाकी ३५ हजार या उसमें कुछ राशि बाकी हो सकती है वह आंकड़े पंचायत समितियों से मंगवाये जा रहे हैं ।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, १,७६,००० रु० में कितनी राशि वसूल हुई है और कितनी नहीं ? क्या पंचायत समितियों से राशि वसूल हो गई ?

कृषि मन्त्री (श्री शोभाराम) : मैंने अपनी यह पद्धत्ति अपनाई है, कि उनको जो पेमेंट करते हैं, वह डायरेक्टली वर्कशाप को नहीं करते हैं । पंचायत समितियों को जो देते हैं, उसको एक तरह से हमारे हिसाब में लिख देते हैं । लोन एण्ड एडवान्सेज के हिसाब में सीधा जाता है ।

श्री पृथ्वीसिंह : मैंने यह पूछा था कि विभाग द्वारा जो वितरित किये गये और पंचायत समितियों द्वारा जो वितरित किये गये हैं, उनकी धनराशि प्राप्त हो गई है ?

श्री शोभाराम : उनका ऐसा है उनको अकाउण्ट मिला हुआ है । वह पंचायत समितियों में हर साल अकाउण्ट जमा है । वहां के हिसाब से पता चलाकर, अगर माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं, तो वह जानकारी उनको दे देंगे ।

श्री पृथ्वीसिंह : मैंने यह पूछा कि विभाग द्वारा कितनी रकम वसूल हो गई है उसका उत्तर दिया नहीं । दूसरा उत्तर दे देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : (श्री दिग्विजयसिंह के उठने पर) आप बैठिये । प्रश्नकर्त्ता पूछिये ।

श्री शोभाराम : जानकारी की जा रही है ।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह है कि पंचायत समितियों, ग्राम सेवकों, सहकारी समितियों आदि में कितनी धनराशि की लागत के यन्त्र पड़े हुए हैं ?

श्री शोभाराम : इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिरकार राज्य की तरफ से पंचायत, पंचायत समिति को कोई रकम दी जाती है तो आपके पास में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस रकम का क्या हुआ । आखिर रकम कोई फेंकने के लिए नहीं है

Page No 4

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि वापिस आये या नहीं आये। आखिर कुछ न कुछ हिसाब होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए, छः महीने में, आठ महीने में रेगुलर स्टेटमेंट आपके विभाग के पास पहुंचना चाहिए कि क्या स्थिति है। लेकिन आपको कुछ जानकारी नहीं है। प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं, उसके बाद पंचायत समिति से जानकारी करते हैं–यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री पृथ्वीसिंह : एक जानकारी और दे दें। जब स्थगित प्रश्न का उत्तर दें तो यह भी बता दें कि १९६१ से लगा कर पंचायत समितियों के कुछ ग्राम सेवकों के हैड क्वार्टर पर आज दिन तक यंत्र यों के यों पड़े हैं और उन यंत्रों में वृक्ष खड़े हो गये हैं, वह वृक्ष काफी बड़े हो गये हैं। कुछ वृक्ष तो छः साल की उम्र के हो गये हैं।

श्री शोभाराम : इसकी जानकारी कर ली जायगी, मैं समझता हूं, पन्द्रह दिन के अन्दर जो दो तीन बातें आपने बताई हैं, कितने-कितने यंत्र कहां-कहां पड़े हुये हैं, कितनी वसूली हुई है, कितनी वसूली पास ओन कर दी है। यह जानकारी पन्द्रह दिन में कर ली जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्थगित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : मैं विचार करूंगा कि जानकारी के बाद भी स्थगित करना उचित होता है या नहीं।

श्री पृथ्वीसिंह : जानकारी कुछ भी नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं अपने को सेटिसफाई कर लूंगा।

श्री हरीसिंह : मैं निवेदन कर दूं...

श्री अध्यक्ष : अब निवेदन नहीं। काफी समय ले लिया है।

श्री हरिसिंह : जो यह यंत्र थे...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री नन्दलाल बैरवा !

सैनिकों को कृषि भूमि

४४२. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

वर्ष १९६७ व १९६८ में अब तक भूतपूर्व सैनिकों, मोर्चे पर तैनात सैनिकों व युद्ध में मृत सैनिकों के परिवारों को किस-किस जिले में कितनी-कितनी कृषि भूमि मुफ्त दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री, राजस्व (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस प्रश्न का ताल्लुक छब्बीस जिलों से है, इसलिए सभी से इन्फार्मेशन मंगानी थी जो पूर्णतया प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नन्दलाल बैरवा : कितने जिलों से सम्बन्ध है...

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया।

श्री नन्दलाल बैरवा : इसको दिये हुए साल हो गया है, अभी तक पूरी जानकारी नहीं हुई है ?

श्री विजयसिंह : कांग्रेस छोड़ दो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बद्री प्रसाद गुप्ता!

संस्कृत कॉलेज में वरिष्ठ अध्यापक का पद

४४३. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग ने सितम्बर, १९६७ में संस्कृत कॉलेज, अलवर के लिये वरिष्ठ अध्यापक के पद की स्वीकृति के लिये राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजा था और यह प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया?

(२) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद अलवर संस्कृत कॉलेज के पद को जयपुर संस्कृत कॉलेज में इतिहास विषय में बदल कर परिवर्तित कर दिया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(३) क्या सरकार संस्कृत कॉलेज के पद को अब स्वीकृत करने का विचार रखती है।

उपमंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): (१) जी हां। राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं दी गई है।

(२) जब पद स्वीकृत नहीं किया गया तो परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जी हां। अगले वर्ष से स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या ४४४

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४४५

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री गंगासहाय।

अधीनस्थ विभागों में अधीक्षक के पद पर पदोन्नति

४४५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) व श्री गंगासहाय (कठूमर सु०): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) अधीनस्थ विभागों में अधीक्षक कार्यालय के पद पर पदोन्नत करने के क्या नियम हैं? नियम सदन की मेज पर रखें।

(२) लिपिकों और स्टेनोग्राफरों के बीच वरिष्ठता किस प्रकार तय की गई है और उसके आधार क्या हैं?

(३) क्या यह सही है कि कुछ विभागों में २० से २५ वर्ष तक की सेवा अवधि तक के वरिष्ठ लिपिकों को एवं सहायकों (मुख्य लिपिकों) की उपेक्षा करके कार्यालय अधीक्षकों के पदों पर स्टेनोग्राफरों को पदोन्नत किया गया है?

(४) क्या स्टेनोग्राफरों और वरिष्ठ लिपिकों को कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने के लिये कोई अनुपात तय किया गया है? विभिन्न विभागों में पिछले दो वर्षों में स्टेनोग्राफरों और वरिष्ठ लिपिकों या सहायकों (मुख्य लिपिकों) में से कितने-कितने लोगों को कार्यालय अधीक्षक बनाया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गया है ? इन दोनों वर्गों की इन विभागों में संख्या कितनी-कितनी थी ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

उपमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध सभी विभागों से है, इसलिए सूचना प्राप्त करने में एक महीने का समय लगेगा इसलिए मैंने इसको स्थगित करने की प्रार्थना की है ।

श्री गंगासहाय : पहले ही मालूम हो गया था ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री गंगासहाय : मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय, इसी सत्र में ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री सांवरमल बासोतिया ।

नवलगढ़ में बाढ़ से क्षति

४४६. **श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्षा में नवलगढ़ कस्बे में पानी की भयंकर बाढ़ आई थी ? यदि हां, तो इसमें कुल कितने घर डूबे और कितने मकान पूर्ण रूप से तथा कितने मकान आंशिक रूप से नष्ट हुए ?

(२) इस बाढ़ से कुल कितना नुकसान आंका गया ?

(३) क्या यह सही है कि यह बाढ़ नवलगढ़ कस्बे में प्रथम बार आई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को पता चला कि यह बाढ़ किधर से आई और पानी उद्गम स्थान से नवलगढ़ कस्बे के बीच कितने गांवों और ढाणियों को नुकसान पहुंचाता हुआ आया ?

(४) सरकार ने भविष्य में बाढ़ से इस क्षेत्र को बचाने के लिये क्या उपाय सोचा है ? क्या राज्य सरकार को पता है कि निकट भविष्य में ही पुनः वर्षा का समय आने वाला है और वही बाढ़ की हालत पुनः उत्पन्न हो सकती है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार के सामने क्या रूप रेखा है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध अकाल सहायता विभाग से है इसलिए इसे उसे ट्रान्सफर कर दिया गया है ।

एक माननीय सदस्य : इस पर रोक लगनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आपने ट्रान्सफर कर दिया और मैं बैठा ताकता रहा । मुझे सूचना मिल जानी चाहिए ।

श्री गंगाराम चौधरी : सूचना भेज दी गई है, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री कृष्णकुमार गोयल !

मै. राजस्थान स्ट्रक्चरल वर्क्स, कोटा को कच्चे माल का कोटा

४४७. **श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा):** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मैसर्स राजस्थान स्ट्रक्चरल वर्क्स, कोटा को कन्ट्रोल्ड

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कच्चा माल दिया गया है ? अगर हां, तो कब-कब व कितना-कितना ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त पार्टी ने कच्चे माल का ब्लैक किया है ? अगर हां, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (१) जी हां । सूची संलग्न है ।

(२) जी हां । पार्टी के विरूद्ध मामला पुलिस में दर्ज करा दिया गया और माल का आवंटन बंद कर दिया गया ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये ।)

श्री कृष्णकुमारगोयल : यह फैक्ट्री किस स्कीम के लिए एप्रूव थी, कौनसी स्कीम के लिए यह फैक्ट्री एप्रूव थी ?

श्री भीमसेन : यह सूचना तो अभी उपलब्ध नहीं है ।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : फेब्रीकेशन के लिए ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह फैक्ट्री सन् १९६१ से बसेज की बॉडी बनाने के लिए एप्रूव हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, यह फैक्ट्री फेब्रीकेशन की स्कीम के लिए थी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जितने हजार टन कच्चा माल इसको प्राप्त हुआ है, इसमें से एक टन भी यूटीलाइज नहीं किया और सारा का सारा ब्लेक में बेचा है ?

श्री हरिदेव जोशी : जो इन्कवायरी की गई, उसके अनुसार उसने लास्ट कोटा को यूटीलाइज नहीं किया था, इसलिए इसके खिलाफ कार्यवाही की गई और फरदर कोटा बिल्कुल बन्द कर दिया गया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सन् १९६६ के अन्दर इन्स्पेक्टर ने स्वयं जाकर इन्क्वायरी की थी और इन्क्वायरी करने के बाद में यह सूचना मिली कि मिस-यूटीलाइजेशन उसने रिपोर्ट किया था और वह रिपोर्ट डिप्टी डाइरेक्टर और पुलिस के सारे अधिकारियों की दी थी ?

श्री हरिदेव जोशी : सारे माल के लिए नहीं लिखा था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितना है ? कितने माल के लिए उस रिपोर्ट के अन्दर लिखा है ?

श्री हरिदेव जोशी : पार्ट ऑफ इट किया है, होल ऑफ इट नहीं किया है । लेकिन पार्टी ने कहा है कि पूरे का उपयोग किया है, उसने यह क्लेम किया है और अकाउण्ट दिया था । लेकिन एवीडेंस हमारे पास थी उससे लगा कि उसका कहना सही नहीं है । इसलिए क्योंकि उसने गलत बात कही थी, उसकी फरदर इन्क्वायरी करानी थी, इसलिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मै जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आज तक इस व्यक्ति के विरूद्ध अदालत में कोई चालान पेश नहीं किया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य से निवेदन किया, इसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया है । अब

(श्री हरिदेव जोशी)

आप कहते हैं कि चालान कर दिया या नहीं, तो अब पुलिस फरदर इन्क्वायरी करके चालान करने की स्थिति में होगी तो करेगी। मैं यह नहीं कह सकता कि क्या किया, क्या नहीं किया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस प्रकार की कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं की है और कोटा का एक टन भी यूटीलाइज नहीं किया है, और जो हजारों टन कोटा आइटम को दिया है वह ब्लेक में बेचा है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कहना सही नहीं है कि कोई काम नहीं किया है। लेकिन उसने कहा कि पूरा यूटीलाइज कर लिया है और हम विश्वास नहीं करते हैं जो उसने कहा है उस पर। हम समझते हैं कि जो अकाउण्ट दिया है वह गलत है, जो एवीडेंस दी है वह गलत है, काफी हद तक गलत है। अब किस हद तक गलत है, किस हद तक सही है—इसके लिए प्रोपर आथोरिटी इन्क्वायरी कर सकती है और वह है पुलिस। पुलिस को हमने यह केस दे दिया है। अब यह पुलिस का काम है कि किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। माने उसकी तरफ से यह कहना है, कि पूरा यूटीलाज कर लिया है और डिपार्टमेण्ट का यह है कि नहीं किया हैं। अब यह वेरीएशन की बात है, इसमें कौनसी चीज ठीक है, कौनसी नहीं इसके लिए एक्शन लेगी पुलिस।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : आपके डिपार्टमेंट की जानकारी के अनुसार कच्चे माल में से कितने माल का दुरुपयोग किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह अन्दाज की बात हो जायगी, यह फैक्ट्स के ऊपर नहीं होगी ?

श्री भैरोंसिंह : जो पुलिस को लिखा है तो वह अन्दाज से तो नहीं लिखा होगा, इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट दी होगी कि इतने माल का ब्लैक मार्केट किया है। हम यह नहीं मांगते कि कितने माल का उपयोग किया है। हम चाहते हैं कि वह कितना माल है जिसके बारे में इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट का असेसमेंट है कि इतने माल का दुरुपयोग किया है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कहना ठीक नहीं होगा, मेरे ख्याल में। पार्टी ने यह कहा कि पूरे माल का यूटीलाइज कर लिया है। हम कहते हैं कि उसका जो यह कहना है, यह सही नहीं है। उसकी एवीडेंस है वह एक हद तक सही हो सकती है। हम समझते हैं कि पूरा यूटीलाइज नहीं किया है। इसका पुलिस के थ्रू कोर्ट के द्वारा फैसला करवा सकते हैं। अगर आज कहें कि इतने पर्सेण्ट किया है और वह कल गलत हो जाय-तो वह कहना ठीक नहीं होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह फैक्ट्री कोटा में बन्द पड़ी है और उसका जो मालिक है वह वहां उपलब्ध नहीं है। वह व्यक्ति कहां पर है और काम कहां करता है ?

श्री हरिदेव जोशी : इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट से उसको कोई कोटा नहीं दिया गया है। कोटा नहीं देने के कारण डिपार्टमेंट यह कहने की स्थिति में नहीं कि मालिक वहां पर है या नहीं क्योंकि उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी की सारी फेक्ट्री इस नाम पर चल रही है कि मोटर की बाडी बनाती है, उसको चलाने वाले हैं ओम प्रकाश माथुर, जो पार्टनर हैं और वह माथुर होने के नाते फायदा उठाना चाहते हैं वह उठाया है और लाखों रुपये का कच्चा माल ब्लेक में बेचा है।

श्री हरिदेव जोशी : तभी इन्वेस्टीगेशन हो रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इन्वेस्टीगेशन क्या हो रही है ? यह कब पुलिस को रिपोर्ट किया ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट ने प्राम्प्ट एक्शन लिया है। एक तरफ पार्टी ने कहा कि उसने काम किया है। हम मानते नहीं हैं। इसलिए हमने केस पुलिस में दे दिया है। उसके बाद भी आपकी यह शिकायत है कि हम लीनियेन्सी वरत रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कहां पर दिया है, किस तारीख को दिया है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सब आपकी जानकारी में है। मेरी अपेक्षा आपकी जानकारी अधिक है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं कहना चाहता हूं कि आपने पुलिस को रिपोर्ट किया है, वह ज्यों का त्यों पड़ा है, कोई इन्वेस्टीगेशन, तफतीश या गवाही नहीं हो रही है और केस को दबाने की कोशिश हो रही है, और यह व्यक्ति नेशनल बाल बेयरिंग में काम कर रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं पुलिस विभाग को फिर लिखूंगा कि ताकीद से इस बारे में कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासहाय।

श्री नथमल चौहला।

श्री गंगासहाय : ४४८ का पहले दिलवा दें।

केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधीन कार्य करने वाले सहायक निरीक्षक

४४८. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु.) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जो सहायक निरीक्षक दिनांक १-९-६७ से केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधीन दिये गये हैं उनको राजस्थान सरकार के राजपत्रित अवकाश नहीं दिये जाते ?

(२) क्या यह भी सही है कि इन सहायक निरीक्षकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता भी नहीं दिया जाता है जब कि उन निरीक्षकों को भी इसी विभाग के कर्मचारी हैं उक्त भत्ता दिया जाता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त बैंक के अधीन जो सहायक निरीक्षक कार्य कर रहे हैं उनको समय पर यात्रा भत्तों का भुगतान भी नहीं दिया जाता है ?

उपमंत्री सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह सही नहीं है।

श्री गंगासहाय : जो सहायक निरीक्षक अपने विभाग में रहते हैं उनको गजेटेड होली डे अवेल करने की सुविधा दी जाती है जब कि बैंक में जाने के बाद सुविधा नहीं दी जाती इसका क्या कारण है ?

सहकारिता मंत्री (श्री शोभाराम) : इसका कारण यह है कि अब यह डिपार्टमेंट की नौकरी में नहीं हैं, बैंक में इनको ट्रान्सफर कर दिया गया है और बैंक की छुट्टी इन पर लागू होती हैं।

श्री गंगासहाय : बैंक के रूल्स के अनुसार इनकी सर्विस गवर्न होगी ?

श्री शोभाराम : बैंक की छुट्टियों का कलेण्डर बनता है वह छुट्टियां इनको प्राप्त होती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह इस विभाग के नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री नथमल चौहला।

तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही

४४६ **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ़-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सीकर जिलान्तर्गत कस्बा लक्ष्मणगढ़ के निवासियों पर जो नगरपालिका सीमा में वह बहुत वर्षों पहले के आबाद हैं उन पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा लैण्ड रैवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के अन्तर्गत केस कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों में अधिकांश हरिजन हैं ?

(३) क्या यह सही है कि यह केस इनके आबाद होने के वर्षों बाद वर्तमान तहसीलदार के आने के बाद इनको परेशान करने के लिये बनाया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्ति अपनी-अपनी जमीनों पर बहुत वर्षों पहले के आबाद हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े पुख्ता मकान बने हुए हैं ?

(५) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिये इसे स्थगित किये जाने की प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री बालसिंह सोढ़ा।

जैसलमेर जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

४५०. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पिछले तीन वर्षों में जिला जैसलमेर में एक भी आयुर्वे-

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
दिक औषधालय नहीं खोला गया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में कई आयुर्वेदिक औषधालय बिना वैद्य के हैं ? अगर नहीं, तो किस औषधालय में कौन वैद्य है और कौनसी तारीख से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या सरकार इस वर्ष नये औषधालय खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उपमन्त्री आयुर्वेद (श्री समर्थलाल) : (१) जी हां। सीमित प्रावधान होने के कारण।

(२) जी नहीं। सूची प्रस्तुत है।

(३) इस वर्ष जो २५ औषधालय खोले गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पृथ्वीसिंह : जो आपने सूची दी है, उसमें ३ साल से जैसलमेर जो कि एक सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें एक भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला गया है, क्या यह सही है ?

श्री समर्थलाल : यह सही है। जैसलमेर में औषधालय नहीं खोला गया क्योंकि वहां पहले से ही आयुर्वेदिक औषधालय बहुत ज्यादा हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : जो सूची दी है, उसमें २० आयुर्वेदिक औषधालयों में से ४ जगह वैद्यों की जगह खाली है, क्या यह सही है ?

श्री समर्थलाल : जी हां, एक वैद्य प्रशिक्षण में गया हुआ है, एक को सस्पेण्ड कर रखा है।

श्री पृथ्वीसिंह : ४ जगह साल भर से खाली पड़ी हैं, जैसलमेर एक सीमावर्ती क्षेत्र है, इस चीज को मद्दे नजर रखते हुए वैद्य क्यों नहीं भेजे जाते हैं ?

राज्यमंत्री आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा) : साल भर से तो नहीं पर कुछ महीनों से खाली हैं। दूसरे वैद्यों को वहां भेजने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सदस्य को खुद को मालूम है कि जैसलमेर जैसी जगह जाने के लिये लोग उत्साहित नहीं होते हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : तीसरे प्रश्न के उत्तर में आपने बताया है, राज्य में नये खुलने वाले औषधालयों की सूची दी है, उसमें जैसलमेर के लिये एक भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोल रहे हैं। तीन साल में एक भी औषधालय नहीं खोला और इस चौथे साल में भी एक भी औषधालय नहीं खोल रहे हैं, क्या यह जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्र के लिये सरकार का उचित व्यवहार है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जैसलमेर की आबादी १,४०,००० है। राज्य का जो चिकित्सालय खोलने का पैटर्न है उसने १० हजार की आबादी के पीछे एक चिकित्सालय खोलने का है, पर क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिये १० हजार की आबादी के पीछे एक औषधालय देने के स्थान पर ७,००० की आबादी के पीछे एक औषधालय दिया है। सीमित प्रावधान होने

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

से जहां इस पैटर्न से कम औषधालय थे वहां औषधालय खोल रहे हैं।

जहां तक वैद्यों के भेजने का प्रश्न है आपका, हम बहुत जल्दी आपके यहां वैद्यों को भेजने का प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : जैसलमेर जिला रेगिस्तनी क्षेत्र है, वहां पर आबादी बहुत कम है, दूर, दूर ५०×५० माइल के एरिया में एक वैद्य का होना बिल्कुल अपर्याप्त है, इसलिये ७ हजार की आबादी के पीछे एक औषधालय देने के स्थान पर इससे और कम आबादी के पीछे आपको एक औषधालय देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह : (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, अभी परसों ही यहां इस पर चर्चा चल रही थी जैसलमेर एरिया में फेमीन चल रहा है, सैकड़ों लोग बीमारियों से और भूख से मर गये हैं…

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। नैक्स्ट। अगला प्रश्न।

श्री विजयसिंह : फिर भी राज्य सरकार जैसलमेर के साथ इस प्रकार लापरवाही बरत रही है तो आप ऐसेमंत्री महोदय को बर्खास्त कर दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या जैसलमेर जिला……

श्री अध्यक्ष : दुसरा प्रश्न ले लिया है विरोधी दल के नेता महोदय।

प्रश्न संख्या ४५१।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ओमदत्त भाटी।

सीमा क्षेत्रों के अध्यापकों के बकाया भत्ते का भुगतान

४५२. **श्री ओम दत्त भाटी** (सरदारपुरा):

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जैसलमेर, बाढ़मेर, बीकानेर सीमा क्षेत्रों की प्राथमिक पाठशालाएं शिक्षा विभाग के अधीन हैं ?

(२) क्या शिक्षा विभाग ने सर्कुलर नम्बर एफ. ७ (ए) (१०) ई. डी. यू. सी., ११-१-६३, दिनांक ६-३-६४ को प्रसारित किया था ?

(३) क्या इस सर्कुलर के अनुसार अध्यापकों को भत्ता दिया जा रहा है ? अगर नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों ? और कब से नहीं दिया जा रहा है ?

(४) उपरोक्त सभी सीमा क्षेत्रों के अध्यापकों को भत्ता नहीं दिया जा रहा है या किसी एक क्षेत्र को नहीं दिया जा रहा है ?

(५) क्या सरकार शीघ्र ही पिछली बकाया रकम दिलायेगी ?

उपमंत्री शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (१) यह सही है।

(२) जी हां।

(३) बाड़मेर व जैसलमेर जिला में

(श्री धीरसिंह)

जो शालाएं पंचायत समिति से विद्यालय निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में दिनांक १-१०-६६ से आईं उनके अध्यापकों को पंचायत समिति द्वारा जो एल.पी.सी. दी गई उसमें इस भत्ते का इन्द्राज न होने के कारण उनको अब तक भुगतान नहीं किया जा सका। रिवाइज्ड एल. पी. सी. मंगवाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो ९-३-६४ का सर्कूलर है वह पंचायत समिति अधिनियम के तहत जारी हुआ था। अतः उसको सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया जा सकता है या नहीं, इस पर निर्णय लिया जा रहा है।

बीकानेर जिले के अध्यापकों को उक्त भत्ता मिल रहा है।

(४) बीकानेर जिले के सीमा क्षेत्रों में अध्यापकों को उक्त भत्ता दिया जा रहा है।

बाड़मेर व जैसलमेर जिले के सीमा क्षेत्रों में नहीं दिया जा रहा है।

(५) बाड़मेर जिले में जिन अध्यापकों के पंचायत समिति के समय में एरियर के केसेज प्राप्त हुए हैं उनमें से काफी का भुगतान कर दिया गया है। जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों में जैसे ही रिवाइज्ड लिस्ट पे सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे भुगतान की व्यवस्था की जा सकेगी।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने फरमाया कि जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में सर्कूलर को लागू नहीं किया गया है और वहाँ अध्यापकों को अतिरिक्त भत्ता बोर्डर क्षेत्र का भत्ता मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। यह उनको मिल जाय इसकी व्यवस्था कब तक कर देंगे ?

श्री धीरसिंह : दूसरा सर्कूलर जारी कर रहे हैं। पहला सर्कूलर पंचायत समिति अधिनियम के तहत जारी किया गया था, इसके अलावा पंचायत समितियों ने जो एल. पी. सी. भेजे उनमें भत्ते को अंकित नहीं किया था। बीकानेर पंचायत समिति ने अंकित कर दिया था, उनको मिल रहा है।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : अब जो सर्कूलर जारी कर रहे हैं वह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा ?

श्री धीरसिंह : जी हां।

श्री पृथ्वीसिंह : उनको मिलने वाला भत्ता उसी तारीख से दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धीरसिंह : जी हां।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : बोर्डर एरिया आप इसमें १० माइल के बैल्ट में मानते हैं ?

श्री धीरसिंह : अलग अलग हैं। बाड़मेर, जैसलमेर में २५ माइल का एरिया है, बीकानेर में ५० माइल का एरिया है, उसके अन्दर आता है वह डिपार्टमेंट का है और उसमें नहीं आता है वह पंचायत समिति का है।

श्री केदारनाथ : गंगानगर के अध्यापकों को कोई भत्ता नहीं मिलता है।

श्री धीरसिंह : यह प्रश्न बाड़मेर और जैसलमेर के बारे में पूछा है······

श्री अध्यक्ष : जानकारी है या नहीं ?

Page No 14

श्री धीरसिंह : जानकारी चाहेंगे तो मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

नोहर–भादरा और सूरतगढ़ तहसीलों में अकाल और बकाया की वसूलियां

४५३. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले की नोहर, भादरा और सूरतगढ़ तहसीलों के गांव चक अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि अभावग्रस्त घोषित गांव व चकों के किसानों से केवल भू-राजस्व को छोड़ कर शेष सभी प्रकार की वसूलियां सख्ती के साथ की जा रही हैं जिनमें भूमि मुस्तकिल अलाटमेंट की किश्तें, नीलामी द्वारा ली गई भूमि की बकाया, धनराशि व बैटरमेंट मालकाना, आबियाना, सहकारी बैंक द्वारा, भूमि विकास बैंक द्वारा व पंचायत समिति द्वारा दिया गया कर्ज और तकाबी शामिल हैं ?

(३) यदि हां, तो क्यों की जा रही है ? जब सभी प्रकार की वसूलियां सख्ती के साथ किसानों से की जा रही हैं तो फिर अकाल राहत किस प्रकार मिल रही है ?

(४) क्या सरकार अभावग्रस्त गांव, घोषित गांव या चकों के किसानों से ये वसूलियां अविलम्ब बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(५) इस प्रकार की वसूलियां राजस्थान के किन-किन जिलों, तहसीलों व सिंचित क्षेत्रों से की जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(६) राजस्थान के किन-किन जिलों और तहसीलों के गांवों में इस वर्ष अभावग्रस्त क्षेत्र होने के कारण भू-राजस्व को माफ किया गया है ? और इस माफी की तहसीलवाइज कुल मात्रा क्या होगी ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम): (१) जी हां।

(२) जी नहीं। अब वसूली संलग्न पत्र के अनुसार किये जाने के आदेश हैं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(५) प्रश्न के भाग २ में बताई गई वसूलियां राजस्थान के समस्त क्षेत्रों से संलग्न परिपत्र के अनुसार की जा रही हैं।

(६) अभावग्रस्त क्षेत्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। फिलहाल केवल भू-राजस्व आदि की वसूलियां स्थगित की गई हैं। माफी के लिये बाद में नियमानुसार कार्यवाही होती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४५४।

श्री लादूराम सुलानियां।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह।

Page No 15

राज्य पथ परिवहन निगम का प्रशासनिक ढांचा

४४५. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का प्रशासनिक ढांचा क्या है और डिपो मैनेजर से ऊपर कौन-कौन 'सी' ग्रेड पर कौन-कौन व्यक्ति कब से काम कर रहे हैं ?

(२) उपरोक्त ग्रेड में से कितने व्यक्ति स्थाई तौर पर और कितने राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में से डेप्यूटेशन या ट्रान्सफर करके लगाये हुए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उच्च कर्मचारियों के बदलते रहने के कारण रोडवेज कार्मशियल कन्सर्न की तरह काम नहीं करवा रहा है और जितना मुनाफा इसमें होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है ?

उपमंत्री, यातायात (श्री समरथलाल): (१) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(२) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं, निगम में प्रतिनियुक्त राज्य अधिकारियों के स्थानान्तरण बार-बार (प्राय:) नहीं किये जाते हैं । प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होने पर ही स्थानान्तरण किये जाते हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री जुझारसिंह : कारपोरेशन के नॉन-ऑफिशियल मेम्बर बताये हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं ।

श्री समरथलाल : नॉन-ऑफिशियल्स के अन्दर बांगड़ हैं, सिंहानियां हैं और दुर्लभजी हैं ।

श्री जुझारसिंह : इनकी क्या क्वालिफिकेशन हैं जो मेम्बर रखे हैं, मेम्बर रखने के लिये आधार क्या है ?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं है, जो नॉन-ऑफिशियल इसको समझते हैं, जिनको इसमें दिलचस्पी है, गवर्नमेंट ने जिनको मेम्बर बनाना आवश्यक समझा उनको बनाया, कोई इसका एग्जामिनेशन नहीं होता है ।

श्री जुझारसिंह : रोडवेज कारपोरेशन बनाया उसमें यात्रियों की सुविधा का एक इम्पोर्टेण्ट आइटम है उसमें आपने ऐसे लोगोंको रखा है जो बड़े-बड़े केपिटेलिस्ट्स हैं, जो बसों में ट्रेवल नहीं करते, जिनको यात्रियों की असुविधा का कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं, इनको कारपोरेशन का नॉन ऑफिशियल मेम्बर रखने का आखिर सरकार का क्या मकसद है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारी रोड कारपोरेशन मिल कर फैसला देती है इसके लिये जरूरी नहीं है कि ट्रान्सपोर्ट बिजनैस में हो, उन्ही को कारपोरेशन का मेम्बर बनाया जावे, बल्कि उनका तो वेस्टेड इण्ट्रेस्ट होने का भी डर रहता है ।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि

(श्री जुझारसिंह)

रोडवेज कारपोरेशन को एज ए बिजनेस कन्सर्न रन कर रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों तरह का यह कन्सर्न है। आम जनता के लिये कि उनको सुविधा मिले और उनको यह फेसिलिटी दें और साथ-साथ यह घाटे में भी नहीं चले और थोड़ी बहुत इनकम भी हो।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स रोडवेज में लगे हुए हैं और उनको बिजनेस का कोई एक्सपीरियन्स नहीं है और न उनको बिजनेस एक्सपीरियन्स की ट्रेनिंग है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐडमिनिसट्रेटिव सर्विस के आफिसर्स तो वहां ऐडमिनिसट्रेशन को रन करने के लिये हैं, और ऐसा एक्स-पेक्ट किया जाता है कि एवरी प्रूडन्ट ऑफिसर के लिये यह कोई डिफीकल्ट जाब नहीं है जो कि वे नहीं कर सकेंगे।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि बिजनेस कन्सर्न की तरह न रन करने की वजह से और गलत ऑफिसर्स को वहां लगाने की वजह से रोड्वेज नुकसान में जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गलत ऑफिसर्स को वहां लगाने की वजह से रोडवेज नुकसान में जा रहा है यह सही नहीं है।

श्री जुझारसिंह : गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ही आप रोडवेज में भेजते रहते हैं इससे रोडवेज के जो परमानेण्ट कर्मचारी हैं उनके प्रोमोशन के चान्स नहीं आते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री जुझारसिंह : इसी से रिलेटेड है। मैने पूछा था कि कितने व्यक्ति राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में से डेपुटेशन पर हैं। आप परमानेण्ट ऑफिसर्स को डिपो मैनेजर से ऊपर प्रोमोशन नहीं देते हो जो कि एक्स-पीर्यन्स्ड हैं और उनकी जगह पर बाहर से ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आदमियों को लाकर बिठाते हैं इससे उन लोगों को जो कि बरसों से रोडवेज में काम कर रहे हैं उनको प्रोमोशन का चान्स नहीं मिलता। आप कैसे कहते हैं कि यह रिलेटेड नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिनको चान्स मिलना चाहिये उनको नहीं मिलता है इसलिये उनके अन्दर असन्तोष हो, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन केवल इस वजह से हमको घाटा हो रहा है यह बात सही नहीं है।

श्री जुझारसिंह : तो रोडवेज के लिये ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं जिससे वहां के परमानेण्ट सर्विसेज वालों को प्रोमोशन का चान्स मिले ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि इन्होंने आज ही चार्ज लिया है (इस पोर्टफोल्यो का), इस वजह से इनको पूरी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर।

श्री विजय सिंह।

Page No 17

मकराना में टेलीफोन एक्सचेंज

४५६. श्री विजय सिंह (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि मकराना औद्योगिक नगर होने की वजह से ट्रंककाल दिन भर बहुत अधिक होते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि मकराना से जयपुर, नागौर व जोधपुर के लिये डाइरेक्ट लाइन नहीं है ? तो क्या सरकार वहां एक्स-चेंज आरम्भ करने का विचार रखती है ?

उपमंत्री, सामान्य प्रसासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (१) मकराना से ट्रंक का औसत लगभग ६५ काल प्रतिदिन आता है जो बहुत अधिक तो नहीं है, पर वाजिब कहा जा सकता है।

(२) जी हां। मकराना में एक ५० लाइन सी. बी. मैन्युअल एक्सचेंज वहां पहले से ही है। मकराना से जयपुर, नागौर और जोधपुर के लिये बुक किये जाने वाले ट्रंक काल कुचामन रोड और जोधपुर के माध्य द्वारा भेजे जाते हैं।

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि कुचामन रोड से दिन में केवल आठ दस ट्रंक काल ही बुक होते हैं और मकराना से साठ सत्तर बुक होते हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि कुचामन रोड से होने के बजाय मकराना में डाइरेक्ट एक्सचेंज खोल दिया जाय ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्ट लाइन लाने का जहां तक प्रश्न है उसमें क्या टेक्नीकल डिफीकल्टीज हैं यह मैं नहीं कह सकता। इसके बारे में अगर कोई सुझाव दिया जाय, तो उस पर विचार किया जाय।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : एक व्यवस्था का सवाल है। यह टेलीफोन के बारे में जो सवाल पूछा गया है कि टेलीफोन एक्सचेंज कहां कायम करें और नहीं, तो मैं इस सम्बन्ध में आपके मारफत जानकारी चाहूंगा कि यह पी. एन्ड टी. डिपार्टमेंट क्या मुख्य मन्त्री और मन्त्रीजी के अन्डर आ गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उत्तर भी दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, लेकिन मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य की सुविधा के लिये उत्तर दे दिया तो बेजा नहीं किया।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर बैठने के बजाय अगर मुख्य मंत्री जी वहां पर टेलीफोन के इन्चार्ज मंत्री बन जायें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : यह उनके हाथ की बात नहीं है। यह डेमोक्रेसी है।

श्री विजयसिंह : वहां से पूरे देश की सेवा करें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : मैंने पूछा था कि क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, तो मुख्य मंत्री ने तो बताने की कृपा की नहीं, उपमंत्री जी ने कृपा की। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि मकराना की एक्सचेंज के नीचे छः सात पोस्ट आफिसेज हैं जैसे बालासर, परबतसर आदि। तो मकराना में डाइरेक्ट लाइन देने में कोई

(श्री विजयसिंह)

दिक्कत नहीं होनी चाहिये, और मकराना के उद्योग को देखते हुए यह होना चाहिये।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जैसा कि अभी आपको विदित हुआ, यह राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिये उत्तर दे दिया गया। अगर आपकी कोई दिक्कत है, आप लिखकर देंगे तो हम भारत सरकार को आपकी बात पहुंचा देंगे।

श्री विजयसिंह : पहले मैंने डाइरेक्ट लाइन के बारे में पूछा था, मैं समझता हूँ कि यह राज्य सरकार के हाथ की बात नहीं है...

श्री अध्यक्ष : उसकी व्यवस्था हो गई।

श्री विजयसिंह : क्या राज्य सरकार इसके लिये केन्द्र को लिख कर मकराना में डाइरेक्ट लाइन की व्यवस्था करायेगी ?

श्री अध्यक्ष : कह दिया। नेक्स्ट श्री नत्थीसिंह।

टोंक जिले में चद्दरों का वितरण

४५७. **श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) जिला टोंक में प्लेन लोहे की चादरें, नालीदार टीन की चादरों का कितना कोटा दिया जाता है ? सन् १९६२ से सन् १९६८ तक के कोटा का पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(२) जिला टोंक में लोहे की चादरों एवं अन्य लोहे के वितरण की क्या प्रणाली है ? क्या विकास पंचायतों तथा पंचायत समितियों के माध्यम से भी लोहा वितरित किया जाता है ? यदि हां, तो किस प्रकार?

(३) क्या दुकानदारों को भी टोंक शहर में लोहे का कोटा दिया जाता है ? यदि हां, तो अब तक किस-किस दुकानदार को कितना कितना कोटा निधारित किया गया है। और वह कब से दिया जा रहा है।

(४) जिन दूकानदारों को लोहे का कोटा दिया जाता है वे उपभोक्ता को किस प्रकार से वितरित करते हैं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री भीमसेन) : (१) टोंक जिले को निम्न लोहे का कोटा दिया गया:–

अवधि	सिविल कोटा	लघु उद्योग कोटा
१९६१–६२	१३० टन नालीदार चद्दर	८० टन प्लेन चद्दर
१९६२–६३	—	८० टन प्लेन चद्दर
१९६३–६४	—	११८ टन प्लेन चद्दर
१९६४–६५	—	साढ़े सात टन प्लेन चद्दर
१९६५–६६	—	एक टन प्लेन चद्दर
१९६६–६७	—	—
१९६७–६८	—	—

(२) सिविल कोटे में प्राप्त नालीदार चद्दरों का वितरण जिलाधीश द्वारा किया जाता है। कृषि कोटे की चद्दरों का वितरण कृषि विभाग द्वारा पंचायत समितियों के

(श्री भीमसेन)

माध्यम से किया जाता है । प्लेन चद्दरों (काली व सफेद) का वितरण सहायक निदेशक कोटा द्वारा किया जाता है ।

चद्दरों के अलावा अन्य लोहे के माल पर कण्ट्रोल नहीं है, अतः उसका वितरण नहीं किया जाता है ।

(३) लोहे के दुकानदारों को कोई कोटा नहीं दिया जाता है । रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट को लोहे का कोटा दिया जाता है । टोंक में मेसर्स शिवरतन जी मोहत्ता रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट हैं । उनको सन् १९६१-६२ से १९६३-६४ तक प्रश्न संख्या १ में दिये गये अनुसार कोटा दिया गया है । उसके उपरान्त कोई कोटा नहीं दिया गया क्योंकि कुल राज्य का कोटा लघु उद्योग निगम को दिया गया ।

(४) रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट उपभोक्ताओं को सिविल कोटा जिलाधीश टोंक के परमिट पर और औद्योगिक कोटा सहायक निदेशक, कोटा की परमिट पर वितरण होता है । कृषि कोटा पंचायत समिति के परमिट पर वितरण किया जाता है ।

प्रश्न संख्या ४५८

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

भूमि विकास बैंक द्वारा काश्तकारों को ऋण

४५९. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राज्य में भूमि विकास बैंक द्वारा अब तक कितना कर्जा काश्तकारों को दिया जा चुका है ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या सरकार यह महसूस करती है कि भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण देने का प्रोसीजर इतना कठिन है कि बहुत लम्बे समय तक इन्तजार करने पर भी ऋण समय पर नहीं मिलता ? यदि हां, तो इसमें सरलीकरण करने का तथा किसानों को ऋण शीघ्रता से मिल सकें, इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(३) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य राज्यों में उक्त ऋण काश्तकारों को शीघ्र व आसानी से मिलता है ? यदि हां, तो उन राज्यों के प्रोसीजर को अपनाने में क्या आपत्ति है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (१) राज्य में भूमि विकास बैंक द्वारा ५,१७,३७,२४६ रुपये का कर्जा काश्तकारों को अब तक दिया जा चुका है । जिलेवार सूची परिशिष्ठ 'अ' संलग्न है ।

(२) जी हां । प्रोसीजर को सरलीकरण करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(३) जी हां । सरकार को अन्य राज्यों के प्रोसीजर को अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ठ ३ देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने उत्तर में फर्माया कि प्रोसीजर को सरलीकरण

Page No 20

(श्री हरजीराम बुरड़क)

करने का मामला सरकार के विचाराधीन है और आपको दूसरे राज्यों का प्रोसीजर अपनाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, तो ये दोनों ही बातें आपके विचाराधीन हैं, तो आपकी इसमें क्या पॉलिसी है ?

श्री रामदेव सिंह : राज्य सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है और उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : और राज्यों में बहुत कम समय लगता है।

श्री रामदेव सिंह : इसके लिए तो कमेटी बिठाई थी।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न (३) के उत्तर में आपने कहा कि जी हां। इसका मतलब यह है कि आपको मालूम है कि राज्यों में जल्दी से ऋण मिल जाता है।

श्री रामदेव सिंह : यह कहना मुश्किल है कि किसी राज्य में जल्दी मिल जाता है या नहीं।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : आपने यह समिति कब बनाई थी सिम्पलीफाई करने के लिए ?

श्री रामदेव सिंह : तारीख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आ चुकी है।

श्री जुझार सिंह : कितना अर्सा हो गया ? उसका कोई अन्दाज भी तो है या नहीं ?

श्री रामदेव सिंह : तारीख मेरे पास नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वह पिछले महिने प्राप्त हुई है।

श्री जुझार सिंह : राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण जल्दी मिल जाय, इसलिए आपको अपनी पॉलिसी में कुछ परिवर्तन करना चाहिये। इसके बारे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया या नहीं ?

श्री रामदेव सिंह : यह विचाराधीन है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह तो दूसरी कमेटी की बात कर रहे हैं। लेंडिग पॉलिसी के बारे में वहां के संचालक मंडल ने अलग रूप से रिपोर्ट तैयार करके भेजी है उसका आपने क्या किया ?

श्री रामदेवसिंह : अलग से प्रश्न है।

श्री नत्थीसिंह : अलग से नहीं है। ऋण नीति को सरल करने के दृष्टिकोण से है। मंत्री महोदय को सब पता है, वह आपसे जवाब दिलवा रहे हैं।

श्री बौलतराम सारस (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि इस भूमि विकास बैंक की ऋण देने की प्रणाली बहुत जटिल है और उसमें अविलंब परिवर्तन करने की व सरलीकरण करने की आवश्यकता है ?

सहकारिता मंत्री (श्री शोभाराम) : दो तीन दिन पहले ही राजस्व मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि जो देरी होती है पटवारी स्तर पर, तहसीलदार स्तर पर या भूमि अधिकारी स्तर पर इसलिए कैसी प्रणाली अपनाई जाय और उसमें एक ही बात की जांच हो रही है कि जो कुछ हम किसान को देंगे उसके एवीडेंस हेतु किस प्रकार से माना जाय और उसको मानने के लिए प्रणाली में

Page No 21

(श्री शोभाराम)

क्या संशोधन हो, यह सरकार के सामने विचाराधीन है।

श्री दौलतराम सारण : कब तक तय करने का इरादा है ?

श्री शोभाराम : जल्दी से जल्दी।

श्री दौलतराम सारण : ६ महीने, एक साल में, कुछ अवधि बता सकते हैं ? ज्यादा से ज्यादा अवधि बता दें ६ महीने, १२ महीने, दो साल, जिसके अंदर अंतिम रूप से तय करेंगे ?

श्री शोभाराम : सेशन के बाद से ही इस मामले में जुट जायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा) : गत वर्ष भी यही कहा था, घोषणा की थी, किसानों को पासबुक देने के लिए एक साल बीत गया, आज फिर घोषणा कर रहे हैं, कब तक कर देंगे ?

श्री शोभाराम : पहले यह निर्णय हुआ था उसमें कहा गया था कि जहां पर सेटिलमेंट ऑपरेशन्स हो रहे हों वहां पर पासबुक दी जाय लेकिन इस निर्णय से हमने इत्तफाक नहीं किया क्योंकि यह जो सेटिलमेंट का क्रम है, कई वर्षों तक चलता है। १५ दिन पहले केबिनेट स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है कि सब को जहां सेटिलमेंट ऑपरेशन्स चल रहे हैं, पासबुक दे दी जाय और मैं समझता हूं इसमें एक ही बात देखी जा रही है कि इसकी टाइटल वेल्यू किस तरह से कायम की जाय। सेशन के बाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन और राजस्व मंत्री और जो कमेटी हमने बनाई उसकी बैठक होगी जल्दी से जल्दी, इसको क्रियान्वित करने का सरकार इरादा रखती है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि एक्ट के अंदर जो पब्लिक एन्क्वायरी का प्रोवीजन है उसके कारण देरी होती है उसका नतीजा यह होता है कि जो कामर्शियल बैंक्स मैदान में आई हैं वे भूमि विकास बैंक से ज्यादा जल्दी ऋण देते हैं तो प्रोवीजन को हटाने का आपका इरादा है ?

श्री शोभाराम : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह हाड़ा।

राज्य से बाहर चलने वाली निगम की बसें

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसें राजस्थान के बाहर कौन कौनसी रूटों पर चलती हैं ?

(२) इन रूटों पर कार्य करने वाले कर्मचारी किस-किस पद पर कितने-कितने हैं ? तथा इनमें कितने स्थाई और कितने अस्थाई कर्मचारी हैं। सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) पड़ौसी राज्यों में इन रूटों पर गत पांच वर्षों में निगम की बसों पर कितने चालान किए गए और क्यों ? सालवार बतावें।

(४) सालवार कितने चालानों पर निगम को कितना-कितना जुर्माना देना पड़ा और हर केस पर कितना खर्चा करना पड़ा ?

(५) कर्मचारियों को वेतन, भत्ते आदि किस प्रकार दिए जा रहे हैं ? क्या

Page No 22

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

इन कर्मचारियों को वेतन माह के माह दे दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या बकाया भी है ? यदि हां, तो कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उपमंत्री, यातायात (श्री समर्थलाल) : (१) राजस्थान पथ परिवहन निगम की गाड़ियां राजस्थान से बाहर जिन मार्गों पर चलती हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(२) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । चालक परिचालकों की ड्यूटी बदलती रहती है । अतः इन मार्गों पर स्थाई व अस्थाई कर्मचारियों के आंकड़े दिया जाना संभव नहीं है ।

(३) चालानों की सूची सालवार सदन के पटल पर रख दी गई है । इन चालानों के कारण अनेक हैं, जैसे,

१—गाड़ी में केपेसिटी से अधिक सवारियों का होना ।

२—गाड़ी से संबंधित आवश्यक कागजातों का समय पर न होना आदि ।

(४) जुर्मानों की सूची सालवार सदन के पटल पर रख दी गई है । मुकदमों में क्या खर्च होता है उसका केसवाइज अलग से हिसाब नहीं रखा जाता ।

(५) कर्मचारियों का वेतन भत्ता निगम की निर्धारित वेतन श्रृंखला में हर माह दिया जाता है । वेतन श्रृंखलाओं की सूची सदन के पटल पर रखा दी गई है । सभी को समय पर भुगतान किया गया है किसी का बकाया नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ठ ४ देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा: मंत्री महोदय कृपया बतायें कि अपने प्रश्न खंड तीन के दूसरे उत्तर में लिखा है गाड़ियों के कागजात न होने से चालान होते हैं तो कागजात मुकम्मल होने के बिना गाड़ियां चलती हैं ?

श्री समर्थलाल : कई बार टोकन वगैरह न होने से और गाड़ियों को उस बिना पर रोका नहीं जाता इसलिए चालान होता है ।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : हर चालान पर कितना खर्चा होता है पेशियों पर आने जाने में, यह नहीं बताया ।

श्री समर्थलाल : इसका अलग हिसाब विभाग के अन्दर नहीं रखा जाता, साल भर का हिसाब रखा जाता है ।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि जो इन्टर-स्टेट रूट्स पर दौड़ने वाली हमारी गाड़ियां हैं वे पुरानी हैं, इस कारण उसका ब्रेक डाउन्स होते हैं और कम्पेरेटिवली दूसरे राज्यों की गाड़ियों में ज्यादा सवारियां जाती हैं बनिस्बत राजस्थान की ?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): इसका इससे ताल्लुक नहीं है । यह बात सही नहीं है ।

श्री जुझारसिंह : बिल्कुल सही है । बराबर ब्रेकडाउन्स होते हैं और अगर कम्पेरेटिवली आप देखें तो मध्यप्रदेश और राजस्थान की गाड़ियों को तो मध्यप्रदेश की गाड़ियां फुल जाती हैं और राजस्थान की गाड़ियों में कोई नहीं बैठता, इन पर कोई कान्फीडेंस नहीं । इसलिए यह सवाल वेलिड है कि जो इन्टर-स्टेट रूट्स पर दौड़ने वाली गाड़ियां हैं क्या आप उन रूट्स पर नई गाड़ियां लगाने का विचार करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नई गाड़ियां लगाने की मैं नहीं कह सकता जब तक मैं सही तौर पर दुबारा देख न लूं लेकिन जो इन्टर-स्टेट मार्गों की गाड़ियां खराब हैं, जिनका चलना ठीक नहीं है, तब रिप्लेस की जा सकती हैं······

श्री जुझारसिंह : चलाने की व्यवस्था तो करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी के अनुसार ठीक हैं, फिर भी मैं जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना।

प्रौढ़ शिक्षा डिप्लोमा कोर्स

४६१. (१३२१ शि. मं.) श्री फूलचन्द बाफना : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रौढ़ शिक्षा विभाग में जो "प्रौढ़ शिक्षा डिप्लोमा कोर्स" चल रहा है उस पर पिछले सत्र ६७-६८ में कुल कितना खर्च (शिक्षा प्रसार अधिकारियों, सहकार प्रसार अधिकारियों एवं पंचायत प्रसार अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि सहित) आया ? प्रति प्रशिक्षार्थी कितना खर्च आया ? इस चालू सत्र में कितना खर्च आयेगा ?

(२) उपर्युक्त कोर्स चलने का लक्ष्य क्या है व उस लक्ष्य की पूर्ति गत सत्र के उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों से कहां तक हुई ?

(३) उपर्युक्त कोर्स के उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी प्रौढ़ शिक्षा प्रसार या संचालन के क्रम में अभी क्या कार्य कर रहे हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी जिन पर इतना भारी खर्च हो रहा है उसी पद पर भेजे गए हैं जिस पद से उन्हें प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया था ?

(५) क्या यह सही है कि इन उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण तो प्रौढ़ शिक्षा प्रसार हेतु दिया गया था परन्तु प्रशिक्षण के पश्चात् अब शिक्षा प्रसार अधिकारी प्राथमिक पाठशालाओं के निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं ? क्या इनके प्रशिक्षण का यह गलत उपयोग नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इनके भविष्य के लिये क्या विचार रखती है ?

(६) गत सत्र ६७-६८ ई. और इस चालू सत्र ६८-६९ ई. के कौन-कौन प्रशिक्षार्थी हैं ? गत व इस सत्र के प्रशिक्षार्थी सज्जनों के लिये सरकार के पास क्या योजना है ? यदि कोई योजना है तो वह योजना सरकार ने कौन सी तारीख को बनाई थी और उस योजना के लागू करने की कौन सी तारीख निश्चित की है ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : क्योंकि इसका संबंध और विभागों से भी है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया जाय।

प्रश्न सं. ४६२

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता।

Page No 24

मांडलगढ़ क्षेत्र की पत्थर की खानें

४६३. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) मांडलगढ़ क्षेत्र में पत्थर की कुल कितनी खाने हैं और किन किन को दी हुई हैं ?

(२) क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि खान उन लोगों को ही दी जायें जो खुद हाथ से काम करते हों ?

(३) क्या कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने नाम पर खानें लेकर मुनाफा उठा कर बेच देते हैं और इसे अपना व्यवसाय बना लिया हो ?

(४) इस प्रकार खानें लेकर बेचने वाले कितने लोग हैं और उनके खिलाफ सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

(५) इस प्रकार खानें लेकर बेचने वालों को फिर से तो खानें नहीं दी गई हैं ? यदि दी गई हैं, तो क्यों ?

उपमन्त्री, खनिज (श्री भीमसेन) : (१) मांडलगढ़ क्षेत्र में लगभग १२४० प्लाट हैं जिनमें से करीब १५०० चालू हैं ? इनकी वार्षिक स्वीकृति होती रहती है । (२००×२००–११ तथा शेष ५०×५० के हैं) सूची इतने कम समय में बताना मुश्किल है ।

(२) जी हां, हाथ से काम करने वालों को भाटक एवं अधिशुल्क देते समय ध्यान में रखा जाता है ।

श्री रामकिशन : जैसा आपका नाम है वैसा गुण दिखाओ । आपकी आवाज नहीं निकलती ।

श्री भीमसेन : (३) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न कार्यालय की जानकारी में ही है ।

(४) प्रश्न नहीं उठता है ।

(५) प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय अगर यह सिद्ध हो जाय कि वहां ऐसे लोगों को प्लाट्स दिए गये हैं वे खुद काम नहीं करते तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं ?

खनिज मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : लीजेज मिनरल कन्सेशन रूलस के अनुसार दिए जाते हैं । अगर उनके खिलाफ कार्यवाही की होगी तो एक्शन लिया जायगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जिनको आपने प्लाट्स दिए हैं···

श्री हरिदेव जोशी : अगर मिनरल कन्सेशन रूलस के अनुसार नहीं दिए हैं तो एक्शन लिया जायगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्षमा करें । मैंने पूछा कि जो प्लाट्स पर काम नहीं करते हैं और बेच दिए, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अगर कानून में है कि केवल हाथ से काम करने वालों को ही लीज दिया जाय और अगर उसके अनुसार कार्य नहीं किया गया है·······

श्री नत्थीसिंह : कानून में क्या है वह तो बता दें ।

श्री हरिदेव जोशी : पब्लिश किए हैं वह पब्लिश्ड डाक्यूमेंट है ।

श्री मुकुट बिहारीलाल : बताने में शर्म आती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया ।

पशुओं की नस्ल सुधारने पर व्यय

४३६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में अब तक पशुओं की नस्ल सुधारने की योजना पर कितना खर्चा हुआ और उसका क्या परिणाम निकला ? अलग अलग किस्म के जानवरों के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री पशुपालन (श्री हरिसिंह) : पशुपालन विभाग द्वारा नस्ल सुधार हेतु किए गए व्यय की एवं अलग-अलग किस्म के जानवारों के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

नस्ल सुधार के परिणाम स्वरूप राज्य में पशुधन के मूल्य में (सामान्य वृद्धि के अलावा) १०० से ३०० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : जो आपने कहा कि वृद्धि हुई है, उससे क्या सरकार संतुष्ट है ? जो आपने खर्चा किया है स्कीम पर और जानवरों की नस्ल सुधारने पर क्या सरकार उससे संतुष्ट है ?

श्री हरिसिंह : १९६१-६२ से लगाकर करीब १,३७,५३,६०८) खर्चा किया जा चुका है इस योजना पर और इससे जो सफलता मिली है वह काफी उल्लेखनीय है और पूर्ण संतोषजनक है । १०० से ३०० प्रतिशत नस्ल बढ़ी है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री देवीदत्त गाड़िया ।

कोटा एवं झालावाड़ के सेटिलमेंट ऑफिसर का कार्यालय

४४४. **देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि कोटा एवं झालावाड़ जिले का सेटिलमेंट ऑफिसर गत कई माह से जयपुर में कार्यालय को लेकर कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि झालावाड़, कोटा व बूंदी जिले की कई तहसीलों में गत कुछ माह से सेटिलमेंट का कार्य चल रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि इन जिलों के सेटिलमेण्ट विभाग कर्मचारियों को मय अधिकारी के बार-बार जयपुर में कार्यालय होने के कारण जयपुर आना-जाना पड़ रहा है ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं ।

(२) बूंदी झालावाड़ की कुछ तहसीलों का सेटिलमेंट कार्य चल रहा है ।

(३) जी नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आज से चार माह पहले कोटा में जो सेटिलमेंट ऑफिस है वह बन्द था और सेटिलमेंट अधिकारी ने वहां पर अपना कार्यालय खोला, टी. ए. डी. ए. लिया।

श्री गंगाराम चौधरी : कोटा में भू-प्रबन्ध अधिकारी का कार्यालय था ही नहीं। जयपुर में जिनका कार्यालय है वे ही दोनों जिलों का कार्य कर रहे हैं। यह हो सकता है कि भू-प्रबन्ध अधिकारी कोटा दौरे पर गये हों, केसेज की पेशियां हों। यह सही नहीं है कि कार्यालय वहां बदल दिया गया हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा में कार्यालय नहीं है ?

श्री गंगाराम चौधरी : सेटिलमेन्ट ऑफिसर का कार्यालय नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा में पहले नहीं था।

श्री गंगाराम चौधरी : सेटिलमेण्ट ऑफिसर का कार्यालय कभी नहीं था।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सहायक का ?

श्री गंगाराम चौधरी : सहायक का रहा

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसने जयपुर में आकर कोटा बूंदी का कार्य नहीं किया ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस वक्त झालावाड़ और बूंदी की सात तहसीलों में सेटिलमेण्ट कार्य चल रहा है। सर्वे का काम समाप्त हुआ है इसलिये असिस्टेण्ट सेटिलमेंट ऑफिसर जयपुर आ गया है। रेण्ट रेट का कार्य रह गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि जिन किसानों का गलत सेटिलमेण्ट हुआ है उनको नकलें लेनी है तो वे उनको वहीं पर मिलें ? क्या झालावाड़, बूंदी के किसान यहां पर नकलें लेने आवें ? वहीं क्यों नहीं ऑफिस रखते हैं जिससे किसानों को यहां न आना पड़े ?

श्री गंगाराम चौधरी : सर्वे का कार्य समाप्त होने पर असिस्टेण्ट सेटिलमेण्ट ऑफिसर ही अपना कार्यालय जयपुर ले आया। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वहां के किसानों को नकलें आदि लेने के लिये यहां आना पड़ता है तो इसके लिये व्यवस्था कर दी जावेगी। टेम्पोरेरिली असिस्टेण्ट सेटिलमेंट ऑफिसर का वहां दौरा रखवा लेंगे।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अजीब उत्तर दिया है। सेटिलमेण्ट यहां बैठ कर करे। कोटा जैसी जगह पर सरकार ने उचित नहीं समझा कि वहां पर सेटिलमेण्ट ऑफिसर हो। सेटिलमेण्ट ओपरेशन्स भी खत्म नहीं हुए। जयपुर में आने के लिये लोगों को तकलीफ देना ठीक नहीं मैं तो यह समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सेटिलमेंट रेट्स का डिटरमिनेशन का कार्य असिस्टेण्ट सेटिलमेण्ट ऑफिसर जयपुर में बैठ कर कर रहा।

श्री गंगाराम चौधरी : रेट्स का डिटरमिनेशन यहीं कागजों में होता है। सर्वे

की कार्यवाही मौके पर हो चुकी है इसीलिये असिस्टेण्ट सेटिलमेण्ट ऑफिसर को जयपुर में ट्रान्सफर किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपके उत्तर से संतोष नहीं है। यह संतोषजनक व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न संख्या ४५४

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानिया।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४५८

श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला कृषि अधिकारी श्री गंगानगर द्वारा तकनीकी सलाह

४२७. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर सु०): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जिला कृषि अधिकारी, श्री गंगानगर ने कृषि में तरक्की करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये ? क्या उन्होंने काश्तकारों के खेतों पर जाकर तकनीकी सलाह दी ? यदि हां, तो वे किन-किन काश्तकारों के खेतों पर तकनीकी सलाह देने गए ?

(२) क्या यह सही है कि बड़े-बड़े काश्तकारों को ही तकनीकी सलाह ज्यादा दी गई और साधारण काश्तकारों को नहीं दी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

सोवनीया बांध की पेटा काश्त की भूमि

४३८. **श्री शंकरलाल** (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि गांव सोवनीया, तहसील पाली में सोवनीया बांध के पेटे काश्त की भूमि संवत् २०१५ तक प्रतिवर्ष भूमिहीन काश्तकारों को पांच-पांच बीघा काश्त पर तहसील पाली द्वारा दी जाती थी।

(२) क्या यह सही है कि यह भूमि जो करीब नौ सौ बीघा है उसकी खातेदारी कर्नल श्री मोहनसिंह, श्री महेन्द्रसिंह, श्री नरेन्द्रसिंह व श्रीमती मोहनसिंह के नाम कर दिया गया और भूमिहीन काश्तकारों को जमीन देना बन्द कर दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि खातेदारी कानून के खिलाफ दी गई और उस सम्बन्ध में कई शिकायतें प्राप्त होने पर भी अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है ?

(४) क्या राज्य सरकार गलत खातेदारी पट्टा केन्सिल कर भूमिहीन किसानों को जमीन वितरण करेगी ?

उत्तर

(१) सोवनीया बांध के पेटे में ३८३३

बीघा एक विस्वा किस्म भूमि कछर दोयम आई हुई है, यह भूमि सम्वत् २०१५ तक जिला कब्जा काबिल काश्त सरकारी पड़त भूमि थी। जो पूर्व में प्रति वर्ष काश्त हेतु काश्तकारों को आवंटित की जाती थी।

(२) सोवनिया बांध के पेटे की भूमि ९०० बीघा नहीं है, बल्कि रेकर्ड के आधार पर ३८३⅔ बीघा एक बिस्वा होना पाया जाता है, यह भूमि कछार दोयम है जिसकी खातेदारी कर्नल मोहनसिंह, महेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिंह व श्रीमती मोहनसिंह को सम्वत् २०१५ के बन्दोबस्त के दौरान जरिये मिसल दि० १३-५-५९ के द्वारा दी गई। ऐसी स्थिति में अब भूमिहीनों को उक्त भूमि आवंटित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(३) ऐसी कोई शिकायत विचाराधीन होना नहीं पाया जाता।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

'नवीन राजस्थान' हिन्दी मासिक पत्रिका के प्रकाशन पर व्यय

४५१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार-जयपुर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा नवीन राजस्थान नामक हिन्दी मासिक का प्रकाशन प्रारम्भ होने से बन्द होने तक कुल कितनी प्रतियां बेची गई ?

(२) इस पत्र के प्रकाशन, मुद्रण आदि पर कुल कितना खर्चा हुआ और प्रतियों की बिक्री से कितनी आमदनी हुई ?

(३) क्या यह सही है कि इस पत्र का प्रकाशन "न हानि न लाभ" के आधार पर करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो इस घाटे का जिम्मेवार कौन है ?

(४) क्या यह सही है कि इस पत्र के प्रकाशन की योजना पर ६ माह के अन्दर पुनर्विचार करना तय पाया गया था परन्तु कोई पुनर्विचार नहीं किया गया ?

उत्तर

(१) नवीन राजस्थान के प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत २४००० प्रतियां छपवाई गई थी। ८४२८ प्रतियां बेची गई।

(२) ३६४७० रुपये खर्च हुए। ५२५० रुपये की प्राप्ति हुई।

(३) "न हानि न लाभ" के परिणाम की अपेक्षा तत्काल नहीं बल्कि अल्टीमेटली हो जाय की गई थी पर पत्र के बारह इश्यू निकलने के बाद ही बन्द हो गया अतः जिम्मेदारी का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(४) हां पुनर्विचार करना तय हुआ था और पुनर्विचार किया भी गया था।

जयपुर जिले के अध्यापक

४५४. श्री लादूराम सुलानियां (फागी-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि उदयपुर जिले में कई एक अध्यापकों को एक ही स्थान पर कार्य करते हुये कई वर्ष व्यतीत हो गये हैं और फिर भी उनका स्थानान्तर नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इस जिले के कई अध्यापक हैं जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट

Page No 29

से काफी समय से बाहर नियुक्त हैं और कई ऐसे अध्यापक हैं जो स्वयं के निवास स्थान पर ही लम्बी अवधि से नियुक्त हैं ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रियों एवं अधिकारियों के पास इस आशय की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी हां। ऐसा कोई नियम नहीं हैं कि अध्यापक का विशेष अवधि के पश्चात् स्थानान्तर कर दिया जाना चाहिये।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

सरकारी प्राथमिकशाला छबड़ा में विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था

४५८. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) छबड़ा म्यूनीसिपल टाउन में सरकारी प्राथमिकशाला कब से चल रही है ? क्या वहां विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि विद्यार्थीगण टाट-पट्टी के अभाव में जमीन पर बैठते हैं ?

उत्तर

(१) छबड़ा म्यूनीसिपल टाउन में ४ प्राथमिक शाला सन् १९५१ से चल रही हैं। विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था है।

(२) जी नहीं।

राज्य कर्मचारी संघ, सवाई माधोपुर के अध्यक्ष का स्थानान्तर

४६२. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु.) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सत्य है कि सवाई माधोपुर जिले के राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष का स्थानान्तरण जिलाधीश सवाई माधोपुर ने कर्मचारी संघ को समाप्त करने की नियत से एवं अध्यक्ष को परेशान करने की नियत से किया ?

(२) क्या यह सत्य है कि कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के जिलाधीश से मिलने पर जिलाधीश ने अध्यक्ष के प्रति भ्रष्टाचार के आरोप बताए और अध्यक्ष तथा कर्मचारी संघ के बार-बार जिलाधीश को यह निवेदन करने पर कि यदि अध्यक्ष के प्रति किसी प्रकार के चार्जेज हैं तो उसको चार्ज शीट दी जावे, जिलाधीश महोदय द्वारा पुलिस अधिकारियों से मिलकर अध्यक्ष के प्रति झूठा केस बनवाया गया जिसमें भी अध्यक्ष के खिलाफ किसी भी गवाह के बयान न होने पर भी अध्यक्ष को चार्ज शीट लगभग एक साल पश्चात् दी गई जबकि मामले में बयान किसी और के खिलाफ हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उप-अधीक्षक पुलिस, सवाई माधोपुर ने अपने अधीन कार्य करने वाले दो कान्सटेबल के बयान जबर-दस्ती अध्यक्ष के खिलाफ दिलवाये हैं ?

(४) क्या यह सही है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच नहीं की जाकर मामले को और अधिक लम्बा किये जाने की कोशिश की जा रही है।

(५) क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जो कर्मचारी संघ को समाप्त करने की गरज से संघ के पदाधिकारियों को परेशान करने पर तुले हुए हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है। यह कहना सही नहीं है कि जिलाधीश ने स्थानीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पर झूठा केस बनाया। चार्जशीट देने में समय लगने का कारण प्राथमिक कार्यवाही करवानी थी।

(३) जी नहीं।

(४) जांच समाप्त हो चुकी है तथा निर्णय से संबंधित कर्मचारी को भी सूचित कर दिया गया है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला शिक्षणालय निरीक्षक, नागौर द्वारा फर्नीचर की खरीद

३०३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला शिक्षणालय निरीक्षक, नागौर द्वारा गत वर्ष जो फर्नीचर स्कूलों के लिए खरीदा गया था उसमें से कुछ फर्नीचर ऐसा भी है जिसकी डिलीवरी नागौर में न लेकर डीडवाना में ली गई ? यदि हां, तो वह फर्नीचर कौनसा था, कितने रुपयों का था और किससे खरीदा गया तथा डिलीवरी डीडवाना में किस अधिकारी ने ली तथा उसका कारण क्या था ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त फर्नीचर का सत्यापन जिला शिक्षणालय ने किसी अधिकारी द्वारा न करवा कर डीडवाना हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक द्वारा करवाया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

(३) उपरोक्त फर्नीचर खरीदने का आॅर्डर कब दिया था तथा सप्लाई कब किया, पैमेण्ट कब किया और उसको काम में कब लिया तथा किस-किस स्कूल में काम आया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) उपरोक्त फर्नीचर को कार्यालय ने स्टाक रजिस्टर में कब लिखा तथा रुपये जमा किसके द्वारा लिखा गया ?

उत्तर

(१) जी हां यह सही है। २३० डेस्कें थी। प्रति डेस्क की दर ९)८५ रुपये थी जो कि मैसर्स काशीप्रसाद एण्ड ब्रदर्स डीडवाना, जो कि क्रय समिति से अनुमोदित है, से खरीदा गया। डिलीवरी प्रधानाध्यापक जो कि राजपत्रित अधिकारी है, ने ली। उक्त सामान की सप्लाई डीडवाना के स्थानीय विद्यालय एवं आसपास के अन्य विद्यालयों को भेजने के लिये डिलीवरी डीडवाना में ली गई। फर्म के खर्च पर ही शालाओं में सामान भेजा गया।

(२) जी हां यह सत्य है। चूंकि डिलीवरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीडवाना ने ली थी अत: उसी ने सत्यापन किया।

रेकर्ड के अनुसार फर्म को कुल ४७५ डेस्कों की सप्लाई के ऑर्डर दिये गये।

ऑर्डर देने की दिनांक	तादाद	माल प्राप्ति के दिनांक
९-२-६८	१२५	२४-३-६८
९-२-६८	१५०	२४-३-६८
२५-२-६८	१००	२४-३-६८
२५-२-६८	१००	२५-३-६८
	४७५	

फर्म को भुगतान दिनांक १-४-६८ को किया गया।

(३) डेस्कें निम्न शालाओं को इनके नाम के आगे अंकित संख्या में उल्लेखित तिथियों को भेजी गयी :—

(१) रा० उ० मा० वि० डीडवाना	४५	२२-७-६८
(२) रा० प्रा० नं० १ डीडवाना	२०	२२-७-६८
(३) रा० प्रा० नं० ४ डीडवाना	१०	२२-७-६८
(४) रा० उ० प्रा० वि० कुचामन सिटी	४५	१०-९-६८
(५) रा० प्रा० वि० कुचामन सिटी	१०	१०-९-६८
(६) रा० प्रा० वि० नं० ३ कुचामन सिटी	२०	१०-९-६८
(७) रा० प्रा० वि० नं० ५ कुचामन सिटी	१०	१०-९-६८
(८) रा० उ० प्रा० वि० जसनगर	२०	२२-७-६८
(९) रा० उ० प्रा० वि० गगुराना	२०	२२-७-६८
(१०) रा० उ० प्रा० वि० सलवाल	२०	२२-७-६८
	२३०	

(४) रेकर्ड के अनुसार उक्त सामान जब-जब भण्डार में प्राप्त हुआ तब-तब भण्डार पंजीयक में इन्द्राज किया गया था। कुछ सामान २४-३-६८ को कुछ सामान २५-३-६८ को प्राप्त हुआ था। जिस सामान की डिलीवरी मुख्य अध्यापक ने ली उसकी सूचना मिलने पर भण्डार पंजिका में इन्द्राज किया गया था।

राजस्थान विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर नियुक्ति

३०४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान विश्वविद्यालय में उप-कुलपति के पद पर अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई है? यह कितने दिनों तक रिक्त रहा?

(२) डा०पी०एल० भटनागर को इस पद पर नियुक्त करने का आदेश कब जारी किया? और उनके द्वारा अभी तक भी कार्यभार नहीं सम्भालने का क्या कारण है?

उत्तर

१—प्रोफेसर मुकुट बिहारी माथुर उप-कुलपति के पद से दिनांक २४-७-६८ को मुक्त हुए। और जब तक कि स्थायी उप-कुलपति इस पद का भार न सम्भाले उस

समय तक के लिए कुलपति महोदय ने दिनांक २५-७-६८ से प्रोफेसर रामचरण मेहरोत्रा (अध्यक्ष वि.वि. रसायन शास्त्र विभाग) की इस पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति कर दी थी।

२–कुलपति महोदय ने दिनांक १२-१२-६८ को उपकुलपति के पद पर प्रोफेसर पी. एल. भटनागर की नियुक्ति किये जाने के आदेश प्रदान किये थे। उसी दिन प्रोफेसर भटनागर को नियुक्ति का पत्र भेज दिया गया था। दिनांक २८-१२-६८ के भेजे गये उत्तर में प्रोफेसर भटनागर ने यह सूचित किया था कि वे इस पद का कार्यभार अप्रैल १९६९ के दूसरे पखवाड़े में सम्हालने में समर्थ होंगे।

ग्राण्ट-इन-ऐड रूल्स में संशोधन

३०५. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान राज-पत्र अक्टूबर ५, १९६७ वाले अंक में पृष्ठ ७५९ पर वित्त विभाग का जो मीमो ता. १८ सितम्बर १९६७ का प्रकाशित हुआ है वह मीमो सरकार द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों आदि संस्थाओं पर लागू क्यों नहीं होता ?

(२) क्या उपर्युक्त मीमो के अनुसार ग्राण्ट-इन एड रूल्स में भी सर्विसों के रिटायरमेंट की उम्र ५८ के बदले ५५ वर्ष करने हेतु संशोधन करने का विचार सरकार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?. यदि नहीं तो क्यों नहीं, जबकि कुल खर्च के आधे या आधे से अधिक खर्च सरकार वहन करती है ?

उत्तर

१–सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों के सेवानियम अनुदान नियम १९६३ से प्रशस्त होते हैं।

२–अभी इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

जिला शिक्षणालय नागौर द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति

३०६. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला शिक्षणालय नागौर द्वारा गत वर्ष अप्रशिक्षित अध्यापकों की भी नियुक्ति की गई ? यदि हाँ तो, किस-किस की किस-किस विषय को पढ़ाने के लिये और उनकी योग्यताएं क्या-क्या थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि राज्य के ऐसे बहुत से प्रशिक्षित अध्यापक हैं जिनको अभी तक राज्य सरकार नौकरी नहीं दे पाई है ? यदि हां, तो जिला शिक्षणालय नागौर द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापक क्यों लगाए गए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त नियुक्तियों के लिए जब कभी भी सेवा नियोजन कार्यालय से उम्मीदवारों के नाम मांगे गए तब उन नामों में प्रशिक्षित अध्यापकों के भी नाम थे और प्रतिक्षित अध्यापक साक्षात्कार में भी उपस्थित हुए ? यदि हां, तो उनको नियुक्त क्यों नहीं किया गया ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(४) उपरोक्त नियुक्तियों के लिए सेवा नियोजन कार्यालय के नाम भेजने के लिए लिखे गए पत्रों की और सेवा नियोजन कार्यालय से प्राप्त नामावलियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) विज्ञान विषय के अध्यापकों की मांग को पूरा करने के लिए ११ अप्रशिक्षित विज्ञान अध्यापकों को नियुक्त किया गया जिन्हें सत्र के अन्त में हटा दिया गया उनकी सूची साथ में संलग्न है।

(२) इस कार्यालय में प्राप्त आवेदन-पत्रों में से सभी प्रशिक्षित आशार्थियों को वरियता के अनुसार नियुक्तियां दे दी गई। केवल विज्ञान विषय की मांग की पूर्ति के लिए ११ अप्रशिक्षित विज्ञान अध्यापकों को नियुक्त किया गया उन्हें सत्र के अन्त में हटा दिया गया।

(३) गत वर्ष प्रशिक्षित अध्यापकों के पद हेतु जो प्रार्थना पत्र जिला नियोजन कार्यालय नागौर व भरतपुर से प्राप्त हुये उनमें से सभी प्रशिक्षित अध्यापकों को वरियता के अनुसार नियुक्तियां दे दी गई।

(४) जिला नियोजन कार्यालय नागौर व भरतपुर से प्राप्त नामावलियां संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोऑपरेटिव कन्ज़ूमर स्टोर

३०७. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से सम्बन्धित कितने कोआपरेटिव कन्ज़ूमर स्टोर्स विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं?

(२) कितने ऐसे जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार हैं जिनका सम्बंध राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ से नहीं है? ये भण्डार किन-किन जिलों में काम कर रहे हैं इनमें किस-किस ग्रेड के अफसर लगाये हुये हैं और उन पर कितना कितना खर्चा आता है?

(३) प्रश्न के भाग (१) व (२) में बताये गये भण्डारों में शेयर कैपीटल व सबसीडी की कितनी-कितनी रकम अलग-अलग भण्डार पर लगी हुई है? इन भण्डारों में से कितने-कितने भण्डारों में कितना-कितना नफा या नुकसान हुआ है और अब उनकी आर्थिक स्थिति क्या है?

(४) राज्य में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना का क्या उद्देश्य है और बाजार में भावों को कण्ट्रोल करने में कहां तक कामयाब हो सके हैं?

(स्थागित किया गया।)

क्रय-विक्रय समिति, लाडनूं के खिलाफ शिकायतों की जांच

३०८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि क्रय विक्रय समिति लाडनूं के खिलाफ सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नागौर ने कोई जांच की? यदि हां, तो कब किस आरोप की और जांच में क्या नतीजा निकला? जांच

(श्री हरजीराम बुरडक)

रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त सहकारी समिति ने जो चीनी का व्यापार किया उसमें जो रकम लगाई गई वो वहां कहां से कब कब प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त समिति के खिलाफ उक्त रकम प्राप्त करने में की गई अनियमितता के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हों तो कौन कौन सी कब कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) मौजूदा समय में उक्त समिति के कार्य के बारे में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां नागौर की क्या राय है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) समिति ने चीनी के व्यापार में जो रकम सदस्यों व असदस्यों से प्राप्त करके लगाई उसकी सूची संलग्न है।

(३) जी हां समिति के खिलाफ रकम प्राप्त करने के बारे में निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई:—

(१) लाडनूं सैल एण्ड सप्लाई कोआपरेटिव सोसायटी ने डिपोज १-३-६९ को।

(२) श्री हनुमान शर्मा, हनुमानगेट, लाडनूं द्वारा जिलाधीश को समिति में लगे काले धन की जांच के लिये दिनांक १४-२-६९ को की जिनकी प्रतिलिपि सहायक रजिस्ट्रार, नागौर को भी भेजी।

(३) उपरोक्त दोनों शिकायतों की जांच निरीक्षक (मार्केटिंग) द्वारा करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई।

(४) सहायक रजिस्ट्रार की राय में मौजूदा समय में समिति का काम ठीक चल रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. ललासरी को दिया गया ऋण

३०९. हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ललासरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., ललासरी तहसील डीडवाना, जिला नागौर को मौजूदा समय में कोई अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण दिया हुआ है ?

(२) उपरोक्त बैंक से किस किस व्यक्ति ने समिति की ओर से प्राप्त किया ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त ऋण वितरण में अनियमितताएं हुई और सब सदस्यों को ऋण नहीं दिया गया जिसकी शिकायतें भी सम्बन्धित अधिकारियों को की गई ? यदि हां, तो क्या उन शिकायतों को सही पाया गया ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाहियां की गई ?

उत्तर

(१) जी हां।

Page No 35

(सहकारिता मंत्री)

(२) समिति की ओर से अल्पकालीन ऋण श्री चतराराम, अध्यक्ष एवं मध्यकालीन ऋण श्री मांगूराम मंत्री द्वारा बैंक से प्राप्त किया गया।

(३) अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि ऋण वितरण में अनियमितताएं हुई, और सब सदस्यों को ऋण नहीं दिया गया है। इस बारे में राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, १६६५ की धारा ७० के तहत जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच रिपोर्ट शीघ्र चाही गई है। शिकायतों का सही या गलत होना पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही हो सकेगा।

सोयल कन्जरवेशन

३१०. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सोयल कन्जर्वेशन की दृष्टि से सरकार के किन किन विभागों द्वारा किस किस प्रकार की भूमि पर कन्जरवेशन वर्क्स किये जाते हैं ?

(२) क्या कृषि विभाग, वन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा अलग-अलग चलाये जा रहे प्रोग्रामों को स्टीम वाईज या वाटर शेड टू वाटर शेड के आधार पर सामूहिक रूप से एक आथोरिटी के नीचे चलाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो अब तक इस प्रकार के कितने प्रोजेक्ट किन किन स्थानों पर चलाये गये हैं ? कोटा जिला में इस प्रकार की कितनी स्कीम्स कहां कहां चल रही हैं ?

(३) क्या सोयल कन्जरवेशन की दृष्टि से तहसील वाइज या जिले वाइज सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर योजना बनाई हुई है ? यदि हां, तो सांगोद तहसील कोटा में बनाई गई योजना की रूपरेखा बताने का कष्ट करें यह भी बतलावें कि इस योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी किस आथोरिटी पर होगी ?

उत्तर

(१) कृषि विभाग द्वारा कृषकों की भूमि में अथवा चरागाहों में तथा वन विभाग द्वारा विभागीय भूमि में अथवा राजकीय पड़त भूमि में भू-संरक्षण कार्य किया जाता है।

(२) भू-संरक्षण योजनाएं केवल कृषि व वन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं के समन्वय प्रान्तीय भू संरक्षण मण्डल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की योजनाएं प्रान्त के कई भागों में चल रही हैं। उदाहरणार्थ चम्बल नदी घाटी योजना जो चित्तौड़, कोटा व बूंदी जिलों के चम्बल बेरोज क्षेत्र में वन विभाग के अन्तर्गत चल रही है। इसके अतिरिक्त कोटा में एक योजना सुल्तानपुर तहसील में चिन्सा में वन विभाग द्वारा तथा लाडपुरा तहसील में रंगपुर में कृषि विभाग के अन्तर्गत चल रही है।

(३) भू-संरक्षण योजना केचमेण्ट के आधार पर ही बनाई जाती है। तहसील वाइज या जिलेवार नहीं। तहसील सांगोद के पानाहेडा, रूपाहेड़ा व बालूहेड़ा आदि ग्रामों में योजना बनाई गई थी परन्तु कृषकों का सहयोग प्राप्त न होने के कारण अभी चालू नहीं हुई हैं। इस प्रकार की योजना

(कृषि मंत्री)

केचमेण्ट के आधार पर बनायी जा रही है। यह योजना कृषि विभाग द्वारा चलायी जायेगी।

सीड उत्पादन फार्म, उम्मेदगंज

३११. श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) उम्मेदगंज के तहसील लाडपुरा गवर्नमेण्ट के सीड उत्पादन फार्म में कितने आदमी काम करते हैं ? और किस-किस पोस्ट पर ? उस फार्म का मासिक खर्चा क्या है ?

(२) सन् ६६-६७ में इस फार्म में किस-किस मद से क्या-क्या आमदनी हुई और क्या बचत रही ?

(३) इस फार्म में अभी कितनी एकड़ भूमि काबिल काश्त नहीं है ?

उत्तर

(१) राजकीय कृषि फार्म उम्मेदगंज कोटा पर संलग्न तालिका (क) के अनुसार कर्मचारी व अधिकारी काम करते हैं। साधारणतः फार्म का मासिक खर्चा रु० १०३२८ तथा रु० १८५६८ के बीच में रहता है ? यह प्रति मास में हुई कृषि-क्रियाओं पर निर्भर रहता है।

(२) तालिका संलग्न है।

(३) इस समय लगभग ६०० एकड़ भूमि में काश्त की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

राजस्थान कृषि अनुसन्धान प्रयोगों पर हुआ व्यय व आय

३१२. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान कृषि अनुसन्धान प्रयोगों पर प्रतिवर्ष कितना रुपया व्यय होता है ? इन प्रयोगों से प्रतिवर्ष आमदनी कितनी हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

व्यय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कृषि अनुसन्धान प्रयोगों से आय प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं हैं अतः आय की सूची देने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

तहसील नोहर के गांव बिसरासर की भूमि का अलाटमेण्ट

३१३. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील नोहर के गांव बिसरासर का कुल कितना रकबा है, खातेदारी कितनी व अराजीराज कितना बीघा है ?

(२) क्या यह सही है कि इस गांव में अलॉटी काश्तकार अधिक हैं ? यदि हां, तो सन् १९६६ से आज तक के अलॉटी काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या यह सही है कि सन् १९६६ में जिन काश्तकारों को कमेटी द्वारा भूमि अलाट हुई थी उनका रकबा ढालबाछ में दर्ज नहीं किया गया ? यदि हां, तो कुल कितने अलॉटी काश्तकारों को कमेटी द्वारा सन् १९६६ में कितना रकबा अलॉट हुआ और उसमें से ढालबाछ में दर्ज कितना हुआ व बाकी कितना रहा ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(४) क्या यह सही है कि पटवारी हल्का बिसरासर व केलनियां द्वारा जानबूझ कर काश्तकारों को अलॉटशुदा रकवा ढालमाछ में दर्ज नहीं किया गया ?

(५) ढालमाछ में रकवा दर्ज नहीं होने से सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

उत्तर

(१) तहसील नोहर का गांव बिसरासर में कुल ४१,७३५।।)३ बीघा भूमि है :—
(१) खातेदारी भूमि — ५,००१।।)१
(२) आराजी राज — ३६,७४३।।।)२

(२) जी हां, करीब ५११ अलॉटी हैं। सूची लम्बी होने के कारण सचिवालय में देखी जा सकती है।

(३) जी हां। काश्तकारान को २२,१४०।।)३ बीघा रकवा अलॉटमेण्ट कमेटी द्वारा अलाट किया गया है। जिसमें से २१,१३०।।)२ बीघा रकवा का अमल बरामद किया गया था। बाकी का रकवा १,०१०)१ है उनका अमल बरामद ढालमाछ में नहीं हुआ है। अलॉटीज की संख्या ५८२ है।

(४) जी नहीं। रकवा राज खाली न होने के कारण ढालमाछ में दर्ज नहीं किया गया।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

सैनिकों को भूमि का अलॉटमेण्ट

३१४. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सरकार द्वारा गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कितने सैनिक व भूतपूर्व सैनिकों को जमीन आवंटित की गई व कहाँ-कहां पर ?

(२) जिला बूंदी में तहसीलवार किस किस सैनिक व भूतपूर्व सैनिक को कहां-कहां पर भूमि आवंटित की गई और कब-कब ?

(३) सैनिकों को सिंचित व असिंचित भूमि कितनी-कितनी देने की योजना है ?

(४) क्या यह सत्य है कि सैनिकों की बेवाओं या उनकी माताओं के बार-बार आवेदन करने पर भी तहसीलदार कोई ध्यान नहीं देते।

उत्तर

(स्थगित कर दिया गया)

ग्राम खारड़ी व खारा नरावता (जैसलमेर) के काश्तकारों के खातेदारी हकूक

३१५. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम खारड़ी व खारा नरावता तहसील जैसलमेर के काश्तकारों को भूमि बन्दोबस्त के रेकार्ड में गैर-खातेदार दर्ज किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम खारड़ी व खारा नरावता नहरी क्षेत्र में नहीं हैं ? अगर हां, तो फिर क्या कारण है कि इन ग्रामों के काश्तकारों को खातेदारी हकूकों से वंचित रखा गया है ?

(३) क्या यह भी सही है ग्राम खारड़ी व खारा फील्ड फायरिंग रेन्ज में आ गये

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

हैं ? अगर हां, तो क्या इन काश्तकारों को मुआवजा दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जा हां। ये गांव नहरी क्षेत्र में नहीं आते हैं। इन ग्रामों के कृषकों को खातेदारी हक प्रदान किये गये हैं।

(३) जी हां। ग्राम खारड़ी व खारा नरावता फील्ड फाइरिंग रेन्ज के क्षेत्र में आते हैं। ग्राम खारा नरावता के कृषक खातेदारों के मुआवजे के अवार्ड घोषित किये जा चुके हैं परन्तु प्रतिरक्षा विभाग द्वारा इन मामलों में सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स किये जाने के कारण उन्हें मुआवजा अब तक नहीं चुकाया गया है।

जहां तक ग्राम खारड़ी का प्रश्न है इस ग्राम के कृषकों को भूमि बन्दोबस्त में पहले गैर-खातेदार दर्ज किया गया था। इसलिए मुआवजा स्वीकृत नहीं किया गया था। इन्हें खातेदारी हक प्रदान कर दिये गये थे, परन्तु चूंकि इस समयावधि में इस ग्राम के काश्तकारों ने सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स कर दिये इसलिये इन्हें मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है।

सरचार्ज

३१९. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान सरकार ने सरचार्ज कहां-कहां पर लगाया है और किस दर से ?

(२) जिलेवार सरचार्ज की वसूली कहां-कहां पर हो रही है ?

(३) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व राजस्व मन्त्री ने तहसील पाटन से सरचार्ज की पुरानी दर से वसूली करने के आदेश दिये थे ?

(४) अभी वसूली किस दर से की जा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां। भू-राजस्व की देय राशि पर सरचार्ज राजस्थान भू-राजस्व अधिभार अधिनियम, १९६० के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित दर से लगाया है। यह अधिभार भू-राजस्व की देय राशि ७५) रु० प्रति वर्ष या उससे अधिक पर लागू किया गया है।

भू-राजस्व की दर	सरचार्ज
७५) रु० या इससे अधिक एवं २५०) रु० से कम	२५ पैसे
२५०) रु० से अधिक	५० पैसे

यदि भूमिधारी के पास भूमि ३० स्टेण्डर्ड एकड़ या इससे अधिक है तो सरचार्ज भू-राजस्व की देय राशि के बराबर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में आदेश संख्या एफ. ६(२०) राज। ख। ६७ वि० १-३-६८ को प्रकाशित हो चुके हैं। (प्रतिलिपि संलग्न है)।

(२) जिन गांवों में अकाल नहीं है वहां वसूली नियमानुसार हो रही है।

(३) तहसील केशोरायपाटन के उपरोक्त उत्तर १ के अनुसार सरचार्ज वसूल किया जा रहा है।

Page No 39

(राजस्व मंत्री)

(५) जैसा कि प्रश्न के खण्ड १ में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि आदेश संख्या एफ. ६ (२०) राज। ख। ६७, दिनांक १-३-६८ के अनुसार सरचार्ज की वसूली की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागार रों के पेंडिंग मामले

३१७. रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जागीर उत्तराधिकारों के कितने मामले नागौर कलेक्टर एवं अतिरिक्त कलेक्टर की अदालतों से दिनांक १-१-६७ १-७-६८ तक स्वीकृति हेतु रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर में भेजे गये ? उनमें से कितने मामलों में स्वीकृतियां दी गई ? कितने मामले अस्वीकृत किये गये ? कितने मामले रिमाण्ड तारीख १-८-६८ तक किये गये ?

(२) दिनांक ३१-१२-६६ तक के नागौर जिले के जागीर उत्तराधिकारों के कितने मामले रेवेन्यू बोर्ड में स्वीकृति हेतु दिनांक १-८-६८ के बाद भी पेंडिंग हैं ? कुल कितने मामले ऐसे तारीख ३१-१२-६६ तक नागौर कलेक्टर एवं अतिरिक्त कलेक्टर ने रेवेन्यू बोर्ड को भेजे थे ?

उत्तर

(१) जिलाधीश या अतिरिक्त जिलाधीश राजस्थान जागीर प्रासिडिंग्स तथा वेलीडेशन एक्ट के अन्तर्गत उत्तराधिकारियों के निर्णय राजस्व अपील अधिकारी के माध्यम से भेजते हैं।

दिनांक १-१-६७ से १ ७-६८ तक ३० मामले स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये, जिनमें से जिलाधीश के पास केवल ३ मामले वापिस प्राप्त हुये, जिनमें एक स्वीकृत एक अस्वीकृत व एक रिमाण्ड हुआ है।

(२) दिनांक ३१-१२-६६ तक ६४५ मामले आयुक्त, जोधपुर खण्ड व राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा स्वीकृति हेतु भेजे गये जिनमें २८६ स्वीकृत हुये व १२७ रिमाण्ड होकर आये, शेष २३२ मामले रुके हुये हैं।

कृषि भूमि पर अतिक्रमण के मामले

३१८. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) वर्तमान वित्तीय वर्ष में तहसील बोंली, खण्डार एवम् सवाई माधोपुर में सिवाय चक कृषि भूमि पर अतिक्रमण के कुल कितने मुकदमे बनाये गये ? तहसील-वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन मुकदमों में कितने मामलों में रेगुलराइजेशन किया गया था कितनों में बेदखली के आदेश दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) नियमन फरवरी,१९६७ में राज्य सरकार द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति के अधीन केवल ७ एकड़ तक की भूमि पर किया गया अथवा पुराने कब्जों के मामले में इससे पूर्व प्रकाशित विज्ञप्तियों के अधीन भी नियमन किये गये ? यदि उक्त पूर्व प्रकाशित विज्ञप्तियों के अधीन नियमन किया गया तो इस वर्ष ऐसे कुल कितने मामलों में अमल किया

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

गया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि अमल नहीं किया गया तो क्यों ?

उत्तर

(१) वर्तमान वित्तीय वर्ष में तहसील सवाईमाधोपुर, खण्डार व बोंली के सिवाय चक कृषि भूमि पर कुल अतिक्रमण के १४,२८२ मुकदमें बनाये गये ।

सूची (क) पर संलग्न है ।

(२) उपरोक्त मुकदमों ये ११,०८१ मामलों में बेदखली के आदेश दिये गये । तथा १४२१ मामले नियमन किये गये । सूची (ख) पर संलग्न है ।

(३) फरवरी, १९६७ में नियमन राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के अन्तर्गत १३१४ मामलों में तथा पुराने कब्जों के मामलों में इससे पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के अन्तर्गत १०७ मामलों में नियमन किया गया । इन १०७ मामलों का अमल इस वर्ष तहसीलदार द्वारा किया जा चुका है ।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

तहसील टोडारायसिंह में जमीन का अलाटमेन्ट

३१९. श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला टोंक में टोडारायसिंह तहसील के ग्राम काकलवाड़ में चारागाह के क० न० ३ रकबा २८६ बीघा में से ३०) बीघा भूमि अलाट की गयी है ? ता० ६–७–६७ को तहसीलदार, टोडारायसिंह द्वारा किस किस व्यक्ति को जमीन अलाट की गयी है ?

उत्तर

(१) ग्राम काकलवाड़ के ख० न० ३ जिसमें से सिवाय चक बंजड भूमि में से दि० ६–७–६७ को तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा निम्न व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई । यह भूमि चारागाह नहीं वरन सिवाय चक है ।

(१) श्री गनी पुत्र बसिर खां ६)

(२) श्री भोला पुत्र रघुनाथ ६)

(३) श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मामीनाथ ६)

(४) श्री नाथू पुत्र मांग्या नाइ ६)

(५) श्री अजीम पुत्र मशीर (६

ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी हल्के में भूमि प्राप्त के पेण्डिग आवेदन-पत्र

३२०. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी हल्के भूमि प्राप्त करने में तीन तीन चार-चार साल लग जाते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ तहसील की पंचायतों द्वारा आबादी हेतु भूमि प्राप्त करने के आवेदन लम्बे समय से पेण्डिग हैं ? यदि हां, तो किस पंचायत के आवेदन तहसील व एस० डी० ओ० अथवा

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
कलेक्ट्री कार्यालय में कहां व कब से पेण्डिग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(३) चित्तौड़गढ़ जिले में पेण्डिग आवेदन कितने हैं ?

उत्तर

(१) जमीन की निशादेही वक्त पर ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करने तथा कुछ मामलों में मौका देखने की आवश्यकता होने के कारण कुछ मामलों में देरी हो जाती है ।

(२) विचाराधीन मामलों की सूची संलग्न है ।

(३) चित्तौड़गढ़ जिले में कुल ७१ आवेदन पत्र पेण्डिग हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों पर चल रहे मुकदमों के लिये वकीलों की नियुक्ति

३२१. श्री देवीदत्त गाडिया (बांरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले में आदिवासी (सहरिया जाति) एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए न्यायालय में चल रहे मुकदमों के सम्बन्ध में उनके द्वारा न्यायालय में न्याय प्राप्त करने हेतु किसी वकील की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो जिले के किस किस चेत्र में किस किस वकील को कितने रुपये माहवारी वेतन या पारिश्रमिक आदि के रूप में कितने कितने समय से नियुक्त कर रखा है और अब उस पर प्रति वर्ष कितना रुपया खर्च हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) उन नियुक्त वकीलों द्वारा किस किस क्षेत्र के किस किस व्यक्ति से सम्बन्धित किस किस दफा के कितने मुकदमों की पैरवी की गई ? प्रति वर्ष की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) जी हां । वांछित सूचना की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खनिज पदार्थों की खोज

३२२. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में नये नये खनिज पदार्थों की खोज के लिये क्या इन्तजाम है ?

(२) क्या सरकार द्वारा कोटा जिले की छीपा बड़ौद व छबड़ा तहसील क्षेत्र का भी, जहां काफी पहाड़ी एरिया है तथा कुछ कीमती खनिज पदार्थ निकलने की सम्भावना है, कभी सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्या सरकार अब सर्वे कराने का विचार रखती है ?

(खनिज मंत्री)

उत्तर

(१) राजस्थान में नये खनिज पदार्थों का खोज कार्य राजकीय खनिज एवं भू-गर्भ विभाग द्वारा किया जाता है। खनिजों का कार्य भारतीय भू-गर्भिक सर्वेक्षण द्वारा भी किया जाता है।

(२) छबड़ा और छीपा बड़ौद क्षेत्रों में डक्कन ट्रेप शेल तथा बलुवा पत्थर इत्यादि उपलब्ध हैं और इस बलुआ पत्थर में कांच की बालू कुड़ी क्षेत्र में पाई गई है। इसका सर्वेक्षण हो चुका है और कोई अन्य उपयोगी खनिज का पता नहीं लगा है तथा उनके उपलब्धि की सम्भावना भी नहीं है।

रावतसर के आस पास के इलाके का सर्वे

३२३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रावतसर (गंगानगर) के आस पास का इलाका जिप्सम से भरपूर है?

(२) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र की सर्वे कराई गई या नहीं?

(३) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा? यदि नहीं तो क्यों और कब कराई जावेगी?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगानगर शुगर मिल्स के डाइरेक्टर की नियुक्ति

३२४. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) श्री गंगानगर शुगर मिल में श्री बी. डी. सोमाणी कब से डाइरेक्टर नियुक्त हैं? उन्होंने कितनी बैठकों में भाग लिया?

(२) राजस्थान राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में संचालक मण्डलों पर कहां कहां व कौन गैर सरकारी व्यक्ति कब कब से नियुक्त हैं एवं उनकी नियुक्ति का आधार तथा नियम क्या है? उनका विवरण मय सूची के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) श्री बी. डी. सोमाणी गंगानगर शुगर मिल्स में ७-११-६४ से डाइरेक्टर नियुक्त हैं। सर्व प्रथम उन्हें संचालक मण्डल द्वारा एडीशनल डाइरेक्टर की हैसियत से एवं ३१-३-६५ को कम्पनी की साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा नियुक्त किया गया था। ३० दिसम्बर, १९६७ को हुई साधारण सभा में उन्हें अंशधारियों द्वारा पुनः नियुक्त किया गया है। श्री सोमाणी ने अब तक संचालक मंडल की निम्न बैठकों में भाग लिया है :—

१३-८-१९६५	२९-११-६७
२२-१२-६५	२६-२-६८
२८-२-६६	९-८-६८
१८-११-६६	८-११-६८
१९-१०-१९६७	२३-११-६८

Page No 43

(राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठान मंत्री)

अन्य गैर सरकारी संचालकों का विवरण निम्न सूचि में दिया हुआ है। इन सदस्यों को कम्पनी की साधारण वार्षिक सभा में हिस्सेधारियों द्वारा चुना गया है :—

गंगानगर शुगर मिल्स

(१) श्री अर्जुन सिंह — ३१-१-६७ (इन्हें ३०-१२-६८ की वार्षिक सभा में पुनः नियुक्त किया गया है)

(२) श्री जफर मुहम्मद खान — ३०-१२-६७

(३) श्री बी० एन० काक ३०-१२-६८

संचालकों की नियुक्ति कम्पनीज ऐक्ट की धारा २५५, २५६ और २६० एवं कम्पनी के आर्टिकल्स आफ एसोशियेसन के प्रावधानों के अन्तर्गत होती है।

हाई-टैक ग्लास फैक्ट्री

(१) श्री पी. पी. सिंहल, दिनांक २५-१०-६६ की नियुक्ति गैर सरकारी संचालक के रूप में कम्पनीज एक्ट की धारा २५५, २५६ व २६० एवं कम्पनी के आर्टिकल्स आफ एसोशियेसन के प्रावधानों के अन्तर्गत हुई।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योगिक संस्थानों को दिया ऋण व अनुदान

३२५. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) केन्द्रीय खादी कमीशन को गत दस वर्षों में राजस्थान खादी ग्रामोद्योगिक संस्थानों के लिये प्रति वर्ष कितना कितना रुपया अनुदान व ऋण आदि के रूप में दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संघ ने कई खादी संस्थानों को बन्द कर दिया है एवं सहायता देनी बन्द करदी है ? यदि हां, तो किस किस संस्था को बन्द किया व सहायता देनी बन्द की है कि सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग संस्थानों में से कई संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन आदि नहीं मिलने सम्बन्धित शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(४) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि लागू की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग आयोग से गत १० वर्षों में जो ऋण व सहायता मिली है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) बोर्ड द्वारा अनुदानित बन्द खादी संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

Page No 44

(खादी ग्रामोद्योग मंत्री)

(३) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । और आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में क्यों कि ये संस्थाएं स्वशासित हैं, अतः इन विषयों पर बोर्ड या सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है ।

(४) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

स्थगित प्रश्न

५–३–६९

तहसील जायल की काबिल काश्त भूमि

५८. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील जायल, जिला नागौर में सं. २०१८ व सं. २०२१ में काबिल काश्त भूमि कुल किस किस किस्म की कितने बीघा थी एवं किस किस किस्म की कितनी कितनी भूमियां थीं ? काबिल काश्त भूमियों का कुल लगान किस्म जमीन की रेट के संदर्भ से कितना था ? सरकार को कितना लगान वसूल हुआ ? कितना बाकी रहा ? सं. २०१८ का कितना लगान ता. ३०–९–६८ तक बाकी है एवं सं. २०२१ का कितना लगान ता. ३०–९–६८ तक बाकी है ? जिन जिन आदमियों में बाकी है उनकी सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(६–३–६९ व ११–३–६९)

अलवर जिले में उत्तम खाद बीजों का प्रदर्शन

७७. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर जिले में उत्तम खाद बीज के प्रदर्शन के लिये १९६७–६८ में कितना बजट रखा गया था ? कुल खर्च कितना हुआ ? प्रदर्शन कितने स्थानों पर किन किन व्यक्तियों के फार्मों पर किया गया तथा प्रत्येक फार्म पर प्रदर्शन में कितना कितना खाद व बीज खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

अलवर जिले में उत्तम खाद बीज के प्रदर्शन लगाने हेतु सन् ६७-६८ में ६९,३९९) रु० का बजट आवंटन किया गया था । कुल खर्चा इस मद पर ६९,४७५) का हुआ है । कुल प्रदर्शन ५२७ स्थानों पर लगाए गए । प्रत्येक प्रदर्शन क्षेत्र पर जो खाद बीज की मात्रायें इस्तेमाल की गयीं उसकी सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(६–३–६९ व ११–३–६९)

खाद का वितरण एवं उसकी वसूली

७८. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ५२ से लेकर पंचायत समितियों के निर्माण के पूर्व तक कितना खाद

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
पंचायत अथवा अन्य एजेन्सियों को कितने मूल्य का वितरित किया गया ?

(२) उनके बितरण व वसूली की क्या स्थिति है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त खाद अवितरित अवस्था में सड़ रहा है ?

उत्तर

(१) अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सन् ५२ से लेकर पंचायत समितियों के निर्माण के पूर्व तक २७३९१ टन १ हन्डरवेट १७ पौण्ड खाद रुपये १,०१,०८, ०५८/१५ पैसों का बितरित किया गया।

(२) इनमें से रु० ६२,९४,४८२/७७ पैसों की बसूली हो चुकी है। बाकी वसूली की कार्यवाही जारी है।

(३) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(१३–३–६९)

कृषि उपज मंडी समिति भवानी मंडी

२०२. श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कृषि उपज मंडी समिति, भवानी मंडी के कितने सदस्य हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इनमें से कितने सदस्य चुनाव से व कितने संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में भेजे हुए हैं ? अलग अलग नाम बताने की कृपा करें।

(२) क्या निर्वाचन अधिकारी कृषि उपज समिति भवानी मंडी झालावाड़ द्वारा कृषि निर्वाचन क्षेत्र, व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र एवं सहकारी निर्वाचन क्षेत्र को नोटिस देकर उनसे मतदाता सूची को १३ अगस्त १९६८ तक पूरा कर देने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो निर्वाचन अधिकारी के नोटिस दिनांक २७ अगस्त, १९६८ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) निर्वाचन अधिकारी के उपरोक्त नोटिस के आधार पर अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से किन किन सदस्यों को मनोनीत किया गया था ? जो मतदाता सूची तैयार की गई उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या यह सही है कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट को-ओपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लि. भवानी मंडी द्वारा दिनांक २६-११-६८ को कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई थी ? यदि हां, तो बैठक का एजेन्डा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त बैठक में कार्यकारिणी ने बिना एजेन्डा व बिना निर्वाचन अधिकारी की मांग के अपना प्रतिनिधि बदलने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो क्या ? निर्णय की कापी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। कार्यकारिणी के कितने सदस्य हैं और कितनों ने तथा किन किन ने उक्त बैठक में भाग लिया ?

(६) कृषि उपज मंडी समिति भवानी मंडी के सदस्यों की फाइनल लिस्ट क्या है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

(११.५७ म. प.)

सदन की मेज पर रखा जाना वाला पत्र

श्री अध्यक्ष :–श्री बी. एन जोशी, राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सौलहवीं रिपोर्ट वर्ष १९६६-६७ को सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, जोशीजी गये कहाँ ?

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी।

श्री भैरोंसिंह : यह तमाशा क्या कर रखा है, अध्यक्ष महोदय। जब भी किसी मंत्री का नाम लें यह स्थिति होती है कि वे सदन में रहते नहीं।

(श्री बी. एन. जोशी, राज्य मंत्री द्वारा सदन में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : प्रतिवेदन तो रखेंगे। लेकिन मैं आप से व्यवस्था चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : एक सैकिंड का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : यह कन्टेम्प्चुअस एटीट्यूड मंत्रियों का। नाम से आप पुकारते हैं तो सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सुधार हो चुका है।

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : १२ बजे क्वश्चन आवर समाप्त होता है। आज १२ बजे से पहले ही क्वश्चन समाप्त हो गये।

श्री अध्यक्ष : इसको विवाद का प्रश्न न बनायें। आप इस पर ध्यान दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I am extremely sorry.

श्री नत्थीसिंह : फिर भी अंग्रेजी में खेद प्रकट कर रहे हैं। पिछली बार भी "सोरी" कहा था।

श्री विशवम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सोलहवीं रिपोर्ट वर्ष १९६६-६७ (भाग १ व भाग २) सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत समिति अलसीसर जिला झुंझुनु के खारे पानी के गांवों में पाइप लाइन द्वारा मीठा पानी सप्लाई कराने के सम्बन्ध में ५ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(विराम)

Page No 47

(श्री रामनारायण चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, मैं महनसर जिला झुंझुनू में जल प्रदाय योजना चालू कराने के सम्बन्ध में ५ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं टमकोर जिला झुंझुनू में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी खुलवाने के सम्बाध में ५ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ने एक वक्तव्य देने के सम्बन्ध में मुझ से स्वीकृति चाही है। अत: मैं उनको वक्तव्य देने की अनुमति देता हूं।

श्री राम किशन : किस सम्बन्ध में ?

(१२ मध्यान्ह)

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने राजस्थान विधान सभा को यह नोटिस दिया है कि यदि बैरी आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करने न करने के बारे में सरकार ने आज १२ बजे दिन तक कोई समाधानकारक उत्तर नहीं दिया तो वे विधान सभा में धरना देंगे। इस विषय में मैं सदन के सम्मुख बैरी आयोग के प्रतिवेदन के विषय में सारी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आयोग ने अपने प्रतिवेदन के ११ वें अध्याय में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

(१) ७ मार्च, ६७ को जौहरी बाजार व सिरेहड्योडी बाजार में गोली चलने के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को तथा जिन लोगों को गोली के जख्म लगे हैं उनको उपयुक्त मुआवजा दिया जाय।

(२) जिन लोगों ने ७ मार्च ६७ को जौहरी बाजार में गोली चलाना स्वीकार किया है उनको कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाय कि जो संबन्धित सरकार उपयुक्त समझे।

(३) इस बात को जानने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाय कि सिरेहड्योढी बाजार में गोली किसने चलाई थी और यदि ऐसे लोगों का पता चल जाय तो उनको कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाय कि जो सम्बन्धित सरकार उचित समझे।

(४) पुलिस को पत्थर वर्षा के खतरे से बचाने के लिये उपाय करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाय और नीचे के रेंक्स में इस बात का अनुशासन पैदा किया जाय कि वे खुद पत्थर फेंकने जैसी कार्यवाही न किया करें।

(५) घनी आबादी में अश्रु गैस के इस्तेमाल को परिमित करने के प्रश्न पर गंभीर विचार किया जाय और इस प्रकार की परिस्थितियों में वैकल्पिक उपायों का आश्रय लेने के प्रश्न पर गौर किया जाय।

(६) पुलिस रेकार्ड्स को उचित प्रकार से रखा जाने के लिये जो नियम हैं उनका पालन कराने की उचित कार्यवाही की जाय।

(७) मेडिकल रेकार्डस् में जो नुक्स नोटिस में आये हैं उनको समाप्त करने के लिए उचित कार्यवाही की जाय।

(८) जनमत के नेताओं को समझना चाहिये कि हर हालत में आन्दोलन की

(श्री दामोदरलाल व्यास)

भाषा बोलना उपयुक्त नहीं होता और आन्दोलन आरम्भ कर देना आसान है लेकिन उसको नियन्त्रित और नियमित रखना कठिन है। नागरिक अव्यवस्था से रूल ऑफ ला को क्षति पहुंचती है और लोकतन्त्र को बेअन्दाज नुक्सान होता है। पत्थर मार की भाषा को, जिसके प्रति रूचि बढ़ती जा रही है, गंभीर प्रयत्नों द्वारा रोकना चाहिये।

९. नागरिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से पहले हमेशा गंभीर विचार आवश्यक हैं और इस प्रकार के प्रतिबन्ध आवश्यकतानुसार कम से कम लगाये जाने चाहियें। लेकिन जब एक बार कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिये जायं तो उन पर मजबूती के साथ अमल कराना चाहिये ताकि कानून की प्रतिष्ठा को क्षति न पहुंचे।

आयोग के प्रतिवेदन की इन सिफारिशों पर अभी तक निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) गोली से मरने वालों के आश्रितों और जख्मियों को उपयुक्त सहायता देने के प्रश्न पर सरकार सदैव सजग और उत्सुक रही है। गोली चलने के फौरन बाद भी जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रकार के जरूरतमन्दों को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया गया था। जबकि इस प्रकार की सहायता दी जा रही थी उस समय वेरी आयोग के सामने यह एतराज उठाया गया कि सरकार ऐसी सहायता बांटकर गवाहों को वरगलाने की कोशिश कर रही है। चुनाचें उक्त आयोग के संकेत पर उस समय आगे सहायता देना मुल्तबी कर दिया गया। आयोग की रिपोर्ट पेश होने के शीघ्र बाद राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों और गोली की मार से अपंग हो जाने वाले व्यक्तियों को पेन्शन और आर्थिक सहायता दिये जाने के आदेश जारी कर दिये। इस सदन में इस प्रकार की सहायता को अपर्याप्त बताये जाने पर मुख्यमन्त्री ने यह जाहिर कर दिया था कि अब तक दी हुई सहायता को एडहाक समझा जा सकता है और सरकार इस प्रकार की सहायता के प्रश्न पर मानवतापूर्ण दृष्टिकोण से और उदारता के साथ विचार करने को तैयार है। इस नीति के प्रतिपादन में उपयुक्त सहायता के सवाल पर सरकार को सिफारिश करने के लिये महाराजा साहब जयपुर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति कर दी गई है जिसमें एक अवकाश प्राप्त हाईकोर्ट जज, एक अवकाश प्राप्त उच्चाधिकारी और राज्य सरकार के सम्बन्धित उच्चाधिकारी शामिल हैं। इस समिति की सिफारिश आते ही राज्य सरकार पर्याप्त सहायता देने के प्रश्न पर फौरन निर्णय करेगी। सदन की सूचना के लिये मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यद्यपि आयोग ने कोतवाली पर होने वाले फायरिंग को सम्पूर्ण उचित ठहराया है, वहां जख्मी होने वाले व्यक्तियों को भी सरकार ने मानवता के नाते आर्थिक सहायता प्रदान की है।

(२) आयोग की सिफारिश को देखने से जाहिर है कि आयोग ने स्वतः यह महसूस किया था कि सजा देने के सवाल पर संबंधित सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसलिये सिफारिश के शब्दों में आयोग ने उक्त प्रकार की अनुमति के लिये स्पष्ट प्रावधान किया है। चूंकि गोली चलाने में उत्तरप्रदेश के सशस्त्र पुलिस दल के दो सेक्शन सम्बन्धित थे अतः उत्तर प्रदेश सरकार को इस बारे में रैफरेन्स

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कर दिया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। उत्तरप्रदेश सरकार का अभिमत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जायेगी। इसी विषय पर राजस्थान सरकार से जो कार्यवाही स्वतः की जानी है उसके बारे में सरकार को सलाह देने के लिये तीन उच्चस्तरीय अधिकारियों की समिति नियुक्त की जा चुकी है।

(३) सिरह ड्योढ़ी बाजार के कथित फायरिंग के लिये जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिये अतिरिक्त महानिरीक्षक के स्तर के पुलिस अफसर को तत्काल नियुक्त कर दिया गया है जो इस विषय पर पूरी तफतीश करके शीघ्रातिशीघ्र सरकार को रिपोर्ट देगा।

(४) पत्थर मार से पुलिस दल की हिफाजत करने के लिये उपायों के बारे में आवश्यक अनुसन्धान किया जा रहा है। पुलिस के लोग पत्थर मार जैसी एक्टीविटी न करें इसके लिये सख्त हिदायत जारी कर दी जायेगी।

(५) घनी आबादी के क्षेत्रों में अश्रु गैस के इस्तेमाल को परिमित करने और अश्रु गैस के स्थान पर दूसरा विकल्प निकालने का प्रश्न एक अखिल भारतीय सवाल है। इस विषय पर केन्द्रीय सरकार से मिल कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(६) पुलिस रिकार्ड के मेण्टीनेन्स के बाबत नियमों का पूरी एहतियात के साथ पालन किया जाय इसके आदेश जारी किये जा रहे हैं।

(७) मेडिकल रिपोर्ट्स में जो नुक्स बताये गये हैं उनका निराकरण करने के लिये भी तत्काल ही कार्यवाही की जायेगी।

(८) रिकमण्डेशन नं० ८। आशा है इस सम्बन्ध में संबंधित दल गंभीरता से विचार करेंगे।

(९) नागरिक स्वतन्त्रा पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर आयोग ने जो विचार प्रकट किये हैं वे वास्तव में मनन के योग्य हैं और इन बातों का पूरा ध्यान रखने के बाबत समस्त संबंधित अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी जायेंगी। इस विषय में यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि स्वयं बेरी आयोग ने मार्च १९६७ में लगाये हुए इस प्रकार के प्रतिबन्धों को उचित बताया है।-

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बेरी आयोग की समस्त सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही किये जाने में जो समय लग रहा है वह निश्चयपूर्वक इस कारण है कि दंड की कार्यवाही करने से पहले चंद कानूनी शरायत का पूरा करना आवश्यक है और इस प्रकार की कार्यवाही आवश्यक शीघ्रता के साथ की जा रही है। यदि इस प्रकार की प्रारंभिक कार्यवाही किये बिना दंड देने वाली कार्यवाही शुरू कर दी जाय तो वह अवैध होगी। इन हालात में यह कहना हरगिज सही नहीं है कि सरकार ने बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही नहीं की है अथवा कोई उदासीनता या उपेक्षा बरती है। आयोग के प्रतिवेदन पर क्रियान्वयन के लिये उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करने की बात उठायी गयी है। इसके लिये कोई कानूनी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रावधान नहीं है, न क्रियान्वयन जैसा कार्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये उपयुक्त हो है। क्रियान्वयन का कार्य सरकार और उसके अधिकारियों का है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इसको कानून के अनुसार पूरी सच्चाई, औचित्य और शीघ्रता के साथ पूरा करेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। माननीय गृह मन्त्रीजी ने बेरी आयोग के प्रतिवेदन में जिन सिफारिशों का उल्लेख किया है और उन सिफारिशों पर व्यौरेवार सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, उसका उल्लेख अपने वक्तव्य में किया है। मैं समझता हूं, हमने बेरी आयोग की नियुक्ति ७ मार्च को जो गोलीकांड हुआ, गोलीकांड किन परिस्थितियों में हुआ और इस गोलीकांड की क्या भूमिका थी, इन सब बातों पर जानकारी के रूप में अपनी फाइण्डिग देने के लिये बेरी आयोग नियुक्त किया गया था। स्वयं बेरी साहब ने इन फाइण्डिग्स के बाद जिन रिकमण्डेशन्स का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, उस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि रिकमण्डेशन्स करने का काम मेरा नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेण्ट का हवाला देकर उन्होंने कुछ बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में विवाद रिकमण्डेशन्स के चेप्टर का नहीं है, इस सदन में विवाद सबसे प्रमुख इस बात का है कि बेरी कमीशन के प्रतिवेदन में जो कमीशन की फाइण्डिग्स हैं, उसके अनुसार सरकार कार्यवाही करती है या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा कि हमने सिरेह ड्योढ़ी बाजार में फायरिंग की जांच करने के लिये पुलिस के एडीशनल आई. जी. पी. को नियुक्त कर दिया है। इससे ऐसा लगता है कि ९ जनवरी को रिपोर्ट पेश होने के बाद से आज तक इस आई. जी. पी. की नियुक्ति करने के औचित्य पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। वह आज ही एक्शन लेकर चल रही है और कह रही है कि हमने आई. जी. पी. को नियुक्त कर दिया है। मैं उनसे पूछ सकता हूं कि इस सम्बन्ध में जैसे ही रिपोर्ट पेश हुई, उसके तुरन्त बाद ही आई. जी. पी. को नियुक्त किया जा सकता था ताकि कम से कम यह तो महसूस होता कि सरकार वास्तव में फाइण्डिग्स को इम्पलीमेंट करने के लिये कटिबद्ध है। दो महीने के बाद भी सरकार यह कह कर चले कि हमने इन्सपेक्टर जनरल को नियुक्त किया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से साफ लगता है कि हमारी सरकार फाइण्डिग्स को इम्पलीमेंट करने में एक बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ रही है। उसका जवाब आयेगा तब बाद में प्रश्न आयेगा कि एक्शन क्या होगा, इस सम्बन्ध में सरकार आज तक स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार चुप बैठी है। उत्तर प्रदेश की सरकार चिट्ठी का उत्तर नहीं दे रही है। गृह मन्त्री जी यह कहें कि सशस्त्र पुलिस के चार अधिकारी यहां आये। उन्होंने कमीशन के रिकार्ड को देखा और उसके देखने के बाद कुछ बातें नोट करके लेकर गये हैं। मैं समझता हूं ऐसे मर्डर के केसेज में, जान के मामले में किसी और ने स्वीकार नहीं किया है—हाई कोर्ट के एक जज ने स्वीकार किया है कि गोलियां चलीं और निरपराध लोग मर गये। जब यह निर्णय हो गया तो इसमें इस प्रकार

Page No 51

(श्री भैरोंसिंह)

की ढिलाई कि उत्तर प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखते हैं और उसका जवाब आने पर किसी प्रकार का एक्शन लिया जायेगा। मैं समझता हूं यह बात सदन में कहना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार वास्तव में इनके विरुद्ध कोई एक्शन लेना नहीं चाहती है। आप उत्तर प्रदेश की सरकार का बहाना बनाते हैं लेकिन बेरी आयोग का जो प्रतिवेदन आपको प्राप्त हुआ उस पर आपको विश्वास है तो उसमें निश्चित रूप से बेरी कमीशन ने राज्य के पुलिस अधिकारियों और सिविल सर्विस के अधिकारियों के विरुद्ध कण्ट्रीब्यूट्री नेगलीजेन्स के आरोप नहीं लगाये ? क्या उसने राजस्थान की पुलिस पर यह आरोप नहीं लगाये कि उसने निरपराध लोगों को मारा ? अनावश्यक रूप से अश्रुगेस का प्रयोग किया गया। क्या यह आरोप नहीं लगाया कि पुलिस ने जनता के लोगों पर पत्थर फेंके। मेडिकल डिपार्टमेंट के रेकार्ड को और पुलिस के रेकार्ड का टेम्परिंग किया। इतने पर भी क्या आपको उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह लेनी थी ? क्या अपने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में भी मध्य प्रदेश सरकार की सलाह लेनी थी। आपको इसके बारे में तो अपना दिमाग एप्लाई करना आवश्यक था। यह इस बात का द्योतक है कि सरकार जो कह कर चलती है उस प्रकार का एक्शन लेना नहीं चाहती। राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का सरकार का इरादा मालूम नहीं पड़ता। ये प्रश्न तो ऐसे थे जिनका संबन्ध किसी दूसरे राज्यों से नहीं था। इस बारे में तो एक्शन लिया जा सकता था। धारा १४४ के लगाने के लिये फॉलोअप एक्शन के बारे में कोताही किया जाना, पुलिस के दुर्व्यवहार, झूठे केस तैयार करने आदि-ये प्रश्न ऐसे थे जिन प्रश्नों के बारे में राज्य सरकार तुरन्त कार्यवाही कर सकती थी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इस बात का नहीं कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को बिना पूछे कदम उठाना नहीं चाहती। गृह मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट लगता है कि हमारी सरकार ९ जनवरी की पोजीशन, ९ जनवरी से पहले जो पोजीशन थी गोली चलवाने के बारे में, उसके बारे में झूठा रेकार्ड तैयार करने के पीछे, झूठी गवाहियां बनाने के पीछे और कमीशन को बिठाने के पीछे जो लाखों रुपया खर्च किया, विश्वास नहीं होता राज्य सरकार उसकी फाइण्डिग्स को फेथफुली इम्पलीमेंट करने के बारे में चेष्टा करेगी।

सरकार ने केवल एक कदम उठाया है यह कदम जो लोग मर गये, जख्मी हो गये उनको कितना कम्पेनसेशन दिया जाय-उसके लिये समिति बनाई। उसमें पोलिटिकल मेन्योरिंग ज्यादा है। इस बारे में जब बेरी कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई राजस्थान विधान सभा में उस दिन सरकार ने घोषणा की, हम लोगों ने जो मुआवजा दिया है उसको एडहाक माना जाय, हम उनको और मुआवजा देना चाहते हैं। विधान सभा में जब मुआवजे के लिये ज्यादा आग्रह किया गया तो समिति नियुक्त कर दी गई। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो मर गये उनकी कीमत नहीं दी जा सकती, हाथ पैर जिनके कट गये उनकी कीमत नहीं दी जा सकती। जिस माता की गोद सूनी हो गई उसको भरा नहीं जा सकता, जिस बहिन की मांग का सिन्दूर पुंछ गया वह भरा नहीं जा सकता, उसके पुरुष को पैसे से जिन्दा नहीं किया जा

(श्री भैरोंसिंह)
सकता। आपकी सरकार की पुलिस की गोलियों से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी गोली से जिस मां और बहन की मांग का सिन्दूर पुंछ गया है उस बात के लिये सरकार किसी प्रकार भी दुःख प्रगट करने को तैयार नहीं है। सरकार केवल स्टेटमेण्ट दे सकती है, लोगों में भ्रम पैदा कर रही है वह यह कहना नहीं चाहती कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट को ईमानदारी से इम्पलीमेण्ट करना चाहते हैं। सरकार के रवैये से मुझे ऐसा लगता है, सरकार इस रिपोर्ट को ईमानदारी से अमल में लायगी इस बात का भरोसा करके नहीं चला जा सकता।

गृह मंत्री महोदय ने यह कहा कि न्यायिक अधिकारियों को सब चीजों के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट आभास मिलता है आप इसको इम्पलीमेन्ट नहीं करना चाहते। इससे साफ साबित होता है सरकार द्वारा षड्यन्त्र करके गोली चलवाई गई। ऐसी सरकार की बरखास्तगी के लिये मांग की जानी चाहिये। अगर सरकार इस का ईमानदारी से इम्पलीमेण्ट कराना चाहती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अब तक २४ घंटे का जो नोटिस दिया उस पर जिस प्रकार का स्टेटमेण्ट दे रहे हैं, हमने तो यह सोचकर कि हमारी भावनाओं की कद्र की जायगी, हमने राजस्थान विधान सभा में और इससे बाहर मांग की थी कि सरकार इस रिपोर्ट के इम्पलीमेण्टेशन के लिये अपने ऊपर न लेकर राजस्थान के किसी जज को नियुक्त कर उसके हाथ में यह काम देगी। वह जज इस रिपोर्ट के आधार पर इसमें जो फेक्टस बताये गये हैं उनको ध्यान में रखते हुए संबन्धित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन के लिये तैयारी करेंगे। दुर्भाग्य है राजस्थान सरकार ने विरोधी पक्ष की भावनाओं का आदर नहीं किया और जो कुछ डिसीजन इस बारे में हमने लिया उस पर हम कटिबद्ध हैं। सरकार से फिर निवेदन करना चाहता हूं अपनी हठधर्मिता को छोड़कर इस रिपोर्ट को इम्पलीमेण्ट करने की कोशिश करे।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) इस पर वाद-विवाद नहीं होगा। यहां जो स्टेटमेण्ट दिया गया है उस पर वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : इसके रिएक्शन्स तो आयेंगे। जो कुछ इस बारे में कहा जाय उस को बोलना न मानकर रिएक्शन ही मानें।

श्री अध्यक्ष : फिर भी मैं माननीय सदस्यों से, जनसंघ के नेता बोल चुके वैसे तो सारा विरोधी दल सम्पूर्ण रूप से संगठित है। उसमें एक सदस्य की भावना ही पर्याप्त हो सकती है। फिर भी मैं सीमा में समय की सीमा में थोड़ा समय इस पर दे सकता हूं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य माननीय गृह मंत्री ने सदन के पटल पर रखा है संभवतः गृह मंत्री महोदय ने विरोधी दल की जो भावना है उसको नजरअन्दाज कर दिया है। सरकार को चाहिए था, ईमानदारी के साथ और नैतिकता के साथ जिस प्रकार की बेरी आयोग की रिपोर्ट आयी है उसको इम्पलीमेन्ट करती।

अध्यक्ष महोदय, आप भी विचार कीजिये जब हाई कोर्ट का जज किसी मामले के सम्बन्ध में फाइन्डिग्ज दे दे, उन फाइन्डिग्ज के आधार पर जो दोषी व्यक्ति हैं उन

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

पर मुकदमा चलाना चाहिए था क्या इस बारे में सरकार ने कोई कदम उठाया है। उसके लिए कह दिया कि हम इसका एक डी० आई० जी० द्वारा इन्वेस्टीगेशन कराने वाले हैं। आपने उसी पुलिस डिपार्टमेन्ट को जिसने आदमियों की हत्यायें कीं, गोलियां चलाई है जनता पर, जिसने पत्थर वर्षा की है, अन्धाधुन्ध जिन्होंने अश्रु गैस का प्रयोग किया है ऐसे लोग जो इस प्रकार के जुल्म करने के अपराधी हैं वे एक जज की फाइंडिंग्ज के आधार पर फिर इन्वेस्टिगेशन करके फिर से मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही कर सकते हैं ? यह बात नहीं हो सकती। एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जितने भी फैक्ट फाईंडिंग कमीशन बैठे हैं उसके रिपोर्ट पर फॉलो अप् एक्शन पूरा करने के लिये, उसके बारे में फरदर कार्यवाही करने के लिये जुडिशियल आफीसर बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं एक रिकमेन्डेशन के आधार पर महाराजा जयपुर की सदारत में एक कमेटी नियुक्त कर देने से जनता से वाहवाही नहीं ली जा सकती। वह एक प्रकार का प्रचार है जिससे स्वतन्त्र पार्टी के लोग और दूसरे लोग महाराजा का नाम सुनकर शान्त हो जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप किसे भी कमेटी का चेयरमैन बना दें उससे जन साधारण की आत्मा को शान्ति नहीं मिल सकती।

अध्यक्ष महोदय, वह काण्ड कितना बरबरता पूर्ण हुआ गोलियों से हत्या कर दी गई, उनके शवों को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया वे मर्यादायें कहां चली गई भारत की जो परम्परा थी और जो आज अन्य देशों में भी है किसी भी मृत व्यक्ति के शव को सामने आता देखकर हर व्यक्ति चाहे व फौज का या लाट साहब ही क्यों न हो उसका नत मस्तक हो जाया करता है। फौज के बड़े बड़े हथियार शव के सामने नीचे कर लिये जाते हैं। जहां मृत व्यक्तियों के प्रति इतना सम्मान था लेकिन आपने उन शवों को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। आपने बाला बाला उनके शवों को जला दिया उनके घर वालों तक को भी नहीं आने दिया......

श्री अध्यक्ष : आप इस रिपोर्ट के इम्पलीकेशन्स और इम्पलीमेन्टेशन के बारे में ही बोलें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस प्रकार के नृशंस अत्याचार करने वाली, एवीडेन्सेज को खत्म करने की कोशिश करने वाली सरकार को भंग कर दिया जाना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आप विषय पर आवें, इस पर तो डिबेट पहले हो चुकी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस प्रकार की चीजों को करने के लिये जो जिम्मेवार हों, उनके प्रति बरताव करने का एक बिल्कुल निश्चित हमारा पार्टी का दृष्टिकोण है कि जहां पर गोली चलाई जावे और इस तरह से नृशंसता और क्रूरता के साथ चलाया जावे वहां पर उस सरकार को एक साथ इस्तीफा दे देना चाहिये। सभ्य संसार के इतिहास में इंगलैण्ड के इतिहास में पिछले ६० वर्षों में आप कहीं भी एक बार भी ऐसा उदाहरण नहीं पावेंगे कि जहां उसने कहीं पर इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्याएं की हों।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

अध्यक्ष महोदय, डकैत खूंखार डाकू जो आदमी को गोली मार देता है उसके लिये भी हमारा संविधान यह कहता है कि उसको भी पकड़ लिया जावे और प्रोपर तरीके से चालान किया जाय। फांसी पर चढ़ाने से पहले उस आदमी को भी कहने का एक मौका अपोरचुनिटी कानून के तहत दी जाय, पूरी तरह ट्रायल के बाद दण्ड दिया जाय। पर यहां तो आपने अपने आप ही फैसला कर लिया। अपने आप ही फैसला कर लिया। अपने आप ही हत्या कर दी और अपने आप ही खून बहा दिया। तो ऐसे मामलों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण सुनिश्चित है। केरल में जब पत्तम थानू पिल्लै की सरकार ने जब गोली चलाई जनता पर और खून बहाया निर्दोषों का तो उस समय स्वर्गीय डाक्टर राममनोहर लोहिया ने जो हालांकि उस समय जेल में थे लखनऊ में, उस जमाने में दल के प्रधान मंत्री की हैसियत से जेल से ही इस्तीफा दिया कि केरल की थानू पिल्लै की सरकार को एक साथ इस्तीफा दे देना चाहिये। जो सरकार गोली चलाकर जनता की हत्या करे, उसे एक मिनट भी शासन में रहने का अधिकार नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जनता पर जो गोली दागे वह सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का यह अमर नारा है। इस नारे को गांव गांव और गली गली घर घर कूचों कूचों में और हिन्दुस्तान के कोने कोने में गुंजाया है।

(किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) आप मेरे से ज्यादा कहना चाहते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : आप इधर मुखातिब होइये, आसन की ओर मुखातिब होइये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो मैं कहना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब संविद सरकारों में, यू. पी. में, बिहार में, बंगाल में गोलियां चलीं तो वहां सरकार में क्यों बैठे रहे आप? जरा इसका जवाब तो दीजिये। तो आपको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय मुकुटबिहारीलाल आप अपना भाषण आरम्भ रखें और एकदम समाप्त कर दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं निवेदन कर रहा था कि एक जनतन्त्र को चलाने के लिए आपको निश्चित तौर से मापदण्ड कायम करना पड़ेगा। इनमें भी हमारे दल ने सरकारों से मांग की कमीशन बिठाने की और निष्पक्ष जांच करने की और जो जांच के परिणाम सामने आये जो उन्होंने सुझाव दिये उनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। हिम्मत हो तो खड़े होकर गृह मंत्री राजस्थान यहां ऐलान करें कि जो जांच की रिपोर्ट आई है उसको हम इन टोटो स्वीकार करते हैं। आज ये कतराते हैं उसके परिणामों से। इसके पीछे आपका जो षड़यन्त्र जो झलकता है। इस गोलीकाण्ड के पीछे आपका सुनियोजित षड़यन्त्र था। आपने निहत्थे निर्दोष लोगों का खून बहाया है। आपने उन साक्षियों को भी नष्ट करने का जघन्य कृत्य किया है।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

आपने हाईकोर्ट को इस बेरी आयोग की नियुक्ति के समय यह वचन दिया था कि इसकी जो जूडिसियल फाइण्डिंग्स होंगी हम उसको स्वीकार करेंगे। अब आप उसको स्वीकार करने को बाध्य हैं बचनबद्ध हैं। पर आप यह कहते हैं कि वह तो राष्ट्रपति की सरकार थी। कोई भी सरकार हो। आप उसके उत्तराधिकारी हैं और उत्तराधिकारी के नाते आप पर भी यह लागू है। आप बाध्य हैं। केन्द्र के गृहमंत्री ने भी लोकसभा में यही कहा कि ऐसी तो कोई सिल्ली सरकार हीं होगी जो इस प्रकार की गैर जिम्मेवाराना बात करे कि हम इसको मानने को बाध्य नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप अब समाप्त करें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप सीधे तरीके से कह दीजिये कि जिस सरकार ने वह वचन दिया वह सरकार सुखाड़िया के लिये जिम्मेदार नहीं है। उसका दोष राष्ट्रपति पर पड़ने दीजिये। राज्यपाल पर मंढ़िये। उनको कटघरे में लाकर खड़ा करिये।

श्री अध्यक्ष : अब कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं इन शब्दों के साथ इस वक्तव्य के प्रति तीव्र विरोध प्रकट करते हुए इस राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वह इस कन्ट्रोवर्सी में न पड़े। इसको ज्यों का त्यों मान ले। इसको इम्पलीमेन्ट करने के लिए हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का एक जज नियुक्त करें। अच्छा तो यह होगा कि जिस तरह से हमने केरल में मांग की थी उसके अनुसार आप इस सरकार से त्याग पत्र दे दें और सुखाड़ियाजी इन तरह-तरह के घोटालों को साथ में लेकर आप अपने अन्तिम समय में क्यों अपने माथे पर यह कलंक का टीका लगाना चाहते हो। छोड़ दीजिये इसको जैसे लालबहादुर शास्त्री ने भी किया था। आप एक साथ इस्तीफा देकर इस सरकार से निकल जावें। इन हत्याओं के बाद इन निर्दोष लोगों का जघन्य तरीके से खून बहाने के बाद आपका इन गद्दियों पर बैठने का अधिकार नहीं रह गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, विषय की गम्भीरता को हमें महसूस करना चाहिये। यह विषय पक्ष विपक्ष का नहीं है। यह जनता के सर्वोच्च, लोकतान्त्रिक अधिकारों का और उनकी रक्षा का प्रश्न है।

लोकतन्त्र मर्यादाओं के बिना नहीं चल सकता। और हम मर्यादाएं रखकर नहीं चलेंगे तो यह लोकतन्त्र लड़खड़ा जावेगा। लोगों की आस्था उस पर से उठ जावेगी। इसलिये यह सवाल रखना चाहता हूं सदन में कि बेरी आयोग जिन परिस्थितियों में नियुक्त हुआ, और जिन नतीजों पर निष्कर्षों पर वह पहुंचा उसके बाद की चुनौती स्पष्ट है। राज्य सरकार ने कहा था कि गोली काण्ड जो हुआ वह उचित था। लेकिन हमारी मांग थी कि गोली काण्ड अनुचित था और किसी एक षड़यन्त्र और मोटिव को लेकर किया गया था। इसके बाद

(श्री दौलतराम सारस्वत)

आयोग नियुक्त हुआ इन दोनों बातों में से कौन सही है इस पर पहुँचने के लिये। बेरी आयोग इस निश्चय पर पहुंचा कि यह गोली चलाना अनुचित था। होल्ली अनजस्टिफाइड है। ये शब्द हैं उनके। तो जब गोलीकाण्ड बिलकुल अन्यायपूर्ण था तो फिर सवाल यह पैदा होता है अपने आप कि गोलीकाण्ड करने और कराने वाले लोग दोषी हैं और इसके बाद स्वतः ही इस निर्णय पर पहुंचते है कि जो दोषी हैं उनको सजा दीं जानी चाहिये। बेरी आयोग ने राजस्थान सरकार का जो रिकार्ड है पुलिस का मेडिकल विभाग का, जेल का उसको जाली बताया अप्रामाणिक बताया, हेर फेर करना बताया, काटाफोसी करना बताया, टेम्पर विथ करना बताया। इसलिये कसूर और भी भयंकर और गम्भीर बन जाता है।

बेरी आयोग की रिपोर्ट के अन्दर जो सुझाव दिये गये हैं सुझाव ही अन्तिम नहीं है। उनकी जो फाइण्डिंग्स हैं वे गौर तलब हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि बेरी आयोग ने संवैधानिक प्रश्न उठाये हैं, वैधानिक सवाल उठाये हैं, व्यापक प्रश्न पैदा किये हैं, न्यायिक प्रश्न सामने रखे हैं, लोकतान्त्रिक मर्यादाएं सामने रखी हैं इस लिये इन सारे प्रश्नों को देखकर सरकार को चलना होगा।

श्री दामोदर लाल व्यास : कौन से मुद्दे संवैधानिक उठाये हैं जरा तस्दीक करके मुझे बताइये इस रिपोर्ट में से।

श्री दौलतराम सारस्वत : व्यासजी, आप तो सत्ता के नशे में भूल रहे हैं। मरने वाले लोगों का अन्तिम संस्कार उनके विश्वास के अनुसार सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार नहीं किया आपने। उनको कीड़े मकोड़ों और पशुओं की तरह घसीटकर ठेल डालकर जला दिया गया। और आप मेरे से पूछते हैं संवैधानिक अधिकारों की बात। उनके विश्वास के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जाना यह उनका संवैधानिक अधिकार था। गोली लगने के बाद कुत्तों और जानवरों की तरह उन घायलों को, इन्सानों को बेरहमी से, क्रूरता और पशुता के साथ घसीटा गया और मौत के घाट पहुंचाया गया। उनको मेडिकल एड देनी चाहिये थी। वह नहीं दी गई जो कि उनका संवैधानिक अधिकार था, मानवीय अधिकार था। और मेरे से पूछते हैं संवैधानिक अधिकार कौनसा है। अपने हाथ उनके निर्दोष खून से रंगकर यहां आकर बैठे हैं। और उनके संवैधानिक अधिकारों की बातें करते हैं। आप खूनी हैं। आपके दिल में दर्द नहीं है उनके प्रति।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता था राज्य सरकार को केवल सत्ता की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भी सामने रखना चाहिए। कुर्सियां आती हैं और चली जाती हैं वह सदा आपके पास नहीं रहने वाली हैं। मर्यादा को ध्यान में रखकर आज आप अगर न्यायिक आयोग के निर्णयों को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लेंगे तो एक दिन आयेगा जब कि आपको जाना पड़ेगा। यह किसी की बपौती नहीं है और जिन्होंने इसको बपौती भी बताई थी वह भी गये हैं। पीछे केवल मर्यादायें और इतिहास शेष रह जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बेरी आयोग के निर्णयों की पालना के संबंध में सरकार निश्चित घोषणा करे। अगर सरकार इसके निर्णयों को मानती है तो यह ऐलान करे, अगर सरकार नहीं मानती है तो यह ऐलान करे। अगर सरकार यह समझती

Page No 57

(श्री दौलतराम सारण)

है कि तरमीम के साथ और सुझावों के अनुसार हम इस पर अमल करें तो यह स्पष्ट ऐलान करे। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है हम विरोधी पक्ष से यह अपेक्षा करते थे कि राज्य सरकार इस मामले को केवल एक पक्ष की दृष्टि से नहीं देखेगी और इसको एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की दृष्टि से देखेगी। अगर इस दृष्टि से इस मसले को राज्य सरकार देखती तो विपक्षी दलों को शांतिपूर्ण तरीके से धरणा देने की स्थिति सामने नहीं आती और यह स्थिति जो आज है वह सामने नहीं आती। आज वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करके संवैधानिक रक्षा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अपेक्षा करके सब कर रहे हैं वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो स्पेसिफिक प्रश्न पेश किये हैं उनका मैं उत्तर चाहता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में बहुत लम्बी चौड़ी चर्चा नहीं करनी है। इस बेरी कमीशन के संबन्ध में चर्चा इस सदन में दो बार से अधिक हो चुकी है। मैंने माननीय गृहमंत्री जी का वक्तव्य ध्यान से सुना। आपकी यह सरकार येनकेनप्रकारेण गठित होकर यहां पर बैठी है। बहुमत आपका है यह हम मानते हैं लेकिन जनता के निर्णयों के विपरीत अपना बहुमत आपने प्राप्त किया है।

सरकारी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य : नो, नो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप कुछ भी कहें। मुझे अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का उसी हद तक जिस हद तक आपको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। यह हमारा अभिमत है······

श्री भैरोंसिंह : (श्री बृजसुन्दर शर्मा के सदन में आने पर) अध्यक्ष महोदय, यह कोई रास्ता नहीं है, आप कम से कम इनको सिखा तो दो कि सदन के क्या कायदे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह कोई कायदा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : He has not crossed from that side.

श्री भैरोंसिंह : मैं जानकारी करना चाहूँगा कि जब माननीय नेता बोल रहे हैं तो यह क्या तरीका है।

श्री अध्यक्ष : हां।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब तो हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है यह तो मोबोक्रेसी है। मेरे ख्याल में तो इस सरकार को और अनेक प्रान्तों की सरकारों को धिक्कार है, यह गैर-जिम्मेदारी और अवसरवादिता की पराकाष्ठा है, मैं समझता हूं। आखिर आपकी सरकार बनी मुबारक है आपको, किसी तरह से बनी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। उसके बाद इसकी बुनियाद के अन्दर क्या है। इसकी बुनियाद के अन्दर खून है और उस सम्बन्ध में यह सरकार मैं समझता हूँ जो कि गुनहगार सरकार है उसकी लीपापोती करने के लिए उसने एक मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी आर्डर की लेकिन विरोधी पक्ष की मांग के फलस्वरूप बेरी कमीशन की नियुक्ति हुई। बेरी कमीशन एक उच्च आयोग है, एक हाईकोर्ट के स्तर के जज की फाइंडिंग्स हैं। अगर सरकार उन फाइंडिंग्स

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

को ईमानदारी से इम्पीमेन्ट नहीं करती है तो मेरे ख्याल में यह सरकार ईमानदार नहीं है अथवा बेईमान सरकार है। यहां पर बारबार कई बार आरोप लाये गये हैं। हम जिम्मेदार लोग हैं उसी चीज को हम एक तोते या सूए की माफिक फिर रिपीट नहीं करना चाहते। लेकिन आखिरकार आप जनता की सरकार हैं, अगर जनता के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, और ७०-८० आदमी घायल होते हैं, अगर ८-१० आदमी मारे जाते हैं उसके संबंध में भी अगर आपको मेन्टल रिजर्वेशन है आपकी पुलिस के अधिकारियों को बचाने का मैं समझता हूं कि यह महान घृणास्पद और निन्दनीय चीज है। जिसका मैं घोर से घोर विरोध करता हूँ। आपको आखिरकार चाहिए कि एक हाईकोर्ट जज की जुडीशियल फाइन्डिग्स से आप परे रहिये, आप डिग्नीफाइड तौर पर एक हाईकोर्ट जज को यह मामला सुपुर्द कीजिए कि कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पर आई तो पुलिस बाहर से इंग्लैंड से, अमेरिका से या चाइना या रूस से तो नहीं आई-आज हिन्दुस्तान तो एक देश है और अगर हिन्दुस्तान में किसी कोने की पुलिस किसी प्रान्त में आकर के व्यवस्था स्थापित करने के हेतु गोलियां भी चलाती हैं तो आपके लिए शोभनीय व्यवस्था नहीं है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और गृह मंत्री महोदय को यह कहूंगा कि आपके लिये शोभनीय नहीं है। शायद यह शोभनीय क्या वस्तु है, क्या इसकी परिभाषा है इसको ही अगर आप नजर-अन्दाज करें तो मेरे ख्याल में और मुझे कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपके लिए शोभनीय व्यवस्था यह है कि जुडीशियल फाइंडिग्स को जुडीशियल तरीके से आनेस्टली इम्पलीमेन्ट करने के लिए चेष्टा करें। इसके विपरीत हम क्या पाते हैं कि पुलिस रेकर्ड टेम्पर होता है उसके सम्बन्ध में भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। मुझे इस सदन में यह नहीं कहने की आवश्यकता है कि वहां पर आपके कक्ष में बातें हुईं लेकिन मुझे यह आशंका है कि यह सरकार असलियत के परे जाकर लीपापोती करके जो वाकयात हैं उनको दबाना चाहते हैं। यह तो दबाने वाली चोर सरकार है, बेईमान सरकार है। इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं आपको पुन: निवेदन करता हूं कि जो कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में हमको कोई उनमें शकोशुबा नहीं है। जिस तरह से आपने कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में व्यवस्था की है उसी तरह से आपको गुनहगार कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई हाईकोर्ट का जज कायम करके हमको क्यों नहीं संतोष दिलाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आखिरकार क्या आपत्ति है। मैं यह जानना चाहूंगा और, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने जो कुछ भी मुद्दे उठाये हैं उनके संबंध में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे और विरोधी पक्ष की आपत्तियों को ईमानदारी से सुलझाने की चेष्टा करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी ने जो अपना वक्तव्य दिया है उसमें विरोधी दलों की ओर से जो मुख्य बातें रखी गयी थीं उनको बिलकुल अवाइड किया गया है। प्रश्न केवल यह नहीं है कि बेरी कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर जो

Page No 59

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रिकमन्डेशन्स हैं उनको किस प्रकार इम्पली-मेन्ट किया जायेगा।

परन्तु सबसे पहला प्रश्न यह है कि बेरी कमीशन की जो फाइण्डिग्स हैं उनको सरकार जैसे का तैसा स्वीकार करे। गृह मंत्रीजी इस प्रश्न पर बिल्कुल मौन हैं। अध्यक्ष महोदय, जो अभी तक सरकार ने इस बारे में दृष्टिकोण जाहिर किया था वह यह कि यह सरकार इस बेरी कमीशन के फाइंडिग्स को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहां तक कहा था कि अगर कोई कमिटमेंट भी दिया है तो उस कमिटमेंट से बाउन्ड नहीं है। यहां तक भी कहा था कि गवर्नमेंट इस बेरी कमीशन ने जिस एवीडेन्स की बुनियाद पर जो निर्णय लिये हैं तो उन एवीडेन्स की बुनियाद के निर्णयों में तो मामले बहुत से ऐसे हैं कि इस बात पर गवर्नमेंट विचार करेगी तब इस पर कोई भी निर्णय लेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके विपरीत अपोजिशन की यह मांग थी कि यह गवर्नमेंट खुद दोषी है, यह गवर्नमेंट एक एक्यूज्ड पार्टी है इसलिए बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर इसको जजमेंट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। एक दोषी, एक कातिल, एक मुजरिम को फैसले पर पुनर्विचार करके निर्णय करने के अधिकार को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमने यह मांग की थी कि यह गवर्नमेंट यह डिक्लेयर करे कि हम इसकी फाइंडिग्स को ज्यों का ज्यों स्वीकार करते हैं। गृह मंत्रीजी ने इस बात को दरगुजर किया। इन फाइंडिग्स में आखिर क्या है? जो जौहरी बाजार के अन्दर हत्याकाण्ड हुआ वह बिल्कुल अनावश्यक और गैरकानूनी था, अनजस्टीफाइड था। उसके अन्दर यह फाइंडिग है कि धारा १४४ जो श्री मोहनलाल सुखाड़िया के कहने पर उठाई गई पर पुलिस को वहां से नहीं हटाया गया इसके कारण यह सारी की सारी दुर्घटना हुई। अगर इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता तो इस प्रकार की दुर्घटना नहीं होती। उसके अन्दर यह फाइंडिग है कि गोली २ बजकर १५ मिनट से तीन घण्टे तक चली। इसके अन्दर यह फाइंडिग है कि पुलिस के रेकार्ड्स और अस्पताल के रेकार्ड्स फिक्टीशस बनाये गये, उनमें हेरफेर की गई और बदल दिये गये हैं। उसके अन्दर यह फाइंडिग्स हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो केस रखा गया है वह झूंठा और बेबुनियाद रखा गया है। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस बात का उत्तर दे कि यह जो फाइंडिग्स पहले हिस्से में रिकमण्डेशन से पहले कमीशन ने की हैं उन फाइंडिग्स को बगैर चूं-चपड़ किये यह गवर्नमेंट उसको स्वीकार करती है या नहीं इस बुनियाद पर भी कि आपने कमिटमेंट किया था, इस बुनियाद पर भी कि आपका उस पर विचार करने का हक नहीं है। जहां तक इम्प्ली-मेण्टेशन का सवाल है जो पहली बार में स्वीकार हो जाता है हम समझते हैं कि उसके बारे में चूं-चपड़ नहीं होना चाहिए। तो हमारी यह मान्यता है कि यह सरकार दोषी है। इसको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है या तो यह खुद इस्तीफा दे दे या इस सरकार को बरखास्त किया जाय इससे इस प्रकार का इम्प्लीमेण्टेशन का सवाल पैदा नहीं होता है। यह सरकार सही तरीके से इम्प्लीमेण्टेशन नहीं कर सकती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इस बात को मानती है और फाइंडिग्स को स्वीकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करती है इस तरह से कि जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उनको हम स्वीकार करते हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि इसके लॉजीकल कन्क्लूजन्स क्या निकलते हैं, लॉजीकल फार्म आॅफ एक्शन क्या क्या होने चाहिए, आया जो रिकमन्डेशन बेरी कमीशन ने की हैं वे लॉजीकल कन्क्लूजन्स हैं या उनके लॉजीकल कन्क्लूजन्स कोई और भी निकल सकते हैं आज इस सम्बन्ध में वह इसके बाद की बात है ?

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अपोजीशन की सीधी मांग सबसे पहले थी कि इन फाइंडिंग्स को पूरी तरह से इन टोटो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे और गवर्नमेंट बताये कि उन्होंने अपना माइण्ड एप्लाई करके इस बारे में निर्णय क्या लिया है ?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

नम्बर दो, जो फायरिंग का एक्शन हुआ है उसके बारे में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करने की बात हम लोगों ने कही है उसको आपने नहीं माना है और इस तरह से जो और अधिकारी हैं उनको प्रोमोशन दिया है। इसके बाद भी रिपोर्ट के आने के बाद भी प्रोमोशन को नहीं रोका है, बल्कि उनको सस्पेण्ड किया जाना चाहिए था, उनके खिलाफ एक्शन लिया

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जाना चाहिए था, वह कोई भी नहीं किया गया। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह वक्तव्य बिल्कुल असन्तोष पैदा करता है और जो निर्णय हमारा था वह निर्णय कायम है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

यह स्टेटमेंट जो गृहमंत्री जी का था वह वाद-विवाद का नहीं था। डिबेट मैंने एलाऊ नहीं की। मैंने माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया जानने के लिए और वह भी दल के आधार पर किया था। जिन दलों के नेता या दलों के सदस्य बोल चुके हैं वह पर्याप्त है और यही कारण है कि मैंने कांग्रेस की ओर से किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी।।

श्री भैरोंसिंह : बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं देना चाहता। मैंने इसको वाद-विवाद के लिए, बहस के लिए नहीं रखा है। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आॅर्डर, आॅर्डर। इसलिए प्रायः दलों की ओर से इस सम्बन्ध में सुझाव आ चुके हैं वह पर्याप्त हैं और जो दल नहीं मैं उन माननीय सदस्यों को इजाजत देने में असमर्थता प्रकट करता हूं...

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, मैं अभी खड़ा हुआ हूं, माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वह बात कहूंगा जो कि किसी ने नहीं कही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता, स्वतन्त्र पार्टी के सभी बातों पर प्रकाश डाल चुके इसलिए मैं इसका समापन करना चाहता

(श्री विजयसिंह)
हूं, लेकिन उसके पहले जो प्रतिक्रियाएं माननीय सदस्यों की हुई हैं……

श्री मनोहरसिंह मेहता : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, निर्दलियों को एक मिनट भी नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : इसमें स्थान नहीं है निर्दलियों का। उसका एक वोट होता है। क्या पता है कि उसके क्या विचार हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : मैं भाषण नहीं दूंगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सवाल नहीं पूछे जायेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : होम मिनिस्टर साहब को आपत्ति क्या है ?

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने को समय देना चाहूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या वजह है कि यहां पर निर्दली अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते ? उसका भी एक वोट है। चाहे किसी पार्टी का सदस्य हो तो उसका भी एक वोट है। मैं आधा मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। क्या वजह है ?

श्री अध्यक्ष : वजह यह है कि फिर सहूलियत का प्रश्न पैदा होता है। आप स्थान ग्रहण करें। वजह यह है कि निर्दली निर्दली है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह निर्दलीय रूप से अपने विचार व्यक्त करेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले आपसे निवेदन किया है कि मैंने दल के हिसाब से प्रतिक्रियाएं देने के सम्बन्ध में सहूलियत दी थी। वाद-विवाद को आरम्भ नहीं कराना चाहता था इसलिए अधिकार का प्रश्न तो यहां उठता नहीं है। निर्दलियों का कोई अधिकार है यह तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। फिर भी सुविधा के अनुसार, अधिकार के अनुसार नहीं, मैं यदि उपयुक्त समझूं तो दो मिनट दे सकूं। (श्री मनोहरसिंह मेहता के उठने पर) स्थान ग्रहण करिये। निर्दली दो हैं। एक तो……

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक मिनट मैं लूंगा और एक मिनट वे।

श्री अध्यक्ष : सभी निर्दलीय बोल जायं तो दलों की स्थिति दूसरी होगी। इसलिए यह प्रश्न है कि दो निर्दलीय सदस्यों के बीच में यह समझौता कर लें। एक निर्दलीय बोल लें।

श्री मनोहरसिंह मेहता: आज मैं ही बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके दो भाग हैं। जहां तक पहले भाग का सवाल है मैं आपकी मारफत माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि घायलों और जो मर गये हैं उनके परिवार वालों के लिए उन्होंने जो कमीशन नियुक्त किया है या कमेटी बिठाई है और जो उदारता से निर्णय लिया है, उसकी बधाई देता हूं।

लेकिन जहां तक दूसरा सवाल है आखिर ये चाहते क्या हैं ? चाहते तो यही हैं कि जो बेरी कमीशन की फाइंडिंग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी रिटायर जज को या हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को रखें तो क्यों एतराज होना चाहिए ? मैं आपकी मारफत मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपा करके इस मांग को मानें। राम ने

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

तो केवल एक धोबी के कहने से सीता का त्याग कर दिया तो जब सब विरोधी सदस्य मिलकर यह कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त करें तो इसमें क्यों एतराज होना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : कहां राम-राज्य और कहां मदिरा-राज्य ? आप भूल गये क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। (श्री रूपसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर) माननीय सदस्य आपने अधिकार दे दिया मनोहरसिंह जी के लिए। (श्री रामकिशन की ओर संकेत करते हुए) माननीय सदस्य एक मिनट में कोई बात कहना चाहते हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन के सम्बन्ध में विरोधी दल की क्या मांग है और सरकार का क्या दृष्टिकोण है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा।

लेकिन जिस बात के सम्बन्ध में माननीय गिरधारी लाल व्यास ने जब कि मुकुट जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था इन दलों के चरित्र क्या हैं। जहाँ तक संयुक्त समाजवादी दल का सम्बन्ध है, उसका चरित्र क्या है ? मैं एक दो बातें कहूंगा जिससे कि उसकी समीक्षा हो जाएगी। केरल में १८ आदमियों की सरकार थी। पत्तम थानू पिल्लई केरल सरकार के मुख्य मंत्री थे। केरल सरकार ने मजदूरों पर गोली चला दी थी। डा० राममनोहर लोहिया लखनऊ में थे उन्होंने तुरन्त तार दिया कि मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। गोली चलाने वाली सरकार इस्तीफा दे दे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर वह कहने से इस्तीफा नहीं देते तो आज हिन्दुस्तान में समाजवादी दल देश का सबसे बड़ा दल होता।

श्री हरिदेव जोशी : प्रजा समाजवादी दल से समाजवादी दल अलग क्यों हुआ इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप ज्यादा जानते हैं।

श्री रामकिशन : जो ज्यादा कहते हैं, वह सब ज्ञान उनके पास रहे। मैंने अपने आपको कभी ज्ञानी नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : जो ज्ञानी होता है, वह अपने आपको सदैव अज्ञानी कहता है। यह नम्रता का परिचायक है।

श्री रामकिशन : यह कहना कि जहां-जहां संविद सरकारों ने गोली चलाई, वहां-वहां आपने क्या किया ? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल यहां के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहली गोली चली मोदीनगर में। उत्तर प्रदेश में जनसंघ पार्टी नम्बर दो थी और सोशलिस्ट पार्टी नम्बर ३ थी। हमारी पार्टी ने इसके विरोध में मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया।

श्री हरिदेव जोशी : इस पर नहीं दिया था। गलत है। ऐसी क्या बात है ? मध्यप्रदेश में इन्दौर में गोली चली थी। आप सत्य में तोड़मरोड़ क्यों करते हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैं गलत कह रहा हूं......

(व्यवधान–भारी शोरगुल)

(अश्रव्य)

(श्री मदनसिंह दांता)

मोदी नगर गोली काण्ड के समय समाजवादी दल उत्तर प्रदेश में तीसरी पार्टी के रूप में था।

श्री हरिदेव जोशी : चुनौती तो देते हैं लेकिन किस-किस ने इस्तीफा दिया ? बिहार में आपकी हुकूमत थी। कोई आदमी नहीं है जिसने इस्तीफा दिया हो।

(शोरगुल)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देता हूं। मोदी नगर में गोली काण्ड हुआ है। इस्तीफा समाजवादी दल के ३ मंत्रियों ने दिया है।

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : इस्तीफा इस बात पर नहीं दिया है। राजनारायण जी के और दूसरों के डिफरेंसेज के कारण इस्तीफा दिया है। आप चाहे बैठ जाइये और सेमीनार कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें किस बात पर आपके दल ने इस्तीफा दिया।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मन्त्री जी यह कह रहे हैं, यदि मोदीनगर में गोलीकांड होने के आधार पर हमारे दल ने इस्तीफा न दिया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो यह इस्तीफा दे दें इसी बात पर। यह बांसवाड़ा नहीं है। यह इतिहास की बात है। चुनौती स्वीकार करिये। चुनौती स्वीकार करिये, आप चुनौती स्वीकार करिये।

(भारी शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर। आर्डर माननीय सदस्य !

श्री हरिदेव जोशी : (शोरगुल के कारण अश्रव्य)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं एक दल की बात नहीं कहता हूं......

श्री अध्यक्ष : अब यह रात-दिन का मसला हो गया है। इस्तीफा देने का। अब तक सदन के प्रांगण पर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया है।

श्री नत्थीसिंह : मैं अभी लिखकर दूं। और उनका भी ले लें।

(भारी शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर माननीय सदस्य ? माननीय चीफ व्हिप !

श्री दौलतराम सारण : एक ये हरिदेव जोशी और कांग्रेस के गिरधारीलाल व्यास, ये दोनों आदमी हमेशा ही सदन में अव्यवस्था पैदा करते हैं।

(भारी शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य !

(लगातार शोरगुल)

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय ओन ए प्वाइंट आफ प्रिविलेज सर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्वाइंट आफ प्रिविलेज मालूम है। मैं खड़ा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहली बार सुना है, माननीय सदस्य कहते हैं लेकिन सदन के प्रांगण में कोई इस्तीफा नहीं देता है। मैं एलान

Page No 64

(श्री मदनसिंह दांता)

करता हूं कि बेरी आयोग की रिपोर्ट जब तक सरकार द्वारा नहीं मान ली जायेगी, मैं इस सदन से इस्तीफा देता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज से ही इस्तीफा देते हैं ? मैं निवेदन कर दूं कि इस्तीफा देने की एक प्रक्रिया है।

श्री भैरोंसिंह : वह हो जाएगी। यह इस्तीफा नहीं हैं, कण्डीशनल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य !

मैं यह नहीं चाहता कि आप भावुकता और व्यग्रता में कोई काम कर बैठें। उसकी एक प्रक्रिया है। इस्तीफा मुंह से बोलकर नहीं दिया जाता है।

(शोरगुल)

आर्डर, आर्डर। एक कागज आता है। उस पर लिखा जाता है। आप व्यग्रता में कुछ कह जायें। उसका तरीका आप समझते हैं। वह एक आवेदन है। मैंने एक परम्परा का संकेत किया है। उस परम्परागत प्रणाली के आधार पर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रपत्र अध्यक्ष को दिया जाता है। अध्यक्ष को उस पर कुछ लिखना नहीं पड़ता है। वह अपने आप इस्तीफा समझ लिया जाता है। माननीय सदस्य इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। इस सदन को कण्ट्रीब्यूट करते हैं मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी सेवाओं का लाभ सदन को नहीं मिलें।

(भारी शोरगुल)

आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज।

मैं नहीं चाहता कि आपकी सेवाओं से सदन वंचित हो। ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। फिर भी आप चाहते हैं तो लिखकर दे दें।

श्री भगवानदास शास्त्री : रेडक्रास की गाड़ी तक पर गोलियां चलाई गई। वेदना किसको नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप उनको उकसायें नहीं।

(१ म. प.)

श्री मदनसिंह दांता: मुझे यह मालूम है कि सदन में क्या नियम हैं और इस्तीफा कैसे देना चाहिए। रूल्स से मैं वाकिफ हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो ऐसा संकेत किया कि लोग कहते जरूर हैं इस्तीफा देते नहीं है, इसलिए मैंने कहा। वैसे मुझे पता है कि इस्तीफा कैसे देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मुझे खुशी है, आपने मेरे सुझाव को स्वीकार कर लिया है। आप वे सकते हैं, मुझे विश्वास है। आप जो कदम लेते हैं तो उससे आप पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए ही मैंने आपसे अपील की है कि आपकी सेवाओं से वंचित यह सदन न रहे। मुझे खुशी है मेरी अपील को आपने मंजूर कर लिया है।

श्री मदनसिंह : मुझे खुशी है कि आपने मुझे समझा है। जैसे आप समझते हैं वैसे ही गृह मंत्रीजी समझ जायं और आयोग की रिपोर्ट को मान कर चलें तो कितना अच्छा हो। वह न मानें तो आप समझ लें कि मैं इस्तीफा दूंगा।

श्री भैरोंसिह : मैं इस्तीफे के लिए निवेदन कर दूं जिससे कि आपको और सदन को भ्रम न रहे। ठाकुर साहब ने जो कुछ कहा है वह वे पूरा नहीं कर सकते इस भ्रम में सदन न रहे। ठाकुर साहब ने जो कुछ कहा है वह पूरा कर सकते हैं। यह मुख्यमंत्रीजी को मालूम है, ठाकुर साहब राजस्थान में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुग्रावजे के लाख रुपये डिफेन्स फण्ड में दे दिये और अपने बच्चे को देश के लिए बलिदान हो जाने के लिए दे दिया।

श्री अध्यक्ष : आसन ने इस सम्बन्ध में अभिव्यक्ति दी है।

श्री भैरोंसिह : इसलिए मैं सदन में निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप त्याग-पत्र देने वाले हैं, तो त्याग-पत्र देने वाले तो इस सदन में बहुत बैठे हैं। लेकिन कौन त्याग-पत्र देगा, कौन नहीं देगा यह भविष्य बतायेगा। इसके साथ ही बेरी कमीशन की रिपोर्ट का क्या परिणाम निकलेगा यह भी भविष्य बतायेगा। इस चीज को लेकर ज्यादा लोगों को गुमराह करने की चेष्टा न की जाय इतना ही मैं कहना चाहूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, I am Sorry. मुझे बड़ा खेद है इस बात का। अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय गृहमंत्रीजी ने इस बैरी आयोग की रिपोर्ट के सिलसिले में जो कुछ वक्तव्य अभी सदन में दिया है उस पर सदन में विचार किया जाय, इस आशा के प्रस्ताव की सूचना प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम २६३ के अन्तर्गत मैंने आपको दी है। अध्यक्ष महोदय, यह आपके अधिकार की बात है कि इस नियम २६३ के अन्तर्गत सदन में गृहमंत्रीजी द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में अभी विचार किया जाय या बाद में विचार किया जाय। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आज आपके पास बैरी कमीशन की रिपोर्ट है तो जरा उस पर आप गौर फर्मायें। गृहमंत्री जी से और सदन के माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करूंगा कि मैं न यहां पर इस्तीफा देने के लिए खड़ा हुआ हूं और न सरकार को बर्खास्त करने की बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले अनेक माननीय सदस्य विचार प्रकट कर चुके हैं। मैं उनके साथ सहमत होते हुए एक दूसरे पहलू से इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं, और वह यह है, गृहमंत्री जी ने अभी कहा कि बैरी कमीशन ने ९ सिफारिशें की हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं और उनके सम्बन्ध में अलग-अलग एक-एक चीज के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि इसके बारे में यह कार्यवाही की जायगी, इसके बारे में यह कार्यवाही की जायगी, पुलिस के रिकार्ड को ठीक करा दिया जायगा, हॉस्पीटल का रिकार्ड प्रोपर्ली मेण्टेन करने के बाद में हिदायत दे दी जायगी। इसके अलावा आन्दोलनों के सम्बन्ध में विरोधी दलों की क्या भूमिका हो उसके सम्बन्ध में भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैं इस सम्बन्ध में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बैरी कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें इसकी बॉडी में फाइंडिग बैरी कमीशन की हैं, उसके बाद में बैरी कमीशन के कन्क्लूजन हैं और उसके बाद में रिकमन्डेशन हैं। सरकार ने बैरी कमीशन की रिकमन्डेशन को बैरी कमीशन की रिपोर्ट का आधार मान कर यह बातें कहीं हैं, जैसे बैरी कमीशन की रिपोर्ट का सारा निचोड़ रिकमन्डेशन हों और उन रिकमन्डेशन को एक्सेप्ट कराने का या उनको इम्प्लीमेंट कराने का ही हमारा आग्रह था। माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कल इस सदन में कार्यवाही में हमने जो कुछ कहा है, उसको वे पढ़ें, हमने बैरी कमीशन की फाइंडिंग्स शब्द उपयोग में लिया था मैं समझता हूं, सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के अन्दर बैरी कमीशत की फाइंडिंग्स का सवाल है, उसके बाद में बैरी कमीशन के कन्क्लूजन्स हैं और उसके बाद में रिकमन्डेशन हैं। इन रिकमन्डेशन की क्या अहमियत है, बस रिपोर्ट के आधार पर ही मैं कहना चाहता हूं। इस बैरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा है, चेप्टर ११ में :

"Terms of reference do not specifically call for recommendations from me, but as observed by their Lordships of the Supreme Court in Ram Krishna Dalmia Vs. S. R, Tendolkhar (A I. R. 1958 Supreme Court, 538), this is an ancillary power and its exercise is conductive to the fulfilments of its purpose."

एन्सीलेरी पावर होने के नाते कमीशन ने इस रूलिंग को आधार मान कर रिकमन्डेशन की हैं। लेकिन यह रिकमन्डेशन बैरी कमीशन की रिपोर्ट की निचोड़ नहीं हैं। वैसे यह कमीशन की पावर नहीं है, लेकिन एन्सीलेरी पावर मान कर और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को आधार मान कर अपनी रिकमन्डेशन्स दी हैं लेकिन बैरी कमीशन के कन्कलूजन्स अलग हैं और बैरी कमीशन की फाइंडिंग्स बॉडी ऑफ रिपोर्ट में अलग हैं। बॉडी के अन्दर जो फाइंडिंग्स हैं, उनके ऊपर कन्कलूजन्स हैं, और जो कन्क्लूजन्स हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि वह कन्कलूजन्स भी फाइनल नहीं हैं। सरकार ने अगर यह समझा हो कि जो कन्क्लूजन्स हैं वह फाइनल हैं तो उसके सम्बन्ध में मैं सदन के सामने केवल मात्र कुछ लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहूंगा जो चेप्टर १० में हैं :

"I have summerised facts as alleged by parties in Chapter I. I set out a summary of the conclusions only to facilitate recapitulation. As a matter of necessity only outstanding features of the report have been summarised and minor incidents have been omitted. These summarised conclusions shall not in any manner affect or prejudice the conclusions reached at the appropriate places in the body of the Report and in the event of there being any inconsistancy of whatever nature the only authoritative conclusions which shall prevail over the summary set out below."

मेरा कहना यह है, अध्यक्ष महोदय, कि जो रिकमन्डेशन्स दी गई हैं वह रिकमन्डेशन्स एन्सीलेरी पावर के तहत दी गई हैं, जो कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में नहीं हैं। इसके अलावा जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कन्क्लूजन्स बॉडी ऑफ रिपोर्ट में हैं, वह बॉडी ऑफ रिपोर्ट में एप्रोप्रियेट प्लेस पर फाइंडिंग के साथ दिये गये हैं और उनको फाइंडिंग से कन्सिस्टेन्ट किया है, इसलिए जो बॉडी ऑफ रिपोर्ट में फाइंडिंग दी गई हैं वह फाइनल हैं। गृहमंत्री जी अभी वक्तव्य देते वक्त रिकमन्डेशन्स को पढ़ गये और उसके बाद एक-एक के बारे में उन्होंने कह दिया। इस तरह मैं समझता हूं कि जो कानून की स्थिति है उस कानून की स्थिति को डोज करने की कोशिश की गई है, एक भ्रांति उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, एक धारणा पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान की सरकार बैरी कमीशन की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार कर रही है। मेरा निवेदन है कि आपके वक्तव्य से इसे ज्यों का त्यों स्वीकार करने का सवाल नहीं है, क्योंकि जो फाइंडिंग हैं, वह बॉडी ऑफ रिपोर्ट में हैं और सब फाइंडिंग कन्क्लूजन्स में नहीं हैं, रिकमन्डेशन्स में नहीं हैं। इसलिए उन फाइंडिंग्स को स्वीकार करने का सवाल है, उसके आधार पर ही आगे कार्यवाही करने का सवाल है। इन रिकमन्डेशन के सम्बन्ध में उदाहरण के लिए निवेदन कर दूं कि इस बैरी कमीशन की रिपोर्ट में कन्क्लूजन्स में एक जगह लिखा हुआ है :

"Shri Virendra Singh, Barwa House, was beaten by the Police severely and without cause. It is a proved case of police excess."

मैं पूछना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आपका क्या विचार है ? इसी प्रकार से इसमें एक जगह लिखा है, नारायण सिंह सूद जो ब्लाक कांग्रेस कमेटी के हैं :

"Shri Narain Singh Sood and Acharya Dharmendra Nath were injured and arrested by the Police without just cause."

जिसकी कानों की आवाज भी चली गई। ऐसे जो कसेज हैं जिनके बारे में फाइंडिंग्स बॉडी ऑफ रिपोर्ट में दी गई हैं, उनके रिकमण्डेशन में होने का सवाल नहीं है, रिकमण्डेशन्स में वह हो भी नहीं सकती हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो रिकमण्डेशन की बात कही तो यह रिकमण्डेशन में नहीं है कि जो तीन बजे का एफ. आई. आर. में दर्ज है, और जो कमीशन ने कहा है कि पांच बजे तक फायरिंग चला है, तो तीन बजे तक की एफ. आई. आर. फोर्ज्ड है, पुलिस का रिकार्ड फोर्ज्ड है। यह उसकी रिकमण्डेशन में नहीं लिखा है कि एफ.आई.आर. फोर्ज्ड है इसलिए फोर्ज्ड एफ. आई. आर. लिखने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाय। यह बॉडी ऑफ रिपोट में है, इस कमीशन की फाइंडिंग में है। जिसके आधार पर आप एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि जो रिकमण्डेशन हैं और जो कन्क्लूजन्स हैं, वह फाइनल नहीं हैं, इसलिए जो बॉडी ऑफ रिपोर्ट में फाइंडिंग दी है, उनको सरकार स्वीकार करे, इन टोटो इनको स्वीकार करे, जैसा कि आपने कमिटमेंट भी उस समय दिया था जब इस बेरी कमीशन को नियुक्त किया था। मैं इस प्रश्न को दुबारा खड़ा नहीं करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपकी यह मोरल ड्यूटी भी है कि उस कमिटमेंट के नाते आप फाइंडिंग्स को स्वीकार करें। आपने जो एक्शन के लिए कमेटी की घोषणा की है, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हों, जो कि एक्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो आपके मातहत हैं और आपके साथ इस सारी साजिश में शामिल रहे हैं, उनकी रिकमण्डेशन्स को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमने यह सुझाव दिया है कि आप हाई कोर्ट के किसी जज को नियुक्त कर दें, सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को नियुक्त कर दें। वैसे भी कोई भी कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, उसमें दी गई फाइंडिंग्स के सम्बन्ध में सरकार अपना माइण्ड बनाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की एडवाइस चाहती है, गाइडेंग्स चाहती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की हायेस्ट आथोरिटी को सबमिट कर सकती है और उसकी गाइडेंग्स ले सकती है। राजस्थान सरकार को अगर बेरी साहब में भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस में भरोसा नहीं है, तो बेरी कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसकी जो एवीडेंसेज हैं उन सब पर गाइडेन्स लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को नियुक्त कर दिया जाय, और उसकी गाइडेन्स ले लें कि बेरी कमीशन के कन्क्लूजन्स और बेरी कमीशन की फाइंडिंग्स ठीक हैं या नहीं।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अधिक कुछ न कहते हुए, यही कहूंगा कि मुझे बड़ा खेद है, कि आज इतने आन्दोलन के बाद, इतने दिनों के बाद भी गृह मंत्रीजी ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है, यह वक्तव्य भ्रामक है, लज्जाजनक है, खेदजनक है। इतना सारा एजिटेशन होने के बाद, सरकार का मोरल कमिटमेंट होने के बाद भी उस मोरल कमिटमेंट को मानने से इन्कार कर रही है जो हाईकोर्ट के जज का वर्डिक्ट है, उसको फ्लाउट किया है। इसमें लिखा है ९२ एम. एल. एज. को विरोधी दलों द्वारा परेड़ किया गया था, आप खुद जानते हैं कि विरोधी दलों में ४ मार्च को ९२ एम. एल. एज. थे। कमीशन ने कहा है जुरिस्पडेन्स, ला की पोजिशन, और राज्य- के निर्णय के सिलसिले में अपना निर्णय टर्म ऑफ रेफरेन्स में नहीं दे सकता। जैसे सी. बी. गुप्ता मायनोरिटी में आये तो इस्तीफा दे कर उन्होंने डेमोक्रेसी में एक अच्छी परम्परा रखी पर आप ९२ में अल्पमत में होते हुए भी सरकार में रह सकते हैं, ६७ में अल्पमत में आने पर भी गोलियों के बल पर शासन में रह सकते हैं। आप सामन्तों को गाली देते हैं पर राजा महाराजाओं ने ४७ से अपने राज्य छोड़ दिये, बुलैट से जीते हुए राज्य बैलट पर छोड़ दिये पर कांग्रेस ने यहां बैलेट से हारा राज्य बुलैट से ले लिया है, इससे निकृष्ट धारणा आपकी और क्या हो सकती है, इसके लिये गम्भीरता से विचार करिये। हमने सोच समझ कर गम्भीरता से यह कदम उठाया है, प्रचार की दृष्टि से नहीं उठाया है, वेदना है हमारे दिलों में इसलिये यह कदम उठाया है। आपने कम्पेन्सेशन के मामले में रिटायर्ड जस्टिस के० के० शर्मा को नियुक्त किया है। जैसे आपने कम्पेन्सेशन के मामले के लिये हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के० के० शर्मा को मुकर्रर किया है उसी तरह बेरी आयोग की रिपोर्ट को, बेरी आयोग की रिकमण्डेशन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिये के० के० शर्मा को नियुक्त कर सकते थे। कम्पेन्सेशन का छोटा मसला है उसके लिये गवर्नमेंट के० के० शर्मा को नियुक्त कर सकती है पर बेरी आयोग की सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करने के लिये के० के० शर्मा में विश्वास नहीं करती, इसके लिये उनका अपोइण्टमेंट नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करती। ऐसी परिस्थिति में सिवाय इसके और कोई चारा विरोधी पक्ष के लिये नहीं है कि इस सम्बन्ध में जो निर्णय लिया है, उस पर अमल करे। डाकुओं का मन बदल दिया जा सकता है, गांधीजी ने फिरंगियों का मन बदल दिया तो हम भी समझते हैं कि हम अपने नैतिक दबाव से, इस हत्यारी सरकार के मन को बदल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी ! आप कहेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, मैंने पहले इस सदन में बैरी आयोग की सिफारिशों के बारे में संक्षेप में कुछ निवेदन किया था। विरोधी दल के माननीय नेताओं ने धरना देने का यहां पर अपना निर्णय कल सुनाया और इस सम्बन्ध में वे ऐसा मान कर चलते हैं कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। मैं इस प्रश्न को एक राजनीति का वाद-विवाद नहीं बनाना चाहूंगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा गृह मंत्रीजी ने बताया कि जिन कार्य-विधियों को रिकमण्डेशन के आधार पर हम यहां पर राजस्थान के स्तर पर कर सकते हैं, उसके बारे में कदम उठाये जा सकते हैं, उठाये गये हैं।

जहां तक जौहरी बाजार के फायरिंग और उससे सम्बन्धित कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य, इस बात को सभी जानते हैं कि उसमें राजस्थान की पुलिस और यू. पी. पुलिस की दो प्लाटून, दोनों के बारे में कमीशन ने कहा है। विधान और कानून के मुताबिक अगर हम कोई भी कार्यवाही, चाहे वह प्रोसीक्यूशन की हो, चाहे वह डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की हो, उसमें से किसी कार्यवाही को हाथ में लें तो उसके पहले जो एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट, उस स्टेट की हो, उससे उसके बारे में सहमति लेनी होगी और बैरी कमीशन ने भी यह कहा कि बाई एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट, एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट का मतलब यू. पी. और राजस्थान की गवर्नमेंट इसमें आ जाती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्षजी, कि बैरी कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानने का हम पर आरोप लगाया जाता है। बैरी आयोग ने ही जहां तक गवर्नमेंट का और हम लोगों का सवाल है, स्पष्ट कहा कि इसमें कोई कान्स्पिरेसी नहीं थी। वहां अगर माननीय सदस्य कातिल, खूनी और दूसरे शब्दों को काम में लेने वाली बात करें तो जो बैरी आयोग में लिखा गया है, उसकी मूल बात को आप स्वीकार नहीं करते। आप बार-बार उस बात को दोहराते हैं जो बैरी आयोग की रिकमण्डेशन के, फाइण्डिंग्स के, विपरीत है।

जहां तक फाइण्डिंग्स हैं, उन पर कानूनी कार्यवाही करने का सवाल है, उस पर विचार करने के लिये हम ने कमेटी मुकर्रर की है, पर यू. पी. की सरकार जो इसमें किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं रही, उसके पास पूरी रिपोर्ट भेज कर क्या कार्यवाही करनी चाहिये, उसके सम्बन्ध में भेजा है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य मानेंगे कि देश में जो आज लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति है, एक स्टेट में मदद की जरूरत पड़ती रहती है और दूसरी स्टेट्स की फोर्सेज आयें तो उनके बारे में जो भी कार्यवाही

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
करने का प्रश्न खड़ा हो, उसको बहुत गम्भीरता से सारे विवेचन में जाकर चाहे और गवर्नमेंट का एम्लाई हो, उसके बारे में कदम उठाने की बात आये तो पहले विस्तार में जाना होगा। जूडिशियल प्रोनाउन्समेंट में भी अपील्स हैं, उसके ऊपर अपील्स प्रोवाइड होती हैं। इस मामले में यू. पी. गवर्नमेंट को कन्सल्ट नहीं करें, शो मोटो (Suo moto) हेस्टली एक्शन लेने की बात करें तो वह उचित नहीं होगा इसलिये हम ने कमेटी बनाई है कि इसके विस्तार में जांय और साथ ही यू. पी. गवर्नमेंट से कहें कि विचार करे। मैं माननीय सदस्यों से नम्रता से निवेदन करूंगा कि, सन् ५४ से यह ६६ का सन् वर्ष चल रहा है, इन १५ वर्षों में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे शासन काल में, सिवाय एक इस घटना के, फायरिंग की वजह से एक व्यक्ति भी नहीं मरा। मेरे दिल पर इस फायरिंग का जितना वजन है, मैं जानता हूं। फायरिंग करने का शौक नहीं है। फायरिंग करने में किसी व्यक्ति से नाराजी हो, यह सोच कर नहीं चलें, इस प्रकार की भावना को ले कर मैं नहीं चलता। सवाल यह है कि जो एक्शन हो, कन्सिडर्ड एक्शन हो, दोनों गवर्नमेंट्स कन्सर्न्ड हैं, उनको रेफर कर के उनकी राय प्राप्त हो जाय, उसके बाद फरदर प्रोसीड करें। इस गम्भीरता को माननीय विरोधी दल के नेता महसूस करेंगे और यह नहीं समझेंगे कि हम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते। बैरी आयोग ने जो कहा है, उस पर काफी चर्चा सदन में हुई है और हमारे ऑफीसर्स की कमेटी इस लिये नियुक्त की है कि वह उन सारी चीजों में जाय।

अभी कहा गया कि जानबूझ कर सत्ता बनाने के लिये अल्पमत में फलां बात की। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी कह रही थी कि हम बहुमत में हैं, लेकिन राजा नरेशसिंह को वहां शपथ दिलाई, कांग्रेस ने सड़कों पर आन्दोलन नहीं किया, यही कहा कि बहुमत का फैसला सदन में होगा.........

श्री भैरोंसिंह : द्वारिकाप्रसाद मिश्र गांव गांव में आन्दोलन करते हुए घूमे हैं......

(विरोधी पक्ष के अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोले, अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम विधान सभा को फेस करने की स्थिति में नहीं रहें, तो डेमोक्रेसी में जहां गवर्नमेंट बनती हैं, जहां आपका राइट था कि इस सदन में आकर बहुमत का निर्णय करते।

श्री नत्थीसिंह : १४ तारीख को आने नहीं दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां आकर पलट सकते थे उस सरकार को............

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इस बात को दोहराया नहीं करता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनतन्त्रीय तरीके को अपना कर सरकार पलटने का काम किसको करना चाहिये था, किसने नहीं किया और उस कार्यवाही की वजह से अप्रिय घटना घटी, जनतन्त्रीय व्यवस्था का लाभ उठाने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का प्रयत्न किसने नहीं किया, इसके लिये किस की जिम्मेदारी थी यह तो भविष्य का इतिहास बतायेगा।

श्री नत्थीसिंह : यह तो बंगाल और बिहार ने बता दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर बहुमत नहीं होता, एक दफा सत्ता में बैठ जाते, दस दिन बाद में हाऊस में हटा सकते थे। मद्रास का उदाहरण था, मैजोरिटी पार्टी को इन्वाइट करने की बात हुई, उसे पलटने के लिए सदन मौजूद था, जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। बेरी श्रायोग ने कहा है कि कोई कन्सपीरेसी नहीं थी। उसको ईमानदारी से मानकर चलना चाहिए लेकिन मैंने तो इसलिए जिक्र किया कि बार-बार कहा जाता है कातिल, खूनी, इत्यादि तब यह बात श्राती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वेरी साहब ने कह दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन रिकमेंडेशन्स के बारे में यू. पी सरकार की जब राय श्रा जाती है उसके बाद में ही हम इस क्लाज के बारे में प्रोसीड कर सकते हैं। इसलिए तब तक इसका इन्तजार करना होगा, यह कानूनी श्रावश्यक पहलू है, यह ध्यान में रखकर चलना होगा।

श्री भैरोंसिह : आपने भाषण तो अभी बहुत अच्छा दिया लेकिन अपने मुंह से कहने को तैयार हैं कि बैरी श्रायोग की रिपोर्ट इन टोटो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं ? उन फ़ाइन्डिंग्स को ?

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई डिक्लेरेशन है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह सदन के नेता हैं। हमें पूछने का अधिकार है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कमेटी इसलिए बिठाई गई है कि सारी चीजों को इग्जैमिन करे राजस्थान लेविल पर, और यू. पी. सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। इसी दृष्टि से उस सारी रिपोर्ट को देखकर उस आधार पर अपनी राय भेजें। तो मैं बैरी श्रायोग की रिपोर्ट को नहीं मानता, मैं नहीं कहता। हम इग्जैमिन कर रहे हैं। उसके बाद क्या इस पर कार्यवाही की जाय इसका निर्णय किया जायगा।

श्री भैरोंसिह : क्या यह मानकर चलें कि मुख्य मंत्री बैरी श्रायोग की रिपोर्ट को इन टोटो एक्सेप्ट करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा निर्णय ले लिए गए हैं इग्जैमिनेशन के अन्दर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो कमेटी बिठाई है वह इन फाइण्डिंग्स की इम्पलीमैंटेशन के लिए या सरकार को एक्सेप्टेंस के लिए एडवाइज दे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह कमेटी इस पहलू को जज कर रही है कि जो सारे रिकमेंडेशन्स हैं, जो सामने जितना रेकार्ड है उन बातों को इग्जैमिन करके सरकार फरदर एक्शन क्या ले उसके लिए सिफ़ारिश करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्शन के लिए है। माने वह कमेटी एक्शन सजेस्ट करने के लिए है लेकिन कमीशन की फाइंडिंग्स एक्सेप्ट करे या नहीं यह सरकार का काम है, कमेटी कौन होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारी चीज उसके अंदर जुड़ जाती हैं कि रिकमेंड करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is an absolutely illegal approach under Section 22 of the Commission of Enquiries Act. मैं समझता हूँ, आज हाईकोर्ट जज की एवीडेंस को उनके डाक्यूमेंटस को आई०ए०एस० और आर०ए०एस० ऑफीसर स्क्रूटीनाइज करें, इससे ज्यादा लज्जा की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती। आपका रवैया खेदजनक, शर्मनाक है। ऐसा लगता है, आप हठधर्मी पर अड़े हुए हैं। मैं विपक्ष दल के नेताओं से निवेदन करूंगा कि इस उत्तर से कम से कम मुझे तो संतोष नहीं है, फिर भी जैसा हो, आप इस संबंध में विचार करें।

श्री केदारनाथ : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मुख्यमंत्रीजी ने बजट के डिबेट में इण्टरवीन करते समय काम्पेन्सेशन के बारे में कमेटी नियुक्त की। अगर वे रायटर्स हैं और उनका दोष है तो फिर काम्पेन्सेशन किस बात का। जब यह उसूल मानकर चलते हैं कि वे गोली से मारे गए, किस ने गोली मारी आपको मालूम है किस मिनिस्टर ने हुक्म दिया, कौन अधिकारी थे, आपको मालूम है। अगर वे रायटर्स हैं तो काम्पेन्सेशन की जरूरत नहीं। अगर आप प्रिन्सीपिल को मानते हैं तो केस बन जाता है ३०७ का। मेरे साथ हुआ था। मैंने कहा स्टेटमेंट देने को उन्होंने कहा गिरफ्तार होने दो, स्टेटमेंट बाद में दिया जायगा। ला ऑफ दी लैंड है, एम्प्लाईज के लिए सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। चाहे यू० पी० सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार का एम्पलाई हो, चाहे कलक्टर हो, चाहे आई० जी० हो। अगर कोई केस प्राइमा फैसी बन जाता है तो उसको गिरफ्तार पहले किया जाता है, स्टेटमेंट बाद में देने का हक है।

श्री रामकिशन : मैं एक बात कहना चाहता हूँ वह सुन लीजिए। इस पर मुझे कहना है। मुख्यमंत्रीजी के बयान के पढ़ने के बाद भिन्न-भिन्न दलों के नेताओं ने भावनायें व्यक्त की थी। मुझे आशा थी कि मुख्यमंत्री ऊंचा उठकर भावनाओं का स्वागत करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का बयान दिया है उसमें न कोई नवीनता है, न कोई सोचने की बात है जिससे जो भिन्न-भिन्न दलों ने फैसला किया था उस पर पुनर्विचार करने के लिए सामग्री प्राप्त कर सकें। मुझे अफसोस है जिस प्रकार की हालत इस देश में पैदा होती जा रही उन हालात में हम विरोधी दलों की पूरी निष्ठा पूरी तरह लोकतंत्र में है और लोकतंत्र किस प्रकार जीवित रहे यह सरकारी पार्टी से कम नहीं। लेकिन जिस तरह से सरकारी पार्टी का रवैया है, लोकतंत्र के प्रति और लोगों की भावनाओं के प्रति, मैं समझता हूं, लोकतंत्र केवल चुनाव की प्रक्रिया नहीं वह जीवन का दर्शन है और उसका प्रकाश जीवन के हर पहलू पर पड़ता है, जिस प्रकार राजस्थान की हालत है और उन हालात में जहां सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, उन सारे विवादों में मैं नहीं जाऊंगा, केवल यह कहना चाहता हूं,

(श्री रामकिशन)

कि हमने कल निर्णय किया था विरोधी दलों ने कि विधान सभा के बाहर शांति-पूर्ण धरना देंगे और इसके पीछे यही भावना है कि हम कष्ट उठाकर अगर आपके मन को बदल सकें तो सौभाग्य की बात होगी। जहां तक हमारा सवाल है, माथुर साहब हंस रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र की जिस प्रकार की ट्रेनिंग मिली है वह हमें नहीं मिली है।

श्री मथुरादास माथुर : हमें ऊंची ट्रेनिंग मिली है।

श्री रामकिशन : आपको बढ़िया ट्रेनिंग मिली है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं दूसरी बात कह रहा था।

श्री रामकिशन : मैंने कहा आपको हमसे अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है जब लोग मर जाते हैं और मृत लोगों पर वाद-विवाद चल रहा हो उस समय लोग हंसते हैं, इससे आपकी सभ्यता मालूम हो जाती है लेकिन यह उनके सोचने का तरीका है। इसलिए समस्त विरोधी दल के लोग सदन का बहिष्कार करते हैं, धरना जारी रखेंगे और उसके जो और प्रभावशाली कदम होंगे जिनको उठाने के लिए राज्य सरकार ने हमें मजबूर किया है उनको उठाते चले जायेंगे।

(१.२६ म. प.)

(विरोधी दलों के माननीय सदस्यों, श्री मनोहरसिंह मेहता को छोड़कर, द्वारा धरना देने हेतु बहिर्गमन)

श्री केदारनाथ : (जाते जाते) मैं इस कदम के लिए अपोजीशन को मुबारकबाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : हाउस टू ऑर्डर।

एक माननीय सदस्य : (जाते जाते) आप भी आ जाइए धरने पर।

श्री अध्यक्ष : मैं आ जाऊंगा तो आपका धरना बेकार हो जायगा। बेरी आयोग के प्रश्न को लेकर विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों द्वारा विधान सभा की परिसीमाओं में धरना देने व विधान सभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का जो कार्य-क्रम आज से प्रारम्भ किया गया है उस पर मुझे गहरा दुःख है। मेरी मान्यता है कि यह तरीका संसदीय व्यवहार और आचरण के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इससे पूर्व भी विरोधी पक्ष द्वारा इसी विधान सभा के भीतर धरणा दिया गया था जो संसदीय इतिहास की अपूर्व घटना थी।

विधान सभा का सत्र राज्य के विकास एवं विभिन्न क्षेत्रों में उसके कार्यकलापों पर चिंतन और मनन के लिए बुलाया जाता है। माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने, प्रशासनिक कमियों तथा रीति-नीतियों की समालोचना करने एवं अपनी बात को मनवाने के अनेक अवसर और प्रक्रियायें नियमों के अंतर्गत प्राप्त हैं।

हम सब इस बात को मानते हैं कि संसदीय प्रणाली में विरोधी पक्ष का अपना एक महत्वपूर्ण और विशेष स्थान है। उन्होंने यहां की परम्पराओं और मान्यताओं को बनाने और इस सदन की गरिमा व सम्मान को कायम रखने में जो सहयोग दिया है उसमें कमी भी दो राय नहीं हो सकती। परंतु हमने शासन के जिस तरीके को अपना लिया है उसका बुनियादी सिद्धांत ही यह है

Page No 74

(श्री अध्यक्ष)

कि Opposition must have its say, and the Government must have its way. मैं समझता हूं कि 'धरना' और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार जैसे नये प्रकार के आविष्कारों से हम अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं बल्कि उसके विपरीत विरोध की स्वस्थ परम्परायें और कमजोर हो रही हैं। मैं विरोधी दल की भावनाओं को वेरी कमीशन की रिपोर्ट के संदर्भ में समझ सकता हूं। भले ही उन्होंने अपने उत्साह की अति के कारण धरना देने का तरीका उचित समझा हो परन्तु अन्ततोगत्वा इस प्रकार की कार्यवाही से विधान सभा की पवित्रता आम जनता के सामने एक प्रश्न चिन्ह के रूप में आती है।

मैं विरोधी दलों के नेताओं और उनके दल के सभी सदस्यों से इस आसन के माध्यम से अपील करूंगा कि वे धरने पर न बैठें और विधान सभा की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लेकर इस सदन का मार्ग दर्शन करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि तहसील बस्सी एवं जमवा-रामगढ़ में ओलावृष्टि से हुई फसल की क्षति के बारे में श्री नाथूलाल करौल, श्री कन्हैया-लाल व श्री डूंगाराम राजोरिया सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोक-महत्व का नहीं है। अतः इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं, किन्तु माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल सुविधानुसार वक्तव्य देने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त तीन और स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

(१) श्री विट्ठल भाई व श्री हीरा भाई, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह कहा गया है कि जिला बांसवाड़ा के सभी क्षेत्रों में अगस्त, १९६८ से अकाल की स्थिति चल रही है किन्तु वहां पर सिर्फ २५ या ३५ हजार अकाल पीड़ितों को ही राहत कार्य पर लगाये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है जिससे शेष व्यक्तियों को राहत न मिलने से भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस प्रकार की अकाल राहत सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिये प्रत्येक सप्ताह माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी के कक्ष में बैठक होती है और उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को उठाये जाने की सुविधा उपलब्ध है जिसका लाभ माननीय सदस्यों द्वारा उठाया जा सकता है।

(२) पंचायत समिति दूदू के विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति के अध्यापकों को निलम्बित कर देने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री सूवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी इन्हीं माननीय सदस्य द्वारा दी गई है

(श्री अध्यक्ष)

जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि ग्राम पालूकलां तहसील दूदू में कृषि सहकारी समिति को भंग कर इसके कब्जे की सरकारी ४०० बीघा जमीन तहसीलदार दूदू ने भूमि-धारियों को गैर कानूनी तौर पर नियन करके सरकार को हानि पहुंचायी है।

उपरोक्त तीनों मामले इतने अविलम्बनीय लोक-महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय। अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना आज श्री मुकुटविहारीलाल गोयल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह बतलाया है कि कस्बा बयाना जिला भरतपुर के वार्ड नम्बर दो में एक लकड़ी की टाल लगी हुई है। इस टाल में लगभग ४० हजार मन लकड़ी मौजूद बतलाई जाती है तथा इसमें कई व्यक्तियों की साझेदारी है। इसके अतिरिक्त कई मन और लकड़ी व कोयला भी बरामद हुआ है तथा लाखों मन लकड़ी व कोयला बाहर ट्रकों व ऊंटों से भेजा जा रहा है और इस में स्थानीय वन विभाग के अधिकारी, तहसीलदार, एस. डी. एम. पुलीस अधिकारी आदि मिले हुए हैं।

इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गई है।

(विराम)

निम्नांकित मांगों पर विचार

शिक्षा, चिकित्सा, श्रम तथा नियोजन।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय मुझे एक मिनिट के लिये निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : चूंकि मैं निर्दलीय हूं। मेरी राय है।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न तो चला गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह प्रश्न तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उस प्रश्न पर कहीं बाहर जाना, अन्दर जाना, जाने-आने का सवाल अब नहीं रहा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे धरने पर विश्वास नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नो नो। अंकित नहीं किया जाय।

× × × ×

(भाषण अंकित नहीं किया गया)

(श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा सदन से बहिर्गमन)

मांगे प्रस्तुत की जाय।

चिकित्सा मंत्री।

अनुदान की मांगे

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

× × × × श्री अध्यक्ष पाठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९, चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,६७,९७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत की गई।

श्रम और नियोजन मंत्री।

श्रम एवं नियोजन मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७३,०३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये। अब तो आपका एक ही दल रह गया है।

शिक्षा मंत्री जी।

मुझे सारा ही दिन बैठना पड़ेगा।

(१.३५ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतुल्ला) खां उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३६, १८, १६, ०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौति प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या १६

श्री सांवरमल वासोतिया (नवलगढ़) :

१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ व मुकुन्दगढ़ में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति किये जाने पर चर्चा के लिये)।

२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में १०० रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में दवा विक्रेताओं में व्याप्त धांधली एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग मे से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राणी सती बालिका विद्यालय, नवलगढ़ को राजकीय सहायता देने पर चर्चा के लिये)।

४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शेखावाटी में, विशेषतौर से नवलगढ़ में, कॉलेज एवं स्कूलों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल, नवलगढ़ में प्रधानाध्यापिका के न होने से स्कूल की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) :

६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया

Page No 77

(श्री अमीलाल यादव)

कम कर दिया जाय (ग्राम शाहजहांपुर (तहसील बहरोड़) में डिस्पेन्सरी खोलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २३

७. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८-श्रम एवं नियोजन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मजदूरों की नियुक्तियों एवं उनको स्थाई करने में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पढ़ाई के स्तर को ऊंचा करके राजनीतिक दल से अध्यापकों को दूर रखा जावे इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा सु.) :

९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

१०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १६

श्री शंकर लाल जाट (कपासन) :

११. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के अन्तर्गत में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बड़ी सादड़ी के अस्पताल में दवाइयों की, और औजारों की कमी के विषय में चर्चा के लिये)।

१२. मांग संख्या १६ मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (मण्डदिया के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में डाक्टर के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

१३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन लाने और शिक्षकों की सुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

१४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में गढ़ी सैकेन्ड्री स्कूल को हायर सैकेन्डरी में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा-सु.) :

१५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर में आदिवासी छात्रों को शिक्षा पाने हेतु छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : (बाड़मेर)

१६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९

Page No 78

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर में चिकित्सा सुविधा के बारे में सरकार द्वारा उदासीनता की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

१७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में चिकित्सा सुविधा के बारे में सरकार द्वारा उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

१८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला हैडक्वार्टर होने के कारण बाड़मेर में जिला चिकित्सा अधिकारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के काशमेर, कानासर, आकरड़ा (शिव तहसी) सवाई मूलराज, हीरों की ढाणी, कसंवली, रतेऊ, पनाउड़ा (बाड़मेर तहसील) में उल्टी एवं दस्तों (आंत्रशोथ) की बीमारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

२०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में जिला भारत सेवक समाज द्वारा चलाये जा रहे होमियोपेथिक डिस्पेंसरी में अनुदान देने में देरी पर चर्चा के लिये)।

२१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में आंत्र शोध बीमारी से हीरा की ढाणी, सवाई मूलराज, सवाई पदमसिंह, कसुवंला, खोखार कानासर, काशमेर एवं रतेड़ ग्रामों में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उत्पन्न भयंकर स्थिति के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

२२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में बहुद्देशीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण को विस्तृत करने के बारे में चर्चा के लिये)।

२३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण को विस्तृत करने, लेबोरटेरी थियेटर के equipment की व्यवस्था न करने एवं gas plant की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

२४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में हाई स्कूल के खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

२५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन के बारे में चर्चा के लिये)।

२६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम का दिया जाय (बाड़मेर जिले की सिणधरी, शिव एवं बाड़मेर पंचायत समिति में हाई स्कूल खोलने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

२७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर डिग्रीकालेज में भौतीक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषयों में Laboratary Theatre के लिये equipment न होने के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम)

२८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९– चिकित्सा के अन्तर्गत में से १०० रु. कम कर दिया जाय (देवगढ़ अस्पताल में बिजली की सुविधा नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

२९. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकृत पाठशाला में राजस्थानी संबंधी पाठों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री कल्याण मल । (जहाजपुर सु.)

३०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालय जहाजपुर के हैल्थ सेन्टर में ऐक्सरे मशीन बाबत चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रु. कम कर दिया जाय (जहाजपुर तहसील में हायर सेकेन्डरी स्कूल खुलवाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री मूलचन्द डागा (पाली).

३२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९- चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के चिकित्सालयों में दवाओं का समुचित प्रबन्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

३३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९- चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली बांगड़ हास्पीटल की कम्पाउंड वाल बनाने हेतु चर्चा के लिये)

३४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९- चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपये कम कर दिया जाय (सरकारी डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस करने से रोका जावे इस पर चर्चा के लिए)

३५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन के अन्तर्गत में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली में जो छोटे २ उद्योग हैं उनमें मजदूरों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३

३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के अन्तर्गत मांगों में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का शिक्षा निरीक्षकों द्वारा समय

(श्री मूलचन्द डागा)

पर व उचित निरीक्षण न करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कानून के खिलाफ पाली में मुकनचंद बालिया माध्यमिक कन्या पाठशाला के सामने नई स्कूल का भवन बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के अंतर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली में मिडिल स्कूल श्रमिकों की बस्ती में खोलकर के भी भवन की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

३९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बांगड़ बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली में नागरिक शास्त्र व अर्थ शास्त्र विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.) :

४०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में समय पर मरीजों की देखभाल नहीं होती, इस पर चर्चा के लिए) ।

४१, मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पाटन के ग्राम लाधेरी में चिकित्सालय नहीं होने से असुविधा पर चर्चा के लिए) ।

४२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सालय के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (शाहबाद पंचायत समिति के क्षेत्र शाहबाद, केलवाड़ा, भंवरगढ़, किशनगंज आदि में डाक्टर, कम्पाँ-उण्डर, नर्सेज व दवाईयों के अभाव पर चर्चा करने के लिये) ।

मांग संख्या २३

४३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों को जो दैनिक मजदूरी देते है, वह पर्याप्त नहीं है श्रम का दुरूपयोग न किया जाकर श्रमिकों को पर्याप्त वेतन दिलाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

४४, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की ग्रामीण स्कूलो में विशेष सुविधाएं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

४५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी के ग्राम लाखेरी में हाई स्कूल से हायर सैकन्डरी स्कूल स्थापित करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

४६. मांग सख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी हेल्थ सैण्टर में डॉक्टर भिजवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

४७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (विजयपुर मिडिल स्कूल को सैकेन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये) ।

४८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पीपलदा में मिडिल स्कूल को सेकेण्डरी में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये) ।

४६. मांग सख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले के अधूरे स्कूल भवनों के लिए धन राशि का प्रावधान किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

५०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय महा-विद्यालय के चित्तौड़गढ़ में विज्ञान संकाय हेतु लेबोरेटरी के लिए नवीन भवन बनाने तथा महाविद्यालय के लिये भवन बनाने के लिए धन राशि उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये) ।

५१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ राजकीय महाविद्यालय को पोस्ट-ग्रेजूएट कॉलेज में परिवर्तित करने हेतु चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

५२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जिला नियोजन कार्यालय बांसवाड़ा की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

५३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र, बांसवाड़ा में शिक्षा प्रसार करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

५४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (बांसावड़ा जिले में मिडिल स्कूल बोरी को सैकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

५५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली में क्षय-रोग की चिकित्सा हेतु आवश्यक प्रबन्ध करने हेतु चर्चा के लिये) ।

(श्री शंकरलाल)

५६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कम्पाउण्डर्स में पुरुष व महिलाओं में वेतन व पदोन्नति के सम्बन्ध में विभेद पर चर्चा के लिये) ।

५७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के सिस्टर ट्यूटर्स के वेतन के संबंध में न्याय दिलाने बाबत चर्चा के लिये) ।

५८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण अस्पताल को 'ए' श्रेणी में परिवर्तित करने सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

५९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं सरकारी अस्पताल में आवश्यक साज-सामान की व दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये) ।

६०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (कुचामन सिटी, जिला नागौर के डॉक्टर द्वारा फर्जी इन्जरी सर्टिफिकेट देने के सम्बन्ध में हुई शिकायतों की सुनवाई नहीं होने के विषय में चर्चा के लिये) ।

६१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (नवीन आयुर्वेदिक औषधालय अधिक संख्या में खोल कर सस्ती चिकित्सा लोगों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

६२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २३

६३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के बेकारों को एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज द्वारा उचित सुविधा न देने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अध्यापकों की शिकायतों के निवारण हेतु सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

६५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा में आमूल परिवर्तन न करने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

६६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में रायपुर हाई स्कूल के प्रशासन में भारी अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(श्री शंकरलाल)

६७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में अध्यापकों में छुआछूत की भावना साबित होने पर भी कार्यवाही न होने की शिकायत पर चर्चा के लिये)।

६८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण हाई स्कूल भवन हेतु जनता ने चन्दा इकट्ठा कर रकम लगाई किन्तु सरकारी सहायता के अभाव में अधूरी रहने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

६९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (सदन में आश्वासन दिये जाने पर भी धौलपुर सदर अस्पताल बी ग्रेड में परिवर्तित न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५

७०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से १०० रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर शहर के सैकेण्डरी स्कूल में छात्र संख्या अत्यधिक होने से वहाँ एक और हाई स्कूल खोला जाना आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री उपाध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

श्री सुवालाल चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री सांवरमल बासौतिया।

श्री सांवरमल बासौतिया (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के कटौती प्रस्तावों को लेकर मैं हाउस के सामने स्थानीय समस्याओं को रखना चाहता हूं।

शिक्षा पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव है राणीसती बालिका विद्यालय, नवलगढ़ को राजकीय सहायता देने के विषय में। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्कूल १७ साल से चालू है। एक प्राइमरी स्कूल के रूप में यह शुरू हुआ था। प्राइवेट संस्थाओं की आर्थिक स्थिति शोचनीय रहती है। यह संस्था भी आर्थिक स्थिति से दबी हुई है। गत साल से इसके विकास को देखते हुए हमें बड़ा संतोष होता है कि जो संस्था सात साल पहले प्राइमरी स्कूल के रूप में चालू हुई थी वह आज माध्यमिक स्कूल के रूप में चल रही है। इस में २५०-३०० बालिकायें हैं और भवन भी अच्छा निर्मित किया हुआ है। कई बातें इस स्कूल में अच्छी हैं। प्राइवेट स्कूल होते हुए भी एक माध्यमिक स्कूल के रूप में चल रही है। किन्तु दुख है कि इतनी अच्छी व्यवस्थायें होते हुए भी हमारी सरकार की ओर से संस्था को कोई एड नहीं दी जा रही है। काफी समय से कोशिश की जा रही थी फिर भी इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। जो फार्म भरने चाहिये थे वे भी भर कर दे दिये गये थे। राज्य सरकार की ओर से निरीक्षण करना चाहिये था। वह नहीं हुआ मार्च के द्वितीय सप्ताह में निरीक्षण हेतु व्यक्ति को भेजा गया। इतना लेट भेजने पर यह संभव नहीं है कि इस संस्था को आर्थिक सहायता दी जाय। यह संस्था का दोष नहीं है।

(श्री सांवरमल बासोतिया)

इसलिये मेरा निवेदन है कि स्पेशल कन्सीडरेशन करके इस संस्था को एड दी जाय ताकि इसकी आर्थिक स्थिति बनी रहे और यह संस्था कमजोर न हो।

इसके अलावा मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है शेखावाटी में, विशेष तौर से नवलगढ़ में कॉलेज एवं स्कूलों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, शेखावाटी में सेठ लोगों की जो भावना थी वैसी अब नहीं है। पहले हर तरह की सुविधायें दी जाती थीं सहयोग दिया जाता था उनकी ओर से। शेखावाटी के लोग बाहर रहने लग गये हैं, कस्बों को छोड़ कर कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में बस गये हैं। पहले साल में दो तीन बार आकर संस्थाओं का ध्यान रखते थे। यह स्थिति उल्टी हो गयी है। आज सेठ साहुकारों की दिलचस्पी देने की तरफ नहीं है। पुरानी संस्थायें चल रही हैं उसी रूप में चल रही हैं। जो आर्थिक भार उन पर पड़ रहा है उस कारण वे बहुत दब गयी हैं। निवेदन करूं कि करीब दो साल पहले रूईया कॉलेज रामगढ़ की स्थिति इसी कारण से बिगड़ गयी थी और उसका नतीजा यह रहा कि १२ महीने वह कॉलेज बन्द रहा। सरकार को सोच-विचार कर अपने हाथ में लेना पड़ा। यही स्थिति फतहपुर कॉलेज की है और धीरे-धीरे उसकी भी वही स्थिति होने वाली है।

मै यह निवेदन करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे नवलगढ़ में कम से कम एक पुरानी संस्था एस. एल. विद्यालय के नाम से चल रही है। यह बहुत पुरानी संस्थाओं में से है जिसके रिजल्टस् मैं सोचता हूं राजस्थान की किसी भी शिक्षण संस्था से पीछे नहीं रहेंगे। वहां पर अनुशासन के नाम पर, इतना डिसीप्लीन रहा है कि आज तक किसी भी प्रकार का आन्दोलन अथवा एक दिन की स्ट्राइक भी विद्यार्थियों ने नहीं की है। यह कमी देखने सुनने में नहीं आया है। इस संस्था की बिल्डिंग अच्छी है। अब इस संस्था की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गयी कि सरकार को अविलम्ब इस की तरफ ध्यान देना चाहिये मैं निवेदन करूंगा कि इसी संस्था के अन्दर एस. एन. विद्यालय के अन्दर एक प्राईमरी स्कूल चलाया जाता था, उसकी किसी प्रकार की कमी को लेकर, उसके एक छोटे से मामले को लेकर सरकार ने इस संस्था की सहायता बन्द कर दी। इससे इस संस्था की हालत खराब हो गई है। इस प्रकार की इसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसकी नौबत यह न हो जाय कि इसको बन्द करना पड़े। ऐसी हालत में सरकार को ध्यान देना चाहिये। इसके लिये सहायता दी जाय। पुरानी संस्था होने के बावजूद, जो एड कमेटी है उसने रिकमन्डेशन कर रखी है, दो, तीन साल गुजर चुके हैं कि इस स्कूल को बी क्लास की एड दी जाय, किन्तु न मालूम ये कागज कहां दबे पड़े हुए हैं। उसको ६० प्रतिशत सहायता दी जा रही है। इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन को सम्भालना सरकार की जिम्मेदारी है। रिकमन्डेशन, सरकार की एड कमेटी ने की है। इसलिये इस स्कूल को बी क्लास में करके ८० प्रतिशत एड इसको दी जाये। संस्था की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है २, ३।। महिने से अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिली है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले पर ध्यान देकर जो एड टेम्पेरेरिली बन्द कर दी गई है, वह चालू की जाय इसको बी

(श्री सांवरमल बासौतिया)

क्लास में लेकर ८० प्रतिशत अनुदान संस्था को दिया जाय। यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव राजकीय गर्ल्स सेकेन्डरी स्कूल, नवलगढ़ के बारे में है। मैं निवेदन करूंगा कि जब सेठ लोगों का सहयोग था, यह संस्था बहुत अच्छी तरह से चलती थी। इस स्कूल की बहुत अच्छी बिल्डिंग है। वह कालेज के लायक है। माध्यमिक स्कूल से यह शुरू हुई थी और हायर सैकेन्डरी में परिणित हो गई। मेरे क्षेत्र में यह एक ही हाईस्कूल लड़कियों के लिये है। शेखावाटी क्षेत्र बालिकाओं की शिक्षा के लिये पिछड़ा हुआ है। सरकार को इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। इस क्षेत्र में एक ही गर्ल्स हाईस्कूल है और उसकी हालत देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है। इस संस्था में एक दो बार प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति की गयी परन्तु किसी कारण से वह वहां नहीं रह सकी और पूरे साल से बिना प्रधानाध्यापिका के यह स्कूल चल रहा है। इस प्रकार की इस स्कूल में गड़बड़ियां हो रही हैं। तीन, चार महिने से टीचर्स को पेमेन्ट नहीं मिल रहा है। टीचर्स में आपस में झगड़े हो रहे हैं। लड़कियों की पढ़ाई का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इसकी तरफ ध्यान दिया जाय। अच्छी ट्रेन्ड अध्यापिकाएं वहां भेजी जावें और जो मिस मेनेजमेंट वहां हो गया है, उसको सम्भालें। विद्यार्थियों, बालिकाओं के गार्जियन्स् में इस प्रकार का वातावरण हो गया है कि इस स्कूल के प्रति उनकी आस्था गिरती जा रही है। इसलिये स्कूल के मेनेजमेंट को सुधारा जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं चिकित्सा के विषय में भी बोलना चाहता हूं। मेरा एक कटौती प्रस्ताव नवलगढ़, झुंझूनूं में लेडी डाक्टर की नियुक्ति को लेकर है। पिछले सत्र में भी निवेदन किया था कि शेखावाटी क्षेत्र में लेडी डाक्टर की कमी है। डिस्पेंसरीज, अस्पताल में आज तक लेडी डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके लिये मुझे दुःख है। इतने बड़े क्षेत्र में समाज की व्यवस्था ऐसी है, वहां पर स्त्रियां मेल डाक्टर को दिखाने के लिये सकुचाती है। वे अपने घर वालों को भी नहीं बताती है। ऐसी हालत में लेडी डाक्टर का होना आवश्यक है। नवलगढ़, मुकन्दगढ़ में एक लेडी डाक्टर अपाइन्ट की जावे। इससे वहां के मरीजों को राहत मिल सकेगी।

जयपुर के दवाई विक्रेताओं के बारे में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा। दवाई विक्रेताओं के बारे में मेरी एक शिकायत है। गत १३ मार्च को एक्स एम. एल ए. की पत्नी का जनाना अस्पताल में आपरेशन हुआ था। १४ तारीख को उनके लिये एक पैथेडीन के इन्जेक्शन की जरूरत पड़ी। कहा गया कि फौरन लाइये। ६ बजे तक इन्जेक्शन आ जाना चाहिये। एक्स एम. एल. ए. बाजार में पूछताछ करने गये। उन्होंने इसके लिये काफी खोज की किन्तु किसी दवाई विक्रेता के यहां यह न मिला। बाद में मालूम पड़ा कि यह एक ही विक्रेता के यहां मिल सकता है और वह कन्सर्न स्टैण्डर्ड फार्मेसी के नाम से जौहरी बाजार में है। वे वहां गये। उनको जवाब मिलता है, हमने आपको पहली बार देखा है। हम उन्हीं लोगों को इन्जेक्शन देते हैं, बेचते हैं जो अन्य दवाइयां भी हमारे यहां से खरीदते

(श्री सांवरमल बासोतिया)

हैं। उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में रहता हूं। हरेक दवा आपके यहां से लेजाना सम्भव नहीं है। इसलिये जो दवा वहां मिलती है, वह वहां से ले लेते हैं। लेकिन इसकी जरूरत है, मरीज की हालत खराब है और जल्दी चाहिये। इसलिये कृपापूर्वक यह दवा दे दें। यह बहुत अनिवार्य है। इसके बावजूद उस फार्मेसी के प्रोपाइराटर ने बहुत स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया मैं यह नहीं दूंगा जब तक आप मेरे यहां से और दवा नहीं लें। हताश होकर वे दुकान से निकले। पास ही दुकान पर हमारे एन्टीकरप्शन के डी. वाई. एस. पी, खड़े थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उनका नाम एम. एल ढाबी है। उनसे उनकी जान पहचान थी। उन्होंने उनसे कहा। इस तरह की दवा लेनी है और इस तरह का जवाब मिला है। मरीज को बड़ा दुःख हो रहा है और जल्दी चाहिए। उनकी मदद के लिये उन्होंने अपने आदमी को उस फार्मेसी पर भेजा। जब वह गया तो उसको भी स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया जब एक बार मैंने इन्कार कर दिया तो कतई नहीं दूंगा। मेरा प्रिन्सीपल है कि मेरे यहां से और दवाई नहीं खरीदी जायेगी, यह इन्जेक्शन नहीं दूंगा। इसके बावजूद यह जानते हुए कि यह इन्जेक्शन ६ बजे तक लगना चाहिये किसी तरह यह इन्जेक्शन उन्हें मिला और रात के ८,९ बजे जाकर लगवाया। इसके साथ ही मुझे यह मालूम हुआ कि इस प्रकार की चार दुकानें है, जहां ये इन्जेक्शन मिलते हैं। लेकिन विभागीय तालमेल के हिसाब से कुछ कार्यवाही नहीं की जाती है। सिर्फ स्टेण्डर्ड फार्मेसी की मार्फत इन्जेक्शन दिया जाता हैं। दुसरी संस्थाओं, दवाई विक्रेताओं को यह इन्जेक्शन नहीं दिया जाता, यह समझ में नहीं आता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अविलम्ब इस प्रकार के भ्रष्टाचार, धांधली बाजी को रोकें और ऐसी दवाइयों की दुकानों का लाइसेन्स रद्द करें। यह आश्वासन मन्त्री महोदय दें कि दवाई देने से इन्कार करने पर उन दवाई विक्रेताओं का लाइसेन्स रद्द कर दिया जाय और आइन्दा से माल नहीं दिया जायेगा। यही स्थानीय समस्यायें हैं और मैं आशा करता हूं कि चिकित्सा मन्त्रीजी इस पर गौर करके मुझे सन्तोष दिलायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचंन्द बाफना।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव चिकित्सा के संबन्ध में हैं मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह बात तो सही है जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद में हमने चिकित्सा में काफी खर्चा बढ़ाया है। लेकिन यह बात ठीक है देहातों के अन्दर कुछ कदम चिकित्सा के बारे में उठाया है। ज्यादातर यह देखने में आया है जहां भी कहीं डिस्पेन्सरियां या औषधालय है वहां पर कई छोटी-छोटी चीजों की शिकायत रहती हैं, जो प्रशासनिक तरीके से आसानी से ठीक हो सकती है। उनके बारे में उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं दवाइयां हर डिस्पेन्सरी में जितनी सरकार की ओर से

(श्री अमीलाल यादव)

मन्जूर है उतनी भी नहीं पहुंचायी जाती है। अलबता जो धनराशि दवाइयों के लिये दी जाती है वह भी बहुत थोड़ी है लेकिन इसके बावजूद भी जितनी दवाइयों का कोटा मुकर्रर है, उसके लिये जितनी धन राशि आवश्यक है उसकी दवाइयां डिस्पेन्सरियों में नहीं पहुंचती है। मिसाल की तौर पर निवेदन करूंगा मडाना तहसील बहरोड़ जिला अलवर के अन्दर मैंने भी जाकर देखा है। इसी प्रकार बरडाड, बहरोड़ और माजरा कलां वहां पर भी जाकर देखा है। सब से ज्यादा शिकायत डाक्टर साहबान की है जो पूछने पर भी कि आगे कौनसी दवाई दी जाय, कौन सा इलाज किया जाय उसके लिये दवाइयां नहीं है। वहां पर जो पट्टीयां भेजते हैं वो भी नहीं मिलती है साफ ब्लेड और छोटे-छोटे औजार भी नहीं मिलते हैं। इसी तरह से जो आपरेशन्स के केसेज आते हैं वे भी खराब हो जाते हैं। दूर-दूर शहर होने की वजह से देहात के लोगों को लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता। दवाइयां और औजार हर डिस्पेन्सरी में निहायत होना जरूरी होता है जो बराबर नहीं पहुंच पाती। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कम से कम इसके लिये ज्यादा से ज्यादा धन राशि मुकर्रर करनी चाहिये और जितनी धनराशि दवाइयों के लिये मुकर्रर की जाय उतने की दवाइयां डिस्पेन्सरीज और औषधालय में पहुंचनी चाहिये।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं ज्यादातर डिस्पेन्सरीज ऐसे गांवों में बनी हुई है जहां के भवन करीब करीब सभी जनता के द्वारा बनाये हुये हैं। उसके बावजूद भी डिस्पेन्सरीज नहीं खुल पाती। इसके साथ-साथ मैं शाहजहांपुर कस्बा तहसील बहरोड़ जहां लगभग सात हजार की आबादी है। उसके आसपास दस माइल तक कोई डिस्पेन्सरी नहीं है। पहले डिस्पेन्सरी सात मिल की दूरी पर थी लेकिन वहां डाक्टर नहीं है। माजरी कलां में जो करीब दस ग्यारह मील की दूरी पर है उस दस ग्यारह मील के दायरे में कोई भी शाहजहांपुर के आसपास डिस्पेन्सरी नहीं वहां की जनता इस बात की मांग कर रही है और वहां की जनता तीस हजार रुपये भवन के लिये भी देना चाहती है। जिसका नक्शा राज्य सरकार के निदेशानुसार बनवाने को तैयार है उसके लिये सारा खर्चा जनता वहन करने को तैयार है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इसी वित्तीय वर्ष में वहां डिस्पेन्सरी खुलवायी जाय ताकि दस मील के दायरे की जनता लाभान्वित हो सके। वह बहुत बड़ा कस्बा है, वहां से मरीजों को रेवाड़ी जाना पड़ता है जो करीब बीस मील दूर पड़ता है अलवर काफी दूर पड़ता है। यह बहुत जरूरी है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा इस वित्तीय वर्ष में शाहजहांपुर में डिस्पेन्सरी खोलने की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार आयुर्वेद मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। ग्राम ऊटोली के करीब दस मील के दायरे में कोई औषधालय नहीं है। इसमें करीब तीन पचायतें हैं जो आसपास लगती है उन तीन पंचायतों में करीब बारह तेरह हजार की आबादी के गांव लगते हैं कम से कम आबादी पन्द्रह हजार है। आसपास और भी गांव है, वहां के ग्रामवासी भवन बनाने के लिये तैयार है, वैसे वहां भवन आलरेडी मौजूद भी है। दूसरा आपके नक्शे के अनुसार दूसरा भवन बनाने की अण्डर-

(श्री अमीलाल यादव)

टेकिंग देने के लिये वहां की जनता तैयार है। वहां जनता आयुर्वेदिक औषधालय होने से लाभान्वित हो सकती है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस ग्राम में औषधालय खोला जाय।

इसके साथ-साथ में निवेदन करना चाहूंगा तहसील बहरोड़ में कोई प्रसूति भवन नहीं है। वह तहसील काफी शिक्षित और एडवान्स्ड है शिक्षा के अन्दर भी लोग काफी आगे बढे हुए हैं। वहां के लोग नये तरीके से इलाज कराने के इच्छुक हैं, जच्चा खाने को लोग पसन्द करते है उसके लिये वहां की जनता भवन बनाकर देने के लिये भी तैयार है। आप जितना कन्ट्रीब्यूशन जनता से चाहें वे देने के लिये तैयार हैं और भी किसी प्रकार का सहयोग जनता से चाहें वो देने के लिये तैयार हैं। पूरी तहसील में प्रसूति भवन नहीं है इसलिये सब डिविजन के हैडक्वार्टर बहरोड़ के अन्दर प्रसूति गृह का होना आवश्यक है। वहां पर जरूरी है मैं आशा करूंगा कि हैल्थ मिनिस्टर महोदय इस बारे में जरूर ध्यान देंगे और जवाब देते समय जरूर आश्वासन देंगे शाहजहांपुर में डिस्पेन्सरी और बहरोड में प्रसूति भवन खुलवाने की कृपा करेंगे।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज के समय में वैद्यों और डाक्टरों की उतनी ज्यादा कमी नहीं है। इसके बावजूद कई जगहों पर डाक्टर्स लोग नहीं है तो भी वे समय पर नहीं पहुंचते। खास तौर से बड़ोद में इतनी बड़ी बिल्डिंग सेठों ने बनाकर दी है वहां पर बैड्स हैं, इन्डोर पेशेन्टस रहते हैं। लोगों के ठहरने के लिये बहुत बड़ी धर्मशाला है, वहां पर डाक्टर्स नहीं लेडी डाक्टर की एक जगह थी एक दूसरी जगह थी वह भी नहीं भरी गई। अब तो डाक्टरों के बारे में कोई ऐसी समस्या नहीं है कुछ सालों के बाद डाक्टरों के एम्प्लायमेंन्ट की समस्या हो जायगी। डाक्टरों की कमी न होते हुए भी मैं समझता हूं आप बड़ोद में लेडी डाक्टर को भिजवाने की कृपा करेंगे।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार ने जो मूविंग सर्जिकल वैन की स्कीम चलाई है यह सरकार का एक सराहनीय कदम है। इसका अनुकरण करने के बारे में दूसरी स्टेटें भी सोच रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसको और अधिक बढ़ाया जाय ताकि दूर देहातों में और गांवों में भी लोगों को अपनी आंखों का और दूसरी बीमारियों के आपरेशनों का लाभ मिलता रहे। इसका और अधिक बजट रखा जाना चाहिये।

इसके अलावा शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जहाँ बहरोड में १२ सैकेण्डरी स्कूल और हायर सैकेण्डरी स्कूलें एक तहसील में हों और एक-एक स्कूल में एक-एक हजार लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हों। वहा अलवर में बहरोड़ में तहसीलों के लड़कों को दाखिला नहीं मिलता। कोटपूतली में भी इतने ज्यादा सैक्शन नहीं हैं कि वहां दाखला मिल सके इसलिये वहां के लड़के जो इन स्कूलों से निकलते हैं तो उनको आगे कालेजों में दाखले के लिये बड़ी तकलीफें होती हैं। इसलिये निवेदन है कि हाई स्कूलों की संख्या को देखते हुए यहां उन्हीं के अनुपात में कालेजों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिये। इसके लिये अगर बिल्डिंग की जरूरत हो तो काफी बिल्डिगें

(श्री अमीलाल यादव)

भी हैं और और भी ज्यादा बिल्डिंगों की आवश्यकता हो तो इनके लिये जनता अपना कन्ट्रीब्यूशन देने को तैयार है। मुख्य मन्त्री महोदय भी वहां गये हैं और देखा है कि वास्तव में वहाँ के लोगों का शिक्षा के प्रति कितना प्रेम है और इसके लिये कितना धन लोग देने को तैयार हैं। जहां जहां भी सेकण्डरी स्कूलें खुली हैं पहले सरकार की बीस-बीस और चालीस-चालीस हजार की कन्डीशन थी वह भी जनता ने पूरी की है, न केवल सेठों ने ही इसमें अपना धन दिया है बल्कि आम जनता ने भी चन्दा कर करके धन दिया है। इसलिये वहां की जनता शिक्षा के लिये बिल्डिंगें बनाने को तैयार है और जितने भी कालेजों के लिये उचित भाग जनता से माँगा जावेगा, वह देने को हर वक्त तैयार है। इसलिये निवेदन है कि शिक्षा मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें और इस योजना में वहां बहरोड़ में कालेजों के लिये प्रावधान रक्खें क्योंकि सबसे ज्यादा वहां के लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि है। वैसे तो राजस्थान में अलवर स्टेट में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं और अलवर जिले में भी बहरोड़ तहसील सबसे आगे है। तो जिस जगह अधिक लड़के हों और अधिक उत्साह हो वहां कालेज खोलने चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन और करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापकगण हैं उनके बच्चों में जैसी उद्दंडता और अनुशासनहीनता आ रही है इसका कारण अध्यापकवर्ग भी है। इनमें भी खामियां हैं। इसलिये उन अध्यापक लोगों के प्रति सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये जो राजनीति में काम करते हैं या भाग लेते हैं। इन्होंने जो वातावरण बनाया है उसका असर कुछ लड़कों पर पड़ा है। जो अध्यापक केवल अध्यापन में अपना ध्यान रखते हैं और बच्चों के शिक्षण में ही ज्यादा रुचि लेते हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

यह सब अच्छी तरह जानते हैं कि वास्तव में जो ज्यादातर खास तरीके अख्तियार करते हैं वे लोग तो वहां पर भी कुछ पढ़ाते–लिखाते नहीं हैं पर फिर भी सुविधाएं वे ही अधिक प्राप्त करते हैं, और जो वास्तव में मेहनत करते हैं, लड़कों को अच्छी तरह से पढ़ाते–लिखाते हैं उनके सामने कई दिक्कतें यह सरकार स्वयं खड़ी करती है। वे ही उल्टे असुविधा में होते हैं। इसलिये इस मामले में भी जैसा हरियाणा की सरकार ने क्रान्तिकारी स्टैप लिया वैसा आप भी ले लें कि २०० से जिनकी तनख्वाह कम है ऐसे तनख्वाह पाने वालों को २० मील के दायरे में रखना चाहिये। बाकी के २० मील से दूर रक्खें तो इससे काफी प्रशासन में कुशलता आवेगी।

इसी तरह से कई छोटे-मोटे मसले जो लोकल अध्यापकों में चलते हैं उनकी निष्पक्ष भाव से जांच होनी चाहिये कि वास्तव में कौन दोषी है और दोषी को दण्ड मिलना चाहिये।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा का स्तर है, जो पाठ्यक्रम है इसमें भी खामियां हैं। आज यह शिक्षा पाकर लड़का नौकरी की ही सोचता है। नतीजा यह होता है कि आज बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बन

(श्री अमीलाल यादव)

गई है कि इसको सुलझाना मुश्किल हो गया है। इसलिये इसमें भी इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिये कि जो भी लड़का स्कूल से निकले उसको कुछ टेक्निकल शिक्षा भी मिली हुई होनी चाहिये ताकि वह अपने हुनर से अपना स्वतन्त्र व्यवसाय चलाकर अपनी आजीविका कमा सके और इस तरह बेरोजगारों की संख्या बढ़ने नहीं पावे। इसमें क्रान्ति लाने की आवश्यकता है। हम यह कहें कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में हम अधिक शिक्षित हो गये हैं तो मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। पर्सेन्टेज से आज भी देखा जावे तो अभी हमको बहुत ज्यादा शिक्षित होने की आवश्यकता है। ऊंची क्लासों की शिक्षा में भी अभी हमारा पर्सेन्टेज बहुत कम है। तो यह बात सोचकर अगर चलें कि शिक्षा अधिक बढ़ गई है इसलिये बेरोजगारी हो गई है तो यह बात किसी भी प्रकार से कोई भी प्रगतिशील देश का नागरिक मानने को तैयार नहीं है।

इसलिये मेरा यह सुझाव है कि वास्तव में शिक्षा में इस प्रकार की प्रणाली और पाठ्यक्रम देना चाहिये कि अनएम्पलोयमेन्ट की प्राब्लम न बढ़ने पावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव रख रहा हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे इस कटौती प्रस्ताव का उत्तर देते हुए जो मेरी भावना है उसकी कद्र करते हुए अपने सुझाव सदन में रक्खेंगे।

एक माननीय सदस्य : श्रम विभाग पर भी प्रकाश डाल दें। समय काफी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।
श्री महेन्द्रकुमार। (अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर के अस्पतालों में लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इनमें कई तरह की खामियां हैं। वहां पर दवाइयों की कमी है। कई लोग भर्ती होने के लिये आते हैं वे वहीं बाहर पड़े रहते हैं और उनको समय पर भर्ती भी नहीं किया जाता। कभी-कभी बीमार भर्ती भी नहीं किया जाता। परिणाम यह होता है कि कभी-कभी बीमार बाहर पड़े-पड़े ही मर जाते हैं और लोग उनको वापस लेकर जाते हैं। वहां जो डाक्टर हैं उनमें भी आपस में लड़ाई रहती है। डाक्टरों में भी आपस में मेल नहीं होने से बीमारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। एक डाक्टर दूसरे डाक्टर के पास बीमार भेजता है तो बीमार परेशान होकर वापिस आता है और अपने बीमार को लेकर घर जाता है। तो डूंगरपुर के अस्पतालों में डाक्टर की जो कमी है उसको दूर करने के लिए सबसे पहले मैं सरकार से निवेदन करता हूं।

इसके साथ ही साथ वहां पर कई साधनों की कमियां हैं। साधन पूरे नहीं होने की वजह से लोगों का इलाज ठीक ढंग से नहीं होता है। कई गरीब लोग गांवों से आते हैं कि अस्पताल में जाकर हम इलाज करायें लेकिन इलाज के साधन नहीं होने की वजह से लोगों को उदयपुर भेज देते हैं और उदयपुर आने के लिए गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता है इसलिए वह निराश होकर वापिस गांवों में जाते हैं। इसके साथ ही साथ वहां पर डाक्टर बीमारों से रिश्वत भी लेते हैं। जो बीमार रिश्वत दे उस बीमार को भर्ती कर लिया जाता

(श्री महेन्द्रकुमार)

है और जो रिश्वत नहीं दे सकता वह परेशान होकर वापिस चला जाता है। तो इसमें भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि इसमें भी सुधार होना चाहिए ।

इसके साथ ही साथ डूंगरपुर जिले में टी. बी. की बीमारी एक महान भयंकर बीमारी है और इस बीमारी से सैकड़ों आदिवासी मर जाते हैं और उसका वहां किसी प्रकार का इलाज नहीं होता है और टी. बी. के बीमारों को इलाज के लिए उदयपुर आना पड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वह टी. बी. का इलाज करा सकें इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि आदिवासियों के टी. बी. के इलाज के लिए निःशुल्क दवाइयों का प्रबंध होना चाहिए ताकि वह उसका लाभ ले सकें और हमारे वहां एक नारू की बीमारी बड़ी जबर्दस्त है । वह बीमारी हर गांव में पाई जाती है । इसके लिए सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे दवाखाने चलाने चाहिए जो कि गांव-गांव में जायें और जिसको नारू की बीमारी हो उसका इलाज करके उसको लाभ पहुंचाया जाये । तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा करेंगे तो बीमारी दूर हो सकती है। नारू की बीमारी के लिए लोगों को अस्पताल में आना पड़ता हैं लेकिन अस्पताल में नारू की कोई खास दवा नहीं होने की वजह से वह वापिस चले जाते हैं और साथ ही साथ कई तरह की मुसीबतें उठानी पड़ती हैं । उनके पास पैसा नहीं होता है, खाने की चीज नहीं होती है, बिछाने के लिए बिस्तर नहीं होते हैं—उस दृष्टि से गांवों में नारू का इलाज कराने के बारे में व्यवस्था करनी चाहिए । राज्य सरकार इस तरफ, मैं चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर नारू का इलाज कराने की कोई न कोई व्यवस्था करे।

इसके साथ ही साथ सरकार को मैं एक और निवेदन करूंगा कि हमारे यहां डूंगरपुर ही एक ऐसा अस्पताल है जहां प्रसूति के कार्य होते हैं और दूसरे स्थानों पर प्रसूति का इलाज नहीं होता है और प्रसूति वाली बहनें रास्ते में ही मर जाती हैं । तो इसके लिए तहसील हैडक्वार्टर पर इस तरह के कैम्प्स होने चाहिए जहां इस प्रकार की जो बहनें आती हैं वह वहां आकर भर्ती हों और वहां उनकी प्रसूति कराई जाये और उस बीमारी से वह बच सकें क्योंकि इस बीमारी से कई बहनें मर जाती हैं । डूंगरपुर अस्पताल में इस बीमारी से हर चौथे-पांचवें रोज एक न एक केस होता रहता है । तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए । यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित आदिवासी क्षेत्र हैं इसलिए सरकार को उस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए । इससे आदिवासियों को ज्यादा लाभ हो सकेगा । अगर इस प्रकार की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तो जैसा मैंने बताया इतनी बीमारियों से लोग डूंगरपुर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शिकार होते हैं और मर जाते हैं ।

इसके अलावा मैं कहूंगा कि आदिवासी एरिया के अन्दर कई आयुर्वेदिक औषधालय सरकार ने खोले हैं। और उनमें कोई दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। लोग वहां आते हैं तो साधारण सी गोलियां दे दी जाती हैं और लोग वापिस अपने गांव चलें जाते हैं। तो आयुर्वेदिक औषधालयों में जो साधारण दवाइयां होती हैं उनका प्रबंध

(श्री महेन्द्रकुमार)

होना चाहिए। आयुर्वेद के मकान हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी है। लोग अपने श्रम से वहां मकान बनाते हैं। तो इसके लिए भी मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक औषधालयों के मकानों के लिए कम से कम आधा श्रम गांव वाले करें तो आधा पैसा सरकार को देना चाहिए तो इससे भी हमारे गांवों में ज्यादा लाभ मिल सकता है। जहां तक आयुर्वेदिक दवाइयों का सवाल है गांव के लोग आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और उसका इलाज ज्यादा कराते हैं क्योंकि वह अस्पताल में आते हैं तो वहां उनको सुविधायें नहीं मिलती हैं। कारण यही होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए सस्ती से सस्ती दवाइयां मिलें और मुफ्त में मिलें तो उसका लाभ वह ज्यादा उठाने की चेष्टा करते हैं। तो मैंने जो डूंगरपुर अस्पताल के बारे में बताया कि वहां पर डाक्टरों की कमी हैं, डाक्टरों में एकता नहीं है और जितने बीमार आते हैं वह परेशान होते हैं, रिश्वतें लेकर ही वहां पर इलाज किया जाता है तो इस तमाम व्यवस्था की तरफ चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उस तरफ़ ज्यादा ध्यान देकर डूंगरपुर अस्पताल के बारे में ध्यान देंगे और उसका सुधार करेंगे। यही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज की मांगों पर करीब ९ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। चिकित्सा के संबंध में मैंने ४ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं और एक कटौती का प्रस्ताव मेरा श्रम से संबंधित है और ४ कटौती के प्रस्ताव मैंने शिक्षा में संबंधित रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर वैसे राजस्थान ने काफी प्रगति की है लेकिन मेरे जो कटौती के प्रस्ताव हैं वह कुछ जनरल एक दो बातों को लेकर हैं जो कि चिकित्सा विभाग के अन्दर काम कर रहे निम्न वेतन कर्मचारियों से ताल्लुक रखती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग के अन्दर और विधान के अनुसार जब डाइरेक्टिव पॉलिसी में है कि 'Equal pay for equal work' चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो लेकिन उपाध्यक्ष महोदय यह जानकर हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि महिला कम्पाउण्डर्स और पुरुष कम्पाउण्डर्स का भेदभाव अभी तक बना हुआ है। इसके लिए सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि इस भेदभाव को मिटा दिया जायेगा लेकिन उनकी आयु के संबंध में, उनके वेतन के सम्बन्ध में, उनकी पदोन्नति के संबंध में वही की वही क्वालीफिकेशन वही का वही वर्क, लेकिन योग्यता वही होते हुए भी उनके वेतन में, उनकी पदोन्नति में महिलाओं को तो अधिक देते हैं लेकिन पुरुषों को नहीं दिया जाता है। उसी कार्य के लिए मैं समझता हूं कि यह संविधान के अनुकूल नहीं है बल्कि संविधान के सर्वथा प्रतिकूल है। इसलिए यह महिला और पुरुष कम्पाउण्डर्स का भेदभाव मिटाया जाना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : पाइण्ट आफ आर्डर सर, क्या महारानी चूण्डावत ने अपनी पार्टी छोड़ दी है और अपोजीशन में जाकर बैठी हैं?

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, उनका उत्तर नहीं आ रहा है Silence is half consent. I think she will make her position clear.

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, उनकी ओर से उत्तर नहीं आ रहा है इसलिए Silence is half consent, otherwise she should reply. मैं आपसे निवेदन करूं कि आप चुपचाप हैं और आपने एतराज उठाया है और फिर भी चुप हैं तो चुप होने का मतलब आपकी स्वीकृति हो सकती है, मैं समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: Silence implies consent.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ऐसी बात नहीं है। काफी स्पेस है इसलिए बिखरे हुए बैठ जाना चाहिए।

श्री शंकरलाल : कोई बात नहीं अगर वह जगह आपको अच्छी लगे तो बैठी रहें।

श्री बरकतुल्ला खां : किसी जमाने में जेलों में खाली जगह होती थी तो बकरे बांध दिया करते थे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जगह बैठी हैं।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से चिकित्सा विभाग में जो सिस्टर ट्यूटर्स है तो सिस्टर ट्यूटर्स की ऐसी सर्विसेज हैं कि वे कम्पाउन्डर्स को टीच करते हैं। राजस्थान के अन्दर कुल ३७ जगहे है। सिस्टर ट्यूटर्स उनको जब बनाते हैं कि जब उसके लिए जो डिप्लोमा होता है, उसको प्राप्त करते हैं और उसके बाद में टीचिंग एक्सपिरियन्स होता है तो वे कम्पाउन्डर्स को टीच करते है। उनको कम्पाउन्डर्स से ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन हमें यह जानकर दुःख होता है कि उनका ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर का रखा है जब कि हिन्दुस्तान के अलग अलग राज्यों के अन्दर सिस्टर ट्यूटर असिस्टेन्ट मेट्रन के पद के बराबर स्वीकार किया गया है ? सिस्टर ट्यूटर को अलग अलग राज्यों में असिस्टेन्ट मैट्रन के बराबर माना गया है और उसी प्रकार से उनकी तनख्वाहें हैं तो मेरी समझ में नही आता है कि राजस्थान सरकार ने जो वेतन आयोग की सिफारिशें प्रकाशित की हैं उसके अन्दर उन सिस्टर ट्यूटर्स का जो ग्रेड है वह उस पद के बराबर नहीं रखकर कम्पाउन्डर्स के फर्स्ट ग्रेड के बराबर कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार के निम्न वेतन–भोगी कर्मचारी चिकित्सा विभाग के छोटी छोटी बातों के लिए हाई कोर्ट में न जायं, और उनके लिए आप न्याय करें। केवल ३७ पोस्टें राजस्थान के अन्दर हैं उससे कोई बड़ा भार भी राज्य कोष पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए उनकी न्यायोचित मांग को देखकर सिस्टर ट्यूटर्स को, जो उनकी योग्यता है, जो डिप्लोमा प्राप्त है, जो उनका टीचिंग का एक्सपीरियन्स है उसके हिसाब से दूसरे राज्यों के स्तर पर उनको वेतन दें, ताकि उनका जो पढ़ाने का, टीचिंग का अनुभव है उसके अन्दर कोई शिथिलता न आये और अपना काम तत्परता से करते रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली के अन्दर अभी कुछ दिन पहले एक कान्फ्रेन्स बुलाई गई थी वहां के शहर के चिकित्सक महोदयों ने। वहां सहकारी और गैर सहकारी दोनों तरह के काफी लोग उपस्थित हुए थे। उन्होंने इस बात का अनुभव किया था कि पाली के अन्दर विभिन्न गांवों से कई प्रकार के काफी रोगी आते हैं। उनकी चिकित्सा

Page No 94

(श्री शंकरलाल)

का थोड़ा-बहुत प्रबन्ध है, लेकिन अगर ऐसे रोगी हैं कि जिनके भर्ती होने की जरूरत पड़े जैसे कि क्षय से पीड़ित रोगी जिनके हाथ-पैर क्षय रोग के कारण शिथिल हो गये हों, जिनके मुंह से खून पड़ रहा हो, जिनके साथ कोई दूसरा सेवा-सुश्रूषा करने वाला आदमी न हो, या जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो, तो उनके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, वहां कोई प्रबन्ध नहीं है। शफाखाने वाले भी इसलिए मना कर देते हैं कि यह ऐसी छूत की बीमारी है कि दूसरे बीमारों को लग सकती है। यह उनका कहना भी ठीक है। तो जगह खाली होते हुए भी उनको भर्ती नहीं करते हैं। जैसे जोधपुर और जयपुर में क्षय रोग के वास्ते अलग वार्ड बना हुआ है, उसी प्रकार से पाली के अन्दर भी, जो पाली जिले का केन्द्र है, टी० बी० वार्ड अलग बनाया जाय। मैं समझता हूं कि चिकित्सा मंत्री जी और राज्य-मंत्री जी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बड़े ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री शंकरलाल : वहां पर अलग वार्ड बनाया जाय रोगियों की सख्या को देखते हुए तो मैं समझता हूं कि वहां की गरीब जनता है और बहुत से लोग इस रोग के शिकार होते हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा। यह बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के अन्दर क्षय रोग का इलाज सुगम हो गया है, लेकिन फिर भी निरन्तर रोगियों की सख्या बढ़ती जाती है। अगर आंकड़ों को हम देखते हैं तो राजस्थान के अन्दर भी बढ़ते हुए देखते हैं, और पाली जिले को भी देखें तो पाली जिले का जहां तक ताल्लुक है वह बड़ा इम्पार्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर टी० बी० का वार्ड होना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा कटौती-प्रस्ताव मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में जो अस्पताल है उसके बारे में है। इसका कुछ अर्से पहले हमारे माननीय मंत्री जी ने अवलोकन किया था। जैतारण तहसील का हैड क्वार्टर है और सब-डिविजन का हैड क्वार्टर है और बहुत इम्पार्टेन्ट जैतारण की जगह है। जयपुर और जोधपुर आते-जाते हर महानुभाव को उधर से गुजरना पड़ता है। वह अस्पताल, उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि 'बी' श्रेणी की डिस्पेन्सरी है और अभी तक 'ए' श्रेणी का अस्पताल नहीं बन पाया है। 'ए' श्रेणी का अस्पताल जैतारण में बनाने के लिए अगर पब्लिक का सहयोग चाहिए तो वह पब्लिक देने को तैयार है। पब्लिक ने लिखित में दिया है राज्य सरकार को इसके बारे में कि सहयोग चाहिए...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 'ए' श्रेणी का ३०० बेड्स का होता है।

श्री शंकरलाल : हां, 'ए' श्रेणी का किया जाय। हमारी मांग है। आप खुद गये हैं। आपने जैतारण को देखा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां के डी. एम. एच. ओ ...

श्रीमती सुमित्रा : 'सी' के लिए भेजा होगा।

श्री शंकरलाल : आप देखिये मेरी जो जानकारी है वह गलत नहीं हो सकती। आप अपने विभाग के अन्दर इस बात को देखिये 'बी' का आलरेडी है।

श्रीमती सुमित्रा : कौन सा ?

श्री शंकरलाल : जैतारण के अस्पताल को 'बी' से 'ए' में बदलने के लिए सिफारिश राज्य सरकार को करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती-प्रस्ताव श्रम से ताल्लुक रखता है। ये जो एम्प्लायमेंट एक्सचेन्जेज है वे लेबर डिपार्टमेंट के अन्दर हैं और इन एम्प्लायमेंट एक्सचेन्जेज के अन्दर जो बेरोजगार हैं उनका नाम दर्ज होता है लेकिन उन लोगों को बराबर सर्विस नहीं मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करू' कि यदि कहीं जगह खाली होती है और उसके बारे में इत्तिला दी जाती है तो वह इत्तिला जो समय इन्टरव्यू का होता है उसके जाने के बाद इत्तिला पहुंचती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान गांवों में बिखरा पड़ा है। जिस प्रकार की डाक की व्यवस्था है तो ५-७ दिन में गांवों में डाक पहुंचती है लेकिन वे एम्प्लायमेंट वाले कहते हैं कि हमने तो डाक निकाल दी, हमारे यहां का यह रजिस्टर देख लो, डाक निकाल दी, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि ७-८ दिन के पहले डाक गांवों में नहीं पहुंचती है। यह कोई जोधपुर या जयपुर नहीं है कि डाक दूसरे रोज पहुंचती हो। गरीब आदमी, किसान जो गांवों में बसा है उसको इन्टरव्यू की इत्तिला समय पर नहीं मिल पाती है, इस लिए इन्टरव्यू में एपियर होने से वंचित रह जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी को चाहिए कि एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज को इस तरह की हिदायत करें कि इन्टरव्यू से कम से कम १० दिन पहले इत्तिला भेजे। कई दफा ऐसा होता है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के कर्मचारी होते हैं वे जिन आदमियों में इन्ट्रेस्टेड होते हैं उनको तो इत्तिला दे देते हैं और दूसरे लोगों को इत्तिला नहीं देकर केवल उनका नाम रजिस्टर में लिख देते है। रजिस्टर में देखे तो वहाँ एन्ट्री मिलेगी, लेकिन वास्तव में वह उनको इत्तिला नहीं मिलती है। तो अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट उनको इन्टरव्यू की इत्तिला जानी चाहिए और १० दिन पहले जानी चाहिए जिससे कोई आदमी उससे वंचित न रहे।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज की तरह ही, इन्जीनियर्स जो बेकार हैं उनके लिए, एक मैन पावर सेल अलग खोल दिये हैं जहां इन्जीनियर्स जाते हैं तो वे कहते हैं कि एम्प्लायमेंट में दर्ज है और साथ-साथ मैन–पावर सेक्शन में दर्ज है कि नहीं ? इस तरह से दो-तीन जगह आदमी को फिराते हैं। इसके लिए मैन-पावर वालों को एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में इत्तिला कर देनी चाहिए या एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज वालों को मैन–पावर में इत्तिला कर देनी चाहिए। आदमी दो-दो जगह भटकता फिरे नाम दर्ज करने के लिए, फिर भी नौकरी का पता नहीं। इस तरह से इस एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में सुधार करना चाहिए जिससे जो बेकार लोग हैं उनको सुविधा हो नौकरी मिलने की।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो शिक्षा के विषय में अपना कटौती-प्रस्ताव है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष

(श्री शंकरलाल)

महोदय, हमारे देश को आजाद होने के बाद, इतना अर्सा बीतने के पश्चात् भी हम इस बात से बहुत दुःखी होते हैं कि शिक्षा के अन्दर कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हुआ है। आज जब इस बात को अनुभव करते हैं कि विद्यार्थी वर्ग में डिसिप्लिन नहीं है, जब आज हम देखते हैं कि भूख-हड़तालें होती हैं, आज जब यह देखते हैं कि तोड़-फोड़ की तरफ विद्यार्थी आकर्षित होते हैं तो इसका कारण है, शिक्षा मन्त्री जी, शिक्षा, शिक्षा का जो तरीका है, शिक्षा का जो सिद्धान्त है आज,वह । तो शिक्षा के अन्दर आमूल-चूल परिवर्तन बल्कि रिवोल्यूशनरी चेन्चेज हमको लानी चाहिए। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार इस के बारे में इस बात पर विचार करें कि डिसिप्लिन विद्यार्थियों में किस प्रकार आये और किस प्रकार से जो उनमें विध्वंशकारी शक्तियों के प्रति आकर्षण पैदा हो रहा है उसको समाप्त करें। यह मामूली प्रश्न नहीं, आज जिस प्रकार की शक्तियां हिन्दुस्तान में काम कर रही हैं, जिस प्रकार हिन्दुस्तान के अलग अलग राज्यों में, जहां पर अलग-अलग प्रकार की सरकार बन रही हैं, जो वातावरण फैल रहा है, उसके कारण विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का सबलिमिशन अच्छी तरह से करने के पश्चात् उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति का सही उपयोग हो सकता है-इसके लिए आपको चिन्तन करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, केवल जो पुराना शिक्षा का ढचरा चला आ रहा है ब्रिटिश जमाने से, प्राईमरी स्कूल का, मिडिल स्कूल का, उसमें मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रान्त के इन्सान हैं, राजस्थानी हैं वह इस शिक्षा के जरिये उच्च जीवन में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। इसके साथ ही हमें इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि आज विद्यार्थियों के बिगड़ने का कारण क्या है ? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज चारों तरफ सिनेमा हैं और सिनेमा से सम्बन्धित पोस्टर हैं, वह विद्यार्थियों के दिमाग को विकृत करते हैं। मेरा निवेदन है कि सिनेमा है, यह केवल पब्लिसिटी के तहत नहीं होने चाहिए, बल्कि सिनेमा को एजूकेशन का भी एक अंग होना चाहिए। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि सिनेमा के जरिये लोगों को एजूकेट किस प्रकार किया जाय, उनमें नेशनल भावना कैसे पैदा की जाय, मोरल भावना कैसे पैदा की जाय, सोशल भावना कैसे पैदा की जाय ? आज सिनेमा से यह सब चीजें विद्यार्थियों को नहीं मिलती हैं। आज जो विद्यार्थी सिनेमा में जाते हैं वह वहां से ऐसी चीजें लेकर आते हैं जिनके कारण उनके आचरण में, उनके चरित्र में, उनके जीवन में जंग लग जाती है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इस चीज का अनुभव करें और राज्य के अन्दर इस प्रकार का कोई एक प्रतिबन्ध लगाने का सरकार द्वारा निर्णय करायें कि ऐसे गलत प्रदर्शनों को, ऐसे गलत सिनेमाओं को विद्यार्थियों को नहीं दिखाने दिया जाय। कई जगह पर पोस्टरों पर लिखा हुआ होता है, Only for adults, लेकिन मैं देखता हूं कि इससे विद्यार्थी ज्यादा उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र के अन्दर हर व्यक्ति को जन्म से ही इस तरह खुला नहीं छोड़ा जा सकता। मैं आपको यह नहीं कहता कि कमाल पाशा की तरह आप पर्दा लगा दें। लेकिन गलत प्रदर्शन और गलत सिनेमाओं के ऊपर प्रति-

(श्री शंकरलाल)

बन्ध लगा देना चाहिए। प्रतिबन्ध लगाने से विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का सबलिमेशन होगा तो उनमें यह प्रवृत्ति पैदा होगी कि वह बुराईयों से बचें। इसलिए यह एजूकेशन का काम है और इसके लिए एजूकेशन डिपार्टमेंट को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, अन्यथा किताबों से और उनके अध्ययन मात्र से कुछ नहीं होने वाला है।

एक कटौती प्रस्ताव मैंने एजूकेशन डिपार्टमेंट में छुआछूत के सम्बन्ध में रखा है। मुझे ताज्जुब होना है कि आज अध्यापकों में भी आपस में छूआछूत है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सैंदड़ा एक जगह है जो सड़क के पास ही है और वहां पर रेल्वे स्टेशन है। वहां पर जो मिडिल स्कूल है उसमें एक अध्यापक जयपुर जिले के हैं, वह जाति के बाम्बी हैं। एक दूसरे सोजत के अध्यापक हैं। वह साथ साथ बैठकर चाय पी रहे थे तो जयपुर के अध्यापक ने उनके प्याले से हाथ लगा दिया और उनको ऑफर किया प्याला, तो यह नहीं कि उन्होंने प्याला फेंका, बल्कि उस मास्टर के भी थप्पड़ मार दिया। इसकी उस अध्यापक ने शिकायत की, मैंने भी शिकायत की और इन्सपेक्टर को यह बात साबित की। लेकिन जो इन्सपैक्टर हैं, वह खुद न मालूम किस दिमाग के आदमी है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वहां पर एक जटिया अध्यापक भी पहुंच गये हैं। वह बाम्बी और जटिया अध्यापक एक हो गये और दूसरे अध्यापक एक हो गये जिसमें हैड मास्टर भी मिल गये। ये इस प्रकार उस स्कूल में दो कैम्प हो गये हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के मास्टर एक गुट में हैं, और दूसरे जो शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं वह दूसरे गुट में है। मेरी समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की भावना आज अध्यापकों में होगी तो फिर किस प्रकार से विद्यार्थियों में छूआछूत की भावना को दूर करने का वह काम कर सकेंगे, किस प्रकार वह इस भावना को कम कर सकेंगे। मैं कहता हूं कि ऐसे अध्यापक को फौरन सस्पेन्ड करना चाहिए। ऐसे अध्यापक को अधिकार नहीं है सर्विस में रहने का जो छूआछूत करता है और छूआछूत बरतता है। इतना ही नहीं, हम आये दिन सुनते हैं, कई अध्यापक हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा ट्रान्सफर करा दीजिये। इसलिए करा दीजिये कि उसका ट्रान्सफर जिस गांव में हुआ है उस गांव में रहने के लिए उसको जगह नहीं मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए वहां के स्टाफ वाले जिम्मेदार होते हैं, वहां पर जो दूसरे मास्टर होते हैं वह पहले ही गांव में कह देते हैं कि आपके गांव में जो मास्टर आ रहा है वह फलां जाति का है। वह पहले ही गांव में प्रचार कर देते हैं, जबकि गांव वालों को पता नहीं होता है कि कौन व्यक्ति आ रहा है। मेरा निवेदन है कि इस एजूकेशन डिपार्टमेंट इटसेल्फ के अन्दर ही अनटचेबिलिटी की भावना फैलाई जाती है, जिससे कि दूषित वातावरण गांवों में फैलता है।

मैं दूसरी बात आपको कहता हूं कि आज विद्यार्थियों के अन्दर आर. एस. एस. की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वह एक तरफ होकर रहते हैं और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग होते हैं उनसे उनकी टक्कर होती है। आर. एस. एस. की प्रवृत्ति के अध्यापक और विद्यार्थी कई स्कूलों में हैं। एक करेण्ट

(श्री शंकरलाल)

एक्जाम्पल शिक्षा मंत्री के समक्ष रायपुर की लाकर पेश की थी। वहां जांच करने के बाद वहां के इन्सपेक्टर ने और जिसे भी आदमी ने जांच की, यह पाया है कि वहां स्कूल में दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप तो सुबह परेड करता है, आर. एस. एस. का प्रचार करता है, और दूसरे ग्रुप में जो मुसलमान विद्यार्थी हैं उनके साथ वह लोग दुर्व्यवहार करते हैं, उनको पीटा जाता है और हर बात में उनके साथ गड़बड़ी की जाती है। वहां के मुसलमान लोगों ने ही नहीं, बल्कि मुखियान ने आकर, सरपंच ने आकर शिक्षा मंत्री को इसके बारे में कहा, मैंने भी कहा लेकिन मुझे खेद है कि केवल एक मास्टर को किसी जगह तब्दील कर दिया, और कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया गया। जब इस प्रकार की गलत प्रवृत्तियों की जांच होने के बाद, जांच में साबित होने के बाद भी एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप क्यों नहीं प्रिवेण्टिव मेजर्स को काम में लेते हैं। मैं यह नहीं कहता कि जो दोषी नहीं हैं उनको आप दण्ड दें लेकिन जिनका दोष साबित हो जाता है, उसे साबित होने के बाद तो आपको दण्ड देना चाहिए ताकि दूसरों पर भी उसकी छाप पड़े।

साथ ही मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है कि पंचायत समिति में जो अध्यापकगण काम करते हैं उनके साथ आज दुर्व्यहार हो रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों में जो अध्यापकगण काम कर रहे हैं, वह बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि शिक्षा विभाग में काम करने वाले जो अध्यापक हैं उनको जितनी फैसेलिटी हैं वह उनसे ज्यादा हैं। उनका जो कैडर है, उनका जो स्टेटस है वह पंचायत समितियों के अध्यापकों का नहीं है। आज पंचायत समिति के अध्यापक सोचते हैं कि यहां पर अध्यापक रह कर हमें कोई लाभ नहीं है और डिपार्टमेंट सोचता है कि यह पंचायत समिति के अध्यापक हैं और इनको तनख्वाह देने के लिए हमने लम्प सम मनी दे दिया है। मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि पंचायत समितियों में जो अध्यापक हैं इनको जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के अध्यापकों को पदोन्नति मिलती है उसी प्रकार पंचायत समिति के अध्यापक भी समानान्तर चलते हैं या नहीं ? अगर नहीं चलते हैं और आगे उनका विकास रुकता है, उनकी पदोन्नति रुकती है तो आप उनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि वह पढ़ाई का काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अध्यापक हैं यह हमारे बच्चों के मस्तिष्क का निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं, गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं उनके जीवन का निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उनके अन्दर आज यह भावना पैदा हो गई है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको पदोन्नति नहीं मिल रही है तो वह किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस प्रकार उनका विकास कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत से ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिनको शिक्षा विभाग में ले लिया जाता है, लेकिन बहुत से ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो पंचायत समिति में हैं और उनको विभाग में नहीं लिया जाता है। उनको कहते हैं कि तुम पंचायत समिति में हो। इस सम्बन्ध में हमने इसलिए ही आवाज उठाई थी कि प्राईमरी एजुकेशन को वापिस पंचायत समितियों से ले लिया जाय, लेकिन सरकार ने कहा कि ऐसा करने का हमारा इरादा नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर सरकार का इरादा नहीं है- लेकिन आप इन

(श्री शंकरलाल)

अध्यापकों के साथ में सौतेला व्यवहार तो मत कीजिये। उनको आप समानता का अधिकार दें। मेरा निवेदन है कि प्राईमरी स्कूल जो गाँव में हैं, इनके जो अध्यापक हैं उनकी सुविधाओं की ओर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय मैंने एक कटौती प्रस्ताव जैतारण हाई स्कूल के बारे में रखा है। आप ताज्जुब करेंगे कि जैतारण ख़ास के अन्दर जो एस. डी. ओ. तहसीलदार हैड क्वाटर है, वहां पर हाई स्कूल होते हुए भी भवन नहीं था। वहां की जनता ने करीब ७० हजार रुपये इकट्ठे करके दो ब्लॉक्स स्कूल के बनवाये। उपाध्यक्ष महोदय, जैतारण का जो इलाका है, वह किसानों का इलाका है, वहां से दो रुपये, चार रुपये, पांच रुपये हर व्यक्ति से इकट्ठे करके यह भवन बनाया, लेकिन वह अधूरा रह गया तो भी गवर्नमेंट की तरफ से उसको पूरा करन के लिए पैसा नहीं मिला। यह बात सही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कूलों के भवन बनाने की नहीं है। लेकिन हमें ज्ञात हुआ है कुछ पैसा चेरिटेबल फंड का है, वह कुछ लोगों के डिस्पोजल पर रहता है जो विकास के काम पर खर्च किया जाता है। यह जो चेरिटी फंड इकट्ठा किया जाता है, मैं समझता हूं कि इसको ऐसे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए, जिससे कि जनता का उत्साह बढ़े और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं वह पूरे हों। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने फंड में से नहीं तो उस फंड में से किसी प्रकार रुपया दिलवा कर इस कार्य को पूरा करें।

अन्त में निवेदन करूंगा कि शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है। दोनों ही हमारे जीवन के बड़े आवश्यक अंग हैं, दोनों के साथ बड़ी सीरियसली चिन्तन होना चाहिये ताकि हमारी सोसायटी आगे बढ़े और हमारा राजस्थान जैसा दूसरी का स्टेट्स पुराना ढ़चरा है, पुराना पैटर्न है, उसी के अनुसार चले, यह नहीं बल्कि इसमें नवीनता लाने के लिये कमेटियों का निर्माण करना चाहिये।

एक बात मैं अब चिकित्सा के क्षेत्र के सम्बन्ध में कहूंगा। वैसे बहुत से शफाखाने, बहुत सी डिस्पेन्सरीज हुई हैं पर कहीं कम्पाउन्डर्स नहीं हैं, कहीं डाक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है, कई जगह दवाइयां नहीं हैं, कहीं पट्टियां नहीं हैं. कहां कहां का हाल सुनाऊं, उन सारी बातों में मैं नहीं जाना चाहता। पर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जगह जगह शफाखानें खोलने की नीति छोड़ दीजिये अगर आपके पास स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं, तो फालतू के जगह जगह शफाखानें नहीं खोलें। आप तो एक काम करें, इनके स्थान पर मोबाइल यूनिट्स खोल दीजिये। मोबाइल यूनिट्स हैं राजस्थान में, वे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हमने तो सुना है कि एक या दो मोबाइल यूनिट्स हैं, मेरे क्षेत्र जैतारण में यह मोबाइल यूनिट काम करता है, वह बड़ी अच्छी सेवाएं देता है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करता है, सर्जरी करता है, निदान, जांच करता है, उसमें सारा स्टाफ है, सारा अमला है। इस तरह के मोबाइल यूनिट्स आप खोलिये जो दूर दूर के इलाकों में, जैसलमेर, बाड़मेर जाकर काम करें। ऐसे यूनिट्स दूर दूर के इलाकों में काम करें तो बहुत अच्छी सेवा जनता की इनके द्वारा हो सकती है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह के मोबाइल यूनिट्स की संख्या बढ़ानी

(श्री शंकरलाल)

चाहिये । एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक मोबाइल यूनिट हो जाय तो आपके खर्च में भी बड़ी भारी कमी होगी और लोगों को बड़ा लाभ इनसे पहुंचेगा । आपका खर्चा बहुत कम हो जायगा, स्टाफ की दिक्कतों से आप बच जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्रकुमार ।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में आज हमारा क्षेत्र उदयपुर है उसमें जो शिक्षा का प्रचार हुआ है और आजादी के बाद पहाड़ी एरिया में आदिवासियों और पिछड़े लोगों को शिक्षा प्राप्त कराने के लिये जो प्रोत्सा-हन सरकार द्वारा आदिवासियों को मिला उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । शंकरलालजी ने जो अध्यापकों के बारे में बात कही है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के अध्यापकों के साथ आज किस प्रकार का व्यवहार होता है, वह हम जानते हैं । जो ब्राह्मण या ऊंची कौम के अध्यापक हैं, लोग हैं उनका आज पिछड़ी जातियों के अध्यापकों के साथ जिस प्रकार का भेद-भावपूर्ण व्यवहार होता है वह उचित नहीं है । अध्यापक किसी जाति का हो, शिक्षा के मामले में जातिपांति का भेदभाव नहीं चल सकता । अगर शिक्षा में ऐसा भेदभाव चलता रहा तो हममें बहुत बड़ा फरक पड़ जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिविजन में बहुत से आदि-वासी छात्र हैं, टूटी फूटी, सड़े गले अनाज की रोटी खा कर वे आज अध्ययन करते हैं और जब वे मिडिल स्कूलों में, हायर सैकेन्डरी स्कूलों में जाते हैं तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, उनकी गरीबी की हालत होने के कारण बिना छात्रवृत्ति के वे लोग आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन गरीब छात्रों को ज्यादा से ज्यादा छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रबन्ध करें ताकि वे लोग पढ़ सकें और दूसरे वर्गों की बराबरी में आ सकें ।

इसके साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके हाई स्कूलों से कॉलेजों से निकलते हैं नौकरियों में लगाने के लिये काम धंधों पर लगाने के लिए सरकार की ओर से सहयोग मिलना चाहिये । इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान सेवा संघ में जो अध्यापक हैं जो ४२ से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी आज यह हालत है कि वे अपने बच्चों का पूरी तरह भरण-पोषण तक नहीं कर सकते हैं वे बच्चों को भूखे रख कर भी आज शिक्षा को फैलाने का काम करते हैं पर उनकी तनख्वाह में बढौत्तरी नहीं होती हैं । गवर्नमेंट की नौकरी में काम करने वाले अध्यापकों को और दूसरे कर्मचारियों को जब जब तनख्वाह में बढौत्तरियां दी जाती हैं उस समय इन अध्यापकों की भी वेतन में बढौतरी करनी चाहिये ।

मैं थोड़ा सा चिकित्सा के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा । उदयपुर डिविजन पहाड़ी क्षेत्र है और आदिवासियों का एरिया है । आदिवासियों में कोई बीमार हो जाता है तो उसको लेकर आदिवासी उदयपुर में आते हैं, वहां उनकी क्या हालत होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता है, बाहर ही पड़े रहते हैं, उनको कोई सहूलियत नहीं मिलती है । फीस के बिना कोई डॉक्टर उनकी सुनवाई नहीं करता,

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

पैसा उनके पास फीस देने के लिये होता नहीं है, इसलिये उनको कोई सहूलियत नहीं मिलती है और भयंकर से भयंकर बीमारी के मरीज को उन्हें मजबूर होकर वापिस घर ले जाना पड़ता है और घर पर ही वह मरीज बिना किसी प्रकार के इलाज के मर जाता है। इस फीस की क्रिया को समाप्त किया जाय। डॉक्टर लोग पैसा मांगते हैं और पैसा नहीं होने के कारण बीमार को वैसे ही बीमारी की हालत में लेकर वापिस घर जाना पड़ता है। इसलिये......

(२.४५ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

सभानेत्री महोदया, मैं आपकी मार्फत चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस तरफ ध्यान दें। आदिवासियों में भयंकर बीमारी हो और वे उदयपुर आते हैं तो उनको दवाई लिख देते हैं, पैसा नहीं होने के कारण टी. बी. होस्पिटल में भर्ती करने वाले, उनको भर्ती नहीं करते हैं। क्योंकि फीस लेते हैं, फीस के लिये पैसा नहीं होने के कारण टी. बी. के मरीजों को वापिस घर ही ले जाना पड़ता है। मेरे सामने इस तरह की लोगों की शिकायतें हुई है कि टी. बी. होस्पिटल में भर्ती नहीं करते हैं और मरीज घर पर जाकर बिना इलाज के ही मर जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था के बारे के आप ध्यान दें। और गरीब आदिवासियों को पूरी तरह से चिकित्सा की सुविधा प्राप्त हो सके, इस प्रकार का प्रबन्ध करें। यही खास बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभानेत्री महोदया, मैंने चिकित्सा और शिक्षा दोनों विषयों के बारे में कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मैं उनके बारे में सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं पहले मैं चिकित्सा को लेता हूं बाड़मेर में चिकित्सालयों का हैडक्वार्टर नहीं है और मैंने इसके लिये मांग रखी है।

श्रीमती सुमित्रा : चिकित्सालयों का हैडक्वार्टर ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : चिकित्सालय अधिकारी का।

राजस्थान के २६ जिलों में से बाड़मेर, जैसलमेर और झुंझुनूं ये तीन जिले ही ऐसे हैं जिनमें जिला चिकित्सालय अधिकारी का कार्यालय नहीं है।

मैं चाहता हूं कि बाड़मेर नगर जिसकी आबादी इस समय करीब ४० हजार है और वह सीमावर्ती क्षेत्र का बड़ा महत्वपूर्ण नगर है, बाड़मेर जिले की भी आबादी इस समय ८ लाख है। १९६१ में इसकी आबादी ६,४६,००० थी, अब करीब ८ लाख है और गंगानगर के बाद दूसरा बाड़मेर जिला ही है जिसमें आबादी ज्यादा बढ़ रही है और यहां पर शरणार्थी हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ तब से बहुत शरणार्थी आए हैं। ऐसे बड़े क्षेत्र में और बाड़मेर नगर में सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते इसका विशेष महत्व है। यहां बी० एस० एफ० का हैडक्वाटर है। परन्तु यहां जिला चिकित्सा कार्यालय न होना खटकता है। मैंने प्रश्न भी पूछा था और सरकार विचार कर रही है कि बाड़मेर, जैसलमेर दोनों का जिला चिकित्सालय स्थापित किया जाय और हैडक्वाटर बाड़मेर नगर में स्थापित किया

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जाय। मैं चाहता हूं कि जल्दी इस संबंध में सरकार निर्णय ले और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार इस मांग की पूर्ति करेगी।

बाड़मेर जिले में मैंने कभी भी लेडी डाक्टर को नहीं देखा है। कभी भी उसकी नियुक्ति नहीं हुई। आजादी मिले २१ साल हो गए हैं परन्तु लेडी डाक्टर की इस जिले में कभी भी नियुक्ति नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि लेडी डाक्टर यहां जल्दी भेजी जाय। जैसे पुरुष का इलाज करने की आवश्यकता है, उस तरह औरतों के इलाज की भी आवश्यकता है। इसलिए हमारे जिले में एक लेडी डाक्टर अवश्य भेजी जानी चाहिए।

बाड़मेर जिला में पहले तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा क्षेत्र था, परन्तु दो तीन साल से भयंकर अकाल के कारण यहां के लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता जा रहा है और बहुत से लोग तपेदिक से पीड़ित हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए क्षय केन्द्र खोलकर इस रोग के निवारण की व्यवस्था होनी चाहिए।

यहां प्रसूति गृह की भी आवश्यकता है, बालोत्तरा में भी नहीं हैं। इसकी भी जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाय।

पागल कुत्तों के काटने के मामले बाड़मेर नगर में बहुत होते हैं वहां पर बहुत जैनी लोग रहते हैं और पागल कुत्तों के काटने के केसेज ज्यादा होते हैं तो इस ओर से जल्दी व्यवस्था करें।

चिकित्सा मंत्री : (श्री बृजसुंदर शर्मा) सारे पागल कुत्ते वहीं हैं ?

श्री वृद्धिचंद जैन : सारे तो नहीं लेकिन काफी है। वहां से लोगों को जोधपुर जाना पड़ता है इन्जेक्शन लगवाने के लिए, यह व्यवस्था महंगी पड़ती है।

मैं यह भी चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में भारत सेवक समाज की एक होम्योपेथी की डिस्पेन्सरी चल रही है और उसमें करीब २० हजार रुपये खर्च कर दिये हैं और पूरी तरह से वह अच्छी तरह से कार्य कर रही है। मैं इस संबंध में यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार का अपने दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। एलोपेथी का इलाज बहुत ही महंगा पड़ता है, गरीब आदमी नहीं करवा सकते और इसके लिए राज्य सरकार को होम्योपेथी के प्रचलन के लिए विशेष जोर देना पड़ेगा, इसका इलाज सस्ता है, दवाइयां सस्ती है। अगर इसके लिए माकूल डाक्टर है और हिस्ट्री की अच्छी तरह से जज करके दवाइयां देता है तो इलाज भी अच्छी तरह से हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हमने बड़ी मेहनत से जो होम्योपेथी की डिस्पेन्सरी स्थापित की है राज्य सरकार इसके लिए अनुदान देकर इसको प्रोत्साहन दे।

अब मैं शिक्षा के संबंध में विचार रखना चाहता हूं। हमने अभी तक जो कदम शिक्षा के बारे में उठाए हैं उनको हम प्रगति के कदम नहीं कह सकते। शिक्षा के बारे में हमें बहुत ही आमूल नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। आज हम यह देखते हैं भ्रष्टाचार सभी क्षेत्रों में फैल गया है, किसी भी विभाग में देखें तो भ्रष्टाचार फैल गया है, राजनैतिक पार्टियों को देखें तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की आवाज आती है, इससे

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रजातंत्र को बड़ा मारी खतरा पहुंचता है। इसका मुकाबला करने के लिए शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा और इसके लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए। हमारे जितने राष्ट्रपति हुए हैं राजेन्द्र प्रसाद, राधाकृष्णन व जाकीर हुसैन, सभी ने इसी बात पर जोर दिया है कि शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन किया जाय और वे शिक्षा की निति से संतुष्ट नहीं थे। परन्तु न तो केन्द्रीय सरकार और न राज्य सरकार ने इस नीति में परिवर्तन किया। क्या कमजोरी है? हमारे पहले जो शिक्षा मंत्री थे शिवचरण माथुर उन्होंने दिलचस्पी से कदम उठाए और बड़े शिक्षाशास्त्रियों को बुलाकर कान्फ्रेन्स बुलाई और श्वेत पत्र तैयार किया और उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो आगे ले जाने वाली थीं। उसके अंदर व्यवस्था थी कि विशेष तोर से बच्चों की शिक्षा जो रेगिस्तानी क्षेत्र में रहते हैं वहां लड़कियां अभी भी नहीं पढ़ती हैं, बच्चों की संख्या इतनी नहीं। इस प्रकार की कोशिश की जानी चाहिए कि उस क्षेत्र में जहां शिक्षा दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले में कम है उसमें विशेष तौर से उन्नति की जाय और कोशिश की जाय कि वहां आठवीं कक्षा तक ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाय।

यह भी दृष्टिकोण था कि हायर सेकेन्ड्री के बाद कालेज शिक्षा के लिए रेस्ट्रिक्टेड व सिलेक्टेड एडमिशन होना चाहिए। क्या होता है कि हायर सेकेन्डरी के बाद थर्ड क्लास विद्यार्थी भी कालेज में चले जाते हैं और फिर एम. ए. करने के बाद उनका भविष्य अंधकार में रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हायर सैकेन्डरी स्कूलस के बाद जो प्रथम श्रेणी विद्यार्थी हों या गुड सेकेन्ड डीवीजनर्स हों उन्हीं को सिलेक्ट करें और कालेजिंज में एडमिट करें। आज एम. ए. या इंजनियरिंग पास करने बाद हरेक सर्विस चाहता है कोई किसी धंधे या उद्योग में जाने को तैयार नहीं, वह अपना जीवन अंधकारमय पाता है। इसलिए शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे बाद में जीवन में जब हम आयें तो अपने आप धंधा करें, उद्योग करें, खेती का धंधा अपनायें न कि एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन ऑफीसर्स बनें, यह दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा।

वर्तमान शिक्षा मंत्री भी बहुत प्रोग्रेसिव व्यूज के है, मुझे आशा है वह इस संबंध में कदम उठायेगें और शिक्षा की प्रगति करेगें। शिक्षा की प्रगति में नैतिकता पर भी जोर देना है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ऐसी शिक्षा देनी है कि लोगों के जीवन में नैतिकता आये, अनुशासन आये और राष्ट्र के प्रति भावना पैदा हो। जब अंग्रेजों को निकालना है उस समय भी देश को आगे बढ़ाने की भावना थी। वह भावना भी आज हमारी नहीं है। इस प्रकार की हमारे देश में शिक्षा हो जिससे राष्ट्र के प्रति एक भावना पैदा हो, जिसके द्वारा अनुशासन आये और नैतिकता पैदा हो। यह भावना होगी तब ही आगे देश बढ़ेगा।

(३ म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

मेरे जिले की शिक्षा के सम्बन्ध में अब मैं आता हूं। मैं राज्य सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं कि बाडमेर में डिग्री कालेज की स्थापना की। भवन भी तैयार हुआ। उसके लिए ६ लाख १५ हजार का

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

प्रावधान रखा गया था उसमें से ५ लाख ८४ हजार रुपया खर्च भी हुआ। लेकिन अब तक भवन का पूरा निर्माण नहीं हुआ। इस वर्ष दस हजार रुपये की व्यवस्था की है। मैं चाहता हूं कि ३ लाख ३१ हजार की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं जो महत्व पूर्ण चीजें उनकी व्यवस्था अवश्य कर दें। महत्वपूर्ण चीजों में ये हैं। एक गैस प्लान्ट की वहां पर व्यवस्था होनी चाहिये। उसकी बड़ी आवश्यकता है। इसमें २० हजार रुपये की आवश्यकता रहेगी। उसका निर्माण कर सकते हैं। केमेस्ट्री और फिजिक्स के लिये लेबौरेटरी थियेटर नहीं हैं। लड़कों को हायर सेकेन्डरी स्कूल में जाना पड़ता है। वह वहां जाकर वे पढ़ते हैं। ये दो चीजें तो महत्वपूर्ण हैं ही। बाउन्डरी की आवश्यकता नहीं है। मैं भी उसके बारे में जोर नहीं देना चाहता हूं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसा मैंने अभी बताया, उन पर मैं जोर देना चाहता हूं। खेल का मैदान। वालीबाल, बास्केट बाल। इनकी व्यवस्था नहीं करने के कारण वहां पर आर.एस. को प्रोत्साहन मिला हैं। जितने कालेज और स्कूल्स हैं उनमें खेलों के मैदान नहीं हैं। विद्यार्थी कोई न कोई एक्टीविटी चाहता है। उनको स्कूल कालेज में यह एक्टीविटी न मिलने के कारण आर. एस.एस. के लोगों के पास पहुंच जाते हैं। यह भयानक स्थिति चल रही है। टीचर्स में यह एक्टीविटी बहुत चल रही है। व खुल्लम खुल्ला आर.एस.एस. की स्टूडेन्टस को ट्रेनिंग देते हैं। और क्लासेज लेते है। इसके लिये प्रतिबन्ध लगाना चाहिये और कोई स्ट्रिक्ट व्यवस्था करनी चाहिये। सेकुलर स्टेट में रहे हैं। यदि आर.एस.एस. की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं तो हिन्दू मुसलमानों का युद्ध छिड़ जावेगा। देश को आगे बढ़ने नहीं देंगे। कश्मीर की समस्या में भी यह अड़चन आवेगी। इस लिये आर. एस. एस. की एक्टीविटीज पर कन्ट्रोल करें।

और भी बातें निवेदन करना चाहता हूं। शिव सिणधरी और बाडमेर। तीन पंचायत समितियां हैं जिन में हाई स्कूल नहीं है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के राज्यपाल सरदार हुकुमसिहजी ने जो अभिभाषण यहां सदन में दिया उसमें विशेष तौर से इसका उल्लेख किया गया है कि ६ पंचायत समितियों में हाईस्कूल नहीं थे वहां हाई स्कूल कर दिये गये है। यह सही स्थिति नहीं है। इससे पहले १९६८ में वित्त मंत्रीजी ने भाषण दिया था उसमें भी उल्लेख था कि शिव और सिणधरी हाई स्कूल नहीं है वहां खोल दी जावेंगीं। बहुत से हाई स्कूल खुले हैं। पचपद्रा में खोल दिया है। ६८-६९ में बहुत से हाई स्कूल खोल दिये हैं। यहां हाई स्कूल क्यों नहीं खोले शिव बड़ा गांव नहीं हैं, गूंगा में हो सकता है हाई स्कूल। कुडल में मगनी की ढाणी में हाई स्कूल खोल सकते हैं। मकान वगैरा की भी वहां पर सुविधा हैं। सदैव आप इन क्षेत्रों की ओर उदासीन प्रवृत्ति अपनाते हैं। पानी की कठिनाइयां हैं। जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनकी विकास करने की व्यवस्था करें। शिक्षा मंत्रीजी के सामने यह प्रश्न आता है कि शिक्षा के बजट में नये स्कूल खोलने का प्रोविजन नहीं है। कैसे करें ? जब आपने कमिटमेन्ट कर दिया है, अभिभाषण में कहलवा दिया है राज्यपाल के द्वारा, वित्त मंत्रीजी ने कमिटमेन्ट किया, उसका सरकार को पालन करना चाहिये।

बिल्डिंग के बारे में कहना चाहता हूं। जब उपाध्यक्ष महोदय डिप्टी मिनिस्टर,

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

एजुकेशन थे उस समय कहा था कि चौहटन की हायर सेकेन्डरी बिल्डिंग को बढ़ाने का प्रोविजन करेंगे। पी० डबल्यू० डी० ने भी कोई प्रोविजन नहीं किया और एजुकेशन ने भी नहीं किया। यह कोशिश की जानी चाहिये कि भवन का निर्माण हो। पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनके लिये रिपेयर्स हो सके भवनों की उसके लिये व्यवस्था कीजिये, मकानों के निर्माण की व्यवस्था कीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्री कल्याणमल : सभापति महोदय, मुझे भी समय दीजिये।

श्री सभापति : इसके बाद में आपका नम्बर।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर जितना वाद–विवाद किया जाय, जितनी आलोचना, बहस मुबाहसा किया जाय उतना ही ज्यादा उपयोगी है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य सदन में होते तो और भी बातें रखते लेकिन अफसोस है कि शिक्षा के ऊपर वे जो आलोचना करते उसको सुनने से वंचित रहना पड़ा। सही बात यह है कि उधर लोगों के न रहने से हम लोगों में भी उत्साह कम हुआ है।

सभापति जी, यह बात मै मानती हूं कि पिछले वर्षों में हमारे शिक्षा विभाग का बजट बढ़ा है। काफी मात्रा में बढ़ा है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह भी स्वीकार करती हूं कि पहले के मुकाबले में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। पहले बहुत कम थे उसके मुकाबले में बढ़े हैं। परन्तु यह सन्तोषजनक नहीं मान सकती हूं। अफसोस है कि हम शिक्षा को अनिवार्य नहीं कर सके हैं हालांकि इन बीस वर्षों की आजादी के बाद यह हो जाना चाहिये। आज हमारे यहां शत प्रतिशत साक्षरता हो जानी चाहिये। लेकिन जो कुछ हुआ है, उसके लिये मैं शिक्षा विभाग की तारीफ कर सकती हूं। मन्त्री महोदय देखना यह है कि शिक्षा का विस्तार हो रहा है, शिक्षा में प्रसार हो रहा है, उसमें हमें क्वान्टिटी को नहीं देखना है। क्वालिटी देखें कि वह क्वालिटी है या नहीं। क्वालिटी की नजर से देखते हैं तो हमें नजर आता है कि शिक्षा की क्वालिटी दिन पर दिन गिरती जा रही है। यह मानती हूँ कि इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि एजूकेशन उन घरों के बाल बच्चों ने भी लिया है, जिनके लिये पढ़ना पहली बार हुआ है। जिनके बाप मां के घरों में वातावरण शिक्षा का नहीं था। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। यह हो सकता है कि उनके बच्चे एक दम शिक्षा में, पढ़ने में आगे नहीं आ सकते। सभापति महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। आज क्या हाल है ? जब हमारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई देखते हैं, हमें अफसोस होता है, हमारी जो क्वालिटी है, वह बुरी तरह से नीचे गिरती जा रही है। शिक्षा विभाग को अवश्य इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

Page No 106

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

दूसरा अहम् प्रश्न यह है कि जो १०० साल पहले मैकाले ने शिक्षा पद्धति कायम की थी, उसमें हमने कितना चेंज किया है, कितनी तब्दीली की है। मैकाले ने हमारे यहां बाबूगिरी की नींव डाली थी। आज उस नींव के ऊपर हमारी मंजिल बनती जा रही है। इसका नतीजा यह है कि आज जो कोई पढ़ लिख कर निकलता है, वह किसी काम धन्धे के लायक नहीं होता है। प्रेक्टिकल शिक्षा हम देते नहीं है। वह क्या करेगा, नौकरी की ओर जायेगा। मैट्रिक पास है, बी. ए. एम. ए. या किसी भी टैक्नीकल क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त है, हमारी शिक्षा ने उनमें एक रिस्क लेने की क्षमता आज तक पैदा नहीं की। काम करने में रिस्क नहीं ले सकते। हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेजों से निकले हुए लड़कों में सैल्फ कान्फीडेंस होना चाहिये, वह सैल्फ कान्फीडेंस उनमें नहीं है। आज हम देखते हैं कि कोई भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला लड़का, और एग्रीकल्चर के जो ग्रेजूएट निकलते हैं, वे अपने घर की जमीन पर खेती नहीं करेंगे। सीधे नौकरी के लिये निकलेंगे। इन लड़कों के जिनके अपने घर में जमीन है, अपने घर में ट्रेक्टर है, उनके कुओं में बिजली लगी हुई है, वे स्कूलों, कॉलिजों में प्रोफेसर बन रहे हैं। वे खुद अपने खेत की जमीन पर काम करने के लायक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा पद्धति गलत है। जिस ढंग से शिक्षा दी जानी चाहिये, वह नहीं दी जा रही है। वे कोई काम नहीं कर सकते। जो लड़के ७-वीं, ८-वीं में पहुंचते हैं कि उसके दिमाग में बाबूगिरी छा जाती है। किसान का लड़का हल को हाथ में लेना पसन्द नहीं करता है। हस्त उद्योग के कारीगर के लड़के को हस्त उद्योग का काम करने से नफरत हो जाती है। हालांकि वह अपने घर के धन्धे से ज्यादा कमायेगा परन्तु नौकरी के लिये जायेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे नौजवान क्लर्क, मास्टरी के पीछे दौड़ते हैं। वे इससे सन्तुष्ट नहीं हो सकते। उनको तनख्वाह कम है और वह गुजारे के लिये कम है। यह व्हाइट कालर की शिक्षा हमारे एजूकेशन ने दी है। हमारे एजूकेशन ने श्रम की महत्ता विद्यार्थियों को नहीं सिखाई। आज श्रम करने में उनको शर्म महसूस हो रही है। जब तक हमारी शिक्षा ऐसी नहीं हो कि विद्यार्थी काम करने को अग्रसर हो, वह उसे अपना गौरव बतावे तब जाकर हमारे लड़के काम के लायक बनेंगे और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। इन योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हमारा देश जितना आगे बढ़ना चाहिये, वह नहीं बढ़ रहा है। इसलिये नहीं बढ़ पा रहे हैं कि काम नहीं करते हैं। इसलिये लड़कों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। इस शिक्षा पद्धति को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। शिक्षा नहीं यह एक प्रकार की कुशिक्षा है और इसका नतीजा आपको दिखाई देता है रोजाना की इन हड़तालों में। हमारे स्टूडेण्टस् के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, वे अवज्ञा की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें हमारी शिक्षा पद्धति जिम्मेदार है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि छोटे कॉलेजों और गांव के स्कूलों में ऐसी शिक्षा पद्धति का प्रबन्ध किया जाय कि लड़के अपने हाथ से काम करें। गांव के स्कूलों को थोड़ी बहुत जमीन दी जाय, लड़के वहां अपने टीचर

Page No 107

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

के साथ काम करें। अगर स्कूल में ही खेत में जायेंगे, खेती का काम करेंगे, तो उनके दिमाग में बड़े होने पर खेती का काम करने में शर्म नहीं रहेगी। गांव में जमीन की कमी नहीं है। कुआ मिल सकता है, खुदवाया जा सकता है, दान में दिया जा सकता है। वहां टीचर्स ऐसे होने चाहियें, जितने एस. टी. सी. में जाय उनको खेती करने की तामील दी जाय। इसके अलावा हाथ उद्योगों को भी सिखाया जाय। आप कह सकते हैं कि हमने ऐसा प्रबन्ध कर रखा है। मैं मानती हूं कि ऐसा प्रबन्ध कर रखा है, इस प्रकार की क्लासेज लगती हैं, परन्तु इसका पूरा फायदा नहीं मिलता है। कितनी शिक्षा दी जाती है। कितने खुद सीखे और दूसरों को सिखाया, बताईये? इनका एक नमूना है, इंजीनियर, जो कॉलेजों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर निकले हैं। उनमें कई इलैक्ट्रिसिटी का डिप्लोमा लेकर निकलते हैं, लेकिन किसी मकान में इलेक्ट्रिक फिटिंग वे नहीं कर सकते, जांच कर सकते हैं, आर्डर दे सकते हैं, हाथ से काम नहीं कर सकते हैं। इतनी शिक्षा दूषित है टैक्नीकल वालों की। प्रेक्टिकल काम उनसे नहीं कराया जाता है। दूसरे मुल्कों ने जो तरक्की की है, उसका कारण है कि वे थ्योरी के साथ प्रेक्टिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं हमारे यहां इसका नामोनिशां नहीं है। किताबें पढ़ कर इम्तिहान दे देते हैं। इसलिये जब तक प्रेक्टिकल शिक्षा हम नहीं देंगे हम इन दोषों को अपनी शिक्षा पद्धति से दूर नहीं कर सकते। इसलिये यह जरूरत है कि हम अपनी शिक्षा पद्धति से इन दोषों को मुक्त करें। जरूरत है मैकाले ने जो नींव लगाई, उसको ऊखाड़ फेंकने की। आज के युग में नये ढंग की शिक्षा पद्धति चल सके, उस प्रकार की शिक्षा पद्धति को आपने नहीं अपनाया है। आपकी शिक्षा ने एक वरदान दिया है। वह वरदान है साम्प्रदायिकता। मैं शिक्षा विभाग पर दोष लगाती हूं कि आज साम्प्रदायिकता जिस कदर बढ़ रही है, जितनी साम्प्रदायिक भावना फैल रही है, जितना कम्यूनलिज्म चल रहा है, वह सब आपके स्कूलों से निकल रहा है। स्कूलों में जो टीचर्स हैं, वे आर. एस. एस. की भावना से भरे हुए हैं। शाखाएं चलाते हैं। आर. एस. एस. विचारक टीचर्स स्टूडेण्टस् को धमकाते हैं कि अगर तुम आर. एस. एस. की चलने वाली शाखा में नहीं गये तो नम्बर नहीं देंगे। यह सबसे बड़ा दोष, अभिशाप है। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उनमें वे यह भावनाएं भर देते हैं। नौजवान होकर, बड़े होकर वे आपके कॉलेजों में प्रोफसर, लेक्चरार तक पहुंच जाते हैं। जहां पर कम्यूनलिज्म का जहर फैल रहा है। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो आने वाले वर्षों में इसका कड़वा फल आपको भोगना पड़ेगा। यह राज्य सरकार का आदेश है कि जो आर. एस. एस. का सदस्य होगा, उसको राज्य की नौकरी में नहीं रखा जायेगा। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से पूछूंगी कि आज तक आपने कितने टीचर्स को आर. एस. एस. में होने की वजह से नौकरी से हटाया है? आपने यह नहीं बताया तो सोचना पड़ेगा कि टीचर्स में आर. एस. एस. की भावना नहीं है। सरकार ने यह नहीं बताया तो मैं मानूंगी कि सरकार इसे टालना चाहती है। सरकार ने अपनी आज्ञा का पालन नहीं कराया है। सरकारी स्कूलों में साम्प्रदायिक भावना जानबूझकर, आने वाली पीढ़ियों में यह जहर भयंकर रूप से फैलाया जारहा है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

इसका नतीजा क्या होगा ? ५–१० वर्ष की उम्र में यह जहर बच्चों में घोला जा रहा है और इसके लिये ग्राउण्ड बनाया जा रहा है । सारे के सारे देश में, प्रान्त में आपके शिक्षा विभाग की गलत नीति से यह जहर पैदा कर दिया है । जिस तरीके से यह फैलाया जा रहा है, उसके कदम कदम पर यह एहसास होता है । हम देखते हैं कि करोड़ों रुपया २०–२५ करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करके हमारी आने वाली पीढियों को हम जहर का प्याला दे रहे हैं । यह शिक्षा एक पीढ़ी के दिमाग में बैठाई जारही है । आज पांच साल के बच्चे में यह किया जा रहा हैं । आज देश के बहुत बड़े भाग में यह किया जा रहा है । शिक्षा के नाम पर उनमें कुछ और ही दीक्षा दी जा रही है । शिक्षा दें और इस दीक्षा को बन्द करें ।

सभापति जी, हमारा शिक्षा विभाग राज्य की संस्कृति के लिये, हमारे साहित्य की रक्षा के लिये क्या कर रहा है । इसके बारे में एक–दो बार नहीं, अनेक बार इस सदन के अन्दर मैं कह चुकी हूं और फिर भी कहने से बाज नहीं आऊंगी, मैं मानती आरही हूं और आज भी मान रही हूं कि हमारा शिक्षा विभाग हमारी राजस्थानी संस्कृति और साहित्य के विरोध में रहा है । उनकी नीति ऐसी रही है । जाने अनजाने में उन्होंने आज तक जो कुछ किया उससे हमारी राजस्थान की संस्कृति, साहित्य को बढ़ावा मिलना तो दूर रहा, उसको धक्का दिया है । आज जितना शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, उसका एक, दो प्रतिशत भी राजस्थान की संस्कृति और साहित्य पर खर्च नहीं किया जा रहा है । मन्त्री महोदय कहते हैं कि अकेदमी चल रही है । अकेदमी चल रही है लेकिन उसमें कितना एस्टेब्लिशमेंट में खर्च हो रहा है ?

सभापतिजी, पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीय-करण किया गया । इन पुस्तकों का एक नजर से मुलाहिजा किया जाय । दुःख होता है उनको देख कर । आप राष्ट्रीयकृत किसी अंग्रेजी पुस्तक का मुलाहिजा करिये । वे पुस्तकें राजस्थान के प्रकाशकों की नहीं है, राजस्थान के लेखकों की भी नहीं है । रैडियन और मैकमिलियन कम्पनी की है । यह हमारा धन भी आज भी कहां जाता है । विलायतों में जाता है । लन्दन की लिखी पुस्तकें, वहां के लेखकों की लिखी पुस्तकें, वहां की छपी पुस्तकें राजस्थान के छोटे-छोटे बच्चों के लिये दी जाती हैं । इसका यह मतलब हुआ कि देश में ऐसा कोई लेखक नहीं, ऐसा कोई प्रकाशक आज भी तैयार नहीं हो पाया कि हमारे देश के बच्चों के लिये वे पुस्तक देश में ही छाप सकें और देश में ही लिखवा सकें देश के लेखकों से । इसका यह मतलब हुआ कि अंग्रेजी की एक पुस्तक छोटी सी क्लासों में पढ़ाने लायक भी लिखने की क्षमता वाले लेखक देश में नहीं हैं । या तो आप यह कह दीजिये कि अभी तक हिंदुस्तान में अंग्रेजी में लेखक पैदा ही नहीं हुए । यह तो रही अंग्रेजी पुस्तकों की बात ।

अब मैं हिन्दी पुस्तकों की ओर ध्यान दिलाती हूं । इसमें भी राजस्थान के किसी लेखक का नाम नहीं आता । जो कुछ टैक्स्ट बुक्स में आर्टिकल्स आते हैं वह सब हमें दिया जाता है उत्तर प्रदेश के लेखकों का । राजस्थान का अपना कोई लेखक नहीं है ।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

क्या यहां कोई हिन्दी का साहित्यकार पैदा नहीं हुआ ? जितना मैटर दिया जाता है यू. पी. वालों का । यू. पी. में जो आर्टिकल्स प्रकाशित होते हैं । उनको संग्रह करके राजस्थान में पढ़ाया जाता है । आज हमारे राजस्थान में कोई हिन्दी का अच्छा प्रकाशक भी नहीं है । इनको प्रकाशन करने की हमारे घर में गुंजाइश नहीं है । अगर आज शिक्षा विभाग ने अवसर दिया होता यहां के प्रकाशकों को संरक्षण दिया होता तो ऐसे प्रेस यहां भी मिल जाते । इसका परिणाम यह हुआ है कि आज राजस्थान को अच्छे प्रेसों के लिये यू. पी. का मुंह देखना पड़ता है । आगरा, कानपुर और बनारस के प्रेसों में जाना पड़ता है । यह हालत राजस्थान में क्यों है ? आज शिक्षा विभाग में पुस्तकों के साहित्यकार और प्रकाशक के रूप में यू. पी. छाया हुआ है । आज राजस्थान के साहित्यकार और प्रकाशक की वहां कोई आवाज नहीं है । राजस्थान के लेखक को किसी भाव वहां नहीं पूछा जाता । पांच सात साल के बच्चों के लिये पाठ्यपुस्तकें लिखने वाले क्या राजस्थान में राइटर नहीं हैं ? या प्रकाशक नहीं हैं ? जबकि राजस्थान ने देश को शिक्षा मन्त्री दिया । श्री कालूलाल श्री मालीजी पूरे के पूरे देश के शिक्षामन्त्री रह चुके हैं । राजस्थान ने श्री कोठारी दिया जो यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के चैयरमैन हैं । राजस्थान ने डाक्टर मोहनसिंह मेहता दिया जो वाइस चान्सलर रहे हैं यूनीवर्सिटी के । तब क्या राजस्थान के दो करोड़ व्यक्तियों में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला आपको जो दूसरी चौथी क्लास के बच्चों के लिये पुस्तकें लिखकर दे सके ? यह हमारी राजस्थानी बुद्धि की उपेक्षा है । उपेक्षा ही क्या कहना चाहिये बेइज्जती की चीज भी है । जब हमारे यहां पुस्तकों की खरीद होती है तो राजस्थान के प्रकाशकों को नहीं पूछा जाता । सब यू. पी से आते हैं । राजस्थान में उनके लिये जगह नहीं है । राजस्थानी साहित्य और संस्कृति के लिटरेचर की खरीद नहीं की जा सकती होगी तो कहने भर के लिये पांच परसेन्ट । महरबानी कर दें तो दस परसेन्ट । राजस्थान के साहित्यिकों को क्यों नहीं पूछा जाता ? दुनिया जानती है कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में समझ सकता है, पढ़ सकता है, वह दूसरी जबान में नहीं समझ सकता, पढ़ सकता ।

श्री बरकतुल्ला खां : यहां की तो मातृभाषा हिन्दी है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूडावत : राजस्थानी भी है । ये हमारे शिक्षामन्त्री बात करेंगे तो राजस्थान की हिमायत में बोलेंगे पर क्रियात्मक रूप में राजस्थान के साहित्यकारों और प्रकाशकों की ये उपेक्षा ही करते जावेंगे जैसे करते रहे हैं ।

आज गांधी साहित्य की चर्चा चल रही है, बजट में कहा है । पर मैं जानती हूं कि इसमें भी गांधी साहित्य के लेखक यू. पी. के पूछे जावेंगे, राजस्थान के नहीं पूछे जावेंगे । तो में कहूंगी कि आप राजस्थान के साहित्यकों की ओर प्रकाशकों की ओर भी ध्यान दें । राजस्थान की संस्कृति की ओर भी ध्यान दें ।

हमारी टेक्स्ट बुक्स में जिक्र आता है सभी बाहर की बातों का । पर राजस्थान के भूगोल का वर्णन पूरा नहीं होगा ।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

राजस्थान के वीर नायकों के बारे में अधिक नहीं लिखा जावेगा, जो कुछ लिखा जावेगा वह बहुत थोड़ासा नाम मात्र के लिये। क्या राजस्थान का इतिहास जो देश भर में गूंज रहा है, उसको घर में स्थान नहीं मिलेगा ? क्यों ? दूसरे राज्य वाले अपने राज्य के बारे में विस्तार से लिखा करेंगे सब कुछ करेंगे, पर राजस्थान का औसत विद्यार्थी अपने राज्य के बारे में अपनी यहां की संस्कृति और साहित्य के बारे में यहां के नायकों के बारे में यहां के साहित्यकारों लेखकों देशसेवकों के बारे में नहीं जानता। मैं पूछती हूं शिक्षामन्त्रीजी आपसे कि आजतक राजस्थान के कलाकारों के बारे में आपने टैक्स्ट बुक्स में कुछ लिखा ? यहां के लेखकों के बारे में आपने कुछ जिक्र किया, कलम उठाई ? क्यों नहीं क्या राजस्थान कोई असभ्य या अशिक्षित पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है कि जहां ऐसे व्यक्ति ही नहीं हुए जिनके बारे में कुछ जा सकता हो। यह यहां की घोर उपेक्षा है हमारी राजस्थान की संस्कृति की और साहित्य की घोर उपेक्षा है।

इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। हमारे डिंगल का जो कोष जोधपुर में प्रकाशित किया जा रहा है। सीतारामजी लालरु द्वारा उस कोष में राजस्थानी कोष में एक लाख दस हजार शब्द हैं राजस्थानी के जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा बाहर के हिन्दी के उद्‌भट विद्वान भगवतशरण उपाध्याय तक ने की है। उन्होंने यहां तक कहा है कि इस कोटि का इस श्रेणी का हमारे यहां कोष हिन्दी तक में तैयार नहीं किया जा सका है। पर उस कोष की स्थिति क्या है ? उपेक्षित सा पडा है। बरसों से पडा है। कभी राज्य सरकार तो कभी केन्द्रीय सरकार कुछ अनुदान दे देती है और बस और वह भी रुला-रुला कर दिया जाता है। और दूसरे किसी भी राज्य में ऐसा कोष बना होता तो सरकार तुरन्त पूरा पूरा स्टाफ इसके लिये नियुक्त करती। पूरी पूरी मदद दी जाती और इसमें अपना गौरव महसूस करती। पर हमारे उस कोष के रचयिता श्री सीताराम जूतियां चटकाते फिरते हैं। मिनिस्टरों के यहां चक्कर लगाते फिर रहे हैं। उनकी कोई इज्जत नहीं की जाती। वे उद्भट विद्वान होते हुए भी एक सामान्य टीचर है। केवल एक टीचर की क्या इज्जत इस सरकार के सामने हो सकती है ? हालांकि अपने विषय का कितना ही बड़ा वह विद्वान हो। मेरा निवेदन करना है कि इस तरह के विद्वनों की इज्जत करे, उनको हर सम्भव सुविधाएं दें और इसमें अपने को गौरवान्वित महसूस करें। पर आपने इस नजर से कभी उनकी ओर नहीं देखा।

इसी तरह कुछ निवेदन करुंगी आर्चिव विभाग के बारे में। इस में पुरातन के जानकार की आवश्यकता है। जो विशेष भाषाओं को पुरानी भाषाओं का लिपियों का जानकार हो तभी इस में काम चल सकता है। इसमें भाषा के बड़े अच्छे जानकार की और पुरानी लिपियों के पढ़ने वाले की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादातर फारसी, उर्दू, डिंगल और संस्कृत पाली भाषाओं की। आज हमारे सामने सवाल यह आ रहा है कि पुराने हस्तलिखित काफी ग्रन्थ हमारे यहां उपलब्ध हैं पर उनको पढने

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

वाले आर्कीइव्ज विभाग में नहीं मिलते। पहले जो पुराने लोग सर्विस में थे स्टेटों के समय से आये थे वे जानकार थे, पर वे आज खतम होते जारहे हैं जो उस लिपि को पढ़ सकते थे। पर आज उनको भी तनख्वाह हम पूरी नहीं दे पाते। उनको एल. डी. सी. और यू. डी. सी. की तनख्वाह दी जाती है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि अगर आप ने इन लिपियों के पढ़ने वाले योग्य व्यक्तियों की इज्जत नहीं की, उनकी व्यवस्था नहीं की और ये प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ यों ही अनपढ़े पड़े रहे तो आपका साहित्य अन्धकार में रह जावेगा आपकी संस्कृति पिछड़ जावेगी। आपकी इज्जत करने वाला कोई नहीं मिलेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो इस तरह के एक्सपर्ट लोगों को आप उचित वेतन दीजिये और उनको पूरे साधन उपलब्ध करावें ताकि योजनाबद्ध तरीके से इसका काम चल सके और आपको अपने प्राचीन गौरव की झलक मिल सके अपने प्राचीन संस्कृति और साहित्यकी जानकारी मिल सके।

हमारे आर्चियोलोजिकल विभाग की तरफ से रोजाना सुनती हूं कि आज इतनी पुरानी मूर्तियां फलां जगह से चोरी हो गई, आज फलां जगह से चोरी हो गई। आज फलां जगह चौकीदार को मार कर मूर्तियां चुराकर ले गये, तो कल किसी को पीट कर ले गये।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब आपकी करोड़ों की सम्पत्ति जंगलों में बिखरी हुई पड़ी है जिसके लिए आपके पास इन्तजाम करने के लिए आदमी नहीं है, पैसा नहीं है क्योंकि वह बहुत खर्चीला है तो सभापति महोदय जो हमारी मूर्तियां जंगलों में बिखरी पड़ी है उनको उठाकर किसी म्युजियम में क्यों नहीं रख दिया जाता है? इनको चोरी होने से क्यों नहीं बचाया जाता है। न तो आपके पास इनकी फोटोग्राफ हैं और न नम्बर हैं और इनके अभाव में जो चोरी की मूर्तियां पकड़ी जाती हैं उनके लिए आपको कैसे मालुम हो सकता है कि वह आपके रक्षित स्थान की हैं या किसी और स्थान की हैं। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वह आपकी मूर्तियां हैं बिना फोटो के और नम्बरों के। इसलिए जो यह जंगलों में मूर्तियां बिखरी हैं उनको म्युजियम में रख दें और अंत में मैं विशेष समय नहीं लेकर आशा करूंगी कि आप हमारे ही घर में हमें कौने में डालकर नहीं रखें और शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि राजस्थान के साहित्य की, साहित्यकारों की और पब्लिशर्स की अपेक्षा शिक्षा विभाग न करें।

श्री सभापति : श्री कल्याणमल।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर सु०) : सभापति महोदय, मैंने चिकित्सा और शिक्षा के संबंध में दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं। मैं सबसे पहले शिक्षा के कटौती प्रस्ताव की ओर सदन का ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में हमारी सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह एक तरह से बहुत ही सराहनीय हैं। मैं जहाजपुर चेत्र को लेकर निवेदन करूं कि जहाजपुर में आज के १५ साल पहले केवल प्राईमरी स्कूलें थीं जब कि आज ८० प्राईमरी स्कूलें हो गयी हैं। फिर भी एक लाख की जनता जिस चेत्र में रहती है वहां और भी कमी है। वह कमी एकदम पूरी नहीं

(श्री कल्याणमल)

की जा सकती क्योंकि हमारी भूख हजारों वर्षों पुरानी हो गयी। वह भूख एकदम मिटाना चाहते हैं तो मिट नहीं सकती। माननीय महोदय, वहां आज ७ मिडिल स्कूलें हैं और एक कन्याओं की मिडिल स्कूल है। ३ हाईस्कूल हैं और एक छात्राओं की हाईस्कूल है। तो इस आंकड़े को देखते हुए जितनी तेजी से शिक्षा का विस्तार हुआ है वह सरकार के लिए सराहनीय है और इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना ही चाहिए। फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या वहां की है वह समस्या अभी भी पूरी नहीं हो पाई। तो मैं उस क्षेत्र की समस्या की ओर शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय जहाजपुर की हाईस्कूल में आज ५०१ छात्र हैं और वहां के हाईस्कूल में एग्रींकल्चर का विषय नहीं है। क्योंकि सारा का सारा क्षेत्र वहां पर देहाती है और किसान हैं और एग्रीकल्चर का विषय अगर वहां हो और शुरू से ही उन छात्रों को एग्रीकल्चर की शिक्षा मिले तो निश्चित रूप से वह खेती की ओर अपना काम कर सकेगें।

(३. ३६ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत सभानेत्री पदासीन)

तो में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां एग्रीकल्चर का विषय जरूर होना चाहिए। साथ ही उस स्कूल को हाईस्कूल से हायरसेकेंडरी स्कूल में बदलना चाहिए। जहां ५०० छात्र पढ़ते हैं वहां हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं हो और तहसील हैडक्वार्टर पर नहीं हो तो यह भी एक तरह की दुख की बात है।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि जो ७ मिडिल स्कूल हैं वह भी जैसी जगह पर हैं कि जहां मिडिल स्कूल हैं वहां सेन्ट परसेन्ट फौजी हैं और फौजियों के परिवार के बच्चों को शिक्षा मिलना जरूरी है। जो फौजी अपने परिवार को छोड़कर देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर जाकर तैनात रहें वह चाहते हैं कि उनके पीछे से सारे बन्दोबस्त हों। दूसरे लोगों में कोई कमान्डर बनाना चाहता है और कोई और कुछ बनना चाहता है लेकिन जो किसान लोग हैं वह सिपाही रहकर भी देश की सेवा करना चाहते है। सरकार का फर्ज होना चाहिए कि उस परिवार की शिक्षा के लिए कम से कम इन्तजाम करें। तो मैं निवेदन करूंगा कि लुहाडी, गोडाली और घोर के आसपास काश्तकार लोग रहते हैं और फौजी लोग रहते हैं वहां ३ मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल में परिवर्तन करना चाहिए और वहां की स्कूलों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।

साथ ही में यह निवेदन करूंगा कि गत सेशन में भी मैंने यह शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश की थी। इदन्दा मिडिल स्कूल के हैडमास्टर ने छात्रों को टी. सी. देते समय १०-१० रु० और १५-१५ रुपये बिना दस्तखत किये रसीद देकर लिये और वह पैसा करीब ३०० रुपया बना उसमें से कई छात्रों को तो छात्रवृत्ति मिलि थी वह काटी गयी। कई छात्रों के पास से नकद पैसा लिया गया और आज तक वह स्कूल के रेकार्ड में नहीं है और न कहीं दूसरी जगह है और उसकी सूचना देने के बाद एक साल गुजर जाने के बाद मैंने इसके सम्बन्ध में क्वेश्चन भी रखा था। उसको स्थगित किया गया और स्थगित क्वेश्चन भी आज तक पड़ा हुआ है पता नहीं। ऐसी सूचना देने के बाद भी यह विभाग इस तरह अगर मौन रहे और इस तरह का भ्रष्टाचार बढ़े

Page No 113

(श्री कल्याणमल)

तो मैं ऐसे मामले में इस विभाग को दोष दिये बिना नहीं रह सकता। तो माननीय सभापति महोदया, मैं शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि इसकी इन्क्वायरी करें और ऐसे गलत ढंग से पैसा इकट्ठा करने वाले मास्टर के खिलाफ सख्त कदम उठायें इससे उसका असर दूसरों पर पड़े और इस प्रकार का गलत काम दूसरे न करें। तो इस ओर शिक्षा मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए और इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिए। साथ ही दूसरा प्रस्ताव मैंने चिकित्सा के सम्बन्ध में दिया था। आज चिकित्सा की व्यवस्था को देखिये तो बिल्कुल ही कोई चिकित्सा की व्यवस्था राजस्थान में है ही नहीं इस तरह की व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदया, जहाजपुर तहसील में ग्राम शढ़रगढ़ तथा खजूरी वहां पांच साल गुजर चुके हैं इसके बाद भी वहां पर कोई डाक्टर की व्यवस्था नहीं है, न दवाइयों की व्यवस्था है। मैंने कई बार मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश की है, मगर आज तक कोई व्यवस्था नहीं। तो, माननीय सभापति महोदया, इस तरह की चिकित्सा की व्यवस्था है। आज कई जगह इस तरह की व्यवस्था है कि जो मरीजों के लिए दूध आता है तो उस दूध में पानी मिलाया जाता है, और दूध का टेस्ट करने वाले जो वहां पांच साल से बैठे हैं उनको वदला नहीं जाता है। गरीबों के दूध में पानी मिलाया जाता है और उसमें से दूध निकाल लिया जाता है।

माननीय सभापति महोदया, दूसरा प्रस्ताव मेरा यह है कि यह विभाग की त्रुटि है और माननीय मंत्री महोदय का काम है कि इसकी जांच करें कि कहां पर छोटे कर्मचारियों के साथ में अनुचित व्यवहार किया जाता है और एक विधायक अपनी कलम से लिखकर दे तो उसकी भी इन्क्वायरी नहीं होती है, और उलटे उसको प्रोत्साहन दिया जाय। इसके सिवाय और क्या ज्यादा शर्म की बात हो सकती है?

माननीय सभापति महोदया, यहां पर परिवार-नियोजन की ओर इस सदन का ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। यह जो मैंने बात कही है वह चिकित्सा विभाग की न होकर परिवार-नियोजन की व्यवस्था है। डाक्टरों का कर्तव्य हो जाता है कि उनके पास में जो मरीज आते हैं उनके साथ में और जो उनके नीचे के कर्मचारी हैं उनके साथ में जिस तरह से अपने परिवार के साथ में व्यवहार करते हैं उस तरह का व्यवहार उनके साथ में होना चाहिए। अगर डाक्टर अनुचित व्यवहार करे तो हमारे लिए बड़े दुःख की बात है। तो आज जो चिकित्सा की व्यवस्था है वह इस तरह की व्यवस्था है तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

आज मैं मंत्री गणों से भी इस बारे में कहना चाहूंगा कि जो मंत्री जांय वहां वे डाक्टरों के यहां ठहरें और डाक्टरों के यहां खाना खायें तो यह उचित नहीं है। जनता के जो प्रतिनिधि हैं वे कर्मचारियों के यहां खाना खायें यह उचित नहीं है वे जनता के आदमी हैं तो उनको जनता के बीच में रहना चाहिए। अगर वे अपने कर्मचारियों के यहां खाते हैं तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है।

श्रीमती सुमित्रा : नाम बतायें कि डाक्टरों के घर कौन खाने जाता है।

श्री कल्याणमल : नाम मैंने लिखकर दे दिया है। मैं नाम नहीं बताना चाहता। इस तरह की जो व्यवस्था है वह अनुचित व्यवस्था है, क्योंकि चिकित्सा हमारे लिए अनिवार्य है। हर आदमी समय-समय पर बीमार होता है, समय-समय पर हमको अस्पताल में जाना पड़ता है, हमारी औरतें भी जाती हैं, आदमी भी जाते हैं। अगर डाक्टर इस तरह का व्यवहार करें उनके साथ में तो यह बड़े दुःख की बात है।

और मेरा जो दूसरा प्रस्ताव था दूध में पानी मिलाने के बारे में कि दूध में पानी मिला दिया जाता है। और उसमें से दूध निकाल दिया जाता है, तो यह जो बात है, ऐसी व्यवस्था जो है वह गलत व्यवस्था है। उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे क्षेत्र में जो चिकित्सा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है वहां की डिस्पेन्सरी में दवाइयां नहीं हैं और वहां पर मकान की भी व्यवस्था नहीं है, तो इस तरह की व्यवस्था ठीक होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : सभानेत्रीजी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो शिक्षा आजकल दी जाती है उस शिक्षा में परिवर्तन आना चाहिए। अगर उस शिक्षा में परिवर्तन नहीं आता है तो मैं समझता हूं कि हमारे समाज का जो युवक है, जो मजदूर है, आज का जो किसान है वह असन्तुष्ट है।......

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मैं प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आपको भी दे दूंगी समय। माननीय सदस्य साढ़े चार बजे जवाब देने का है।

श्री नाथूराम : फिर अभी दे दें।

श्रीमती सुमित्रा : नाम बोला था आपने।

श्री नाथूराम : नाम नहीं फर्माया आपने और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है।

श्रीमती सभानेत्री : मैंने कहा था।

श्री मूलचन्द डागा : मैं बहुत कम समय बोला हूं। पांच दिन से बराबर समय नहीं मिला। दो या तीन मिनट मिलते हैं। और आज मैं एक नई बात कहना चाहता हूं। जीवन के मूल्य बदले जा चुके हैं। शिक्षा आज आपकी बिल्कुल असफल साबित हुई है। आज युवक कांग्रेस को और भारत सरकार को और जमाने को चुनौती दे रहे हैं। शिक्षा विभाग आज नई पीढ़ी को नहीं उठा सकता है। उसमें सारे के सारे वृद्धावस्था पाये हुए लोग हैं वे नई चीजों को नहीं ला सकते हैं। वे पुराने ढर्रे में ढले हुए हैं और पुराने ढर्रे पर ही इनको चलाना चाहते हैं। आज वे बालक समाज को नहीं दे रहे हैं जो अपना निर्णय ले सकें, काम कर सकें हिम्मत के साथ जमाने में। एक चुनौती विश्व को देता है आज का युवक। हमारे बरकतुल्ला साहब बड़े डेमोक्रेट कहे जाते हैं और हैं भी। उनको चाहिए कि तब्दीली उसमें करें।

(श्री मूलचन्द डागा)

शिक्षा-शास्त्री और मानव-शास्त्री सभी कहते हैं कि परिवर्तन चाहिए । घिसी-पिटी लीक को लेकर काम नहीं चल सकता है ।

मैं शिक्षकों के बाबत दो बातें कहना चाहता हूं । शिक्षकों के मामले में चार्ज शीट दी जाती है तो उनके साथ इस तरह से पेश आते हैं ऑफिसर लोग कि मानों वे लेबर यूनियन का काम करते हों, या पुलिस डिपार्टमेंट की एन्क्वायरी करते हों । मैं इमानदारी से कहूं कि शिक्षक के साथ जो पेश आने का तरीका है और आप जो बात करते हैं तो उनके साथ व्यवहार बिल्कुल अलग होना चाहिए । शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का व्यवहार एकशिक्षक के साथ दूसरा होना चाहिए जो कि देश का बनाने वाला है । उसके साथ व्यवहार में नये तरीके की जरूरत है । चार्ज शीट दे दी गई, सस्पेन्ड कर दिया गया । अगर आप शिक्षा-शास्त्री हैं, शिक्षा में नई तब्दीली लाना चाहते हैं तो उनके साथ जो शक्ति का तरीका है, जो पुलिस का तरीका है, जो एक आर० ए० एस० ऑफीसर का तरीका है उससे बिल्कुल अलग हो जाइये । यह तरीका उनको समझाने का नहीं है । वह देश का बनाने वाला है । उन पर देश का भार है सारे देश के निर्माण का । लेकिन मैं देखता हूं कि जो अधिकारी है जो कि ऑफिस में बैठते हैं वे नयेपन के साथ में नहीं बैठते हैं । उनमें नयापन होना चाहिए । वे जिस तरीके से शिक्षक को ट्रीट करते हैं मेरी प्रार्थना है कि नये जमाने के शिक्षक को ट्रीट करने का यह कोई तरीका नही है । शिक्षक एक ताकत है जो कि तब्दीलियां ला सकता है । देश की नई पीढ़ी के निर्माण का भार शिक्षक पर है । मैंने कई बार देखा है कि डाईरेक्टर, असिस्टेण्ट डाईरेक्टर और शिक्षा-शास्त्री जो बनाये जाते हैं उनके चेहरों पर शिक्षा नजर नहीं आती है । शिक्षा एक प्रभाव पैदा करती है । वह उनमें बिल्कुल खत्म हो चुकी है । वे यह नहीं जानते हैं कि आज का नौजवान क्या चाहता है । वे शिक्षक के साथ व्यवहार करते हैं कि तुमको सस्पेन्ड कर दिया जायगा । शिक्षकों को सस्पेन्ड आप क्या करते हैं । यदि विद्यार्थियों ने आन्दोलन कर दिया तो सस्पेन्शन अलग रह जायगा घेराव के द्वारा । डाईरेक्टर को शिक्षकों के बारे में बिल्कुल नया तरीका अख्त्यार करना चाहिए । एक तरीका होना चाहिए । जो तरीका आर० एस० एस०, जो पुलिस विभाग में तरीका होता है, वह कोई तरीका है । यह कोई तरीका है, जैसे वह बात करते हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पाली के अन्दर एक बांगड़ हाईस्कूल है । वहां पर हिन्दी, इतिहास, अर्थशास्त्र तो पढ़ाये जाते हैं । लेकिन नागरिक शास्त्र वहां नहीं पढ़ाया जाता है । इससे जो कन्या पाठशाला से लड़कियां आगे पढ़ने के लिए जाती हैं तो उनको कठिनाई होती है । इसलिये वहां भी नागरिक शास्त्र पढ़ाने का इन्तजाम होना चाहिए । मैंने कई बार कहा है, इसके लिए । आपको खर्च की जरूरत नहीं है मुकनचन्द बालिका स्कूल में उनको शिक्षा प्राप्त होती है । लेकिन हाईस्कूल में जाने पर उनकी वह शिक्षा समाप्त हो जाती है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

वहां भी ऐसा ही शुरू करें ।

श्रीमती सभानेत्री : आपने थोड़ा समय मांगा था।

श्री मूलचन्द डागा : मैं बहुत समय नहीं लूंगा। २-४ मिनट में समाप्त करता हूं।

पाली में आपने मिडिल स्कूल चलाने की व्यवस्था की है। लेकिन वहां बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। वहां पर एक भेड़ ऊन विभाग की बिल्डिंग खाली पड़ी है। बेकार पड़ी है। वहां चमगादड़ जाकर बैठते हैं।

श्री श्रीनिवास शारदा : सभापति महोदया, वह तो भेड़ों के लिहाज से बनी होगी।

श्री मूलचन्द डागा : यह भेड़ चाल उदयपुर में ज्यादा चलती है। पाली जिले में इन्सान ज्यादा बढ़ गये हैं। यह बड़ी गलत बात है।

श्रीमती सभानेत्री : आप भेड़ों पर मत बोलें, शिक्षा पर बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं चिकित्सा के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। (एक माननीय सदस्य के उठने पर) आप बैठिए। गंगानगर वालों के पास बहुत पैसा है। वह अपने यहां पर खोल सकते हैं। सभानेत्री महोदया, डाक्टरों की प्राईवेट प्रैक्टिस को रोक दिया जाना चाहिए। आज मेहता साहब भी आये हुए हैं। प्राईवेट प्रैक्टिस के बजाय उनकी तनख्वाह में कुछ रुपया बढ़ा दें अन्यथा नये डाक्टर आते हैं। नई शादी किये हुए, उनको दौलत चाहिए। उसके नशे में सेवा करना वह भूल जाते हैं। अस्पतालों की सरप्राइज चैकिंग होनी चाहिए। डायरेक्टर साहब को अधिकार है। वह अस्पतालों की चैकिंग प्रोग्राम के अनुसार नहीं करें। बल्कि सरप्राइज चैकिंग कीजिए। जो बीमार अस्पताल में पड़े हुए हैं, वह आपको सही हालत बतायेंगे। इसलिए अस्पतालों में सरप्राइज चैकिंग होना चाहिए। डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। अगर उनको नहीं रोका गया तो इसका मतलब यह होगा कि वह सेवा नही करेंगे। मजदूरों के एक ही तो मन्त्री हैं। उनको यह महसूस करना चाहिए। मजदूर भी अब महसूस करने लगे हैं कि देश के निर्माण में हमारा भी हिस्सा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि यह जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, उनकी व्यवस्था के अन्दर में मजदूरों का भी हिस्सा होना चाहिए। जिससे कि वह महसूस करें कि हमारा भी देश के निर्माण में हिस्सा है। अब वह जमाना नहीं रहा है। वह जमाना नहीं रहा है कि आप उनको मजदूरी के पैसों से खरीदें। महारजा उम्मेद मिल का मजदूरों का बोनस का कई सालों से झगड़ा चल रहा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अनुशासन में रहना चाहता हूं। इसलिए मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री नन्दलाल बैरवा!

(श्री नाथूलाल के खड़े होने पर) स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूलाल : बैठे बैठे दो घण्टे हो गये हैं।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर, आर्डर ।

श्री नन्दलाल बैरवा : माननीय सभानेत्री जी, चिकित्सा के मामले में मैं अपनी तरफ से राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। ७ फरवरी को हमारे बूंदी शहर के अन्दर आंखों के आपरेशन का एक शिविर लगा। आपरेशन कराने के लिए जो लोग आये, उनको बड़े अच्छे ढंग से रखा गया। आपरेशन का कार्यक्रम रखा गया। उसमें सभी प्रकार से कुल मिलाकर ६११ आपरेशन किये गये। कोटा डिवीजन से अन्धे, लूले, लंगड़े और ज्यादा से ज्यादा उमर के लोग आये। राज्य सरकार की ओर से प्रतिष्ठित व्यक्तियों की ओर से शिविर का इन्तजाम किया गया था। साथ ही कोटा मेडिकल कोटा बून्दी का मेडिकल स्टाफ की ओर से भी इन्तजाम किया गया था। वह अत्यन्त सराहनीय काम किया गया। जयपुर से हमारे मेहता साहब भी आये थे। वहां जो नेत्रहीन व्यक्ति थे वह जिन्दगी भर नहीं भूल सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार और चिकित्सा मन्त्री को मैं अपनी ओर से और जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं अपने क्षेत्र की ओर से भी चिकित्सा धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं चिकित्सा मन्त्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लाखेरी सीमेंट फैक्टरी है वह एक बहुत बड़ी फैक्टरी है। मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान ही नहीं लेकिन हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी फैक्टरी है। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से वहां पर कोई भी चिकित्सा की सुविधा नहीं है। कई वर्षों से हम यह प्रार्थना करते आ रहे हैं। लेकिन आज दिन तक वहां किसी प्रकार का इलाज का साधन नहीं बना है। उस फैक्टरी के आस पास लगभग चालीस हजार की आबादी है लेकिन इस चालीस हजार की आबादी के इलाज की व्यवस्था में कमी रहती है। जब कभी कोई एमर्जेन्सी का कैस होता है तो उसको कोटा, बूंदी लेकर जाते हैं और अक्सर रास्ते में ही रोगी पुरुष, महिला या बच्चा खत्म हो जाता है। ऐसे कई केसेज हुए हैं। लेकिन इस पर राज्य सरकार ने विचार नहीं किया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर एक शफाखाना होना जरूरी है एमर्जेन्सी कैसेज के के लिए।

इसके अलावा जो छोटे छोटे गांव हैं, जहां पर कोई यातायात के साधन नहीं हैं वहां पर औषधालय होना आवश्यक है। जैसे तहसील पाटन के ग्राम लाखेरी के अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर कोई यातायात के साधन नहीं हैं उस इलाके में आयुर्वेद औषधालय के साधन उपलब्ध कराये जांय और वहां पर ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा साधन उपलब्ध करने में सहयोग करने की कृपा करें।

इसी प्रकार परिवार नियोजन की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज परिवार नियोजन का बहुत बड़ा आन्दोलन किया जा रहा है लेकिन अभी मैं अपने क्षेत्र में गया था तो मैंने देखा था कि परिवार नियोजन के लोग गांवों में जाते हैं वह पंचायत समिति की जीप या मैडीकल की गाड़ियां लेकर आते हैं और मैंने यह देखा कि वह लोग पुलिस का सहयोग लेकर परिवार नियोजन करते हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो परिवार नियोजन अपनी मर्जी से कराना चाहे उसका कर देना चाहिए और जो परिवार नियोजन

(श्री नन्दलाल बरवा)

नहीं करना चाहे उसका जबरदस्ती परिवार नियोजन करने के लिए पुलिस का सहयोग नहीं लेना चाहिए। अगर इस प्रकार जबरदस्ती परिवार नियोजन किया जाता है तो पुलिस को देख कर गरीब जनता और महिलाएं घबरा जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके मन में ऐसा विचार नहीं आने देना चाहिए कि परिवार नियोजन अनिवार्य रूप से कराना पड़ेगा।

इसी प्रकार मैं श्रम मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान में हजारों मजदूर ऐसे हैं जिनका वेतन कोई स्थिर नहीं है। वह लोग डेली मजदूरी करते हैं और डेली मजदूरी प्राप्त करते हैं। आज तक भी राज्य सरकार की ओर से कोई ऐसा नियम नहीं बना रखा है कि डेली एक मजदूर को एक रुपया दिया जायगा या दो रुपये दिये जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी मजदूरी करते हैं चाहे वे खेती में काम करते हैं चाहे किसी और में काम करते हों लेकिन उनके लिए कोई इस प्रकार का नियम बनाया जाना चाहिए कि इससे कम मजदूरी उनको नहीं दी जाय।

मैं आपका लाखेरी सीमेन्ट कारखाने की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, वहां पर जो कारखाना खोल रखा है उसमें आये दिन झगड़े होते हैं। जब कि नियम यह है कि फेक्ट्री के अन्दर ठेका नहीं दिया जाय, वहां फेक्ट्री के लोग ठेका दे देते हैं और ठेके से ही काम कराते हैं। जब उनको यह कहते हैं कि ठेका नहीं दिया जाय और उस काम के लिए आदमियों को रख लिया जाय, तो भी वह ऐसा न करके ठेका दे देते हैं, या कभी कभी केजुअल लेबर रख लेते हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में जांच की जाय और जो यह ठेके की प्रथा है इसको बन्द किया जाकर बेरोजगारी की समस्या को खत्म करें।

इसी प्रकार मैं शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि बूंदी जिला शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। आज सबसे अच्छी शिक्षा बूंदी और कोटा खास में मिल सकती है। आस पास के गांवों की आबादी काफी है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर मिडिल स्कूल हैं उनको हाई स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाय……

श्री मूलचन्द डागा : बूंदी के तो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वहां पर दिन दिन मांग बढ़ती जा रही है।

श्री नन्द लाल बैरवा : लाखेरी सीमेन्ट फेक्ट्री है यह पचास साल पुरानी फेक्ट्री है लेकिन वहां पर आज भी हाई स्कूल है, हायर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है। मजदूर अपने बच्चों को अगर आगे पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर उसकी सुविधा नहीं है और उनकी स्थिति इस लायक नहीं है कि वह अपने बच्चों को कोटा, बूंदी या जयपुर भेज कर पढ़ा सकें। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि लाखेरी के अन्दर इस वक्त जो हाई स्कूल है उसको हायर सैकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित करें।

बूंदी जिले में आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर दस मील, बीस मील के अन्दर मिडिल स्कूल नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन

(श्री नन्द लाल बैरवा)

है कि जहां पर मिडिल स्कूल नहीं है वहां पर मिडिल स्कूल खोलने की कृपा करें।

इस प्रकार जो हमारे क्षेत्र के अन्दर शिक्षा के सम्बन्ध में कमियां हैं मुझे आशा है कि राज्य सरकार उनको पूरा करने की ओर ध्यान देगी।

साथ ही मैं एक निवेदन और कर दूं, मैंने पांच सात जगह जाकर देखा है कि स्कूलों में जो लड़के होते हैं और अध्यापक होते हैं वह आपस में छूआछूत करते हैं। जो मिडिल स्कूल में अध्यापक रहते हैं उनके पास पानी पीने के लिए अलग अलग गिलास होते हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्कूलों के अन्दर से छूआछूत को मिटाने की ओर ध्यान नहीं दिया जायगा तो आप कितना ही प्रयास करें, इस देश से छूआछूत की भावना मिटने वाली नहीं है। मेरा निवेदन है कि छूआछूत को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि जो स्कूल में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहां शिक्षा के द्वारा छूआछूत की भावना खत्म हो। अगर स्कूल में छूआछूत की भावना खत्म नहीं होती है तो फिर देश में छूआछूत की भावना खत्म नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा प्रबन्ध किया कि जो छूआछूत की भावना स्कूल में आपस में बरती जाती है वहां पर अलग अलग मटके और अलग २ गिलास होते हैं, सारे साधन अलग अलग होते हैं और जो लड़के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के होते हैं उनको अलग जगह पर बैठाते हैं, यह खत्म होना चाहिए। कई स्थानों पर मैंने देखा है कि छोटी जाति के लड़के होते हैं उनको एक साइड में बैठाया जाता है और दूसरी साइड में दूसरे लड़कों को बैठाया जाता है। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाय। इसके अलावा जो मैंने इस क्षेत्र की ओर समस्यायें रखी हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामकुमार नन्दवाना !

श्री नाथूराम : सभापति महोदया, मैं भी बोलने वाला हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामकुमार जी को बोलने के लिए कह दिया गया है।

श्री नाथूराम : मैं तीन घंटे से बैठा हुआ हूं। चेअर ने व्यवस्था दी थी कि मुझे समय दिया जायगा। इस पर चेअर की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आज मिल जायगा समय।

श्री नाथूराम : मैं तीन रोज से नहीं बोल पाया हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : आज समय मिलेगा !

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज !

श्री नाथूराम : मैं चेअर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं लेकिन हमारे साथ इस प्रकार सौतेला व्यवहार होता है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : आपको मेरे लिए जो व्यवस्था देनी हो वह दे दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामकुमार नन्दवाना !

श्री नाथूराम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चेअर की तरफ से यह व्यवस्था दी गई थी कि डागा साहब बोलेंगे उसके बाद तुम्हारा नम्बर आयेगा।

लेकिन अब चेअर की तरफ से अव्यवस्था हो रही है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आपके समझने में गलती हुई है। मैंने कहा था कि आप अभी बैठ जाइये, आपको भी समय दे दिया जायगा।

श्री नाथूराम : इससे तो हमें विरोध करने का मौका मिलता है……

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! आप स्थान ग्रहण करें। यह वाजिब नहीं है।

श्री नाथूराम : आपको जो व्यवस्था देनी हो वह मेरे लिये दे दीजिये। लेकिन यह सरासर चेअर के द्वारा पक्षपात हो रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामकुमार नन्दवाना !

श्री नाथूराम : अब मुझे बोलना नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बोलेंगे तब बताऊंगा अब मुझे बोलना नहीं है। मैं चार दिन से एक भी कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोला हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आपको समय मिल जायेगा।

श्री नाथूराम : तीन चार दिन से एक दिन भी नहीं मिला है।

श्रीमती सभानेत्री : आप व्हिप से कहिये।

श्री नाथूराम : व्हिप से क्या। जो लिस्ट दी हुई है उसमें मेरा नाम है। लेकिन चेअर की तरफ से सरासर पक्षपात बरता जा रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! आप चेअर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आप ऐसे न बोलें।

श्री रामकुमार नन्दवाना !

श्री नाथूराम : कोई अवहेलना नहीं है। चेअर के द्वारा पक्षपात हो रहा है।

श्री रामकुमार नन्दवाना : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को अगर नाराजगी है तो माननीय सदस्य को बोल लेने दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : अगर आप इन्कार करते हैं तो इनको समय दे दिया जायगा लेकिन फिर आपको·····

श्री नाथूराम : चेअर ने व्यवस्था दे दी है, आप बोलिये। खुद आकर यहां बोल जाती हैं। चेअर पर बैठी हैं वहां से आकर यहां आप बोल ली हैं। यह अच्छी व्यवस्था है, पार्टी इस तरह से चलने वाली नहीं है······

श्री रामकुमार नन्दवाना : माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़ जिले में भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के काल में आजादी मिलने से पहले २ हाई स्कूल, १०० प्राइमरी स्कूल्स और १७ मिडिल स्कूल्स थे आजादी प्राप्त होने के बाद में चित्तौडगढ़ जिले में राजस्थान सरकार ने ३१ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तीन सौ से ऊपर प्राइमरी स्कूल, ७० मिडिल स्कूल और १ कालेज आज चला रही है इसके लिये मैं राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पिछले १८—१९ सालों में शिक्षा के मामले में काफी काम किया है। फिर भी चित्तौड़गढ़ जिला एक इलाका है जो पहाड़ी इलाका है जहां आदिवासी रहते हैं, वहां शिक्षा की कमी है। सर्वप्रथम मैं चित्तौड़ शहर की शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, चित्तौड़गढ़ शहर में करीब ८—१० साल पहले कालेज खोल कर कालेज एज्यूकेशन को प्रारम्भ किया। वहां का कालेज भवन इस हालत में है कि जहां छात्रों के बैठने की पूरी व्यवस्था नहीं है, दो तीन कमरों में रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणिशास्त्र की प्रयोगशालाओं के रूप में काम में लिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था कि चित्तौड़गढ़ शहर के इस कालेज भवन के लिये और धन राशि रखनी चाहिये जिससे कि वहां छात्रों को सुविधा मिल सके। आज के वैज्ञानिक युग में वहां सब प्रकार की समुचित व्यवस्था नहीं हो तो क्या हालत हो सकती है। चित्तौड़गढ़ कालेज स्थापित हुआ था तो इस कालेज के भवन के लिये ३॥ लाख रुपया ही लगाया गया और आज तक वह बिल्डिंग अधूरी पड़ी हुई है। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जहां शिक्षा के लिये और प्रावधान रखे हैं वहां इस कालेज बिल्डिंग के लिये भी धन राशि का प्रावधान रखें। बजट में मालूम पड़ा है कि इस कालेज भवन के लिये १ लाख रुपया देना चाहते हैं वह दें। लड़कियों का वहां एक सैकेन्डरी स्कूल है, आज लड़कियों की शिक्षा की कितनी आवश्यकता है इस चीज को ध्यान में रखते हुए लड़कियों को शिक्षित बनाने के लिये और समुचित व्यवस्था करें। पिछले साल भी मैंने शिक्षा मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में निवेदन किया था, मैं आशा करता हूं कि इस साल इस ओर वे अवश्य ध्यान देंगे कि इस गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल को हायर सैकेन्डरी में क्रमोन्नत करने की कृपा करेंगे।

मैं कपासिन के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा कि कपासिन सब डिविजन हैड क्वार्टर है, कपासिन में केवल छोटे-छोटे गावों में भी हायर सेकेन्डरी स्कूल खुले हैं परन्तु कपासिन में केवल सेकेन्डरी स्कूल है। वहां १३०० छात्र हैं फिर भी हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं खोला गया है। इससे वहां लडकों को बड़ी असुविधा होती है, आगे पढ़ने के लिये वहां के छात्रों को चित्तौड़गढ़ जाना पड़ता है या कपासिन से जो छोटे-छोटे गांव है, यहां पर कि हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खुले हुए हैं, वहां पर जाना पड़ता है। इसलिये मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कपासिन के इस स्कूल को हायर सेकेन्डरी में इसी साल परिवर्तित कर दिया जाय।

इसके साथ ही मैं यह सुझाव दूंगा कि राजस्थान सरकार ने पिछले दो साल पहले प्रतापगढ़ में डिग्री कालेज खोला था। वहां

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

की जनता ने १ लाख रुपया दिया था, जितना जनता से सहयोग दिया था उतना ही धन सरकार द्वारा लगाये जाने का आश्वासन दिया गया था पर आज तक सरकार ने वहां पैसा नहीं दिया है। प्रतापगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रतापगढ़ में डिग्री कालेज खोला है उसके लिये सरकार धन की व्यवस्था करे और वहां डिग्री कालेज के लिये बिल्डिंग का अभाव है, उसकी पूर्ति करे।

मैं निम्बहेडा के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह भी सब डिविजन है, वहां हाई स्कूल की यह हालत है कि लड़कों के बैठने के लिये कमरे नहीं हैं, मैं शिक्षा मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर भी बिल्डिंग की समुचित व्यवस्था की जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चित्तौड़ जिले में कई सेकेन्डरी स्कूल चल रहे हैं, अनेक जगहों पर स्कूल बिल्डिंग्स अधूरी, अपर्याप्त होने के कारण लड़कों को बड़ी असुविधा होती है। पिछले साल ही हमने निवेदन किया था कि कहीं स्कूल बिल्डिंग के एक दो कमरे बने हुए हैं, छात्रों के बैठने के लिये कमरों का अभाव है, इस अभाव की पूर्ति की जाय तो पिछले साल ३६ हजार रुपया स्कूलों के भवनों के लिये दिया गया था वह काफी नहीं था, इसलिये मैं अपनी उस मांग को फिर दोहराना चाहता हूं कि जो स्कूल बिल्डिंग्स अधूरी है, अपर्याप्त हैं उनके लिये धन की व्यवस्था करिये।

मैं शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जहां हायर सेकेन्डरी स्कूल है, कपासिन में सेकेन्डरी स्कूल है, वहां के सौ सवा सौ लड़के बाहर जा कर वहां के कालेजों में कामर्स क्लासेज में पढ़ते हैं, क्योंकि चित्तौड़ कालेज में कामर्स नहीं हैं इसलिये वहां के लड़कों को उदयपुर या अन्य जिलों में जाना पड़ता है, तो राज्य सरकार से निवेदन है कि राज्य सरकार वहां पर कामर्स क्लासेज खोलने की व्यवस्था करे।

मेरी कान्स्टीट्युएन्सी में बसी, सावर, प्योमुण्डा में सेकेन्डरी स्कूलें थीं, वहां पर पिछले साल हायर सेकेन्डरी स्कूलों में विज्ञान विषय खोलने के आदेश निकाले, पर वहां आज तक विज्ञान की क्लासेज नहीं खोली गई हैं, आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान की शिक्षा की कितनी जबर्दस्त आवश्यकता है, वहां विज्ञान की क्लासेज नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर और उनके भविष्य पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, इसलिये मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वहां पर शीघ्र से शीघ्र विज्ञान की क्लासेज खोली जायं।

एस. टी. सी. स्कूल कपासन में इस समय चल रहा है, राजस्थान सरकार ने वहां पर छात्रावास बनाने का निश्चय किया था, ५० हजार रुपया भी उस छात्रावास पर लगाया लेकिन आज तक उस छात्रावास में कमरे अधूरे पड़े हैं, वह सारी बिल्डिंग अधूरी अवस्था में है, कमरों पर पट्टियां तक नहीं पड़ी हैं, इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आवश्यक धनराशि देकर एस. टी. सी. छात्रावास की इस बिल्डिंग को पूरा कराया जाय।

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

माननीय सभानेत्री महोदया, इसके अलावा मेरे कुछ नये सुझाव हैं, उन्हें मैं सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। वह यह हैं कि चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति का इलाका है जो कि पहाड़ी है, इस २०० स्क्वेयर माइल्स के पहाड़ी इलाके में जहां कि ज्यादातर आदिवासी और किसान रहते हैं, उस इलाके में बीस, बीस, २५, २५ माइल में कोई दूसरा सेकेन्डरी स्कूल नहीं पड़ता है, इससे छात्रों को आगे पढ़ने में अड़चन आती है और शिक्षा के प्रसार में बड़ी बाधा पड़ती है। इसलिये मेरी मांग है कि इस पंचायत समिति के क्षेत्र के गांवों में. बिजेपुर, तथा अन्य तहसील में पारसोली, और बंमौरी में सेकेन्डरी स्कूल खोले जावें। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इस ओर भी अवश्य ध्यान देगी। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस वर्ष इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने की कृपा करें।

इसके अलावा मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है चित्तौड़गढ़ जिले की चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में। माननीय सभानेत्री महोदया, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चित्तौ गढ़ जिला, जहां का मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग का प्रतापगढ़ में, मुख्य चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में है पर वहां पर आज इस प्रकार की अव्यवस्था हो रही है कि मैंने चिकित्सा मन्त्री महोदय को लिखित में और मौखिक भी निवेदन किया, चिकित्सा मन्त्री बार बार आश्वासन देते रहे पर वहां की व्यवस्था में सुधार नहीं किया है। चित्तौड़गढ़ में अस्पताल है, वहां दो डाक्टर हैं पर दोनों डाक्टरों के आपस में झगड़ा चलता है, इस वजह से वहां बड़ी अव्यवस्था है, एक लेडी डाक्टर है वह रिटायर्ड अवस्था में बैठी रहती है। गर्भवती महिलाएं वहां प्रसूति के लिये आती हैं पर लेडी डाक्टर सम्हाल नहीं पाती, उनको उदयपुर भेजना पड़ता है। डाक्टरों के झगड़े के कारण कई महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। अधूरी अवस्था में प्रसूती के लिये वहां से मोटर और जीप द्वारा उदयपुर भेजना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिये समुचित व्यवस्था की जाय।

एक मानीय सदस्य : अधूरी अवस्था क्या ?

श्री रामकुमार नन्दवाना : डिलिवरी के समय जब कि बच्चा आधा बाहर आया हो, वह अधूरी प्रसूति अवस्था है। प्रतापगढ़ जिला हेडक्वार्टर है वहां अस्पताल की व्यवस्था ऐसी हो रही है कि जो टी० बी० डाक्टर है वह भी नहीं। दवाइयां आती हैं, पता नहीं कैसे उनका आवंटन होता है। राज्य सरकार की नीति के आधार पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के लिए सालाना दो ढाई हजार की दवाइयां दी जाती हैं, वह बहुत कम हैं। राज्य सरकार को इस बारे में आवश्यक निर्णय लेना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

चित्तौड़गढ़ जिले में इस समय २० डाक्टर काम कर रहे हैं और वहां नौ अस्पताल, १३ डिस्पेन्सरीज और १२ प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स हैं। दो डाक्टर चित्तौड़गढ़ और

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

तीन प्रतापगढ़ में हैं, बाकी भी अधूरे हैं। १३ डिस्पेन्सरीज में करीब करीब ३-४ डाक्टर हैं। इस प्रकार केवल वहां २० डाक्टर हैं जबकि राजस्थान के अन्य जिले ऐसे हैं जहां डाक्टरों की काफी संख्या है जैसे अजमेर में ७१, जयपुर में १४६, उदयपुर में ६०। तो हमारे जिले के साथ क्यों भेदभाव बरता जाता है। कचेरा में, धोलूंडा में छोटा सादड़ी और निम्बाहेड़ा में डाक्टर नहीं हैं। वहां एक सब-डिवीजनल हेडक्वार्टर है वहां भी डाक्टर की व्यवस्था नहीं है। वहां बैड बढ़ाए जाने चाहिए। चित्तौड़गढ़ में २५ बैड की व्यवस्था है, जिला हेडक्वार्टर के नाते वहां ५० बैड की व्यवस्था की जानी चाहिए।

चित्तौड़गढ़ अस्पताल में ६ महीने तक एक्सरे की मशीन बंद रही। समय समय पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया। मुझे बताया गया है कि वह मशीन समय समय पर खराब होती है, बेकार रहती है। वहां एक्सपर्ट हैंड नहीं है इसलिए तृतीय व द्वितीय ग्रेड के कम्पाउन्डर्स इसको देखते हैं। इस कारण खराब हो जाती है, वहां पर एक्सपर्ट हैंड दिया जाय ताकि मशीन चलती रहे।

प्रतापगढ़ में जो हमारा जिला मेडीकल आफिस है वहां पर १९४७ और १९४८ से जो हैड क्लर्क है वह कम्पाउन्डर्स और डाक्टरों से पैसा खाता है, १९ साल से उसका तबादला नहीं किया गया। वह इस लाइसेंस होल्डरों से भी पैसा खाता है, हजारों रुपए रिश्वतें खाता है। मैं पुन: दोहराता हूं। राज्य सरकार इस ओर ध्यान दें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अब मैं आयुर्वेद के बारे में कहूंगा। चित्तौड़गढ़ जिला हेडक्वार्टर है, वहां बी क्लास आयुर्वेद अस्पताल है। वहां २८ हजार की जनसंख्या है इसलिए वहां बी क्लास का औषधालय पूर्ति नहीं कर सकता। मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया था कि जिला हेडक्वार्टर के नाते बी श्रेणी के बजाय इसको ए श्रेणी का औषधालय बनाया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदया, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने काफी खर्चा किया है और प्रतिवर्ष काफी पैसा खर्च होता है लेकिन शिक्षा की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि हमारे माननीय सदस्यों ने पहले बताया, शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शिक्षा में तरक्की जरूर हुई है लेकिन जो परिवर्तन करने चाहिए वह नहीं हुए हैं। आज अध्यापकों में और छात्रों में अनुशासनहीनता आती जा रही है। आज शिक्षा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि उसकी देख रेख हो सके। आज शिक्षा की नीति में परिवर्तन होता और अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता तो जगह जगह आंदोलन नहीं होते और राष्ट्र का नुकसान नहीं होता।

आजकल तबादलों की जो व्यवस्था है उसमें जिसका पक्ष होता है उसीका ही स्थानांतरण नजदीक में होता है। जिनका वसीला नहीं होता है वे दूर भेजे जाते हैं।

(श्री नाथूराम)

कई अध्यापक तो ५-५ १०-१० सालों तक एक जगह बैठे हैं, प्रार्थना पत्र पेश करते हैं, फिर भी उनका नजदीक में तबादला नहीं होता है। जैसे उदयपुर डिवीजन है वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां टेक्नीकल शिक्षा वाले बहुत कम अध्यापक मिले हैं। जैसे जयपुर और अजमेर से भी अध्यापक भेजे जाते हैं तो डूंगपुर और बांसवाड़ा के गांवों में रहन सहन और भाषा तक को नहीं समझ सकते उसे रहने में असुविधा रहती है। उदयपुर डिवीजन में अध्यापक हैं फिर भी वहां से उधर अध्यापक नहीं भेजे जाते। गत साल भी मैंने शिक्षा मंत्री से निवेदन किया था कि कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं ५-७ साल से जो अस्वस्थ रहते हैं, उनको असुविधा रहती है। सेक्रेटेरियट से तबादले होते हैं इशारे से तबादले होते हैं।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, राष्ट्रपति ने उनको शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है, तो वहां आदिवासियों को शिक्षा की सुविधा देनी चाहिए। जनता की तरफ से आदिवासी एवं अन्य लोग ५०-५० हजार के भवन तैयार करके देते है फिर भी माध्यमिक स्कूलों को सैकेन्डरी में और हायरसैकेन्डरी में परिवर्तन नहीं किया जाता है। मैंने गत वर्ष भी निवेदन किया था लगातार तीन साल से निवेदन करता आया हूं कि जैसे हमारा गढ़ी का हाई स्कूल वर्षों से चल रहा है, वहां विज्ञान पढ़ने के लिए दूर दूर के छात्र आते हैं। कई वर्षों से मांग है लेकिन इसको हायर सैकेन्डरी में परिवर्तित नहीं किया गया। जो कुछ कह रहा हूं मंत्री महोदय नोट तो करते नहीं।

(श्री बरकतुल्ला खां, शिक्षा मंत्री, माननीय सदस्य को अपनी डायरी दिखाते हैं)

हमें बताते हैं कि १२ साल का हायर सैकेन्डरी कोर्स शायद हो जाय इसलिए हमारे स्कूल का हायर सैकेन्डरी में परिवर्तन नहीं होता है। हर साल यह जवाब मिलता है। जो कुछ भी फैसला करना हो हायर सैकेन्डरी या सैकेन्डरी का लेकिन कोई न कोई निर्णय लेकर व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे मिडिल स्कूल बोरी १०-१२ साल से है, सैकेन्डरी की मांग है क्योंकि ५०-५० लड़के बोरी से गढ़ी पढ़ने जाते हैं। इसलिए इसको आगामी सेशन से परिवर्तन किया जाय। इस मिडिल स्कूल को सैकेन्डरी में और गढ़ी के हाई स्कूल को हायर सैकेन्डरी में परिवर्तन करने के लिए मेरा निवेदन है।

आज मैं मानता हूं शिक्षा की तरक्की हो रही है लेकिन शिडूल्ड कास्ट शिडूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। प्रथम व द्वितीय श्रेणी में जो आते हैं, उनको छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के विद्यार्थियों के लिए अधिक रकम छात्रवृत्ति के लिए रखनी चाहिए और गरीब लड़कों को वह मिलनी चाहिए।

बांसवाड़ा में प्रौढ़ महिला शिक्षा की व्यवस्था प्रतापगढ़ चल रही है, वहां तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम है, सरकार की तरफ से काफी पैसा खर्च होता है। उन महिलाओं

(श्री नाथूराम)

के लिए ८ वीं क्लास के साथ साथ शिक्षा प्रशिक्षण का कार्य भी सम्मिलित किया गया है । शिक्षा की नीति तो ठीक है । एस. टी. सी. ट्रेनिंग भी पाठ्यक्रम में है इससे सरकार की ओर से सर्विस मिलने की नीति मालूम होती है । लेकिन ९-१-६९ को निरिक्षिका उदयपुर से पधारीं तो उन्होंने महिलाओं को बताया कि तुमको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, तुमको नवीं क्लास में भर्ती होना चाहिए । प्रौढ़ महिलायें निराश हो रहीं हैं और उन्होंने सब जगह प्रार्थना पत्र भेजे । वहां परतापुर में प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है । गरीब महिलायें तीन तीन साल से अध्ययन कर रही हैं, एस. टी. सी. की ट्रेनिंग ले रही हैं । उन्होंने सब जगह प्रार्थना पत्र भेजे जिनमें श्री जगन्नाथसिंह मेहता, शिक्षा सचिव, श्री हरि मोहनजी माथुर, अपर निदेशक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा उदयपुर हैं । मेरे कहने का मतलब है कि सब जगह प्रार्थना पत्र भेजे हैं लेकिन राज्य सरकार से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है । जो गरीब परिवार की महिलायें हैं जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वहां अध्ययन करती हैं और एस. टी. सी. की ट्रेनिंग ली हैं उनको नौकरी अवश्य मिलनी चाहिए । अगर यह नहीं हुआ तो उन निर्धन महिलाओं का समय और सरकार का खर्चा सारा बेकार जायगा ।

इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग हैं वे अपना श्रम देकर, कर्जा करके भवन बनाते हैं स्कूल के लिये लेकिन सरकार की ओर से भवन निर्माण के लिये कोई रकम नहीं दी जाती है । शिक्षा के बजट में आप जब पैसा रखते हैं तो आपको आदिवासी क्षेत्र में भवन निर्माण के लिये पैसा रखना चाहिये । बिल्डिंग के लिये न भी मिले लेकिन मरम्मत के लिये तो पैसा हो ।

गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये।

श्रम के बारे में श्रम मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा में नियोजन का जो ऑफिसर है, दो तीन साल पहले उनका तबादला हुआ था लेकिन गये साल वापिस वहां आ गये । इन्डस्ट्री विभाग के हैं वहां जाना चाहते हैं, मंत्री महोदय ट्रान्सफर नहीं करते हैं । आपने खराब से खराब अधि-

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कारियों को गरीब आदिवासियों की सेवा के लिये भेजा है उनको हटा कर दूसरों को भेजें ।

चिकित्सा के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है लेकिन बांसवाड़ा में जो दवाखाना है वह पुरानी रियासत के समय का है । दवाखाना क्या घुड़साल बना हुआ है । कई बार सरकार से निवेदन किया । सुखाड़िया साहब को भी मुलाहिजा कराया । लेकिन कुछ नहीं हुआ । घुड़साल के समान दवाखाना है, मरीजों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये बांसवाड़ा के होस्पिटल के लिये भवन की व्यवस्था करनी चाहिये ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री नाथूराम)

गरीबों के लिये मुझे कुछ कहना है। लेडी डाक्टर नहीं होने से महिलाओं की सेवा नहीं होती है। राज्य सरकार कहती है कि आदिवासी महिलाओं की सेवा करती है। बांसवाड़ा में लेडी डाक्टर नहीं होने से उनकी सेवा नहीं होती है और बाहर गांवों से महिलायें आती हैं तो या तो मर जाती हैं या मिशन होस्पिटल में चली जाती हैं। हर साल महिलायें मरती हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कुछ समय आगे बढ़ा दें। संक्षेप में ही मैं कह रहा हूं।

प्रसूति गृह कि व्यवस्था नहीं होने से सैकड़ों महिलायें काल के मुंह में चली जाती हैं। आदिवासी क्षेत्र हैं, जगलों में महिलायें रहती हैं। उनकी चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। पंचायत समिति भूखिया में है चारों तरफ से अनास नदी घिरी हुई है। सैकड़ों महिलायें मरती हैं। प्रसूति गृह की व्यवस्था नहीं है। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। प्राइमरी हेल्थ सैन्टर पर लेडी डाक्टर को रखना चाहिये और प्रसूति गृह बनना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बांसवाड़ा अस्पताल सी श्रेणी का है उसको बी श्रेणी का बनाया जाय। गरीब लोगों की सेवा हो सकती है।

दो शब्द आयुर्वेद के बारे में भी निवेदन कर दूं आयुर्वेद विभाग ने दवाखाने खोल दिये। दवाइयां नहीं मिलती हैं। दस साल से देख रहा हूं कोई सुधार नहीं हुआ है। सरकार की ओर से काफी धनराशि मिलती है। व्यवस्था की कमी है। आयुर्वेद विभाग में पहले डाइरेक्टर थे और आज भी हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आपके द्वारा व्यवस्था चाहता हूं कि आयुर्वेद पर पैसा खर्च किया जाता है तो दवाखानों में व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिये। दवाइयां समय पर मिलनी चाहिये। गोदामों में दवाइयां सड़ती रहती हैं आपको उस क्षेत्र में डाइरेक्टर को साथ रख कर दौरा करना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो लाइन में ही समाप्त कर रहा हूं। बहुत से वैद्य दूर से भेजे जाते हैं जैसे सीकर झुंझुनू से। वहां उनको रहने से दिमाग काम नहीं करता है। हमेशा उनके दिमाग में रहता है कि तबादला हो जाना चाहिये। आदिवासियों की भाषा को भी नहीं समझते और रहन सहन को भी नहीं जानते। उदयपुर डिविजन के वैद्यों को ही उस डिविजन में रखना चाहिये ताकि वे लोग उनकी भाषा को समझ सकें।

आदिवासियों में मैट्रिक पढ़े लिखे लड़के हैं। चपरासियों के लिये उप वैद्यों के लिये जगह होती है, आदिवासी लड़के प्रार्थना पत्र भेजते हैं लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिलती है। उनको लगाना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शंकरलाल जाट।

कम से कम समय लें।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : सभापति महोदया, देखा जाय तो राजस्थान

(श्री शंकरलाल जाट)

में बहुत से स्कूल, कालेज खुले हैं। मैं समझता हूं शिक्षा के विषय में राजस्थान ने जो प्रगति की है उसका मूल्यांकन करना असंभव है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह नहीं कहा जा सकता कि क्या कमी है। ज्यों २ शिक्षा की प्रगति हुई कितने ही दोष हमारे सामने आगये। जो ज्यादा पढ़े हैं उनमें ज्यादा दोष है। हम देखते हैं कि स्कूल्स, कालेजेज इत्यादि में हड़तालें होती हैं, कालेज बन्द करने पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप जो छात्र छात्रायें पढ़ना चाहते हैं उनकी शिक्षा में बड़ी हानि होती है। फायदा उनको नहीं मिल पाता है। यहां तक अखबारों में पढ़ा था प्रधान के बारे में बड़े भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया था। मैं उनको नहीं कहना चाहूंगा। हमने इस पर सोचा नहीं और नहीं सोचेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा निकलेगा। और हर आदमी को महसूस करना पड़ेगा।

प्राथमिक शालायें पंचायत समितियों में दे रखी हैं। बहुत सी जगह एक एक दो दो लड़के हैं वहां भी एक मास्टर है और बहुत सी जगह ७५ लड़के हैं, १०० लड़के हैं फिर भी एक मास्टर है। वहां आये दिन लड़के फेल होते हैं। और उनको आगे की क्लासों में जाने पर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मैं आपका और शिक्षामंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने नियम बना रखा है कि ३० लड़कों से कम संख्या हो जाय तो वह स्कूल तोड़ दिया जाय। पक्षपात की नीति समझ लीजिये, हम ही लोग करते हैं, हमारे भाई करते है। इसलिये आप एक सख्ती का आदेश जारी कर दें कि कम से कम २५ लड़के हों नहीं तो वह स्कूल बन्द कर दिया जावेगा। कम से कम पन्द्रह तो हों। किन्तु एक एक लड़के वाले स्कूल में भी एक मास्टर और सौ और पिचहत्तर वाले स्कूल में भी एक मास्टर यह उचित नहीं है। इसलिये कृपा करके इसमें सुधार लाइये। जो ग्रेजुएट अध्यापक पंचायत समिति स्कूलों में है, वे बेचारे अपनी पदोन्नति से वंचित रहते हैं। कई वर्षों से ऐसे मास्टर हैं जो अपनी पदोन्नति से वंचित हैं इसलिये इसकी ओर सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिये।

जो स्कूल भवन निर्माण आप करते हैं उसके लिये आप १।।, २ हजार का चन्दा लोगों से लेते हैं। शहरों में आप ऐसा नहीं करते हैं। देहात ही ऐसे हैं जहां कि आपको सब तरह से योग मिलता है। शहरों में करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं कालेजों की बिल्डिंग में तब कम से कम कुछ रुपया देहातों पर भी खर्च किया जाना चाहिये। आशा है इसकी तरफ सरकार ध्यान देगी।

पाठ्य सामग्री इस तरह की है कि ६-६ महिने निकल जाते हैं किताबें लड़कों के पास नहीं पहुंच पाती हैं इसलिये वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मेरा एक सुझाव है। हमारा देश कृषि प्रधान है। इसलिये कम से कम कृषि को अनिवार्य विषय बनाकर प्राइमरी स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दें ताकि कम से कम बेकार लोग मारे मारे न फिरें। वे अच्छी तरह से खेती करना सीख जायेंगे और नौकरी के लिये मारे मारे नहीं फिरते रहेंगे। (घंटी)

(४.४२ म. प. श्री अध्यक्ष, पदासीन)

अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष : वक्त थोड़ा है।

श्री शंकरलाल जाट : राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में भी आपको थोड़ा नियन्त्रण करना चाहिये बहुत से ऐसे स्कूल हैं (घन्टी) जहां १००) की रसीद करवा लेते हैं और पैसा कम देते हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। बड़ी सादड़ी हायर सेकेन्डरी स्कूल में साइन्स की लेबोरेटरी...

श्री अध्यक्ष : ये बातें आप यूं ही कर लीजिये। अठे केवा में कई फायदो।

श्री शंकरलाल : एक-दो मिनिट में ही कह देता हूं। साइन्स लेबोरेटरी के लिये गांव वालों ने श्रमदान करके भवन बनाया है। गवर्नमेंन्ट की ओर से उसको सहायता नहीं मिली है, सो देने की कृपा करें। कपासन में हायर सैकेण्डरी स्कूल बनाया जाये। वहां सैकेण्डरी स्कूल है। जिसे हायर सैकेन्डरी में परिवर्तित करना अनिवार्य है।

श्री अध्यक्ष : सारे जिले के स्कूल आप ले लेंगे तो दूसरों का क्या होगा। जल्दी खतम करिये।

श्री शंकरलाल : चिकित्सा की दृष्टि से बड़ी सादड़ी का अस्पताल बाबा आदम के जमाने का है। पहले ठिकाने के घोड़े बधते थे, वहां आज अस्पताल है। दवाइयों की पूरी व्यवस्था नहीं है। पुराने ढंग के औजार हैं। इसलिये इसमें सुधार करिये। दवाइयों की दृष्टि से वहां ५००० का बजट है किन्तु दो हजार की दवाइयां ही वहां आती हैं, बाकि कुछ नहीं है। इसलिये इसकी तरफ आपको देखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपके कट मोशन्स में इतनी बातें नहीं हैं, उससे आप आगे जारहे हैं। समाप्त करें। बहुत हो गया, शंकर भाई।

श्री शंकरलाल जाट : मैं अर्ज कर रहा हूं कि जब मलेरिया होता है तो दवाइयां तब पहुंचती हैं जब वह खतम हो गया होता है। इस तरह फ्लू की दवाइयां फ्लू खतम होने के बाद भेजी जाती है। कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करें कि समय पर दवाइयां पहुंच जायें।

(समय सामाप्ति सूचक घंटी)

एक दो लाइन में समाप्त कर रहा हूं। बड़ी सादड़ी में एक प्रसुति गृह की स्थापना होनी चाहिये। निम्बाहेड़ा में भी प्रसुति गृह होना चाहिये। सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। कृपा करके इसकी तरफ ध्यान दीजिये।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। बिल्कुल पर्याप्त है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय का विभाजन होता रहा है। विरोधी पक्ष नहीं है। उनके लिये समय अलग रखते हैं। जो कांग्रेस का समय है, उस समय के अन्दर ही आपको बोलना चाहिये। आज आपने ज्यादा समय ले लिया है। समय का विभाजन तो रहेगा, यह परम्परा रही है। कल विरोधी दल आ जाये तो उस परिस्थिति में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है समय की। इसलिये पांच पांच मिनिट के अन्दर माननीय सदस्य भाषण करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करे।

श्री बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी को कह दें वहां के स्कूलों के सम्बन्ध में ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : नीति की बात हैं । स्कूलों को नहीं मांगूगा ।

श्री अध्यक्ष : ऐसी नीति क्या जबर्दस्त होगी । पांच मिनिट में कहेंगे ।

श्री बनवारीलाल (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान धौलपुर के सदर अस्पताल की ओर दिलाना चाहूंगा । वहां की जनता ने जब स्वास्थ्य मंत्रीजी धौलपुर पधारे तब तब धौलपुर के सदर अस्पताल को ए. ग्रेड में कन्वर्ट करने के बारे में निवेदन किया है । गत वर्ष मैंने विधान सभा में इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था । तब स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने सदन में आश्वासन दिया था कि धौलपुर सदर अस्पताल को 'ए' ग्रेड में कन्वर्ट करन के आदेश जारी कर दिये हैं लेकिन अफसोस है कि एक साल का समय होगया, आर्डर जारी हो गये किन्तु उसको कार्यान्वित नहीं किया गया है । बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आश्वासन दे दिया जाता है स्वास्थ्य मन्त्रीजी द्वारा फिर भी वह कार्यान्वित नहीं किया जाता है । इससे अधिक अफसोस की बात और क्या हो सकती है ।

इसी सम्बन्ध में, एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां आँई डाक्टर की सख्त आवश्यकता है । आँई के बारे में यह अस्पताल फेमस रह चुका है और दूर दूर के मरीज वहां आते हैं परन्तु इस विषय का डाक्टर आज वहां नहीं है । इसलिये वहां आँई डाक्टर की शीघ्र ही नियुक्ति की जाय । इसके अतिरिक्त वहां एम्बुलेंस का होना बहुत जरूरी है । मैंने सदन में इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था । वहां विभागीय एम्बुलेंस के आर्डर्स जारी हो गये हैं । लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है ।

"Bedford Chassis was allotted to this hospital for converting it into Ambulance vibe Director of medical & Health Sevices, letter No. NSEB/57 dated the 6th Fedruary, 1967"

परन्तु पता नहीं क्या करण हैं कि विभाग वाले मन्त्रीजी से सदन में यह जवाब दिलाते हैं कि कोई एम्बुलेंस अलॉट नहीं की गयी है । मन्त्रीजी को इस तरफ देखना चाहिए । दूसरा मैं स्वास्थ्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि धौलपुर के इस अस्पताल में भवन की कमी है । भवन को बढ़ाने के लिये और धनराशि उपलब्ध करें ताकि मरीजों को आराम मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय इसी के साथ साथ मैं राज्य के शिक्षा मन्त्री का ध्यान आपके माध्यम से वहां मल्टी परपज हायर सेकेन्डरी की ओर दिलाना चाहूंगा । इस स्कूल की स्ट्रेन्थ १४०० लड़कों की है । दो दो पारियों में बच्चों को पढ़ाया जाता है इसलिये वहां एक और हाईस्कूल की सख्त आवश्यकता है । सब को मालूम है कि धौलपुर एक डकैती इलाका है । वहां के कालेज की बिल्डिंग शहर से दो, तीन मील दूर है । लड़के, लड़कियों को वहां जाने में परेशानी होती है । बीच में रेल्वे क्रासिंग पड़ता है जिस पर विद्यार्थियों को बड़ी देर तक इंत-

(श्री बनवारी लाल)

जार करना पड़ता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कालेज बिल्डिंग को कहीं और शिफ्ट किया जावे चाहे राज्य सरकार धौलपुर के डाक बंगले में ही इसको शिफ्ट कर दे मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे अवश्य ही इस पर गौर करेंगे और उन्हें अगला सेशन शुरू होने के पहले ही इस पर डिसीज़न ले लेंगे ।

शिक्षा के बारे में मेरा एक निवेदन और है । पोस्ट ग्रेजुएटस् और ला क्लासेज चलाने की वहां सख्त आवश्यकता हैं । वहां के लड़कों को इन क्लासेज की व्यवस्था न होने के कारण यू. पी. और मध्य प्रदेश जाना पड़ता है । इसलिये यह बहुत ही आवश्यक है कि पोस्ट ग्रेजुएटस और ला क्लासेज वहां खोली जांय ।

श्री गोकुल प्रसाद (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की जो श्रम नीति रही है जहां राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है वहां राजस्थान के श्रम विभाग ने यह ख्याल नहीं किया कि महंगाई बढ़ी है तो सभी के लिए बढ़ी है । जनता में जो लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं उनकी मिनीमम वेजेज बढ़ाने का इरादा नहीं है । साठ रुपया मिनीमम वेजेज कर रखी है उसमें से भी इतवार के पैसे काट लेते हैं । राजकीय जितने भी संगठन चलते हैं, जितनी संस्थायें हैं उन सब इण्डस्ट्रीज में भी मिनीमम वेजेज लागू नहीं किये । आपके एक चपरासी को जितना वेतन मिलता है उससे भी कम जो टेकनिकल आदमी है, टेकनीकल पदों पर हैं उनको आपके चपरासियों से भी आधा वेतन मिलता है । श्रम विभाग ने मिनीमम वेजेज के अनुसार भी पैसा नहीं दिलाया । सरकारी विभाग भी जब पैसा नहीं देती हैं उसका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये । सरकार का श्रम विभाग भी लिहाज कर जाता है । जनता में जो नौकरी करते हैं उनको मिनीमम वेजेज देने की तैयारी करनी चाहिए । गांवों में जो मजदूर हैं, कृषक मजदूर हैं उनको भी मिनीमम वेतन दिलाया जाना चाहिए । आप मामूली मामूली बातों पर आर्डिनेन्स निकाल देते हैं । यह जो आवश्यक है उसके लिए नहीं निकालते । यह सेशन १५ अप्रैल तक चलने वाला हैं मैं चाहता हूं कि उस वक्त तक आर्डिनेन्स निकल जाना चाहिये । समाज में जो लोग काम करते हैं उनकी भी मिनीमम वेजेज बढ़ाने की कार्यवाही की जानी चाहिए ।

अब मैं चिकित्सा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । बीकानेर के मेडिकल कालेज में एम० एस० और एम० डी० की क्लासेज चलती थी उनको बन्द करने का आपका जो विचार है वह ठीक नहीं । डिग्री, पोस्ट डिग्री कालेज वहां होना चाहिए । डिप्लोमा तो आपने हटा ही दिया है । जयपुर में आप बढ़ा रहे हैं यहां एम० एस० और एम० डी० की क्लासे चला रहे हैं जब कि बीकानेर में हजार बैड्स का अस्पताल है, वहां ज्यादा मेडिकल फेसीलिटीज है, अच्छे डाक्टर्स हैं । वहां के प्रिन्सिपल ने अपनी मेहनत से लोगों से पैसा लेकर के, उन लोगों से जिनका इलाज किया उनसे यह प्रार्थना करके कि आप कुछ पैसा अस्पताल को बढ़ाने के लिये दीजिये इस प्रकार लोगों ने पैसा दिया है । कोटेज वार्ड बनवा दिये यह इस आदमी का जो योग है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता ।

(श्री गोकुल प्रसाद)

सरकार एक तरफ लाखों रुपया लगा रही है और दूसरी तरफ सब तरह की जहां सुविधायें हैं वहां पर एम० एस०, एम० डी० क्लास न खोलकर वहां से हटा रही है। इसलिए मेरा कहना है कि बीकानेर शहर सीमावर्ती क्षेत्र है, गंगानगर का इलाका भी पास हैं जहां सैकड़ों लड़के पढ़ते हैं उसकी अवहेलना न करें।

जयपुर में मिनिस्टर लोग रहते है, सेक्रेटरीज रहते हैं डाइरेक्टर रहते हैं सारे अधिकारी रहते हैं वे यही सोचते हैं कि उनके बच्चों के लिये यहीं पर व्यवस्था पढ़ाई की होनी चाहिए। उन्हीं को यहां सुविधायें मिलती है। जबकि सारे राजस्थान की जनता का पैसा लगता है इसलिए सबको समान अवसर दिया जाना चाहिये। मेरा आपसे निवेदन है जो सुविधायें बीकानेर को प्राप्त हैं उनको न हटाइये वे सुविधायें वापिस अविलम्ब कर दीजिये यही मेरा निवेदन है। आप हां भर दीजिये नहीं तो बीकानेर की जनता चुप रहने वाली नहीं। पहले तो आप मना करते जाते हो फिर झुकते हो यह आदत मत डालिये।

इसके अलावा, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक तहसील हैड क्वार्टर है लूणकरनसर। जहां से पन्द्रह साल से हमारे साथी आते हैं दुर्भाग्य से आज वे डिप्टी मिनिस्टर हैं इसलिये बोल नहीं सकते। लूणकरणसर में डाक्टर की पोस्ट नहीं है वहां 'ए' क्लास का कम्पाउडर ही बैठा रहता है। आप एक तहसील हैडक्वार्टर पर डाक्टर नहीं रख सकते। जयपुर और दूसरी दूसरी जगहों पर डाक्टर ही डाक्टर हैं। लालगढ़ पैलेस में डाक्टर है जहां केवल ३०० आदमी रहते हैं तहसील हैडक्वार्टर पर भेजने के लिये आपके पास डाक्टर नहीं है। भीमसेन जी को आप इस तरह से बदनाम करना चाहते हैं जनता में। जनता यह सोचती है कि उनका डिप्टी मिनिस्टर है उनको डाक्टर मिलेगा लेकिन आप उनको डाक्टर नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हर तहसील हैडक्वार्टर पर डाक्टर रहना चाहिये। इसी तरह से एक तहसील हैडक्वार्टर पर एक हायर सकेण्डरी स्कूल होना चाहिये। वहां से लड़के पढ़कर कहां जायें वहां साइन्स कॉमर्स और टेकनीकल शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। आप जगह जगह सेकेण्डरी स्कूल तो खोल देते हैं लेकिन उसके आगे पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है। इसलिए कम से कम तहसील हैडक्वार्टर पर इतनी सी सुविधायें तो होनी चाहिए लड़कों के लिये छात्रावास का प्रबन्ध होना चाहिये।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा उदयपुर भी एक शहर है वहां पर हर तरह की सुविधा है, कालेज है, कालेज के बाद में युनिवर्सिटी बन गई है। बीकानेर स्टेट ४० लाख रुपया अपने राज्य में व्यय करता था वहां पर लड़कियों का कालेज हैं लेकिन लड़कियों का छात्रावास नहीं है। दूसरे शहरों में आपने छात्रावास बनाये हैं तो बीकानेर में क्यों नहीं? बीकानेर में लडकियों का छात्रावास नहीं होने से उनको बड़ी असुविधा रहती है। जहां के लोग नहीं बोलते उनकी आप सुनाई नहीं करते। बजट का प्लान बनाते हैं वहां आपको हर इलाके को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए आज हो यह रहा है कि जो बोलता है उसकी

(श्री गोकुल प्रसाद)

बात मानली जाती है। नहीं बोलने वाले की कोई सुनता नहीं है। बीकानेर डूंगर कालेज मे ५० लड़कों का छात्रावास है, सैकड़ों लड़के बिना छात्रावास के इधर-उधर रह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि डूंगर कालेज में एक छात्रावास की व्यवस्था और की जाय। महारानी कालेज की लड़कियों के लिए भी छात्रावास बनाया जाय।

आयुर्वेद मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। साथ में शिक्षा के मामलों में भी निवेदन करना चाहूंगा। हर स्कूलों में हम देख रहे हैं कि दक्षिण घूम, पूर्व घूम इस तरह की एक्टीवीटिज चल रही है। आर० एस० एस० का जोर है। इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है मुझे शक होता है कि कहीं इसमें ××× का हाथ तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज।

श्री गोकुल प्रसाद : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। लड़के इस तरह से जब करते हैं तो यह मानी हुई बात है किसी का हाथ होना चाहिये। इसलिये मैंने निवेदन किया ××× का हाथ हो सकता है······

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज।

श्री गोकुल प्रसाद : यह नहीं करवाते हैं तो मैं यहीं कहूंगा। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि डिपार्टमेंट को देखने वाला कोई नहीं मालूम पड़ता। एक आदमी इस तरह का होता है तो वह दसों तरह की गड़बड़ी फैलाता है यह जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। डिपार्टमेन्ट की जिम्मेदारी है डिपार्टमेन्ट यदि आंख बन्द करके बैठता है तो यह मानकर चलना चाहिए कि डिपार्टमेन्ट भी इसमें शामिल है। आप कुछ भी कह दीजिये अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सही है उस ओर ध्यान नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : रूल २७३···

श्री गोकुल प्रसाद : मैं सीधी सी बात कह रहा हूं क्या यह हो नहीं रहा है ?

आयुर्वेद मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं आपको एक बात बता दूं आपके डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों की इज्जत नहीं जो धोती कुरता पहनकर आते हैं आपके यहां तो साहब लोगों की इज्जत है। आप वैद्यों को बेचारों को वेतन तो कम देते हैं और साहब लोग जो डाक्डर होते हैं उनको वेतन अधिक देते हैं। भिषगाचार्य को पास करने में पांच साल लग जाते हैं डाक्टर को भी पांच साल पढ़ना पड़ता है फिर उनके वेतनों में असमानता क्यों ? डाक्टर के लिए मेज कुर्सी चाहिये वैद्य बेचारे पेड़ के नीचे भी बैठ जाता है। तो मन्त्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के वैद्यों के साथ कम्पाउन्डरों सरीखा बर्ताव मत करिये। उनको अच्छी तनख्वाह दीजिये, अच्छा रहने का प्रबन्ध करिये। उनके भी बाल बच्चे हैं। उनकी भी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं आपके डाक्टरों की तरह। फिर जितने औषधालय खोलने चाहिए थे

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले।

(श्री गोकुल प्रसाद)

उतने नहीं खोले हैं और जो खोलते हैं उप-युक्तता की दृष्टि से नहीं खोलते । लोग अपनी अपनी जगह देखकर खुलवाते रहते हैं और आप खोलते रहते हैं। जरूरत के हिसाब से खुलावें।

तो इस तरह आप अपने विभाग का ध्यान रखें। नहीं तो सबसे बुरा आपका विभाग है। इसको ठीक करें।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से मैं इस सदन का समय जब तक कि यह मांग पारित न हो जब तक के लिये बढ़ाता हूं।

अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दिन विरोधी दल के माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं, और उनके साथ साथ हमारे अखबार के बन्धु भी नहीं हैं। पर उनके नहीं होते हुए भी अपने रिकार्ड के लिये एक बात कहना चाहता हूं कि राज-स्थान के विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने मुझे पूरा सहयोग दिया है और उनकी मदद से आज राजस्थान के अन्दर एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। इसलिये आपके माध्यम से मैं रिकार्ड पर इस बात को लाना चाहता हूं कि मैं और राजस्थान सरकार दोनों राजस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें पूरी तरह से सहयोग दिया।

आज कट मोशन के सम्बन्ध में शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें कही गई। खास तौर से एक पुरानी दकियानूसी घिसी पिटी बात कही गई कि हम मैकाले के जमाने की एजूकेशन पद्धति को चला रहे हैं। मुझे बहुत खेद है इसके लिये। जिन्होंने यह कहा इन्होंने मोडर्न इण्डियन एजूकेशन को समझा नहीं है। यह शिक्षा मैकाले की पद्धति पर चलाने का प्रश्न नहीं उठता। आजाद हिन्दुस्तान ने अपनी आजादी को सामने रख कर अपनी आवश्यकता को समझकर शिक्षा को चलाया है। कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त थे।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं सुझाव दूं अगर उपयुक्त हो तो क्योंकि उधर की बेंचे आपके पीछे रहती हैं तो आप इधर से बोल सकते हैं फिलहाल।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये तो आप ही हैं और मेरी नजर तो आपकी ही तरफ जावेगी और किसी तरफ जा नहीं सकती।

तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था हमारी शिक्षा पद्धति मैकाले के वक्त से बहुत बदल चुकी है। पर कुछ मित्रों ने ऐसी बातें कहीं कि पिछड़े इलाके से आते थे शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के मेम्बर हैं उन्होंने एक बात कही कि यह जरा आश्चर्य हुआ और वह यह थी कि शिक्षा जो है वह सिर्फ मैरिट पर होनी चाहिये। कालेज के अन्दर उन लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिये जिनमें काबलियत है। जो फस्ट और सेकण्ड डिविजन आते हैं शायद माननीय सदस्य को यह मालूम नहीं कि आज हिन्दुस्तान में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार शिक्षा ले रहे हैं। उनकी फेमिली में उनके कुटुम्ब में उनके इलाकों में फस्ट जनरेशन एजूकेशन लेगी उसके सामने बहुत सी मुश्किलें आवेगीं और जो फेमिली बैक ग्राउन्ड है वह

(श्री बरकतुल्ला खां)

वहां रहेगा । जिसका नतीजा यह निकलेगा कि जो पढे लिखे मां बाप हैं पैसे वाले हैं, साधन सम्पन्न हैं और जो शहरी मां बाप हैं उनके बच्चे तो कालेजों में जावेगें इन्जीनियर, डाक्टर. आई. ए. एस. आदि बनेगे । पर जो बैकवर्ड लोग हैं वे पिछड़े रहेंगे, उनको मौका नहीं मिलकर या नहीं देकर हम इन तरीकों को पैदा करेंगे जिनका नतीजा यह निकलने वाला है कि जो बैकवर्ड हैं वे बैकवर्ड जो आगे हैं वे आगे रहेंगे । हम इस पद्धति को सही नहीं मानते राजस्थान सरकार इसको सही नहीं मानती । राजस्थान गवर्नमेंट ने तो अभी तक यह माना है कि जिसको शिक्षा लेने का शौक है चाहे फिर वह कोई हो और चाहे उसमें राजस्थान सरकार को थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़े उसको आवश्यक मौका दिया जावेगा । क्योंकि हमारी जनरेशन आॅफटर जनरेशन राजस्थान में ऐसी गुजरी है जिनको शिक्षा पाने का मौका नहीं मिला है ।

इसी तरह से लोग कहते हैं कि शिक्षा की पद्धति खराब है । लोगों को एम्पलोयमेन्ट नहीं मिलता । माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि शिक्षा पद्धति के साथ साथ शिक्षा की सारी प्लानिंग भी बदलनी चाहिये और शिक्षा और प्लानिंग दोनों शिक्षा मन्त्री के हाथ में दे देने चाहिये । पर देश की इकानामी एजूकेशन मिनिस्टर ठीक नहीं कर सकता । इसके लिये सारे देश के लोगों को साथ बैठकर मदद करनी पड़ेगी । जो हमारा इसके प्रति एटीट्यूड है हमें उसको बदलना होगा और हमारा एक ऐसा वर्ग है जो दूसरों की मेहनत पर पनपता है, खुद महनत का काम नहीं करना चाहता, जो यह चाहता है कि मेरे सिर से बला टल जावें, चाहे दूसरे के सिर पर वह पड़ जावे जब तक यह एटीट्यूड रहेगा तब तक हमारे इकोनोमिक प्राब्लम हल नहीं हो सकते । सौशल प्रोब्लेम हल नहीं हो सकते और हमारी देश की इकानामी को गीयर अप करने में सबको हाथ बटाना पड़ेगा और यह जब गीयर अप होगी तब हमारी एम्पलोयमेन्ट पोटेन्शियेलिटी बढ़ेगी। नहीं तो, यह हो सकता है कि आप यह कह दें कि शिक्षा मन्त्री ही नौकरी दें तो मैं समझ सकता हूं पर मैं समझता हूं कि किसी भी आजाद मुल्क में यह नहीं किया जा सकता ।

आपने माननीय अध्यक्ष, मुलाहिजा किया होगा जब आप जर्मन पधारे थे । वे लोग जो जापान गये थे उन्होंने भी देखा कि जो लडाई के बाद उनकी इकोनामी ब्लाक हो गई, इण्डस्ट्री खतम हो गई डेस्ट्राय हो गई । पर टैकनिकल नो हाऊ का उनका बैक ग्राउन्ड था । उसको देखते हुए रिबिल्ट किया है उन्होंने अपनी इकानामी को और हमारे यहा एम्पलोयमेन्ट पोटेन्शियेलिटी थोडे दिनों के लिये कम हो गई है तो यह नहीं कि हम शिक्षा को बन्द कर दें । यह नहीं हो सकता कि टैकनिकल ट्रेनिंग देना बन्द कर दें । इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि हम इकोनामिक फेक्टर पैदा न करें । बल्कि यह है कि इस पोटेन्शियेलिटी को तैयार करने के लिये देश का प्लानिंग कमीशन यह देखे कि कितने पढ़े लिखे लोग अनएम्पलोयड हैं और उनके लिये किस तरह से हमें अपनी इकानोमी को ठीक करना पड़ेगा । अगर इकोनोमी ठीक नहीं हुई तो पढ़े लिखे लोग खतरा बन सकते हैं ।

(श्री बरकतुल्ला खां)

इस तरीके से जब यह कहा गया तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में न तो विक्टिमाइजेशन किया गया है न यह तय किया है कि टैकनिकल एजूकेशन में हम पीछे रहें। टैकनिकल एजूकेशन में हम पीछे थे। पोली टैकनिक बन्द कर दिये और इन्जीनियरिंग कालेजों में एडमिशन बन्द कर दिया। तो अगर हम इस तरह से पिछड़ते चले गये तो मुझे यह डर है कि कहीं हम ४२ ४३ में तो नहीं पहुंच जावेंगे। मैं राजस्थान को उस जगह ले जाने को तैयार नहीं हूं।

जब मैकाले की बात कहते हैं तो माननीय अध्यक्षजी, मुझे ऐसा फील होता है कि आजाद हिन्दुस्तान के दिमाग को लोग समझे नहीं हैं। आजाद हिन्दुस्तान के शिक्षक को नहीं समझे हैं। आजाद हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों को नहीं समझे हैं। वे आज डाक्टर बनेंगे, इन्जीनियर और टैकनिशियन बनेंगे, मैकाले ने यह नहीं कहा था कि वे इन्जीनियर बनेंगे या आपकी इकानामी के बेस बनेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कुछ को छोड़िये बाकी तो सभी बाबू के बाबू बने चले जा रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : पहले कुछ फेमिलियां ही बाबू बनती थी आज गरीबों की फेमिलियों के बच्चे बाबू बनने लगे हैं। पहले ये जगहें बड़े बड़े खानदान के लोगों को मिलती थी, अब गरीबों को मिलने लगी हैं।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : फिर बाबू बनाते जाओ।

श्री बरकतुल्ला खां : तो इसलिये हिन्दुस्तान की शिक्षा की नीति में मोड़ आया है और यह मोड़ इसलिये आया है कि आजाद मुल्कों के लोग इज्जत से और स्वभिमान से जीना चाह रहे हैं। कम्पीटीशन और मुकाबले में खड़े रहकर जिन्दा रहना चाहते हैं।

पर माननीय अध्यक्ष, जहां लोग शिक्षा के बारे में कहते हैं वहां क्या कमी हमने समाज के ढांचे को भी समझा है ? आप यह कहते हैं लोगों को क्यों पढ़ाते हो ? मैं पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त माननीय सदस्यों से कि वे व्हाइट कालर की बात तो कहते हैं जब कि एजीटेशन किया गया कि हिन्दुस्तान में कम्पीटीशन में बैठने के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिये। इंगलेंड में होम रोल सर्विस के सबसे बड़े एग्जामिनेशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। घर पर पढ़कर भी कोई इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। पर हमारे यहां हर छोटी मोटी नौकरी के लिये क्वालिफिकेशन प्रैस्क्राइब्ड है। बी.ए. होनी चाहिये या एम. ए. होनी चाहिये या यह होनी चाहिये, वह होनी चाहिये। तो जब तक कोई बी. ए. पास न कर ले वह किसी छोटी सर्विस में नहीं जा सकता। इससे तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि बिना हथियार के बिना हाथ पैर का आदमी है…

मैं समझता हूं कि इस तरफ सब लोगों को ध्यान देना चाहिए या तो मिनिमम एजूकेशनल क्वालीफिकेशन्स बन्द होनी चाहिए। मगर मिनिमम क्वालीफिकेशन्स बन्द नहीं होंगी तो आप किसी के रास्ते में नहीं आ सकते। हाईस्कूल पास करने के बाद पहले लोअर डिविजन क्लर्क लिये जाते थे और जब से आपने हायर सेकेन्डरी का

Page No 137

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूड़ावत)

इम्तिहान शुरू किया हर लड़के को हायर सेकेन्डरी पास करनी पड़ती है। चाहे आपने सेकेन्डरी मिनिमम क्वालीफिकेशन रखी हो लेकिन हायर सेकेन्डरी पास किये बिना उसको नौकरी नहीं मिलती है। एजूकेशनल क्वालीफिकेशन्स हम बढ़ाते जाते हैं और उसके साथ ही साथ हम यह समझें कि लोग कम्पीटीशन में नहीं आये तो कैसे हो सकता है ? कम्पीटीशन के लिए पहली शर्त यह है कि इन्टेलीजेन्स टेस्ट नहीं होगा, आपकी काबलियत नहीं होगी–पहली चीज क्वालीफाई करने के लिए डिग्री होगी। अगर डिग्री है तो आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जायेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।

दूसरी तरफ शिक्षा का जहां तक संबंध है मैकाले की शिक्षा ने बताया था कि तुम अपनी जुबान में मत बोलो, तुम अपनी जुबान में मत लिखो, तुम अपनी जुबान में मत सोचो और आजाद हिन्दुस्तान ने यह कहा है कि मातृभाषा में बोलो और उसको तोते की तरह नहीं रटोगे, अपनी मातृभाषा की इज्जत करो और यही वजह है कि राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश ने ज्वाइन्ट तरीके से अपने प्रोग्राम को लेकर चले हैं। इसलिए मैकाले की नकल नहीं की है और हम हिन्दुस्तान के बारे में बोलते हैं, अगर राजस्थान को हिन्दुस्तान का भाग मानते हैं तो राजस्थान की इज्जत को नहीं गिरायेंगे। हिन्दुस्तान पहले है और राजस्थान बाद में है। पहले हिंदुस्तान की इज्जत होगी तो राजस्थान की इज्जत होगी और राजस्थान हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है। उसके बाहर हम नहीं रह सकते हैं।

इसलिए हम कुछ भी सोचें, हमारी कोई भी पालिसी हो, वह सेकेन्डरी पालिसी टू आल इन्डिया की पालिसी होगी। यह नहीं हो सकता कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर जहां अलग अलग प्रेशर डेवलप हो रहे हैं और हिन्दुस्तान की एकता को खतरा पैदा कर रहे हैं। वहां हम शिक्षा की नयी प्रणाली शुरू करें। जो भी करें वह आल इन्डिया पालिसी के तहत करें और आल इन्डिया के साथ रहकर करें और थोड़ा सा पीछे भी रहना पड़े तो पीछे रहेंगे लेकिन भारत के साथ रहेंगे। भारत के अलावा हम अपनी तूती बजाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा के अन्दर जो नयी चीजें सामने आ रही हैं। वह यह है कि लड़का अपनी ओरीजिनल इन्टेलीजेन्स को यूज करें। दूसरे यह है कि साइल हैंड्स की पालिसी को हमने एक्सैप्ट किया है, वर्क एक्सपीयरेन्स को एक्सैप्ट किया है। मैकाले में यह था कि उसके जमाने में ऐसी चीजें नहीं थीं और हमारे जमाने में साइल हैंड्स की पालिसी को एक्सेप्ट करते हैं और हम यह जानते हैं कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए दिमाग के साथ ही साथ हाथ और पैरों को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसको करवाने के लिए बराबर जोर दिया जाता है। इसलिए हमारी एजुकेशन चाहे सेकेन्डरी एजूकेशन रही हो, चाहे बेसिक एजूकेशन रही हो उसका परपज यही रहा है कि जोर लगाकर उसको वहां से निकाल कर ले आयें। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में मैं कुछ तब्दीलियां करना चाहता हूं और जैसी कि कहावत है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर बढ़ाना चाहिये हमारा शिक्षा का प्लान बड़ा मौडेस्ट प्लान है। ऐसा प्लान है जिसको प्लान का बच्चा भी कह सकते हैं… ”

श्री अध्यक्ष : मेमना.

श्री बरकतुल्ला खां : प्लान का बच्चा कह सकते हैं, प्लान तो नहीं कह सकते। लेकिन जैसी हमारी हालत है, जैसी हमारी परिस्थितियां हैं, जैसी हमारी मुश्किलातें हैं उनको सामने रखते हुए अपने आपको सीमित दायरे से अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैसा मिलने पर तो सब कुछ किया जा सकता है लेकिन बिना पैसे के भी कुछ काम करने की हम आशा रखते हैं। हमारा शिक्षा का बजट करीब ३६,१८,१६,००० के है लेकिन इस प्लान के अन्दर भी हम हमारी ओर से कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से एडजस्टमेन्ट हो इसलिए जो पहला कदम हमने उठाया है वह यह है कि कोई प्राईमरी स्कूल अब नया नहीं खुलेगा। प्राईमरी स्कूल के अन्दर पहले से लेकर तीसरी क्लास तक······

श्री अध्यक्ष : शहरों में नहीं खुलेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : शहरों में नहीं खुलेगा और गांवों में अगर एक्सपेरीमेन्ट करने के लिए तैयार हों तो मैं उनका पूरा सहयोग दूंगा और वह इसलिए कि मैं समझता हूं छोटे बच्चों को ३ घन्टे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी स्टेट्स के अन्दर भी एक्सपेरीमेन्ट किया गया है। राजस्थान के अन्दर हम इस पालिसी को एक्सेप्ट करते हैं कि ३ घन्टे में ४ पीरियड होने चाहिएं लेकिन एक टीचर को ६ घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाना पड़ेगा। स्कूल दो शिफ्टों में चलेगा इसी तरीके से ट्रेनिंग के लिए हमारे पास रुपया कम है। मैंने यह तय किया है कि जो एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल हैं इनमें से मैं काफी को बन्द करके नई स्कूलें देना चाहता हूं और नयी स्कूलें यह देना चाहता हूं कि नये टीचर्स के लिए स्पेशलाइज्ड़ स्कूल खोलना चाहता हूं। साइन्स टीचर्स के लिए स्पेशलाइज्ड स्कूल खोलना चाहता हूं और अगर मुमकिन हो सका तो एक दो स्कूल केवल महिलाओं के लिए खोलना चाहता हूं जहां कि उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिले। उसके साथ ही साथ जैसी हमारी इस साल पालिसी रही थी कि जो टीचर्स गवर्नमेन्ट की ओर से बी. एड० की ट्रेनिंग में भेजे थे उन्होंने कहा था कि हम अपने खर्चे पर जायेंगे उसके लिए भी राजस्थान सरकार ने वित्त मन्त्री महोदय की मेहरबानी से यह तय कर लिया कि उनको पूरी तनख्वाह इस पीरियड के लिए दी जायेगी। आयन्दा के लिए मैं इन्सट्रक्शन इश्यू कर रहा हूं कि कोई भी टीचर बगैर इजाजत के, बगैर फुल परमीशन के एडमीशन नहीं लेगा और जो एडमीशन लेगा और अगर आपने इजाजत दे दी तो उसको पूरा वेतन दिया जायगा। इसलिए एस. टी. सी. स्कूल में जो रुपया ज्यादा बचेगा वह रुपया इन टीचर्स की ट्रेनिंग में लगेगा जो कि पहले से अनट्रेन्ड हैं ताकि मैं चाहता हूं कि जो रुपया एस० टी० सी० से लेकर जिसके जरिये से अनएम्पलायमेन्ट लोगों में बढ़ रहा है और जो हमारे मिडिल क्लास के बच्चे रोजगार के लिए फिर रहे हैं उनको प्रापर तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके और उनको रोजगार दिया जा सके।

इसी प्रकार से एक चीज और करना चाहता था कि जो ५४ से पहले के टीचर्स हैं उनको यह मैं फेसेलिटी दे रहा हूं। कुछ टीचर्स को इस बात की शिकायत थी कि जो पंचायतों के अन्दर एम्पलायमेन्ट ले लेते हैं उनको आगे अपार्चुनिटी नहीं मिलती।

(श्री बरकतुल्ला खां)

इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन चीजों के जरिये में काम्प्रीहैन्सि इन्सट्रक्शन्स इश्यू करने जा रहा हूं। पहली तो यह है कि उनकी और गवर्नमेन्ट के टीचर्स की कामन सीनियोरिटी हो और वह कामन सीनियोरिटी के बेसिस पर उनको प्रमोशन मिल जाये। लेकिन उससे भी एकदम मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और वह यह है कि सीनियोरिटी के अलावा अगर कोई ग्रेजुएट टीचर पंचायत के अन्दर है सीनियोरिटी के बेसिस पर अगर गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान में अपॉइन्टमेन्ट सीक करना चाहे एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में तो उसको अपना फार्म एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के जरिये भेजना पड़ता है मैं यह कह रहा हूं कि जो न्यू हैंड्स हम अपॉइन्ट कर रहे हैं उसके साथ ही साथ उसको भी अधिकार होगा कि वह अपना फार्म विकास अधिकारी के जरिये एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के अन्दर भेज दें ताकि उसका भी सिलेक्शन आन मैरिट्स अनट्रेन्ड के साथ हो जाये जो कि अभी पास करके आये हैं। तो मैं समझता हूं कि पंचायत समितियों के काफी टीचर्स जो कि अब तक डाइरेक्टली एम्पलाय नहीं कर सकते थे क्योंकि एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के जरिये जाना पड़ता था उसके लिए मैंने यह कर दिया है······

श्री अध्यक्ष : उसको जो एक्सपीयरेन्स है प्राईमरी स्कूल में पढ़ाने का वह काउन्ट नहीं करेंगे क्या उसमें ?

श्री बरकतुल्ला खां : सीनियोरिटी के अन्दर तो काउन्ट किया जायेगा लेकिन अभी तो उसका सिलेक्शन ही नहीं होता है। अगर पंचायत से विभाग में आना चाहते हैं तो उसका प्रीवियस एक्सपीयरेन्स है सिलेक्शन होने के बाद वह काउन्ट हो जायेगा लेकिन सिलेक्शन के अन्दर जो मैरिट्स पर मार्क्स आयेंगे उस पर उसका सिलेक्शन किया जायेगा······

श्री अध्यक्ष : मार्क्स के डेटा क्या होंगे ? सिलेक्शन में क्या क्या क्वालीफिकेशन्स हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : बी० ए०।

श्री अध्यक्ष : उसके अतिरिक्त।

श्री बरकतुल्ला खां : ओरीजिनल मार्क्स होते हैं वह देते हैं और मैरिट्स के अन्दर जो एक्सपीयरेन्स के मार्क्स होते हैं उसकी भी बात है तो उसको लेते हुए पंचायत समितियों के टीचर्स को ओपनिंग देना चाहते है कि वह कम्पीट करें उनसे जो कि नये उम्मीदवार हैं और एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्च के जरिये जाने की जरूरत नहीं है वह विकास अधिकारी के जरिये अपना फार्म भेज दें। मैं समझता हूं कि इस तरह से जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनको एक ओपनिंग मिलता है।

इसी तरीके से नये काम्प्रीहेन्सिव इन्सट्रक्शन्स इश्यू कर रहा हूं। अब तक यह होता था कि जो लोग सैकिण्ड ग्रेड टीचर्स बनना चाहते थे उनको डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज होते हुए भी डिवीजनल हैडक्वार्टर पर या रेन्ज हेडक्वार्टर्स पर आना पड़ता था मसलन जैसे कोई उम्मीदवार सीकर में है वह टीचर बनना चाहता है तो सीकर के एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज में अगर वह रजिस्टर्ड कराता था तो उसको

(श्री बरकतुल्ला खां)

नहीं माना जाता था । उसको जयपुर में आकर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था । इसलिये मैंने कहा कि रेन्ज के अन्दर जहां जहां एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज हैं वहां पर उम्मीदवार अपने आपको रजिस्टर्ड करवा सकता है, और उसके ऊपर जो पूरी लिस्ट बनेगी उम्मीदवारों की तो उस लिस्ट के अन्दर उन लोगों का नाम ले लिया जायगा ताकि यह नहीं हो कि सब लोग जोधपुर, जयपुर या उदयपुर के आजायं । मैं समझता हूं कि वे लोग जो सैकेण्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं उनको सहूलियत मिलेगी, और उनको यहां के एम्प्लायमेंट एक्स्चेन्ज में रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जहां हैं वहीं कर लायें ।

इस तरीके से जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि टीचर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है मुझे भी वह सुनकर तकलीफ हुई है, और मैं भी इस मामले में गहराई में जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अफसोस इसका होता है कि कोई दूसरे आदमी की मुझे शिकायत करे तब तो समझ में आजाये, लेकिन इन्सपेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर जो कि खुद शिक्षक रह चुके हैं और वे ही लोग ऊंचे पदों पर जाकर अपने दिमाग को खराब कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है । मैं इस बात को सामने रखकर एक एक्सपेरीमेंट करने जा रहा हूं और वह यह है कि टीचर्स की सीनियोरिटी के सम्बन्ध में, टीचर्स की सेलेरी के कनेक्शन में और रिएम्बर्समेंट के कनेक्शन में जो उनके अन्दर जरूरत से ज्यादा डिले होती है उसके लिए ग्रीवान्सेज सेल डिफरेन्ट एरियाज में बना रहा हूं, और मैं इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर रहा हूं कि हर डिप्टी डाइरेक्टर के साथ में अपना स्माल सेल होगा जो कि टीचर्स की ग्रीवान्सेज को अटेन्ड करेगा, और डाइरेक्टर के पास में एक सेल होगा जो कि उनकी ग्रीवान्सेज को अगर अटेन्ड नहीं किया है तो उनको अटेन्ड करेगा, और अगर ये दोनों अटेन्ड नहीं करते हैं तो मैं अटेन्ड करूंगा । अगर मुझे किसी इन्सपेक्टर या डिप्टी डाइरेक्टर के बारे में यह मालूम हुआ कि अनड्यू डिले, किसी को जस्टिस देने में डिले हुई और उसकी शिकायत आती है तो उसकी सी० आर० में एन्ट्री दे दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष : एक सुझाव और है माननीय शिक्षा मंत्रीजी कि डिप्टी डाइरेक्टर और इन्सपेक्टरों के द्वारा जो गलतियां होती हैं उनका कारण यह है कि उनके मकान डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास होते हैं या किसी कमिश्नर के पास में वे रहते हैं तो उनमें भी आथोरिटी की बू आजाती है, तो उनके शिक्षा के वातावरण में मकान बना दें ।

श्री हरिदेव जोशी : एम० एल० एज० क्वार्टर्स के पास ।

श्री बरकतुल्ला खां : बीकानेर के टीचर की शिकायत बीकानेर रेन्ज में सुनी जाय, जोधपुर रेन्ज की शिकायत जोधपुर रेन्ज में सुनी जाय, अजमेर रेन्ज की शिकायत अजमेर रेन्ज में सुनी जाय ताकि उस वक्त इलाके में अगर पास हो तो आजाय ताकि उनकी ग्रीवान्सेज को यदि डिप्टी डाइरेक्टर नहीं सुने तो डाइरेक्टर सुने और डाइरेक्टर नहीं सुने तो मैं खुद सुनूंगा ताकि सिलसिला तो निकले । अगर इस तरह से शिकायतें सुनने

(श्री बरकतुल्ला खां)

के बाद कुछ नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि वह मेरी जिम्मेवारी होगी। इसके लिए सदन मुझे जिम्मेवार ठहरा सकता है और दण्ड दे सकता है। मैं इस तरह की स्ट्रीम लाइन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप जैसे सहृदय आदमी को कौन दण्ड देना चाहेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : ये आर्डर कर दिये गये हैं। अब वूमन टीचर्स को एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में जाने की जरूरत नहीं है। डिप्टी डाइरेक्टर और इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के पास जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष, आखिर में एक चीज और अर्ज करना चाहता था वह यह थी कि शिक्षा के सम्बन्ध में पूरा देश चिन्तित है, और सेन्ट्रल एडवाइडरी बोर्ड आफ एज्यूकेशन ने एक कमेटी बनाई थी, जिसका मैं कन्वीनर था, जिसने यह कहा था कि शिक्षा के द्वारा इन्टिग्रेशन हमारे देश का होना चाहिए, जब मैंने यह बात सुनी कि हमारे स्कूलों में धार्मिक कट्टरता का वातावरण बनता जा रहा है, जब मैंने यह सुना कि टीचर्स छुआ-छूत की बीमारी में पड़ते जा रहे हैं, जब मैंने यह सुना कि टीचर्स दूसरे टीचर्स के मटके में से पानी नहीं पीते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे तमाम देश के लिए एक तरह से यह टीचर्स की एक्जाम्पल काफी खतरनाक बन सकती है, लेकिन में टीचर्स पर इतना दबाव भी नहीं डाल सकता कि ब्रेक हो जाय। छुआ-छूत नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं कहूंगा कि अगर छुआ-छूत करते हैं तो इसके लिए उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दी जायगी। इसके लिए मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। (करतलध्वनि) क्योंकि छुआ-छूत का वातावरण हमारे यहां रहा तो सिवाय खतरे के और कोई चीज सामने नहीं हो सकती है।

जहां तक काम्युनलिज्म का सवाल है, आर० एस० एस० का सवाल है उसके लिए एक बड़े कन्टेक्स्ट में बातचीत चल रही है। उसके अन्दर मेरा हमेशा से विचार यह रहा है कि कोई भी टीचर हो उसको पोलिटिक्स से अलग रहना चाहिए। चाहे वह जनसंघ की पोलिटिक्स हो, चाहे काम्युनिस्ट पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे सोशियेलिस्ट पार्टी की हो, टीचर्स को पोलिटिक्स से एवव रहना पड़ेगा। अगर टीचर्स पोलिटिक्स से एबव नहीं रहे तो एक दिन ऐसा खतरनाक आने वाला है कि मैं अपनी विचारधारा लेकर जाऊंगा और दूसरा अपनी विचारधारा लेकर जायगा तो बच्चों बच्चों के दिमागों में ऐसी बातें ठूंस दी जायगीं कि जो आगे चलकर देश के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए इस पर जोरों से चिन्तन हो रहा है और बड़े जोर से गौर किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि कोई न कोई नतीजा निकलने वाला है।

श्री अध्यक्ष : चिन्तन किधर हो रहा है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सारे भारतवर्ष के लेवल पर हो रहा है, सेन्ट्रल एज्यूकेशन एडवाइजरी बोर्ड के लेवल पर हो रहा है। उसकी वर्किंग कमेटी बनी है उसमें हो रहा है, और राजस्थान के पढ़े-लिखे और समझदार लोग हैं वे सभी परेशान हैं। कोई

Page No 142

(श्री बरकतुल्ला खां)

आदमी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दिमाग बन्द करके निकले ।

इस तरह से मैं एक-दो बातें और कहकर खत्म कर देना चाहता हूं । हिन्दी के बारे में कहा गया है तो उसके बारे में राजस्थान ने एक बोर्ड बनाया है इस बात के लिए हिन्दी में किताबें हों, क्योंकि हम यह मानते हैं कि वह जमाना आगया है कि हर एज्यूकेशन हिन्दी में मिलनी चाहिए, और इस तरीके से एज्यूकेशन हिन्दी में देने के लिए अभी तक जो समस्या आ रही है वह किताबों की आ रही है । इसके बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मदद के लिए रुपया दिया हैं, और उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है ज्ञान-विज्ञान हिन्दी बोर्ड का । इसके जरिये जितने हमारे हिन्दी-भाषी प्रांत हैं--यू० पी० बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और हरियाणा--हम लोग बैठकर आपस में यह तय कर रहे हैं कि डुप्लिकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए । एक मीटिंग इसकी हो चुकी है, और आपको जानकर यह खुशी होगी कि राजस्थान ने जो स्कीम बनाकर भारत सरकार के सामने भेजी थी तो भारत सरकार ने उसको तमाम प्रान्तों के अन्दर एज ए मोडल स्कीम सब के सामने सर्क्यूलेट करवाया है कि राजस्थान ने इस तरह की स्कीम भेजी है......

श्री अध्यक्ष : स्कीम कब बनी ?

श्री बरकतुल्ला खां : यह, माननीय अध्यक्ष, स्कीम निकले करीब करीब साल भर हो गया है । बोर्ड का गठन हो चुका है और दो-चार दिन में बोर्ड रजिस्टर्ड हो जायगा, और बोर्ड रजिस्टर्ड होने के बाद भारत सरकार से रुपया ले रहे हैं ।

इस तरीके से युनिवर्सिटी एक्ट के लिए लोगों के दिमागों के अन्दर भी चिन्ता थी । काफी माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है कि युनिवर्सिटी के मामलों के अन्दर कुछ ढिलाई बरत रही है, और यह भी कहा था कि मोडल एक्ट आना चाहिए, इसलिए हमने एक गठन कर दिया है जिसके अन्दर युनिवर्सिटी एक्ट को एमेन्ड करके और जो फर्दर रिफार्म्स करना चाहते हैं उसके लिए डा० मोहनसिंह मेहता, युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का रिप्रेजेन्टेटिव हो, सेक्रेटरी इन्टर-युनिवर्सिटी बोर्ड भी उसका मेम्बर होगा एण्ड रिप्रेजेन्टेटिव्ज आफ आल दी श्री युनिवर्सिटीज आफ राजस्थान होंगे । इस तरीके से लोगों को रखा है ।

श्री अध्यक्ष : एमेंन्डमेंट आफ वेरियस एक्ट्स आफ युनिवर्सिटीज के लिए है क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : एक मोडल बिल बनाकर देना चाहते हैं और वह बिल देकर गवर्नमेंट उस पर गौर करना चाहती है, क्योंकि हम लोग जब कुछ करते हैं तो हम लोगों को कहा जाता है कि ये लोग युनिवर्सिटी के मामलों में दखल देते हैं और युनिवर्सिटी के अफेयर्स को नहीं समझते हैं और उसके अन्दर दखल देते हैं मैं यह मानता हूं कि इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि जहां जहां जनता का रुपया खर्च होता है उसके बारे में अपना दखल रखे । इसी लिए मैंने यह मुनासिब समझा कि एक कमेटी बनाई जाये जो सारे मसले में जाये । टीचर्स के साथ इन्जस्टीफिकेशन न हो । आखिर एक टीचर कितने घंटे पढ़ाये । ऐसे

(श्री बरकतुल्ला खां)

कई मसले आते हैं। कोई टीचर १४-१४ घन्टे पढ़ाता है। जहां हम यह मानते हैं कि यूनिवर्सिटी टीचर्स को यह हक है कि वह पोलिटिक्स में भाग ले सकते है।

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता था, यह तो सारे राष्ट्र की चिन्ता का विषय है। तो आप ही अकेले यह सारे राष्ट्र के लिए कर रहे है ?

श्री बरकतुल्ला खां : आंध्र प्रदेश में हुआ है। यू. पी. में हुआ है। मैं चाहता हूं कि नये तरीके से चीजों को लेना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान ने ३ भाषा फार्मूला को एक्सेप्ट किया है। राजस्थान ने यह भी किया है कि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेना चाहता है उसका उसी की मातृभाषा में शिक्षा का इन्तजाम किया जाएगा। लेकिन केरल और तामिल के टीचर नहीं मिल रहे है। इसलिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि आप ने जैसे गैर हिन्दी प्रदेशों के लिए किया है, उसी तरह से हमें भी राजस्थान के अन्दर ऐसे टीचर्स चाहिए जो उस भाषा को पढ़ा सकें। अध्यक्ष महोदय, हालत को सामने रखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया ताकि देश में जो कम्युनल वातावरण बन गया है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। पहले हमने बुक्स का नेशनेल-इजेशन किया है। नेशनेलाइजेशन रेलवे का भी हुआ। स्टील इण्डस्ट्रीज का भी नेशनेला-इजेशन हुआ। एजूकेशन में भी नेशनाइला-जेशन किया। सरकार ढाई करोड़ रु० की मदद कर रही है। टीचर्स के बारे में यह शिकायतें आती है कि स्कूलों में उन की तनख्वाह कम दी जाती है। ज्यादा पर दस्तखत कराये जाते है। उसके लिए हमने फैसला कर लिया है कि अगर हमारे पास बराबर शिकायतें आती रहीं कि टीचर्स को वेतन कम दे रहे हैं तो हम उनको चेक के जरिये से इन्सपेक्टर या डिप्टी इंस्पेक्टर से बंटवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा फैसला पहले भी हुआ था। पर चला नहीं।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आर्डर करके आया हूं। एक बहुत बड़े स्कूल के लिए आर्डर करके आया हूं। ऐसी बात नहीं है। खाली जुबानी फैसला नहीं लिया है। एक बहुत बड़ी जगह के लिए लिया है।

श्री अध्यक्ष : वाह, वाह कमाल है।

श्री बरकतुल्ला खां : अभी मुख्यमन्त्री जी ने भी स्वीकृति दे दी है।

श्री अध्यक्ष : अब तो क्या बात है।

श्री बरकतुल्ला खां : टीचर्स की यह शिकायत होती थी, कि उनको कम रुपये देते हैं। अगर ऐसी शिकायत मिली और माननीय सदस्यों ने यह बताया तो उनको हम चेक के जरिये से पेमेंट करायेंगे। ऐसा फैसला हमने लिया है।

श्री अध्यक्ष : नेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स्ट बुक्स के बारे में, हमेशा किताबें नहीं मिलने की शिकायत आती है। इस पर कुछ है।

श्री बरकतुल्ला खां : आपने सही प्रश्न पूछा माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक जो शिकायत आ रही थी उसके साथ साथ कीमतों का भी सवाल आता था। अब फ्री कागज आना बन्द हो गया है। लेकिन नेशनालाइजेशन आफ टैस्ट बुक्स को इस बात के लिए पाबन्द किया गया है कि पहले राजस्थान को दो। फिर आप बाहर वालों को दो। अगर मैं एजूकेशन मिनिस्टर रहा तो......

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या शक है ?

श्री बरकतुल्ला खां : जैसा कि आप को बताया......

श्री अध्यक्ष : (किसी की ओर संकेत) दोनों ही तय कर लीजिए। शक तो नहीं है। (हंसी)

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हूं। मैं ऐसी आशा रखता हूं कि जो कुछ हमने कहा है उसको करके बतायें टैस्ट बुक्स के लिए हमने उनको लिखने के बारे में कहा है। ऐसी बुक्स वी. वी. जोन लिख रहे हैं। अगले साल १९७० तक वह तैयार हो जायेंगी लेंग्वेज इन्स्टीट्यूट आफ उदयपुर से तालमेल करके किताबें निकलवा रहे हैं आशा करता हूं कि अगले साल हम बहुत काम करके दिखा सकेंगे। आप के जरिये से मैं आशा करता हूं कि सदन में हमारी इस मांग को स्वीकार किया जाये।

श्री बृद्धिचन्द्र जैन : मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। प्रश्न यह है, मांग संख्या १५, एम आई करेक्ट ?

मुख्य शीर्षक २८, शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३६,१८,१६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

चिकित्सा मन्त्री जी, कहेंगे क्या कुछ ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक दो जरूरी सूचनायें हैं, वह कहना जरूरी समझता हूं। जहां तक प्रगति विवरण हैं, वह पुस्तक में आ चुका है। लेकिन कुछ बातें मैं निवेदन करूंगा। राज्य सरकार ने अगले वर्ष से, आने वाले वर्ष से राज्य सरकार ने प्री मेडिकल टैस्ट पद्धति अपनाने का निर्णय किया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान द्वारा करीकुलम तैयार किया गया है, वह पास हो चुका है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के जरिये से प्री मेडिकल टैस्ट होंगे उसके बाद ही राजस्थान के ५ मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिया जाएगा। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यहां पर कुल मिलाकर दवाइयों की कमी डाक्टर और डिस्पेंसिरीज की कमी के बारे में कटमोशन्स आये हैं। तो मैं थोड़ी सी पोजीशन बता देना चाहता हूं। आज परसेंटेज मेल डाक्टर्स जितने काम कर रहे

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हैं, वह ७८.८ परसेंट है । फीमेल डाक्टर्स का ३७.३३ परसेंट है । तो आगे आने वाले २ वर्षों में जहाँ तक मेल डाक्टर्स का सवाल है, उस संख्या के ऊपर यह निर्भर होगा । लेकिन आगे के वर्षों में फिर भी कमी रहेंगी । क्योंकि उसकी स्थिति आज भी ऐसी है ।

इसी तरह से मेडिकल में डाक्टर्स की कमी से आज के दिन ६१३ पोस्ट हमारे यहां वेकेन्ट हैं ।

जहां तक दवाइयों का सम्बन्ध है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सालों में बहुत काफी इस बारे में प्रगति हुई हैं । जहां १९५९-६० में दवाइयों के लिए ३१,८५,७०० रुपये का बजट सेंक्शन था और खुराक के लिए १२,९३,६०० रुपये का बजट सेंक्शन था, वहां इस साल १९६८-६९ में दवाइयों के लिए ७१,२००,७०० रुपये का बजट सेंक्शन है और इसी तरह से डाइट के लिए ३५, ६३,१०० रुपये का बजट सेंक्शन है । इससे आपको पता लगेगा कि राजस्थान की प्रगति के साथ साथ रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही हैं और दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है । फिर भी जब यह महसूस किया गया कि रुपया कम रहेगा तो गत वर्ष में राज्य सरकार ने चालीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी दवाइयों की रकम के अन्दर और मैं समझता हूं कि अब भी यह रकम कम पड़ेगी तो रेशनलाइज करके जिस डिस्पेन्सरी में कम खर्चा होगा वहां से उस खर्च को निकल कर जहां पर ज्यादा जरूरत होगी वहां पर दे देंगे ।

इसी तरह से मैंने निवेदन किया कि इन-पेशेन्ट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है । १९६०-६१ में जहां २,१३,९२० थे वहां १९६७-६८ में ४,५९,३८८ इन-पेशेन्ट्स की संख्या रही । इससे प्रतीत होता है कि किस तरह से राजस्थान की प्रगति के साथ में रोगियों की संख्या भी बढ़ती हुई चली जा रही है । लेकिन आने वाले समय में, जो चिकित्सा सुविधायें राजस्थान में उपलब्ध हैं, उनके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी अच्छी और सस्ती सुविधायें कहीं भी उपलब्ध नही होंगी । आज मैडिकल कालेज प्रगति करते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी जो योजनायें हैं उनके अनुसार मैडिकल कालेजों के साथ साथ दूसरे जो अस्पताल हैं उनको भी स्ट्रेन्थन करेंगे और उनकी हालत को भी ठीक करेंगे । और डाक्टरों की जो कमी है उसको भी पूरा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्टीफीस्यिल किडनी का सामान जो पड़ा हुआ है उसका क्या होगा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह निकाल कर काम में लाया जायगा । राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण) : अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद भी चिकित्सा की मांग में हैं......

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष पैरों पर है ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९ चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६७,९७,००० तक की राशि प्रदान की जाय ।

Page No 146

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री बनवारीलाल : धौलपुर अस्पताल के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : धौलपुर अस्पताल के सम्बन्ध में आप माननीय मंत्री से सदन के स्थगित होने पर मिल कर निराकरण कर लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्रम के सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि जहां तक मिनिमम वेजेज का ताल्लुक है, मिनिमम वेजेज को रिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट एक पद्धति अपनायेगी।

श्री अध्यक्ष : (श्री बनवारी लाल के खड़े होने पर) धौलपुर के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को कह दिया है कि सदन स्थगित होने के बाद आपसे मिल लें और आपका निराकरण कर दें।

श्री बनवारी लाल : वैसे तो रोजाना ही मिलते रहते हैं। वह सदन में आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मिनिमम वेजेज को रिवाइज करने के लिए कि गवर्नमेंट इसको रिवाइज करेगी और इस साल के अन्दर अन्दर नोटिफिकेशन निकाल कर, उस पर आब्जेक्शन इन्वाइट कर, उन आब्जेक्शन पर विचार करके इसको फाइनल करेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २३ मुख्य शीर्षक ३८ श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७३,०३,००० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

एक माननीय सदस्य : सदन की कार्यवाही।

श्री अध्यक्ष : मैं थोड़ा चिन्तन कर रहा हूं।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे (विराम) सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ५ बज कर ४५ मिनिट पर शनिवार दिनांक २२ मार्च, १९६९ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ४४७ की सूची)

राजस्थान स्ट्रकारल वर्क्स कोटा को राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा दिये गये कच्चे माल का विवरण

माल का नाम	वजन	दिनांक जिसको माल दिया गया
सी. आर. वी. पी. शीट्स	२७० किलो	२७-१-६५
,, ,, ,, ,, ,,	२३२५ ,,	२८-९-६५
,, ,, ,, ,, ,,	३०१६ ,,	५-११-६५
,, ,, ,, ,, ,,	१०० ,,	२३-१२-६५
आयातित जी. पी. शीट्स	८१७० ,,	२१-१-६६
एम. एस. वी. पी. शीट्स	२००७ ,,	२२-१-६६
सी. आर. वी. पी. शीट्स	११५ ,,	८-४-६६
,, ,, ,, ,, ,,	४१६ ,,	३-५-६६
,, ,, ,, ,, ,,	५४५० ,,	२६-५-६६
आयातित जी. पी. शीट्स	५५०२ ,,	२६-५-६६
सी. आर. वी. पी. शीट्स	२१४ ,,	१०-५-६६
,, ,, ,, ,, ,,	२५० ,,	१८-५-६६
एम. एस. वी. पी. शीट्स	४००७.५ ,,	२२-४-६६
सी. आर. वी. पी. शीट्स	५०४.० ,,	१२-१२-६६
,, ,, ,, ,, ,,	९१.० ,,	२८-१-६७
,, ,, ,, ,, ,,	१५४.० ,,	१६-१-६७
,, ,, ,, ,, ,,	२०.० ,,	३-२-६७

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न सं० ४५० की सूची)

जिला जैसलमेर के औषधालयों में कार्यरत वैद्यों की सूची

क्र. सं. नाम औषधालय	नाम वैद्य	कब से
१–जैसलमेर	श्री रामस्वरूप	अक्टूबर ६७
२–नाचना	" रतनलाल	" ६६
३–राजमथाई	" सूर्यकांत	" ५८
४–रामदेवरा	" गणेशनारायण	जुलाई ६७
५–सम	" लल्लूप्रसाद शर्मा	दिसम्बर ६६
६–फलसून्ड	" ओंकारलाल (प्रशिक्षण)	जुलाई ६८
७–सांकड़ा	" बनवारीलाल	फरवरी ६८
८–रामगढ़	" रामसहाय	मार्च ६५
९–झिझियाली	" बेनीराम	नवम्बर ६८
१०–मणियारा	" गोविन्दलाल	फरवरी ६९
११–बड़ोडागांव	" मोहनलाल शर्मा	दिसम्बर ६१
१२–सांगड	" नाथूलाल (प्रशिक्षण)	सितम्बर ६८
१३–फतेहगढ़	" गोपीराम	जुलाई ६७
१४–नोख	" नारायणप्रसाद (निलंवित)	दिसम्बर ६८
१५–पोखरण	" सत्यनारायण	जुलाई ६१
१६–म्याजलार	" जटाशंकर	फरवरी ६९
१७–मोहनगढ़	" दयालशरण	फरवरी ६९
१८–खिया	" राधेश्याम	जनवरी ६७
१९–बांधा	" बालकृष्ण जोशी	जून ६६
२०–असकन्दरा	" रामनारायण (प्रतिनियुक्ति)	जुलाई ६८

वर्ष १९६८-६९ में खोले गये एवं खुलने वाले औषधालयों की सूची

लक्ष्य..................२५ औषधालय

क्र. सं. नाम जिला	औषधालय स्थान
१-पाली	मांवरी
२-जयपुर	मलिकपुर
३-जयपुर	दांतली
४-जयपुर	सचिवालय
५-सीकर	रायपुर
६-भरतपुर	जोतरोहेल्ला
७-उदयपुर	सैमड
८-अलवर	दातिया
९-अलवर	बहार चोगान (थानागाजी)
१०-भीलवाड़ा	कोदूकोटा
११-भीलवाड़ा	मेनाली
१२-टोंक	कडीला
१३-धौलपुर	सकवाड़ा
१४-धौलपुर	मांगरोल
१५-गंगानगर	भीजवाली
१६-बून्दी	गरडवा
१७-बांसवाड़ा	लसाडी
१८-झालावाडा	दुबलिया
१९-जोधपुर	जगदम्बा आयुर्वेदिक औषधालय भवन में खोलने हेतु, खिदवई रोड़, जोधपुर में।
२०-भरतपुर	बरखेड़ा
२१-झुंझुनू	बुड़ानिया
राज्य सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है	
२२-अलवर	संकट
२३-नागौर	नागौर
~~२४-सवाई माधोपुर~~	~~गंगापुर शहर~~
~~२५-सीकर~~	~~बुठोठ~~

Page No 150

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न सं० ४५६ की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं. नाम जिला	श्रेणी संख्या	रकम ऋण रुपयों में
१–अजमेर	९४६	१६२७९२५-००
२–अलवर	५१४	२१४५११९-००
३–कोटा	१५१२	५०४११७८-००
४–जोधपुर	४१३	१४२१५००-००
५–भरतपुर	४१७	२३०७७८०-००
६–भीलवाड़ा	६७०	१४७८८००-००
७–बूंदी	५१५	१६९०७८०-००
८–बांसवाड़ा	२०३	३६४६७०-००
९–बाड़मेर	८३	३५३४५०-००
१०–चित्तौड़गढ़	५१८	१५०८१००-००
११–चूरू	७६	१३८५५५-००
१२–डूंगरपुर	६२	२१४०५०-००
१३–गंगानगर	६२५	३४७४८४०-००
१४–जालौर	१३२	४६९३९०-००
१५–जयपुर	९६२	४१४७३२०-००
१६–झालावाड़	३८०	८४४३७३४-००
१७–झुंझुनूं	२३८	९२४७२०-००
१८–नागौर	२३२	१३२११९५-००
१९–पाली	१९४	९५२४००-००
२०–सिरोही	१२०	४७५३८०-००
२१–सीकर	७०६	३४८८१९०-००
२२–सवाई माधोपुर	१५५८	४८१२८८५-००
२३–टोंक	६०१	१३९७५९०-००
२४–उदयपुर	८१५	२५३५६९५-००
२५–बीकानेर	अभी कार्य शुरू नहीं किया है।	
२६–जैसलमेर	भूमि विकास बैंक नहीं है।	
	१२,५८५	५,१७,३७,२४६

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न सं० ४६० की सूची)

राजस्थान के बाहर निगम की गाड़ी चलाये जाने वाले मार्गों की सूची

१. जयपुर–देहली
२. जयपुर–आगरा
३. अजमेर–आगरा
४. जयपुर–ग्वालियर
५. भरतपुर–देहली
६. ग्वालियर–देहली
७. कोटा–भोपाल
८. कोट–इन्दौर
९. कोटा–उज्जैन
१०. अलवर–देहली
११. देहली–खेतड़ी
१२. आबूरोड़–अम्बाजी

राजस्थान से बाहर निगम की गाड़ी चलने वाले मार्गों पर काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

१. चालक–६४
२. परिचालक–६४
३. सहा० याता० निरी०–१२

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की गाड़ीयों के राज्य से बाहर चलने वाले मार्गों पर हुये चालानों की सूची निम्न प्रकार है :—

सन्	चालानों की संख्या
१९६४	३
६५	—
६६	१२
६७	६१
६८	२०

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की गाड़ियों के राज्य से बाहर चलने वाले मार्गों पर हुये चालानों की सालवार सूची निम्न प्रकार है :—

६४	१०५ रु.
६५	—
६६	३३० रु.
६७	२०३१) रु.
६८	७५६) रु.

अन्तर्राजीय मार्गों पर चलने वाले कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला निम्न प्रकार है :—

१. चालक–७५-३-९०-४-११०-१२०-५-१४५-एस० बी०-१५५-१७५
२. परिचालक–६५-२-७३-३-९०-एस०बी० ९३-४-१०५-५-१४५-एस०बी०-१३०-५-१४०
३. सहा० याता० निरी०-९०-४-११०-ई० बी०-५-१३५-१४५-५-१५५-७11-१७७11-एस० बी०-१९५-१०-२२५

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न सं० ४३६ की सूची)

पशु नस्ल सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं पर किये गये व्यय की सूची

वर्ष	गो पशु प्रजनन फार्म	वृषभ परिपालन फार्म	ग्रामाचार योजना	सामूहिक बध्रियाकरण योजना	ऊंट प्रजनन फार्म	सांड का वितरण	सघन विकास योजना	गो शाला
१९६१-६२	५८३५१४	३५२३७	१८३८१३	४८५५४	१६०६८८	५८६२०	—	१९२२७५
१९६२-६३	४०९११०	६६२७६	१४११४५	५०६७९	१३६२०१	१५८४३७	—	२८२३६१
१९६३-६४	५३०८९३	७५२६५	५२०४७५	६६२३७	११३३७४	१५७१९५	—	२१८७४७
१९६४-६५	६१५४५४	१४३२२३	७००६८०	१७३०१५	१४२०७३	१२९८०५	—	२४१९४०
१९६५-६६	६९०८१५	१७९५८९	६८२१४६	२१९५८९	२३७३२१	११८७७०	—	१६७०८७
१९६६-६७	८१७४०९	५३२२० } ६८९३० }	७७५३२८	२४८४५०	२४५२८४	१२०८७०	—	६६४७०
१९६७-६८	८६६१८८	१८८८६	८९४७७५	८११५५	३६१४९१	१०२८७१	२३६४९६	४०१८२
	४५१३३८३	७४०६२६	३८९८३६२	९१७६७९	१३९६४३२	८४६५६८	२३६४९६	१२०४०६२

ये राशिएं विशेषतया समस्त राजस्थान में खर्च की गई है, एवं इसमें लाभ समस्त प्रान्त को होता है, न कि किसी विशेष स्थान अथवा जिले को। उक्त योजनाओं द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम को काफी प्रोत्साहन मिला है, एवं कार्य समुचित प्रगति पर है।

सन् १९६६ की पशुगणना के अनुसार
पशुओं की सूची

किस्म जानवर	**तादाद लाखों में**
गाय व बैल	१३१.२३
भैंसें व भैंसे	४२.२२
भेड़ें	८८.०६
बकरे एवं बकरी	१०२.२३
अन्य पशु	११.०१
कुल टोटल	३७४.७५ लाख

परिशिष्ट ६

(ता. प्र. सं. ४३७ की सूची)

तारांकित प्रश्न संख्या ८९

सूची

वर्तमान जिला कृषि अधिकारी श्री गंगानगर ने १९६५ में अपने पद का कार्यभार संभाला था उसके बाद उनके प्रयास से निम्नलिखित कार्य हुआ—

कार्य का विवरण	जिले में कृषि उन्नति का स्तर मेरे द्वारा कार्य भार संभाल ने से पहले (१९६४–६५)	जिले में कृषि उन्नति का वर्तमान स्तर
अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	कुछ नहीं	१,१०,००० एकड़
रसायनिक खाद का वितरण	१५८०० टन	२८१८६ टन (जनवरी १९६६ तक)
पौध संरक्षण दवाईयों की बिक्री (रुपयों में)	१,३०,०००	३,६३,०००

———

कृषकों की सूची जिनको तकनीकी सलाह दी गयी

पंचायत समिति श्री गंगानगर

१. श्री भगवान ८ जेड
२. श्री मोहन सिंह २ सी
३. श्री बलवीर सिंह ११ जेड
४. श्री हरनेक सिंह ७ वाई
५. श्री उजागर सिंह ५ एच
६. श्री जालूराम रोहिडावाली
७. श्री गनपतराम ३६ एल. एम. पी.
८. श्री डूंगाराम ,,
९. श्री इन्द्रजीत सिंह ३ वाई
१०. श्री आत्माराम तेतेवाला
११. श्री भागीरथ महियावाली
१२. श्री प्रेमनाथ कोठी
१३. श्री मारवा सिंह ६ एस. एल.
१४. श्री पतराम रोडियावाली
१५. श्री भजन राम ,,
१६. श्री भीखाराम केरी
१७. श्री मोतीसिंह कोठा
१८. श्री गंगाराम ३ एल
१९. श्री मलकीयत सिंह
२०. श्री अर्जुन सिंह ३ वाई
२१. श्री दम्मनसिंह २३ जेड
२२. श्री शेरसिंह ७ एफ
२३. श्री कालियासिंह १४ एफ
२४. श्री शंकर दास ३ डी
२५. श्री आदूराम दौलतपुरा
२६. श्री सुखलाल सहुवाला
२७. श्री रूपाराम साहूवाला
२८. श्री शिवचन्द्र साहूवाला
२९. श्री रामचन्द चूनावाड
३०. श्री मनीराम चूनावाड

पंचायत समिति पदमपुरा

१. श्री मशीराम ७० एल. एन. पी.
२. श्री राम नारायण ६९ एल. एन. पी.

Page No 155

३. श्री राम रतन ७० ,,
४. श्री रिछपालसिंह ५ डी. डी.
५. श्री गुरबचन सिंह ७ के. के.
६. श्री सरूप सिंह ७ के. के.
७. श्री भजन सिंह ७ उन. एन.
८. श्री चरन सिंह ७ एन. एन.
६. श्री जीता सिंह ३६ आर. बी.
१०. श्री सन्तोषसिंह ३८ आर. बी.
११. श्री जोगेन्द्र सिंह ३ आर. बी.
१२. श्री शिवलाल १७ आर. बी.
१३. श्री नत्थी सिंह गुदुवाला
१४. श्री चरनसिंह १२ आर. बी.
१५. श्री पदमाराम ६ ई. ई.
१६. श्री ख्यालीराम १ ई. ई. ए.
१७. श्री कवरजीतसिंह २० बी. बी.
१८. श्री लछमन सिंह ४ बी. बी.
१६. श्री सोहन लाल २६ बी. बी.
२०. श्री काशीराम डेलवा
२१. श्री बेगाराम १७ बी. बी.

पंचायत समिति रायसिंहनगर

१. श्री भीमसिंह १ बी. एल. डी.
२. श्री हनुमानसिंह २ एन. पी. डी.
३. श्री लछमन सिंह २६ जे. बी.
४. श्री माधो सिंह २० ,,
५. श्री हकुमत सिंह २० ,,
६. श्री बिशन सिंह ६ एच.
७. श्री इन्द्र सिंह १ एफ. एफ. बी.
८. श्री मुख्तारसिंह ३१ एम. एल.
६. श्री पृथ्वीसिंह ४ जे. बी.
१०. श्री सांवरसिंह ४ जे. बी.
११. श्री गोविन्दराम ३ ए. पी. डी.
१२. श्री शेर सिंह १ ए. पी. डी.
१३. श्री चन्द्र सिंह ३ बी. एल. डी.
१४. श्री मेजर सिंह ३८ जे. बी.
१५. श्री हरविन्दरसिंह ४ जे. बी.
१६. श्री भागीरथ १ एम. के.
१७. श्री श्रदराम गगूलावाला
१८. श्री पीतमसिंह १६ पी. एम.
१६. श्री चानन सिंह ५३ बी. बी.
२०. श्री गंगा विशन ६ एम. के.
२१. श्री जयसिंह २५ बी. बी.
२२. श्री संतवीर सिंह २१ बी. बी.
२३. श्री प्रीतम सिंह १६ पी. एस.

पंचायत समिति करनपुर

१. श्री बाघाराम माननसर
२. श्री भजनसिंह २८ एफ.
३. श्री कानसिंह १६ एफ.
४. श्री जग सिंह १ एफ. डी.
५. श्री सन्दुरासिंह ३ एफ.
६. श्री अमरनाथ २५ एम.
७. श्री कान्हसिंह १४ एफ. एफ.
८. श्री कुलदीपसिंह ६ एच.
६. श्री अजय सिंह २१ एच.
१०. श्री गजनसिंह १८ एच.
११. श्री कृपाल सिंह १६ एच.
१२. श्री अजागर सिंह ३ बी.
१३. श्री कोरसिंह गुलाबेवाला
१४. श्री मोतीराम फुसवाला
१५. श्री लालसिंह मलकाना
१६. श्री कर्मसिंह मलकाना
१७. श्री परमानन्द फरीदसर
१८. श्री करदनलाल ६ एम.
१६. श्री हाकिमसिंह १८ एच.
२० श्री जातारसिंह २० एफ

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ की सूची)

सूचि परिशिष्ट 'अ'

असदस्यों से अमानत प्राप्त

क्र. सं.	नाम	रकम जो प्राप्त की	प्राप्त करने की तारीख
१.	श्री जीवणसिंह	२००)	८-१२-६७
२.	श्री मालूसिंह	१५००)	१८-१-६८
		१३००)	२२-२-६८
३.	श्री नारायणसिंह	४०००)	२०-२-६८
		४०००)	८-५-६८
४.	श्री जवरीमल	३०००)	१३-२-६८
५.	श्री याकूब	४०००)	१३-२-६८
६.	श्री करीम बक्ष	४०००)	१२-२-६८
७.	श्री बुधाराम	२०००)	१२-३-६८
८.	श्री सीताराम	१०००)	१२-३-६८

सदस्यों से अमानत प्राप्त

१. श्री सुखदेव दीपकर	४०००)	२५-११-६७
	५०००)	२-२-६८
	५०००)	८-५-६६
२ श्री शिवदानसिंह	२५००)	२५-११-६७
	५०००)	२-२-६८
	२५००)	१३-२-६८
	३५००)	१२-३-६८
	६०००)	८-५-६८
३. श्री उदाराम	२०००)	२५-११-६७
	२५००)	२-२-६८
	२५००)	१२-३-६८
	५०००)	८-५-६८
४. श्री भोलाराम	२०००)	२-२-६८
	१५००)	११-५-६८
५. श्री मदनसिंह	२०००)	२-२-६८
	४०००)	१२-३-६८
	६०००)	८-५-६८
६. श्री भूमाराम	१५००)	१३-२-६८
	३०००)	१३-३-६८
	५०००)	८-५-६८
७. श्री हजारीराम	१०००)	१२-३-६८
८. श्री मालाराम	३००)	२८-४-६८
९. श्री करनसिंह	४०००)	१३-२-६८
	१३००)	२२-४-६८
	५०००)	१३-२-६८
१०. श्री चौथाराम	५०००)	८-५-६८

नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक से ३०,०००) रु० दिनांक १४-९-६८ को प्लेज कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की गई है। वह चीनी के व्यापार में ही काम में ली जाती है। चीनी के कीमत का ७५ प्रतिशत बैंक द्वारा भुगतान किया जाता है।

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३११ की सूची)

तालिका (क)

उम्मेदगंज कृषि फार्म पर कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों की सूची

१. फार्म अधीक्षक	१
२. कृषि सहायक	२
३. लेखा लिपिक	१
४. कनिष्ठ लिपिक	२
५. क्षेत्र पति	४
६. ट्रैक्टर ड्राईवर	६
७. जीप ड्राईवर	१
८. हल वाहक	९
९. क्लीनर कम फार्म व्यय	२
१०. चौकीदार	१

सन् १९६६-६७ की आमदनी व व्यय का ब्यौरा

आमदनी		व्यय	
लकड़ी	२,८५६)	आवर्तक	१९०,५६६)
कृषि उपज	४७९,०४३)	अनावर्तक	२५,०८७)
	४८१,९०८)		२१५,६५३)

परिशिष्ट ९

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३१२ की सूची)

राजस्थान कृषि अनुसंधान प्रयोगों पर सन् १९६३-६४ से १९६६-६७ तक किए गए खर्च का ब्यौरा।

सन्	रु०
१९६३-६४	१४,१८,६९८)
१९६४-६५	१६,७१,०२६)
१९६५-६६	१७,१९,८०१)
१९६६-६७	२२,२९,७९०)

इन चार वर्षों में आमदनी बहुत ही सामान्य रही है।

परिशिष्ट १०

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३१८ की सूची)

सूची 'क'

नाम तहसील	मुकदमों की संख्या
सवाई माधोपुर	१३४६३
खण्डार	३८
बोंली	७८१
	१४२८२

सूची 'ख'

नाम तहसील	नियमन	बेदखल
सवाई माधोपुर	१४२१	११०८१
खण्डार	कार्यवाही नियमन जारी है ।	
बोंली	कार्यवाही नियमन जारी है ।	

परिशिष्ट ११

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५ की सूची)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी ग्रामोद्योग कमीशन बम्बई से जयपुर गत दस वर्षों में प्राप्त धनराशि की सूची

क्र० सं०	वर्ष	ऋण	सहायता
१.	५८-५९	९,८८,००८-३९	६,०२,४२८-००
२.	५९-६०	१३,५३,३४७-३०	८,७०,४३४-५०
३.	६०-६१	५३,१२,५६५-६१	८,४२,०४१-०७
४.	६१-६२	४५,०७,५०८-४४	९,६६,८७५-८८
५.	६२-६३	४०,७१,९०४-५०	९,८१,१०९-९९
६.	६३-६४	४९,०४,९१८-५०	८,०३,६४८-९९
७.	६४-६५	३१,३९,३४२-२०	१०,८५.०१७-८८
८.	६५-६६	६१,६०,०६१-७२	१०,७४,४५२-७४
९.	६६-६७	५८,१२,११७-०७	८,९४,६३६-३७
१०.	६७-६८	१७,०६,८२८-४६	३,७३,१४०-६८
		३,७९,५६,६०२-१९	८४,९३,७८६-१२

बन्द संस्थाओं की सूची

१. ग्रामोत्थान संघ गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
२. आदिम जाति ग्रामोद्योग संघ उदयपुर (उदयपुर)
३. हाडौती खादी ग्रामोद्योग संघ बारां (कोटा)
४. ग्राम सेवा मण्डल किशोरपुरा (झुंझुनू)
५. ग्राम सेवा मण्डल ब्राह्मणों की ससेरी (भीलवाड़ा)
६. अग्रगामी खादी संघ सांपला (अजमेर)
७. विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर (उदयपुर) :—संस्था ने खादी का कार्य बन्द कर दिया है।
८. राजस्थान खादी ग्रामोद्योग सेवा सदन जयपुर (जयपुर)

शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक २१ मार्च, १९६९

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५	७	पाटींज	पार्टीज
६	७	अकाउण्ट	अकाउन्ट
१३	९	पाटीं	पार्टी
१७	६	पाटंनर	पार्टनर
१८	१	तफताश	तफतीश
१९	१६	सविस	सर्विस
२१	२२	सीमावतीं	सीमावर्ती
२५	२५	सटिफिकेट	सर्टिफिकेट
३०	३०	इण्ड्रेस्ट	इन्ट्रेस्ट
३१	१० व १५	सविस	सर्विस
,,	१७	प्र् डन्ट	प्रूडेन्ट
३६	१२	लोहे वा	लोहे का
४३	१५	चाखानो	चालानों
४९	९	श्री जपनारायण	श्री जयनारायण
५२	अन्तिम से ५	प्रसिस्टेण्ट	असिस्टेन्ट
५३	२	असिस्टेण्ट	असिस्टेन्ट
५४	१७	उमकी	उसकी

१	२	३	४
६६	२१	कष्टोल	कन्टोल
८०	१२	श्री लक्ष्मीनारापण	श्री लक्ष्मीनारायण
८१	४	भू-गर्भिक	भू-गर्भिक
८५	४३	वार्षिक	वार्षिक
,,	४	हिस्सेधारिय	हिस्सेदारियों
८६	१७	कृषि	कृषि
६६	२	आर्थिक	आर्थिक
१०१	१३	कण्टीब्यूट्री	कन्टीब्यूट्री
१०५	११	इल्वेस्टिगेशन	इन्वेस्टिगेशन
१०६	२४	पार्टी	पार्टी
१०६	३	फाइण्डिग्स	फाइडिंग्स
,,	१३	जिम्मेवारान	जिम्मेदारान
११०	६	जै ो	जैसे
११२	२४	आपो	आपके
१३२	६ व १०	कन्कलूजन्स	कन्क्लूजन्स
१३७	२३	रिकमण्डेशन	रिकमन्डेशन
१५०	१२	आ ो	आने
१५२	२	अंतगत	अन्तर्गत
१६३	२६	सटिफिकेट	सर्टिफिकेट
१६६	अन्तिम से २	आथिक	आर्थिक
१६६	१८	प्रधानध्यापिका	प्रधानाध्यापिका

१	२	३	४
१७१	८	फार्मेसी	फार्मेसी
१७५	शीर्ष	श्री अयीलल यादव	श्री अमीलाल यादव
१७६	६	सर्जिकल	सर्जिकल
१७८	३	वेवल	केवल
१८६	अन्तिम से १०	शिथिलत ान	शिथिलता न
१९०	१२	सर्टिफिकेट	सर्टिफिकेट
१९१	१०	मन्त्री जी,	मंत्रीजी
,,	१३	रिवोल्यूशनरा	रिवोल्यूशनरी
१९५	१	एक्जाम्पल	एग्जाम्पल
,,	२२	प्रिवेण्टिव	प्रिवेन्टिव
१९८	५	पुगना	पुराना
२०७	२०	बास्वेट	वास्केट
२०८	४	चाहा	चाहता
,,	७	ग्राकषित	ग्राकर्षित
२१०	७	मन्तोषजनक	सन्तोषजनक
२१४	७	ग्हा	रहा
,,	१२	स्टूडेण्टस्	स्टूडेन्टस
२२१	२२	ग्राचियोलोजिकल	ग्राचियोलोजिकल
२२२	२ व ८	मूर्तिया	मूर्तियां
२४३	१२	निम्ब्रहडा	निम्बाहेड़ा
२४४	१२	बर ी	बस्ती

१	२	३	४
२४६	२	रिटायर्ड	रिटायर्ड
२४८	५	पूर्ति	पूर्ति
२५४	५	आयुर्वेद	आयुर्वेद
२६३	अन्तिम से ६	मिनिस्टर	मिनिस्टर
२६५	१४	जार	जोर
२६६	१८	जतरेशन	जनरेशन
२७२	२५	सर्विस	सर्विस
२७४	अन्तिम से २	ि ा सको	जिसको
२७७	२	काम्प्रीहैन्सि	काम्प्रीहैन्सिव
२८४	२	यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी
	३,१०,१६ व २६		
२८८	२१	यूनिवर्सिटी	यूनिवर्सिटी